

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

समाज कार्य
इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ

डॉ० सुरेन्द्र सिंह

कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी

डॉ० पी०डी० मिश्र

प्रोफेसर

समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ



न्यू रॉयल बुक कम्पनी
लखनऊ

प्रथम संस्करण	2001
द्वितीय संस्करण	2002
तृतीय संस्करण	2004
भरोधित संस्करण	
द्वितीय भरोधित संस्करण	: 2006
तृतीय भरोधित संस्करण	: 2007
चतुर्थ संस्करण	: 2009
पचम संस्करण	: 2010

© लेखक

ISBN 81-85936-89-7

वैधानिक चेतावनी : प्रकाशक की लिखित पर्यानुमति के बिना पुस्तक का कोई अंश, पुनः मुद्रित नहीं किया जा सकता है।

प्रकाशक

न्यू रॉयल बुक कम्पनी

प्रथम तल, शाह ट्रेड सेंटर

32/16, बाल्मीकि मार्ग, लाल बाग,

लग्ननऊ - 226 001

फोन : 0522-2285607

भाग में मुद्रित

दमरान मिर्जा, एम.ए.के. बंग द्वारा न्यू रॉयल बुक क० लग्ननऊ के लिए प्रकाशित और
मुनीश कुमार पाण्डेय द्वारा टाइपसेट तथा बॉ.के० शाहदरा, दिल्ली -32 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

जीवन का उद्देश्य सर्वतोमुखी विकसित करना है। किन्तु विकास का मार्ग अनेक जटिल समस्याओं से होकर जाता है। इस प्रकार समस्याएँ जीवन का अंग हैं। कुछ समस्याएँ वर्तमान से जुड़ी होती हैं तथा कुछ अपेक्षित परिवर्तनों से जुड़ी होती हैं। समस्या के सम्यक समाधान के दो प्रमुख कारण हैं व्यक्ति की अपनी अक्षमता, अज्ञानता एवं अनुभवहीनता तथा नवीन परिस्थितियों का सृजन जिनका सामना करने की क्षमता का अभाव होता है। इन समस्याओं के दो स्वरूप होते हैं भौतिक तथा मनो-सामाजिक। अनेक परीक्षणों, अन्वेषणों तथा अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक समस्या किसी न किसी सीमा तक दोनों प्रकार की है। इसीलिए आज विशेषीकृत सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किए जाने के साथ-साथ व्यक्ति तथा उसकी समस्या को सम्पूर्णता में देखने तथा तदनुसार सहायता करने का महत्व बढ़ गया है। आज यह सर्वमान्य है कि व्यक्ति की समस्या का पूर्ण समाधान समन्वित सेवाओं द्वारा ही सम्भव हो सकता है। समाज कार्य भी विविध प्रकार की उपलब्ध सेवाओं का अधिकतम सदुपयोग करते हुए व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की समस्याओं का समाधान करता है, विकास के अवसर प्रदान करता है और सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन लाता है।

प्रस्तुत पुस्तक में समाज कार्य के सभी पहलुओं का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम समाजकार्य के अर्थ, इतिहास क्षेत्र, सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध, दर्शन, तथा मौलिक मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। तदुपरान्त समाज कार्य के ढंगों यथा वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कार्य

प्रशासन, सामाजिक शोध तथा सामाजिक क्रिया का चित्रण किया गया है।

इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य समाज कार्य के विद्यार्थियों तथा जिज्ञासुओं को समाज कार्य के विविध आयामों से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें झंझर उधर भटकना न पड़े। आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक भारतवर्ष के समाज कार्य के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए लाभप्रद होगी।

डा० सुरेन्द्र सिंह
डा० पी० डी० मिश्र

विषय-सूची

अध्याय-1	समाज कार्य : अर्थ एवं उद्देश्य	1-19
1	समाज कार्य के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्तिया	1
2	समाज कार्य की प्रमुख परिभाषाएँ	4
3	समाज कार्य की विशेषताएँ	6
4	समाज कार्य के उद्देश्य	7
5	समाज कार्य की मौलिक मान्यताएँ	9
6	समाज कार्य के प्रमुख अंग	10
7	समाज कार्य के कार्य	11
8	समाज कार्य का प्रयोग किये जाने के माडल	13
अध्याय-2	समाज कार्य के क्षेत्र	20-44
1	बाल कल्याण	20
2	महिला सशक्तिकरण	22
3	विद्यालय समाज कार्य	24
4	युवा कल्याण	24
5	वृद्धों का कल्याण	26
6	श्रम कल्याण	27
7	बाधितों का कल्याण	28
8	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	30
9	चिकित्साकीय एवं मन चिकित्साकीय समाज कार्य	33
10	ग्राम्य विकास	35
11	सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार	35
12	सामाजिक सुरक्षा	36
13	सामाजिक नीति, नियोजन तथा विकास	37

14. कानूनी सहायता	40
15. पर्यावरण सन्तुलन	41
16 मानव अधिकारों का संरक्षण तथा सामाजिक न्याय	41

अध्याय-3 समाज कार्य एवं अन्य समाज विज्ञान 45-68

1 समाज कार्य तथा समाज शास्त्र	46
2 समाज कार्य तथा मनोविज्ञान	51
3 समाज कार्य तथा सामाजिक मनोविज्ञान	54
4 समाज कार्य तथा मानव शास्त्र	55
5 समाज कार्य तथा अर्थशास्त्र	56
6 समाज कार्य तथा राजनीतिशास्त्र	60
7. समाज कार्य एवं विधि	62
8 समाज कार्य एवं सांख्यिकी	64

अध्याय-4 समाज कार्य का इतिहास 69 - 102

इंग्लैण्ड में समाज कार्य का इतिहास	69
1 अविवेकपूर्ण दान का युग	
2. सुपात्र निर्धनों के लिए सहायता एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों की सहायता का युग	
3. समन्वय एवं नियंत्रण का युग	
4. आय अनुरक्षण युग	
संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास	81
1. दान काल	
2. स्थानीय सहायता काल	
3. राज्य सहायता काल	
4. अधीक्षण, समन्वय एवं प्रशिक्षण काल	
5. युवकों के साथ कार्य का काल	
6 आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के साथ कार्य करने एवं रहने का काल	

7 सामाजिक सुरक्षा काल

8 निर्धनता उन्मूलन काल

भारत में समाज कार्य का इतिहास

89

1 सामुदायिक जीवन काल

2 दान काल

3 धार्मिक सुधार काल

4 व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं संगठन काल

अध्याय-5 समाज कार्य दर्शन

103-120

1 दर्शन क्या है?

103

2 समाज कार्य के मूल प्रत्यय

104

(i) व्यक्ति का प्रत्यय (ii) व्यवहार का प्रत्यय

(iii) समस्या का प्रत्यय (iv) सम्बन्ध का प्रत्यय

(v) भूमिका का प्रत्यय (vi) अह का प्रत्यय

(vii) अनुकूलन का प्रत्यय

3 समाज कार्य के मौलिक मूल्य

109

4 समाज कार्य दर्शन

113

(i) व्यक्ति की प्रकृति के सदर्थ में

(ii) समूहों, व्यक्तियों एवं समूहों और

व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धों के सदर्थ में

(iii) समाज कार्य की प्रणालियों एवं कार्यों के

सदर्थ में

(iv) सामाजिक कुसमायोजन एवं सामाजिक

परिवर्तन के सदर्थ में

5 समाज कार्य का भारतीय दर्शन

116

अध्याय-6 एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य

121-136

1 व्यवसाय का अर्थ

121

2 समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में

124

(i) क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ज्ञान

- (ii) निपुणताये, प्रविधिया तथा यत्र
- (iii) समाज कार्य शिक्षा
- (iv) व्यावसायिक संगठन
- (v) सामाजिक अनुमोदन
- (vi) आचार संहिता

3	भारत मे समाज कार्य की व्यावसायिक छवि	129
4	भारत मे समाज कार्य व्यवसाय के रूप मे विकास की धीमी गति के कारण	133

अध्याय-7 वैयक्तिक समाज कार्य 137-188

1	वैयक्तिक समाज कार्य की परिभाषा	137
2	वैयक्तिक समाज कार्य के अगमूत	140
3	वैयक्तिक समाज कार्य का विकास	144
4	वैयक्तिक समाज कार्य के सम्प्रदाय	148
5	वैयक्तिक समाज कार्य के मौलिक प्रत्यय	158
6	वैयक्तिक समाज कार्य के चरण	163
	(i) मनो-सामाजिक अध्ययन	
	(ii) निदान एवं मूल्यांकन	
	(iii) उपचार	

अध्याय-8 सामूहिक समाज कार्य 189 - 224

1	सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली के रूप मे	189
2	सामूहिक समाज कार्य की परिभाषा	190
3	सामूहिक समाज कार्य की विशेषताये	195
4	सामूहिक समाज कार्य की भ्रातियां	197
5	सामूहिक समाज कार्य की मूल मान्यताये	198
6	सामूहिक समाज कार्य का दर्शन	199

7	सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य	202
8	सामूहिक समाज कार्य के सिद्धान्त	206
9	सामाजिक सामूहिक कार्य की निपुणताये	215
10	सामूहिक समाज कार्य एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में	219
11	उपचार के माध्यम	222
12	उपचार के ढग	223

अध्याय—9 सामुदायिक संगठन 225-248

1	परिभाषा	226
2	सामुदायिक संगठन के क्षेत्र	229
3	सामुदायिक संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	230
4	सामुदायिक संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य	231
5	सामुदायिक संगठन की मौलिक माध्यताये	233
6	सामुदायिक संगठन के ढग	236
7	सामुदायिक संगठन की निपुणताये	237
8	सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त	237
9	सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका	239
10	सामुदायिक संगठन के चरण	240
11	सामुदायिक परिषद तथा सामुदायिक दानपेटी	244
12	सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन	245

अध्याय—10 समाज कल्याण प्रशासन 249-265

1	समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ	249
2	समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषा	250
3	समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति तथा विशेषताये	251

4	सामाजिक प्रशासन के उद्देश्य	253
5	समाज कल्याण प्रशासक के प्रमुख क्षेत्र	254
6	समाज कल्याण प्रशासक के कार्य	257
7.	समाज कल्याण प्रशासन के लिए मौलिक ज्ञान	261
8	समाज कल्याण प्रशासन की निपुणताये	261
9.	समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धान्त	262

अध्याय-11 समाज कार्य शोध 266-281

1	समाज कार्य शोध तथा सामाजिक शोध मे अन्तर	266
2	समाज कार्य शोध की परिभाषा	268
3	समाज कार्य शोध के प्रकार	270
4	शोध के चरण	273
5	समाज कार्य शोध के क्षेत्र	280

अध्याय-12 सामाजिक क्रिया 282 - 294

1.	सामाजिक क्रिया की परिभाषा	282
2	सामाजिक क्रिया के आधारभूत तत्व	285
3	सामाजिक क्रिया के उद्देश्य	286
4	सामाजिक क्रिया का महत्व	287
5	सामाजिक क्रिया के स्वरूप	289
6	सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त	290
7.	सामाजिक परिवर्तन की रणनीतियां	291

1	व्यवस्था का अर्थ	295
2	व्यवस्था का वर्गीकरण	295
3	सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा	296
4	सामाजिक व्यवस्था की विशेषतायें	297
5	सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्त्व	298
6	सामाजिक व्यवस्था के सिद्धान्त	300
	विषय-संकेत सूची	301
	लेखक संकेत सूची	304

समाज कार्य : अर्थ एवं उद्देश्य (SOCIAL WORK : MEANING AND OBJECTIVES)

व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं। जहाँ समाज ने व्यक्ति को मानवीय अस्तित्व प्रदान किया है, वहीं समाज द्वारा निर्धनता, बेकारी जैसी विविध प्रकार की समस्याएँ भी उत्पन्न की गयी हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु आदिकाल से ही प्रयास किये जाते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में समाज कार्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समाज कार्य प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक अनुकूलन के मार्ग में आने वाली सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान प्रस्तुत करता है।

1. समाज कार्य के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्तियाँ (*Misconceptions regarding social work*)

अधिकांश लोगों को समाज कार्य के विषय में सही जानकारी न होने के कारण उनमें इसके विषय में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख भ्रान्तियाँ इस प्रकार हैं

1. दान के रूप में समाज कार्य (Social work as charity)

निर्धनों तथा अकिंचनों को दान देना प्राचीनकाल से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान एक पुण्य का कार्य समझा जाता रहा है। दान के माध्यम से केवल अस्थायी रूप से दान लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है।

दान लेने वाला व्यक्ति दूसरो पर निर्भर बना रहता है। समाज कार्य व्यक्ति की वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार सहायता प्रदान करता है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति में समस्या का समाधान करने की क्षमता उत्पन्न हो जाय और वह अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सके।

2. श्रमदान के रूप में समाज कार्य

(Social work as shramdan)

समुदाय की सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए श्रमदान का प्रयोग किया जाता रहा है। यह श्रमदान लोग ऐच्छिक रूप से करते रहे हैं। इसका सहारा लेते हुए सार्वजनिक मार्गों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, सार्वजनिक सफाई जैसे अनेक प्रकार के कार्य किये जाते रहे हैं। श्रमदान समाज कार्य नहीं है क्योंकि इसे निष्काम भाव से बिना किसी ज्ञान अथवा निपुणता का प्रयोग करते हुए सामान्य हित के कार्यों के लिए किया जा सकता है जबकि समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों की मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्हें आत्म-सहायता करने के योग्य बनाता है।

3. समाज कल्याण के रूप में समाज कार्य

(Social work as social welfare)

समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं एवं संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों एवं समूहों को एक संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए बनायी जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक उन्नति के अवसर, अच्छा स्वास्थ्य एवं संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करना है। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए किया जाता है। समाज कार्य व्यक्ति की सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाता है तथा जीवन को सुखमय एवं शान्तिपूर्ण बनाता है।

4. समाज सुधार के रूप में समाज कार्य

(Social work as social reform)

समाज सुधार का अभिप्राय समाज की विचारधारा में परिवर्तन लाना है ताकि प्रचलित कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर किया जा सके। अस्पृश्यता, दहेज, बाल विवाह, जैसी बुराइयों को रोकने के लिए किये जाने वाले प्रयास समाज सुधार के अन्तर्गत आते हैं। समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए सहायता प्रदान करने का कार्य है ताकि उनमें आत्म-सहायता की क्षमता का विकास किया जा सके।

5. सामाजिक सुरक्षा के रूप में समाज कार्य

(Social work as social security)

सामाजिक सुरक्षा से हमारा अभिप्राय समाज द्वारा विकसित की गयी ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा समाज आकस्मिकताओं के शिकार व्यक्तियों को धन अथवा सेवाओं के रूप में सहायता प्रदान करता है ताकि वे न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर व्यतीत कर सकें। ये आकस्मिकताएँ जैविक, आर्थिक अथवा दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जैविक आकस्मिकताओं के उदाहरण के रूप में मातृत्व, आर्थिक आकस्मिकताओं के उदाहरण के रूप में बेकारी तथा जैविक एवं आर्थिक आकस्मिकताओं के उदाहरण के रूप में वृद्धावस्था का उल्लेख किया जा सकता है। इन आकस्मिकताओं की यह विशेषता होती है कि ये व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को क्षति पहुँचाती हैं और उसकी आय की निरन्तरता को समाप्त करती हैं। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा, जन सहायता तथा समाज सेवाओं के रूप में आयोजित की जाती है। समाज कार्य केवल आकस्मिकताओं के विरुद्ध ही व्यक्तियों को संरक्षण नहीं प्रदान करता बल्कि यह व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों द्वारा अनुभव की जाने वाली विविध प्रकार की मनो-सामाजिक समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक ज्ञान एवं

प्राविष्टि निपुणताओ का प्रयोग करते हुए उनमें आत्म-सहायता की क्षमता उत्पन्न करता है।

II समाज कार्य की प्रमुख परिभाषायें

(Major definitions of social work)

चेनी के अनुसार . "समाज कार्य के अन्तर्गत ऐसी आवश्यकताओं जो सामाजिक सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं तथा जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं ढंगों का उपयोग करती हैं, के सन्दर्भ में लाभों को प्रदान करने के सभी ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं।"¹

फिक के मत में . "समाज कार्य अकेले अथवा समूहों में व्यक्तियों को वर्तमान अथवा भावी ऐसी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती हैं अथवा रोक सकती हैं, के विरुद्ध सहायता प्रदान करने हेतु प्ररचित सेवाओं का प्रावधान है।"²

हेलेन क्लार्क के मत में "समाज कार्य ज्ञान एवं निपुणताओं के मिश्रण से युक्त व्यावसायिक सेवा का एक स्वरूप है जिसके कुछ अंश समाज कार्य के विशिष्ट अंश हैं और कुछ नहीं, जो एक ओर व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में सहायता करने तथा दूसरी ओर यथासम्भव उन कठिनाइयों जो उस सर्वोत्तम को जिसके लिए उनमें क्षमता है, प्राप्त करने से लोगों को रोकती हैं, को दूर करने का प्रयास करती हैं।"³

सुशील चन्द्र के मत में . "समाज कार्य जीवन के मानदण्डों को उन्नत बनाने तथा समाज के सामाजिक विकास की किसी स्थिति में व्यक्ति, परिवार तथा समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण हेतु सामाजिक नीति के कार्यान्वयन में सार्वजनिक अथवा निजी प्रयास द्वारा की गयी गतिशील क्रिया है।"⁴

फ्रीडलैण्डर के मत में "समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानवीय सम्बन्धों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है

जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक एवं वैयक्तिक सतों पर एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है।”⁵

इण्डियन कान्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के मत में “समाज कार्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों अथवा समूहों अथवा समुदाय को एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी क्रिया है।”⁶

कोनोप्का के मत में “समाज कार्य तीन स्पष्ट रूप से भिन्न किन्तु अन्तर्सम्बन्धित भागों समाज सेवाओं का एक जाल, सावधानीपूर्वक विकसित किये गये ढंगों एवं प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के माध्यम से व्यक्त की गयी सामाजिक नीति का प्रतिनिधित्व करने वाला अस्तित्व है। ये सभी मनुष्यों के विषय में एक मत, उनके अन्तर्सम्बन्धों एवं नैतिक कर्तव्यों पर आधारित है।”⁷

स्ट्रूप के मत में “समाज कार्य आत्म सहायता करने हेतु लोगों की सहायता करने के वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग द्वारा व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की आवश्यकताओं को प्रभावित करने हेतु विभिन्न संसाधनों को जुटाने की कला है।”⁸

निर्जा रफीउद्दीन अहमद के मत में “समाज कार्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया के मार्ग में आने वाली समस्याओं से ग्रस्त लोगों की व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों के रूप में सहायता प्रदान करने की एक व्यावसायिक क्रिया है जो उन्हें आत्म सहायता करने के योग्य बनाती है।”⁹

समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं एवं मानवतावादी दर्शन का प्रयोग करते हुए मनो-सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों को वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक स्तर पर सहायता

प्रदान करने की एक क्रिया है जो उनकी इन समस्याओं को पहचानने, उन पर ध्यान को केन्द्रित करने, उनके कारणों को जानने तथा इनका स्वतः समाधान करने की क्षमता को विकसित करती है तथा सामाजिक व्यवस्था की गड़बड़ियों को दूर करती हुई इसमें वांछित परिवर्तन लाती है ताकि व्यक्ति की सामाजिक क्रिया प्रभावपूर्ण हो सके, उसका समायोजन सतोषजनक हो सके और उसे सुख तथा शान्ति का अनुभव हो सके और सामाजिक व्यवस्था में पायी जान वाली कुरीतियों एवं प्रगति को अवरुद्ध करने वाली संस्थागत संरचनाओं को उखाड़ फेंकते हुए सभी को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के समीचीन अवसर प्रदान किये जा सकें और सामाजिक संघर्षों को कम करत हुए एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

III समाज कार्य की विशेषताये (Characteristics of social work)

समाज कार्य की प्रमुख विशेषताये निम्नलिखित हैं

- 1 समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। इसमें विविध प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है।
- 2 समाज कार्य सहायता समस्याओं का मनो-सामाजिक अध्ययन तथा निदानात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रदान की जाती है।
- 3 समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का कार्य है। ये समस्याये व्यक्ति की प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अपनी प्रकृति में ये समस्याये मनो-सामाजिक होती हैं।
- 4 समाज कार्य सहायता किसी अकेले व्यक्ति अथवा समूह अथवा समुदाय को प्रदान की जा सकती है।

- 5 समाज कार्य सहायता का अन्तिम उद्देश्य समस्याग्रस्त सेवार्थी में आत्म सहायता करने की क्षमता उत्पन्न करना होता है।
- 6 समाज कार्य सहायता प्रदान करते समय सेवार्थी की व्यक्तित्व सम्बन्धी संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों में परिवर्तन लाते हुए कार्य किया जाता है।

IV समाज कार्य के उद्देश्य (Objectives of social work)

उद्देश्य कुतुबनुमा के समान होते हैं जो हमें दिशा बोध कराते हैं। समाज कार्य के उद्देश्य समाज कार्यकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते समय दिशा निर्देशन करते हैं और इसीलिए इनकी जानकारी आवश्यक है।

ब्राउन¹⁰ ने समाज कार्य के 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया है (1) भौतिक सहायता प्रदान करना, (2) समायोजन स्थापित करने में सहायता देना, (3) मानसिक समस्याओं का समाधान करना, तथा (4) निर्यत्न वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध कराना। फ्रीडलैण्डर¹¹ ने दुखदायी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन, रचनात्मक शक्तियों के विकास तथा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों एवं मानवोचित व्यवहारों के अवसरों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के तीन उद्देश्यों का उल्लेख किया है। हैमिल्टन¹² ने स्वस्थ एवं अच्छे जीवन स्तर तथा सन्तोषजनक सम्बन्धों एवं अनुभव के आधार पर सामाजिक वृद्धि के अवसर प्रदान किये जाने का उल्लेख किया है। सयुक्त राष्ट्र संघ¹³ के अनुसार समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों एवं समुदाय को सामाजिक मानसिक एवं शारीरिक कल्याण के एक उच्च स्तर पर पहुँचाने में सहायता प्रदान करता है। विटमर के विचार में समाज कार्य के दो प्रमुख उद्देश्य हैं (1) व्यक्तियों की उन कठिनाइयों को दूर करना जिन्हें वे सुविधाओं के समुचित उपयोग में अनुभव करते हैं तथा (2) लोगों के कल्याण हेतु उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों की व्याख्या करना।

एण्डरसन के मत में "समाज कार्य लोगों को उनकी विशिष्ट इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार तथा समुदाय की इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुकूल सतोपजनक सम्वन्धों एवं जीवन के मानदण्डों को प्राप्त करने में व्यक्तियों अथवा समूहों के रूप में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रदान की गयी व्यावसायिक सेवा है।" 14

यगडाल के मत में "समाज कार्य लोगों के लिए दो वस्तुओं की खोज करता है आर्थिक भलाई तथा प्रसन्नता के और गहरे स्रोत, अर्थात् आत्मानुभूति (self-realisation)। इसके प्रयोजन की विषयवस्तु मानवीय व्यवहार एवं सम्वन्ध हैं। इसके ध्यान का केन्द्र विन्दु व्यक्ति और एक स्वीकृत की गयी वास्तविकता के साथ उसका अपना समायोजन है।" 15

वी जी खेर के मत में "समाज कार्य का उद्देश्य, जैसा सामान्यतया समझा जाता है, सामाजिक अन्याय को दूर करना दुख से छुटकारा दिलाना, यातनाओं को रोकना एवं स्वयं अपना और अपने परिवारों का पुनर्वासन करने हेतु समाज के निर्बल सदस्यों की सहायता करना और सारांश में, (1) भौतिक आवश्यकता, (2) बीमारी, (3) अज्ञानता, (4) मलीनता, तथा (5) निष्क्रियता के पांच दानवाकार बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करना है।" 16

इस प्रकार समाज कार्य एक सहायतामूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा मानवदर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति, समूह के सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनो-सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं निदान करने के पश्चात् परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन तथा आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें, सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से भाग ले सकें, लोगों के साथ सतोपजनक समायोजन कर सकें, अपने जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कर सकें, तथा अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सकें।

विशिष्ट रूप से समाज कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- 1 मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान करना।
- 2 मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- 3 सामाजिक सम्वन्धों को सौहार्द्रपूर्ण एवं मधुर बनाना।
- 4 व्यवित्तत्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना।
- 5 सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
- 6 लोगों में सामाजिक घेतना जागृत करना।
- 7 पर्यावरण को स्वस्थ एवं विकास के अनुकूल बनाना।
- 8 सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करना।
- 9 स्वस्थ जनमत तैयार करना।
- 10 सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार विधानों का निर्माण कराना तथा वर्तमान विधानों में वाछित सशोधन कराना।
- 11 लोगों में सामाजिक क्षमता विकसित करना।
- 12 लोगों की सामाजिक क्रियाओं को प्रभावपूर्ण बनाना।
- 13 लोगों में आत्म सहायता करने की क्षमता विकसित करना।
- 14 लोगों को उनके जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कराना।
- 15 समाज में शान्ति एवं व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

V समाज कार्य की मौलिक मान्यताये

(Basic assumptions of social work)

समाज कार्य की निम्नलिखित मौलिक मान्यताये हैं

- (1) व्यक्ति एवं समाज अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए व्यक्ति, समूह

अथवा समुदाय के रूप में सेवार्थी की समस्या के समाधान हेतु सामाजिक दशाओं एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है।

- (2) व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अन्त क्रिया में आने वाली बाधाएँ समस्या का प्रमुख कारण होती हैं। इसीलिए समाज कार्य की क्रियाविधि का केन्द्र बिन्दु अन्त क्रियाएँ होती हैं।
- (3) व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित किये जाते हैं। इसीलिए सामाजिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है।
- (4) व्यक्ति एक सम्पूर्ण इकाई है। इसलिए उससे सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन आवश्यक होता है।
- (5) समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं। इसीलिए इनके समाधान हेतु विविध प्रकार के ढंगों की आवश्यकता होती है।

VI समाज कार्य के प्रमुख अंग

(Major constituents of social work)

समाज कार्य के तीन प्रमुख अंग हैं कार्यकर्ता, सेवार्थी तथा संस्था। समाज कार्य में कार्यकर्ता का स्थान प्रमुख होता है। यह कार्यकर्ता वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य अथवा सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता हो सकता है। कार्यकर्ता की भूमिका समस्या की प्रकृति पर निर्भर करती है। कार्यकर्ता को मानव व्यवहार का समुचित ज्ञान होता है। उसमें व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं एवं व्यवहारों को समझने की क्षमता एवं योग्यता होती है। वह अन्तर्ज्ञान प्रदान करते हुए व्यक्तित्व का विकास करता है ताकि सेवार्थी अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए विकास के अक्सरों का समुचित उपयोग कर सके।

सेवार्थी एक व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय हो सकता है। जब सेवार्थी एक व्यक्ति होता है तो अधिकांश समस्याये मनो-सामाजिक अथवा समायोजनात्मक अथवा सामाजिक क्रिया से संबंधित होती हैं और कार्यकर्ता वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए सेवाये प्रदान करता है। जब सेवार्थी एक समूह होता है तो प्रमुख समस्याये प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा नेतृत्व के विकास, सामूहिक तनावों एवं संघर्षों के समाधान तथा मैत्री एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों के विकास से सम्बन्धित होती हैं। सामूहिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान उत्पन्न होने वाली अन्त क्रियाओं को निर्देशित करते हुए समूह में सामूहिक रूप से कार्य करते हुए सामान्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति की क्षमता उत्पन्न करता है। जब सेवार्थी एक समुदाय होता है तो समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ सामुदायिक एकीकरण का विकास करने का प्रयास किया जाता है। एक सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय में उपलब्ध संसाधनों एवं समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के बीच प्राथमिकताओं के आधार पर सामंजस्य स्थापित करता है और लोगों को एक-दूसरे के साथ मिल जुलकर कार्य करने के अवसर प्रदान करते हुए सहयोगपूर्ण मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं व्यवहारों का विकास करता है। समाज कार्य में सरस्था का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सेवाये सरस्था के तत्वावधान में ही प्रदान की जाती हैं। ये सरथाये सार्वजनिक अथवा निजी हो सकती हैं। सरस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य इसके उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। सरस्था के तत्वावधान में कार्य करने वाले समाज कार्यकर्ता के लिए सरस्था के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यरीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समुचित जानकारी आवश्यक है।

VII समाज कार्य के कार्य

(Functions of social work)

सामान्यतया समाज कार्यके 4 प्रकार के कार्य हैं (1) उन्मत्सारात्मक (2) सुधारत्मक, (3) निरोधात्मक तथा (4) विकासात्मक।

उपचारात्मक कार्य इन कार्यों के अन्तर्गत समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्साकीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, मनोचिकित्साकीय एवं मानसिक आरोग्य से सम्बन्धित सेवाओं, अपंग एवं निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाओं तथा पुनरर्थापन सम्बन्धी सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

सुधारात्मक कार्य इन कार्यों के अन्तर्गत व्यक्ति सुधार सेवाओं, सम्बन्ध सुधार सेवाओं, तथा समाज सुधार सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्ति सुधार सेवाओं में कारागार सुधार सेवाओं, प्रोवेशन, पेट्रोल तथा कानूनी सेवा सम्बन्धी सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है। सम्बन्ध सुधार सेवाओं के रूप में परिवार कल्याण सेवाओं, विद्यालय समाज कार्य एवं औद्योगिक समाज कार्य का निरूपण किया जा सकता है। समाज सुधार सेवाओं के रूप में रोजगार सम्बन्धी सेवाओं, वेश्यावृत्ति निवारण कार्यों, भिक्षावृत्ति निवारण कार्यों, दहेज उन्मूलन सम्बन्धी कार्यों तथा एकीकरण को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

निरोधात्मक कार्य इन कार्यों के अन्तर्गत सामाजिक नीतियों, सामाजिक परिनियमों, जनचेतना उत्पन्न करने से सम्बन्धित प्रौढ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा नाना प्रकार की समाज सुरक्षा सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

विकासात्मक कार्य इनके अन्तर्गत आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रमों यथा उत्पादकता की दर में वृद्धि करने, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने, आर्थिक लाभों का साम्यपूर्ण वितरण करने, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, इत्यादि तथा सामाजिक विकास के अनेक कार्यक्रमों उदाहरणार्थ, पेयजल, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सेवाओं, सेवायोजन सम्बन्धी सेवाओं, मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं इत्यादि का वर्णन किया जा सकता है।

VIII समाज कार्य का प्रयोग किये जाने के माडल (Models applied in social work)

समय-समय पर उपलब्ध ज्ञान के स्तर एव विद्यमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार समाज कार्य का प्रयोग करने की दृष्टि से प्रयोग में लाने के लिए माडल-समस्या समाधान माडल, मनो-सामाजिक चिकित्सा माडल प्रकार्यात्मक माडल, प्रेमपूर्वक कार्य सम्पादन किये जाने का माडल व्यवहार सशोधन माडल, सकटकालीन हस्तक्षेप माडल, कार्य केन्द्रित माडल चार व्यवस्थाओं वाला माडल तथा एकक अभिनय माडल प्रमुख हैं।

(1) समस्या-समाधान माडल (Problem-solving model)

पर्लमैन के विचारों पर आधारित यह माडल इस बात को प्रतिपादित करता है कि जीवन ही समस्या समाधान सम्बन्धी क्रियाओं का नाम है। जीवन में आने वाली विविध प्रकार की समस्याओं का तब तक समुचित समाधान नहीं हो सकता जब तक कि समस्याग्रस्त व्यक्ति समस्या-समाधान की दिशा में स्वयं प्रयास न करे। इस मान्यता की पृष्ठभूमि में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या का समाधान स्वयं न कर उसके सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में विद्यमान विविध प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हुए स्वयं सेवार्थी से करवाता है ताकि सेवार्थी के व्यक्तित्व में निर्भरता की विशेषता न उत्पन्न हो और वह अपनी भावी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को जो भी सहायता प्रदान करता है वह सेवार्थी-कर्ता संधि के माध्यम से प्रदान की जाती है। पर्लमैन ने स्पष्ट रूप से लिखा है "समस्या-समाधान अभिगम के अन्तर्गत यह सम्बन्ध ही है जो बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, भावना को बनाये रखता है तथा व्यक्ति को आगे बढ़ाता है जो अन्यथा एक शान्तिपूर्ण तथा विवेकपूर्ण प्रक्रिया होगी।"

(2) मनो-सामाजिक चिकित्सा माडल

(Psycho-social treatment model)

हॉलिस¹⁸ द्वारा प्रतिपादित इस माडल के अनुसार सेवार्थी की समस्या के समाधान के लिए उसका मनो-सामाजिक अध्ययन करना आवश्यक है। मनो-सामाजिक चिकित्सा माडल निदानात्मक स्कूल की मान्यताओं में विश्वास रखता है और इसके अन्तर्गत उपचार के तीन प्रकार प्रयोग में लाये जाते हैं (1) व्यक्ति में परिवर्तन, (2) सामाजिक अथवा अन्तर्व्यक्तिक पर्यावरण में परिवर्तन, तथा (3) दोनों में परिवर्तन।

(3) प्रकार्यात्मक माडल (Functional model)

रमेली¹⁹, टंपट²⁰ तथा राविन्सन²¹ द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादित यह माडल प्रकार्यात्मक स्कूल की मान्यताओं पर आधारित है। इसके अन्तर्गत ऑटोरेक द्वारा वर्णित सकल्प शक्ति को विकसित करने एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। सकल्प शक्ति वह शक्ति है जो आन्तरिक शान्ति से प्राप्त होती है तथा पर्यावरण में अपेक्षित परिवर्तन एवं सशोधन लाती रहती है। इस माडल के अन्तर्गत समस्या का निदान अर्थात् इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इस माडल का प्रयोग करने वाला समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को प्रभावात्मकता, चेतना, समय एवं प्रक्रिया के स्तरों का ज्ञान कराते हुए कार्य करता है।

(4) प्रेमपूर्वक कार्य सम्पादित किये जाने का माडल

(Love Model)

यह माडल होमोस²² (Holmos) के विचारों पर आधारित है। इस माडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि ही सब कुछ नहीं है, प्रेम का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाये तो अनेक समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक हो सकता है। इसी मान्यता के आधार पर समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को मन्त्रणा प्रदान करते समय उसके

जीवन में पायी जाने वाली प्रेम की कमी को पूर्ण करता है। यह प्रेम सेवार्थी को अहम् को आवश्यक भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हुए सुदृढ़ बनाता है। इस माडल का प्रयोग करते हुए समाज कार्यकर्ता अर्थपूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए तथा परानुभूति का प्रयोग करते हुए सेवार्थी को इस बात का विश्वास दिलाता है कि वह उसकी समस्या के समाधान के प्रति सच्चाई के साथ प्रयास कर रहा है और इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में वह सेवार्थी को अपने साथ अपनेपन का अनुभव भी प्रदान करता है।

(5) व्यवहार-सशोधन माडल

(Behaviour modification model)

डोलार्ड³³ तथा माउरर³⁴ द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादित यह माडल इस मान्यता पर आधारित है कि मानव-व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है और जब भी सीखने में कोई भूल होती है समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए सेवार्थी की समस्या का समाधान करते समय समाज कार्यकर्ता को उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। इस माडल का प्रयोग करते हुए कार्य करने वाला समाज-कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार सशोधन को व्यवहार उपचार के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहार उपचार के अन्तर्गत अनुकूलन की परिस्थिति में विलोपन एवं निरोधी प्रक्रियाओं एवं/अथवा सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रबलीकरणों (Reinforcers) के प्रयोग द्वारा असामान्य अथवा अनुपयुक्त अनुकूलनपूर्ण व्यवहार के प्रतिमानों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के उपचार में ध्यान का केन्द्र बिन्दु व्यवहार ही होता है। उपचार की अनेक विशिष्ट कार्यरतियों तथा परिवर्तन की अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से प्रमुख ये हैं बलपूर्वक बात कहने का प्रशिक्षण (Assertiveness Training), संवेदन विहीनता प्रविधि (Desensitization Technique), अन्तःस्फोटक चिकित्सा (Inplosive Therapy) अन्योन्य प्रावरोध मर्नश्चिकित्सा (Reciprocal Inhibition Psycho-Therapy), टोकन अर्थव्यवस्था (Token Economy)।

**(6) सकटकालीन हस्तक्षेप माडल
(Crisis intervention model)**

वर्तमान समय में इस माडल को अत्याधिक उपयोगी समझा जाता है। यद्यपि यह कोई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक माडल नहीं है और न ही इससे सम्बन्धित कोई मौलिक मान्यताये अथवा विशिष्ट परिस्थितिया हैं किन्तु यह माडल उन व्यक्तियों एवं परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए बाढ़, सूखा, महामारी, भूचाल, आतकवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, इत्यादि के शिकार ऐसे परिवार जिनमें रोजी-रोटी कमाने वालों अथवा प्रियजनो की मृत्यु हो गयी हो। इस माडल का प्रतिपादन मुख्य रूप से रैपोपोर्ट²⁵ तथा रीड²⁶ द्वारा किया गया है।

(7) कार्य-उन्मुख माडल (Work-oriented model)

इस माडल के प्रमुख प्रतिपादक रीड तथा एप्टीन²⁷ हैं। इस माडल के अन्तर्गत सेवार्थी की समस्या पर सीधा प्रहार किया जाता है। अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध, तथा सामाजिक सम्बन्धों में असन्तोष, औपचारिक सगठनों से असन्तोषजनक सम्बन्ध, भूमिका सम्पादन में कठिनाई, सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में व्यवधान, पतिक्रियात्मक सावेगिक कष्ट तथा अपर्याप्त स्रोतों जैसी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है।

(8) चार व्यवस्थाओं वाला माडल (Four systems model)

पिकस तथा मिन्हान द्वारा विकसित यह माडल चार मूलभूत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्य करता है। पहली व्यवस्था परिवर्तन एजेण्ट व्यवस्था के नाम से, दूसरी सेवार्थी व्यवस्था के नाम से, तीसरी लक्ष्य व्यवस्था के नाम से और चौथी क्रिया व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इस माडल का प्रयोग करते हुए समाज कार्यकर्ता परिवर्तन

लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन की मात्रा सेवार्थी की प्रकृति पर निर्भर करती है। समस्या समाधान के लिए किसी एक ढंग को पर्याप्त नहीं समझा जाता। क्रिया का सम्पादन व्यवस्था पर ही निर्भर करता है।

(9) एकक अभिगम माडल (Unitary approach model)

गोल्डस्टीन द्वारा विकसित यह माडल प्रत्येक व्यक्ति को एक अपने प्रकार की अकेली इकाई मानते हुए समस्याग्रस्त सेवार्थी को सहायता प्रदान करता है और इसी लिए इस माडल के अन्तर्गत प्रत्येक सेवार्थी की सहायता के लिए तैयार की गयी उपचार की रणनीति, उद्देश्य तथा प्रक्रिया भिन्न-भिन्न होती है।

सन्दर्भ

- 1 Social work includes all voluntary attempts to extend benefits in response to needs which are concerned with social relationships and which avail themselves of scientific knowledge and method
Cheyney Alice Nature and Scope of Social Work AASW, New York 1926 p 1
- 2 Social work is the provision of services designed to aid individuals singly or in groups in coping with present or future social and psychological obstacles that prevent or are likely to prevent full or effective participation
Fink Arthur E The Fields of Social Work Henry Holt Co New York 1942 p 2
- 3 Social work is a form of professional service comprising a composite of knowledge and skills parts of which are and parts of which are not distinctive of social work which attempts on the one hand to help the individual to satisfy his needs in the social milieu and on the other to remove as far as possible the barriers which obstruct people from achieving the best of which they are capable
Clarke Helen Principles and Practice of Social Work Appleton Century Crafts Inc New York 1947 p 16
- 4 Social work is a dynamic activity undertaken by public or private effort in the implementation of social policy with a view to raise the standard of living and to bring about social economic political and cultural well being of the individual family and the group within a society irrespective of its stage of social development

Chandra Sushil, *Social Work in Uttar Pradesh*, Indian Conference of Social Work, 1954, p 13

- 5 Social Work is a professional service based on scientific knowledge and skill in human relations which assists individuals alone or in groups to obtain social and personal satisfaction and independence

Friedlander, W A , *Introduction to Social Welfare*, Prentice Hall Inc New York, 1955, p 4

- 6 Social work is a welfare activity based on humanitarian philosophy scientific knowledge and technical skills for helping individuals or groups or community to live a rich and full life

- 7 Social work is an entity representing three clearly distinguished but inter-related parts a network of social services, carefully developed methods and process and social policy expressed through social institutions and individuals All these are based on a view of human being their inter-relationships and the ethical demands made on them

Konopka G *Social Work Philosophy* The University of Minnesota Press, Minneapolis 1958 p 83

- 8 Social work is the art of bringing various resources to bear on individual, group and community needs by the application of a scientific method of helping people to help themselves

Stroup H H , *Social Work - An Introduction to the Field*, American Book Co New York, 1960, p 2

- 9 Social work is a professional service based on knowledge of human relations and skill in relationships and concerned with problems of intra-personal and/or inter-personal adjustment resulting from unmet individual, group, or community needs

Ahmad, Mirza, R , *Samaj Karya - Darshan avam Pranaliyan*, British Book Depot, Lucknow, 1953, p 4

- 10 Brown, E L, *Social Work as a Profession*, Russell Sage Foundation, New York, 1942, p 24

- 11 Friedlander, W A., op cit, pp 8-9

- 12 Hamilton, G , *Theory and Practice of Social Casework*, Columbia University Press, New York, 1951, p 12

- 13 United Nations, Dept. of Economics and Social Affairs, New York, Training for Social Workers - Third International Survey, 1958, p 35

- 14 Social work is a professional service rendered to people for the purpose of assisting them, as individuals or in groups, to attain satisfying relationships and standards of life in accordance with their particular wishes and capacities and in harmony with those of the community

Anderson, J P *"Social Work as a Profession Social Work Year Book*
Russell Sage Foundation, New York 1945 p 506

- 15 Social work seeks two things for people economic well being and the deeper source of happiness that is self realisation but subject of its concern is human behaviour and relationships Its focus of attention is the individual and his adjustment to a recognized reality

Youngdahl, B E , *"Social Work as a Profession Social Work Year Book*
Russell Sage Foundation, New York 1949 p 408

- 16 *The aim of social work as generally understood is to remove social injustice to relieve distress to prevent suffering and to assist the weaker members of society to rehabilitate themselves and their families and in short, fight the five giant evils of (1) Physical want (2) Disease (3) Ignorance (4) Squalor, and (5) Idleness*

Quoted in United Nations Training for Social Work - An International Survey p 108

- 17 Within the problem solving approach it is relationship that warms the intelligence sustains the spirit and carries the person forward in what would otherwise be a cool rational process

Perلمان H H "The Problem Solving Model in Social Casework" in Roberts R W and Nee, R H (eds) *Theories of Social Casework* University of Chicago Press Chicago 1970 p 151

- 18 Hollis F *The Psycho-Social Approach to the Practice of Social Casework* in Roberts R W and Nee R H (eds) op cit 1970

- 19 Smalley, R E *Theories of Social Work Practice* Columbia University Press New York 1967

- 20 Taft J, *The Relation of Function to Process in Social Casework* *Journal of Social Work Process* 1937

- 21 Robinson B B *The Meaning of Skill* *J S W Process* 4 1942

- 22 Holmes P *The Faith of Counsellors* Prentice Hall London 1965

- 23 Dollard J & Miller N E *Personality and Psychotherapy* McGraw Hill New York 1950

- 24 Mowrer O H (ed) *Learning Theory and Personality Dynamics* Ronald Press New York 1950

- 25 Rapoport L "Crisis Intervention as a Model of Brief Treatment" in Roberts R W and Nee R H (eds) op cit p 277

- 26 Reid J W and Shyne A W *Brief and Extended Casework* Columbia University Press New York 1969

- 27 Reid J W and Epstein *Task-Centred Casework* quoted in *The Nature of Social Work* MacMillan New York 1976 p 33

समाज कार्य के क्षेत्र (FIELDS OF SOCIAL WORK)

समाज कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है क्योंकि जहाँ कहीं ऐसी समस्याएँ पायी जाती हैं जो व्यक्ति की प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया तथा उसके समायोजन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती हैं वहाँ समाज कार्य की सहायता की आवश्यकता होती है। इसके क्षेत्रों के रूप में बाल कल्याण, महिला कल्याण, विद्यालय समाज कार्य, युवा कल्याण, वृद्धों का कल्याण, श्रम कल्याण, बाधितों का कल्याण, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, चिकित्सकीय एवं मनश्चिकित्सकीय उपचार, ग्राम्य विकास, सामाजिक रक्षा एवं अपराधी सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक नीति, नियोजन एवं विकास, आधुनिकीकरण, कानूनी सहायता, पर्यावरण सन्तुलन, मानव अधिकारों का संरक्षण तथा सामाजिक न्याय प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

I बाल विकास (Child development)

1974 में घोषित राष्ट्रीय बाल नीति में इस बात की घोषणा की गयी कि "बच्चे राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनका पालन-पोषण एवं देखरेख हमारा उत्तरदायित्व है।" इस नीति के अधीन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विविध प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये हैं। इन कार्यक्रमों में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं, पुष्टाहार सेवाओं, पूर्व

प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय समाज कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाल कल्याण के क्षेत्र में मानव ससाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल विकास सेवायोजना विद्यालय जाने से पूर्व की आयु के बच्चों तथा धात्री/गर्भवती माताओं के लिए गेहूँ पर आधारित पूरक पोषाहार की योजना काम करने वाली तथा बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेशो/दिन में देखरेख करने वाले केन्द्रों की योजना, 3-5 वर्ष के आयु समूह के विद्यालय जाने के पूर्व की आयु के बच्चों के लिए बालवाडियों तथा दिन में देखरेख करने वाले केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के कार्यक्रम के अधीन 3-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु स्वैच्छिक सगठना को सहायता की योजना चलायी गयी है। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरस्थानों एवं व्यक्तियों को मानव ससाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक विजेता व्यक्ति को 30000 रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 1986 में विश्व बाल दिवस के अवसर पर खिलौना बैंक योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल में खिलौने एकत्र करके खिलौना बैंक में जमा किये जाते हैं और विभिन्न आगनवाडियों बालवाडियों, शिशुगृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों इत्यादि में बांट दिये जाते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा माताओं एवं बच्चों में पोषाहार की कमी के विरुद्ध रोगरोधन (Prophylaxis), बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण अधेपन के विरुद्ध रोगरोधन, मौखिक जलपूर्ति उपचार कार्यक्रम (Oral Rehydration Therapy) तथा प्रतिरक्षीकरण का परिदृष्टित कार्यक्रम चलाये गये हैं। मानव ससाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक अशकालिक शिक्षा का आयोजन करने केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के केन्द्र चलाने, शिशु

शिक्षा का आयोजन करने, स्कूलों में सगणक शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा में मूल्योन्मुख अनुस्थापन करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम चलाने, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था करने, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये हैं।

II महिला शक्तिकरण (Women's empowerment)

भारतवर्ष की सम्पूर्ण जनसंख्या में महिलाएँ 49 प्रतिशत हैं। 78 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण अंचलों में रहती हैं। 75-18 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। महिलाओं का विकास करते हुए उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास, समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें दीर्घकालीन आधार पर रोजगार देने के लिए सेवायोजन एवं आय उत्पादक इकाइयों की स्थापना करने वाली परियोजनाएँ, सकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अल्प अवधि के आवास गृह, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए महिला विकास निगमों की स्थापना की गयी है जो कमजोर वर्ग की महिलाओं, विशेष रूप से अकेली महिलाओं, को दीर्घकालीन आधार पर आय प्रदान करने वाले कार्य उपलब्ध कराने के लिए योजनाएँ तैयार की जायेगी और तकनीकी परामर्श तथा सेवाएँ प्रदान करते हैं। महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत स्थापित महिला विकास ब्यूरो में एक मानीटरिंग इकाई की स्थापना की गयी है जिसका उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा चुनी गयी 27 महिला लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की मानीटरिंग करते हुए इनकी प्रगति से प्रधानमंत्री कार्यालय

को अवगत कराना है। महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (National Perspective Plan) योजना तैयार करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था जिसने अपनी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में इस बात की सस्तुति की है कि भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐसी दीर्घकालीन सर्वांगीण नीति तैयार की जाये जो विकास की प्रक्रिया से सम्बद्ध सिद्धान्तों एवं निर्देशों के अनुरूप हो।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा भी महिलाओं के विकास हेतु कुछ विशिष्ट कार्यक्रम चलाये गये हैं जिनमें महिला समाख्या कार्यक्रम जिसके अधीन गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 2,000 गावों में महिला कार्यक्रम केन्द्रों की स्थापना हेतु महिला समाख्या समितियों को केन्द्र द्वारा मीदरलैण्ड की सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है तथा कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना उल्लेखनीय है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अधीन महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सकीय गर्भ समापन, लेप्रोस्कोपी, शिशु जन्म के पूर्व, इसके समय तथा इसके पश्चात् अनेक प्रकार की स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बालिका भ्रूणों के समापन पर रोक लगाने के लिए 1988 में एक कानून बनाया है। केन्द्र सरकार द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रीनैटल डायग्नोस्टिक एक्ट 1995 बनाया है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी महिलाओं के कल्याण के लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, अवकाश शिविर, महिला मण्डल क्षेत्र परामर्श एवं निरीक्षण, शिशु गृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण, कल्याण विस्तार परियोजना, श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास, ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागृत विहार परियोजनाओं, महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रमों को चला रहा है।

III विद्यालय समाज कार्य (School social work)

विद्यालय समाज कार्य, समाज कार्य का वह क्षेत्र है जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले समस्याग्रस्त छात्रों तथा शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों की सहायता करता है। इसका उद्देश्य समस्याग्रस्त छात्रों की समस्याओं का समाधान करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए विद्यालय में उनका उचित सामंजस्य स्थापित कराना है। विद्यालय समाज कार्य में लगा हुआ समाज कार्यकर्ता विद्यालय के सगठनात्मक ढांचे के अन्तर्गत कार्य करते हुए छात्र, उसके माता-पिता तथा अध्यापकों की ऐसी समस्याओं का जो विद्यालय में प्राप्त हुए अनुभवों से सम्यन्धित हैं, समाधान खोजने में उनकी सहायता करता है। एक विद्यालय में कार्य करता हुआ समाज कार्यकर्ता समस्याग्रस्त बालकों की समस्याओं का उनकी सम्पूर्णता में अध्ययन करता है। इसके लिए वह उनके शिक्षकों, विद्यालय के प्रशासकों तथा परिवार के सदस्यों में सम्पर्क स्थापित करता है, उनकी समस्याओं के कारणों का पता लगाता है, तथा उन्हें आवश्यक परामर्श देते हुए, उनके पर्यावरण में अपेक्षित परिवर्तन लाते हुए तथा उनके लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था कराते हुए समस्याओं का समाधान करता है।

IV युवा कल्याण (Youth welfare)

युवकों के कल्याण एवं विकास के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा, 1989 में की है जिसका उद्देश्य युवकों में सविधान में निहित सिद्धान्तों एवं मूल्यों की जागरूकता एवं सम्मान पैदा करना, राष्ट्रीय एकीकरण, धर्म निरपेक्षता एवं समाजवाद के प्रति बचनबद्धता की सहायता से विधि के नियम (Rule of Law) के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चेतना उत्पन्न करना, पर्यावरण तथा उसके संरक्षण में अभिरुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पैदा करना तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध कराना है।

युवकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ एवं

कार्यक्रम चलाये गये हैं। युवकों में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गयी है, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना चलायी जा रही है, राज्य सरकारों और राज्य खेल परिषदों को अनुदान दिया जा रहा है, राष्ट्रीय खेल सङ्गठन की योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल के स्तर को सुधारने तथा प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी अभिरुचि के खेलों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने हेतु चलायी जा रही है, राष्ट्रीय खेल सङ्घ और समितियों को सहायता दी जा रही है, विभिन्न खेलों में प्रतिष्ठा प्राप्त युवकों को मान्यता प्रदान करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिये जा रहे हैं, राष्ट्रीय शारीरिक उपयुक्तता कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना करते हुए लोगों में खेलों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के खेल आयोजित किये जा रहे हैं, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में केन्द्रीय खेल पुरस्कारालय की स्थापना की गयी है और इसमें एक आवासीय विंग की स्थापना करते हुए खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली आये हुये खिलाड़ियों के खान-पान एवं रहने की सुविधा की व्यवस्था की गयी है।

1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनायी जाती है। 1969-70 में प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के युवकों को सामुदायिक सेवा में लगने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। 1972 में प्रारम्भ किये गये नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय निर्माण से सम्बन्धित क्रियाकलापों में युवकों को सम्मिलित कराते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, स्काउट एवं गाइड योजना के माध्यम से युवकों में देश के प्रति भक्ति भावना एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार विकसित किया जाता है, युवा प्रतिनिधि मण्डलों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान-प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित

करते हुए और युवको की विभिन्न राज्यों की यात्रा की व्यवस्था करते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित की जाती है। 1970-71 में प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना के माध्यम से प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले युवको को स्वैच्छिक आधार पर पूर्णकालिक रूप से राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किये जाते हैं, युवको में भारतीय सस्कृति एवं राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयो और एकता की चेतना उत्पन्न करने के लिए "युवको के लिए प्रदर्शनियो की योजना" चलायी जा रही है, जीवन की चुनौतियो का सामना करने में सहयोगी टोली तथा साहस की भावना उत्पन्न करने के लिए साहस वाले विभिन्न कार्यक्रमो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। युवक क्लबो को आर्थिक सहायता दी जाती है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवको को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना चलायी गयी है, देश में युवको की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए युवा छात्रावास स्थापित किये गये हैं जिनमें सस्ती दरो पर रहने और खाने-पीने की व्यवस्था की गयी है तथा युवको के विकास एवं उनमें जागरूकता की वृद्धि करने के कार्य में लगे हुए स्वैच्छिक सगठनो को सहायता भी प्रदान की जाती है।

V वृद्धों का कल्याण (Welfare of the aged)

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ जीवन काल में वृद्धि हुई है। मशीनो के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। सयुक्त परिवारों के टूटने के कारण वृद्धों में निराश्रितता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर वर्तमान समय में वृद्धों की, समस्याएँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक सभी स्तरों पर अत्यधिक गम्भीर हो गयी हैं। भारत सरकार इन समस्याओं के प्रति जागरूक है तथा वह विभिन्न प्रकार के प्रावीडेन्ट फण्डो, पेन्शन, ग्रेच्युटी, बीमा योजनाओं इत्यादि के माध्यम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ स्व-सेवायोजित व्यक्तियों को भी वृद्धावस्था में

सुरक्षा का अनुभव कराने हेतु जीवन बीमा निगम के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामूहिक बीमा तथा जनता प्रावीडेन्ट फण्ड जैसी योजनायें चला रही है। निराश्रित वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों की वृद्धावस्था पेन्शन योजनाओं के अधीन पेन्शन दी जा रही है। राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न समाज कल्याण संस्थाओं के माध्यम से पूर्णरूपेण निराश्रित एवं अकिंचन वृद्धों को संस्थाओं में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख की जा रही है।

VI श्रम कल्याण (Labour welfare)

भारत में श्रम कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 19(5), 23, 24, 39(क), 39(ग), 39(घ), 39(ड), 41, 42, 43 तथा 43(क) के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित कानूनों में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं

- 1 अन्नक खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1946
- 2 कोयला खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1947
- 3 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम 1972
- 4 बीडी श्रमिक कल्याण अधिनियम अधिनियम 1976
- 5 बीडी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1976
- 6 लौह खनिज खान, मैंगनीज खनिज खान तथा क्रोम खनिज खान श्रम कल्याण अधिनियम अधिनियम, 1976
- 7 लौह खनिज, मैंगनीज खनिज तथा क्रोम खनिज श्रम कल्याण कोष अधिनियम 1976, तथा
- 8 सिनेमा श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1981

श्रम कल्याण से सम्बन्धित उपरिलिखित विशिष्ट अधिनियमों के

अतिरिक्त कारखाना अधिनियम, 1948, वागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, शिशुश्रुता अधिनियम, 1961, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961, वीडो एव सिगार श्रमिक (सेवायोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अनुवधित श्रम (विनियम एव उन्मूलन) अधिनियम 1970, अन्तर्राज्यीय प्रव्रजनशील श्रमिक (सेवायोजन विनियमन एव सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत भी श्रम कल्याण सबधी प्रावधान किये गये हैं।

सवैधानिक एव कानूनी प्रावधानो के अतिरिक्त भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारो, मालिको, श्रमिक सघो तथा अन्य समाज कल्याण समठनो द्वारा अनेक प्रकार के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिनके अधीन कार्यस्थल पर समुचित स्वास्थ्य एव कार्य की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी बस्तियों में उपयुक्त सडको, रोशनी, सफाई, फूडाघरो, शौचालयो, मूत्रालयो, सामुदायिक क्लबो एव गृहो, पुस्तकालयो एव वाचनालयो, डिस्पेन्सरियो एव चिकित्सालयो, मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रो, परामर्श केन्द्रो, सहकारी उपमोक्ता केन्द्रो इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है।

VII बाधितों का कल्याण (Welfare of the handicapped)

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,20,00,000 बाधित व्यक्ति पाये जाते हैं। ये बाधित व्यक्ति अनेक प्रकार के हैं . (1) शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्ति जिनके अन्तर्गत अधो, गूगो, बहरो, लूले-लंगडो तथा अपंगो को सम्मिलित किया जाता है, (2) मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्ति जिनके अन्तर्गत मानसिक रूप से मन्दितो को सम्मिलित किया जाता है।

भारत सरकार ने विकलागो के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाये एव कार्यक्रम चलाये है। दृष्टि से बाधितो के राष्ट्रीय सस्थान की देहरादून में, मानसिक बाधितो के राष्ट्रीय सस्थान की सिकन्दराबाद में, अलीयावर जग श्रवण बाधितो के राष्ट्रीय सस्थान की बम्बई में तथा

के अन्तर्गत अस्थि चिकित्सकीय दृष्टि से बाधितों, गूगों तथा बहरो और अंधों के लिए तकनीकी आविष्कार करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रीय तकनीकी पुरस्कार दिये जाते हैं। ग्रामीण बाधितों के मार्गदर्शन एवं व्यापक पुनर्वास हेतु जिला पुनर्वास केन्द्र योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य साधारण/उपयुक्त तथा कम लागत के उपकरणों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के प्रति चेतना जागृत करना है। समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रशासकीय एवं समन्वय एकांक की भी स्थापना की गयी है। निर्याग्यता एवं पुनर्वास के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को भी स्थापित किया गया है ताकि बाधितों के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सके। 1987 में पुनर्वासन प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गयी है ताकि विभिन्न प्रकार के बाधितों के लिए अपेक्षित उपकरणों के प्रौद्योगिक पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जा सके। बाधितों को सेवायोजन प्रदान करने के लिए विशिष्ट सेवायोजन केन्द्र स्थापित करने के साथ-साथ सामान्य सेवायोजन केन्द्रों में विशिष्ट प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। बाधितों के पुनर्वासन से सम्बन्धित व्यावसायिक व्यक्तियों के प्रशिक्षण में एकरूपतापूर्ण मानकों को लागू करने के लिए एक पुनर्वास परिषद् का गठन किया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में तीसरे रविवार को विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस पर कल्याण मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के अतिरिक्त बाधितों के कल्याण से सम्बन्धित राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं।

VIII अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (Welfare of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes)

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 13 82 करोड़ थी जो सम्पूर्ण जनसंख्या से 16 5

प्रतिशत के बराबर थी। अनुसूचित जाति के विकास सम्बन्धी नीति के निर्माण के लिए 1985 में कल्याण मन्त्रालय के अधीन एक अनुसूचित जाति विकास प्रभाग की स्थापना की गयी। अनुसूचित जाति के विकास के लिए एक तीन आयामों वाली योजना बनाई गयी है जिसके अधीन संरक्षण प्रदान करने, विकास करने एवं सेवायोजन एवं अन्य सुविधाओं में सकारात्मक विवेक करने का प्रयास किया गया है। संरक्षणत्मक उपाय समिधान में किये गये प्रावधानों के रूप में किये गये हैं। विकास सम्बन्धी उपाय आर्थिक तथा शैक्षिक विच्छेदन को दूर करने की ओर उन्मुख है और इनके अधीन विशेष सघटक योजना विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुसूचित जाति विकास निगमों के गठन की रणनीति अपनायी गयी है। फरवरी 1989 में आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गयी है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रस्तायी गयी कुछ विशिष्ट योजनाएँ इस प्रकार हैं : दसवीं कक्षा के बाद अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ दसवीं कक्षा से पूर्व के अस्थिर व्यवसायों में लगे हुए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ, विदेश में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ निर्धनता के कारण अपने बच्चों को स्कूल न भेज पाने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता, अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास, चिकित्साकीय तथा इजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुरस्क वेंकों की स्थापना, केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु परीक्षा पूर्व कोषित, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति, अनुसूचित जातियों के सकेन्द्रण वाले राज्यों में आय सवर्द्धन हेतु सरथागत ऋण देने के लिए वित्तीय विकास निगमों की स्थापना, केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण में लगी हुई स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान।

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 6.77 करोड़ थी जो सम्पूर्ण जनसंख्या के 8.1 प्रतिशत के बराबर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 46, 164, 244, 275(1), 330, 332, 334, 338, 339, 342 तथा पाचवीं एवं छठी अनुसूची में संरक्षणात्मक प्रावधान किये गये हैं। पाचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की रणनीति के अधीन विकास सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए विधिक एवं प्रशासकीय सहायता के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अभिरुचियों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गयी। इस उपयोजना के अन्तर्गत समेकित अनुसूचित जनजातीय विकास परियोजनाओं को संशोधित क्षेत्रीय विकास अभिगम पाकेटो (Modified Area Development Approach Pockets), जनजातीय सकेन्द्रण के गुच्छो (Clusters) तथा प्राचीन जनजातीय समूहों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय विकास हेतु विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजातियों का 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दु 11(ख) के अधीन विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है जिसके अन्तर्गत निर्धन परिवारों की आय में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए चलायी गयी विभिन्न विकास सम्बन्धी योजनाओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं - दसवीं कक्षा के बाद के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, विदेशों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, शोध उपाधियों के लिए शिक्षावृत्ति, चिकित्सकीय तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक, अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास, केन्द्र/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोचिंग, जनजातीय शोध संस्थानों की राज्यों में स्थापना, शोध एवं मूल्यांकन परियोजनाओं का प्रायोजन, पेड़ों एवं जंगलों से तेल के बीज तथा तेलों के विकास की योजना, जनजातीय सहकारी विपणन फेडरेशन

(Tribal Cooperative Marketing Federation), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति वित्त एव विकास निगम राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों की स्थापना तथा जनजातियों के विकास के लिए कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सहायता।

पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए उनके निर्धन परिवार में बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण भी प्रदान किया गया है।

IX चिकित्साकीय एवं मनःचिकित्साकीय समाजकार्य (Medical and psychiatric social work)

विभिन्न शारीरिक एव मानसिक बीमारियों के शिकार व्यक्तियों को समाज कार्य सहायता प्रदान की जाती है। शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ चिकित्साकीय समाज कार्य तथा मानसिक बीमारियों के शिकार व्यक्तियों के साथ मनःचिकित्साकीय समाज कार्य किया जाता है। चिकित्साकीय तथा मनःचिकित्साकीय समाज कार्य चिकित्सको एव मनःचिकित्सको की एक टोली के सदस्य के रूप में किया जाता है। चिकित्साकीय समाज कार्य करने वाला समाज कार्यकर्ता विभिन्न शारीरिक रोगों से ग्रस्त लोगों का विस्तृत अध्ययन करता है, उनकी बीमारी के विभिन्न सामाजिक एव मनोवैज्ञानिक पहलुओं का मूल्यांकन करता है और उनके परिवारों, सम्बन्धियों, मित्रों, सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए रोगियों को अपेक्षित सेवाएँ उपलब्ध कराता है और उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने के लिए उनमें उचित मनोवृत्तियों, मूल्यों एव आदतों का विकास करने के लिए उन्हें परामर्श देता है और उनके पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित यथासम्भव सभी उपाय करता है। चिकित्साकीय समाज कार्यकर्ता रोगी को यह बताता है कि उसे बीमारी के दौरान तथा उसके पश्चात् क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह रोगी के परिवार के लोगों को उन विभिन्न स्रोतों की जानकारी

कराता है जो रोगी के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकते हैं और इन स्रोतों से सहायता दिलाने में सहयोग प्रदान करता है। वह रोगी का उसकी स्थिति के अनुसार मन बहलाने के उपाय करता है। वह रोगी को इस योग्य बनाने का प्रयत्न करता है ताकि वह अपनी पहले जैसी दिनचर्या प्रारम्भ कर सके। वह उसे पुनः रोग का शिकार होने से बचने के लिए सफाई एवं अन्य रोकथाम सम्बन्धी उपायों की जानकारी कराता है।

मन चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता मानसिक बीमारियों के शिकार रोगियों की अभिरुचियों का पता लगता है तथा उसके अचेतन मन को समझने का प्रयास करता है, समस्या की प्रकृति तथा गम्भीरता का पता लगाता है, रोगी की वास्तविक वाह्य तथा आन्तरिक सभी विशेषताओं का अध्ययन करता है, समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है, रोगी के अपने परिवार के सदस्यों, सगे-सम्बन्धियों, मित्रों, कार्यस्थल के कर्मचारियों, इत्यादि के साथ पाये जाने वाले सम्बन्धों की जानकारी प्राप्त करता है, परिवार सहित रोगी से सम्बन्धित विभिन्न समूहों एवं समुदाय से प्राप्त होने वाले सहयोग का पता लगता है, रोगियों को मन चिकित्सकीय सेवाएँ प्रदान करने में सहायता देता है, रोगियों के अहं को सुदृढ़ बनाता है, रोगियों को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में समायोजन के ढंगों की जानकारी कराता है, रोगियों की मानसिक स्थिति के अनुकूल उनके मन को बहलाने के लिए मनोरंजन एवं खेलकूद की व्यवस्था करता है, रोगियों को उनके रोग के बारे में परिस्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जानकारी कराता है, रोगी के परिवार तथा अन्य समूहों एवं समुदाय के व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सम्पर्क करते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है, रोगी के पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन कराता है और रोगी के सामाजिक सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। इन विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए वह मन्त्रणा, मनोवैज्ञानिक आलंबन, स्पष्टीकरण, प्राख्या, हस्तांतरण, पर्यावरण में परिवर्तन तथा उपलब्ध सेवाओं के सदुपयोग की प्रविधियों का सहारा लेता है।

X ग्राम्य विकास (Rural development)

1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की 74.27 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है। गावों में रहने वाली जनसंख्या का 40.4 प्रतिशत निर्धनता की रेखा के नीचे है। गावों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शासन द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये हैं : समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा इसकी उपयोजनाओं के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास की योजना तथा स्व रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम, खेती के उपज के विपणन सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर की ग्रामीण बाजारों तथा ग्रामीण सड़कों की योजनाएँ चलायी जा रही हैं।

XI सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार (Social defence and corrections)

सामाजिक प्रतिरक्षा की परम्परागत अवधारणा के अन्तर्गत समाज की अपराध के विरुद्ध रक्षा ही सम्मिलित था किन्तु वर्तमान समय में अपराध सहित विभिन्न प्रकार के विघटनपूर्ण अथवा असामंजसपूर्ण व्यवहारों की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वासन को इसके विषय क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया है ताकि समुदाय में मानव जीवन के लिए स्वस्थ परिस्थितियों का निर्माण करते हुए समाज की विघटन से रक्षा की जा सके। आज अपराधियों, बाल अपराधियों, उपेक्षित किशोरों, वृद्धों, अनैतिक व्यापार में लगी हुई महिलाओं एवं लड़कियों, निराश्रितों, भिखारियों, मद्यपान करने वालों, मादक द्रव्य व्यसनियों में लिप्त व्यक्तियों, इत्यादि की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वासन के लिए किये गये प्रयास सामाजिक रक्षा की परिधि में आते हैं। भारत सरकार ने इस सदर्भ में अनेक प्रकार की योजनाएँ चला रखी हैं जिनमें कठिन परिस्थितियों में पाये जाने वाले बच्चों के लिए सेवाएँ, देखरेख एवं

प्रावीडेन्ट फण्ड एव विविध प्रायधान अधिनियम, 1952 के अधीन चलायी जा रही हैं, कोयला खान प्रावीडेन्ट फण्ड योजना जो कोयला खान प्रावीडेन्ट फण्ड तथा बोनस अधिनियम 1948 के अधीन चलायी जा रही है, मातृत्व हित लाभ योजना जो मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 के अधीन चलायी जा रही है, मालिकों की श्रमिकों की वैयक्तिक चोट की स्थिति में क्षतिपूर्ति भुगतान की देयता का बीमा करने की योजना जो वैयक्तिक चोट (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम 1963 के अधीन चलायी जा रही है, ग्रेच्युटी भुगतान योजना जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन चलायी जा रही है तथा बैठकी एव छटनी क्षतिपूर्ति योजना जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन चलायी जा रही है। इनके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी प्रावीडेन्ट फण्ड, पेन्शन, ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा, सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी, इत्यादि की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं एव अन्य विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी सरकारी एव स्वैच्छिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सामूहिक बीमा योजनाएँ, प्रावीडेन्ट फण्ड योजना तथा विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएँ उदाहरणार्थ, फसल बीमा योजना चलायी गयी है। विधवाओं को उत्तर प्रदेश, केरल इत्यादि राज्य सरकारों द्वारा विधवा पेन्शन प्रदान की जा रही है। निराश्रित वृद्धों को राज्य सरकारों द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन प्रदान की जा रही है। विमानों, रेलों तथा बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के बीमों की भी संबंधित संगठनों द्वारा व्यवस्था की गयी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ससद सदस्यों तथा विधायकों को भी पेन्शन प्रदान की जा रही है।

XIII सामाजिक नीति, नियोजन एव विकास

(Social policy, planning and development)

सामाजिक नीति

किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ ऐसी नीतियों का

प्रतिपादन किया जाना आवश्यक होता है जो दिशा-निर्देशन कर सके। सामाजिक नीति सामाजिक सरचना की कमियों को दूर करती है। गोखले के मत में "सामाजिक नीति एक साधन है जिसके माध्यम से आकांक्षाओं तथा प्रेरणाओं को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण की वृद्धि हो सके।" सामाजिक नीति द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के ससाधनों में वृद्धि की जाती है जिससे पूर्ण सेवायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निर्धनता दूर होती है।

भारत में सामाजिक नीति का प्रकटन भारतीय सविधान तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया है। सविधान के अनुच्छेद 38, 39, 39(ए), 41, 42, 43, 43(ए), 45, 46 तथा 47 में नीति सवधी महत्वपूर्ण घोषणाये की गयी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्धनता के उन्मूलन, रोजगार के अवसरो में वृद्धि, सम्पत्ति, धन तथा अवसरो की असमानता में कमी, पूजी के एकाधिकार की समाप्ति, मानव ससाधनों के विकास, व्यक्तियों की मनोवृत्तियों तथा सरथाओं की सरचनाओं में समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन, विकास सम्यन्धी नीति के निर्धारण एव कार्यान्वयन में जन सहभागिता, निर्वल वर्गों के कल्याण में वृद्धि, विकास के समान अवसर एव विकास की प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले लाभों के साम्यपूर्ण वितरण की व्यवस्था की गयी है।

सामाजिक नियोजन

नियोजन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। एजे कान्ह के मत में "सामाजिक नियोजन के अन्तर्गत वैयक्तिक और सामूहिक विकास एव जीवन यापन के लिए गारण्टीयुक्त न्यूनतम ससाधनों के कार्यान्वयन एव अपने सदस्यों के लिए अपनी अभिलाषाओं एव उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समाज के प्रयास समाहित हैं।"²

भारत में सामाजिक नियोजन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया है। इन पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य

तीव्र और अनवरत आर्थिक विकास करना तथा आय और सम्पत्ति में पायी जाने वाली विषमताओं को अत्यधिक प्रभावपूर्ण एवं सन्तुलित रूप से कम करते हुए सेवायोजन के अवसरों में वृद्धि करना था ताकि आर्थिक शक्ति पर एकाधिकार में कमी की जा सके और देश को प्रत्येक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पंचवर्षीय योजनाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिसके अधीन सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक के रूप में स्वीकार किया गया। बुनियादी एवं भारी उद्योगों जिनमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है के प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र पर डाला गया और लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर डाला गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक एवं निजी हितों के बीच आवश्यक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास समाज के मानव ससाधनों का विकास करता है। विभिन्न प्रकार से यह सामाजिक न्याय का आश्वासन प्रदान करता है, आर्थिक विषमताओं को रोकथाम करता है, सामाजिक असमानताओं का दूर करता है, पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं विकास करता है, जीवन स्तर को ऊँचा उठाता है, सामाजिक लाभों का साम्यपूर्ण वितरण करता है, सेवायोजन के उपयुक्त अवसर प्रदान करता है तथा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाता है।

सामाजिक विकास समाज के सदस्यों को इस प्रकार विकसित करने की प्रक्रिया है कि उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके, सेवायोजन योग्य व्यक्तियों को सेवायोजन/कार्य के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो सके, वे कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय परिस्थितियों में अपने समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना पूरा योगदान दे सकें और वे अपने द्वारा दिये गये अश्रदान तथा सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार अपने श्रम के लाभों में साम्यपूर्ण अंश प्राप्त

करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में सामाजिक विकास के अन्तर्गत समाज और व्यक्ति दोनों का सर्वांगीण विकास सन्निहित होने के कारण इसके लिए अपेक्षित विभिन्न पहलुओं यथा स्वच्छ पेयजल, पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, कार्य की उपयुक्त शर्तें एवं परिस्थितियाँ, मनोरंजन तथा खेलकूद इत्यादि में चेतन, सगठित एवं नियोजित रूप से वांछित दिशा में परिवर्तन किये जाने आवश्यक हैं।

भारत में सामाजिक विकास भारतीय संविधान के अन्तर्गत किये गये विभिन्न प्रावधानों तथा पंचवर्षीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है।

XIV कानूनी सहायता (Legal aid)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(ए) में इस बात का प्रावधान किया गया है, 'राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वैधानिक व्यवस्था के संचालन से समान अवसर के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन प्राप्त हो तथा विशेष रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्राप्त करने के अवसरों से कोई नागरिक आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण वंचित न हो सके, उपयुक्त विधान अथवा योजना अथवा अन्य किसी प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा।' भारतवर्ष में शासन द्वारा निर्धनों को विधिक सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है जिसके अधीन उन निर्धनों को जो स्वयं विधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, शासन अपने द्वारा उपयुक्त समझे गये अधिवक्ताओं के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त हमारे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय भी जन अभिरुचि विवाद को प्रोत्साहित कर निर्धनों, शोषितों, एवं पीड़ितों के लिए विधिक सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

समाज कार्य जन अभिरुचि विवादों तथा निर्धनों के लिए विधिक सहायता की योजना के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित कर सकता है।

XV पर्यावरण सन्तुलन (*Environmental balance*)

मानव द्वारा पर्यावरण का अविवेकपूर्ण दोहन करने के कारण आज पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ गया है। यह असन्तुलन पर्यावरण की भौतिक संरचना में परिवर्तन, जीवन शृंखला की विभिन्न कड़ियों में होने वाली गड़बड़ियों, प्राकृतिक ससाधनों में अनवरत होने वाली कमी, जीवित रहने में सहायता प्रदान करने वाली व्यवस्था में गिरावट जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि के रूप में व्यक्त होती है, के कारण उत्पन्न हुआ है और इससे आज सम्पूर्ण विश्व को एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस खतरे के निवारण में समाज कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्यावरण के अन्तर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की अनुकूलन सम्बन्धी क्षमताओं को बढ़ाने तथा पर्यावरण में सुधार करने के लिए व्यक्तियों एवं उनके पर्यावरणों के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया को सुधारने का कार्य कर रहा है। यह तेजी से बदलते हुए भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणों के साथ लोगों के नाजुक सम्बन्ध के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। यह लोगों को विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं व्यवहारों के पर्यावरणात्मक प्रभावों को समझने में सहायता कर सकता है। यह लोगों को इस बात के लिए सम्प्रेरित कर सकता है कि वे पर्यावरण का सावधानीपूर्वक सदुपयोग ही करें, दुरुपयोग नहीं।

XVI मानव अधिकारों का संरक्षण तथा सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन (*Preservation of human rights and promotion of social justice*)

मानव अधिकारों का संरक्षण

1948 में संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा की गयी सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा में मानव अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद पाये जाते हैं जिनमें सभी वाछनीय मानव अधिकारों का उल्लेख है। इनमें जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक

सुरक्षा, गुलामी या दासता के निषेध, शारीरिक यातना पर रोक, कानूनी सहायता एव सुरक्षा, अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध विधिक सहायता, मनमाने ढंग से की गयी गिरफ्तारी, नजरबन्दी या देश निष्कासन पर रोक, अधिकारों एव कर्तव्यों के निर्धारण एव आरोपित दोषों के मामले में न्यायोचित सुनवाई, आरोपित अपराधियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर का प्रावधान, कानून में किये गये प्रावधान के उल्लंघन को ही दण्डनीय अपराध माना जाना, व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप न किया जाना, देश की सीमाओं के अन्तर्गत स्वतंत्रतापूर्वक आना-जाना एव बसना, सताये जाने पर शरण लेना, किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता प्राप्त करना, जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के बिना विवाह करना तथा परिवार स्थापित करना, सम्पत्ति रखने तथा मनमाने ढंग से इससे वंचित न किया जाना विचार, अन्तरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता, विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने, शासन में भागीदारी करने, सामाजिक सुरक्षा, काम करने, इच्छानुसार रोजगार का चुनाव करने, काम के उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने तथा बीमारी से संरक्षण पाने, समान कार्य के लिए समान मजदूरी, उचित मजदूरी, श्रमिक संघ बनाने और भाग लेने, विश्राम एव अवकाश प्राप्त करने, उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करने, शिक्षा, सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक हिस्सा लेने तथा उपयुक्त सामाजिक एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्राप्त करने के अधिकार सम्मिलित हैं।

मानव अधिकारों के संरक्षण में समाज कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित कर सकता है क्योंकि यह न केवल प्रगतिशील सामाजिक नीतियों एव विधानों के निर्माण के लिए आवश्यक जनमत तैयार करता है तथा अपेक्षित तथ्य उपलब्ध कराता है बल्कि उपयुक्त सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित कराते हुए लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हुए तथा लोगों को संगठित कराते हुए मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित नीतियों, कानूनों,

योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण आयोजन को भी सुनिश्चित कराता है।

सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन

सामाजिक न्याय की अवधारणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दो दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार समाज के जिन वर्गों के साथ अतीत में अन्याय हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वे वर्तमान में पिछड़े हुए हैं और अपने इस पिछड़ेपन के कारण समाज की मुख्य धारा में जुड़ने में तथा सामाजिक क्रिया में अपेक्षित योगदान देने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, विशिष्ट प्रकार का संरक्षण एवं सवर्द्धन प्रदान करते हुए न्याय किये जाने की आवश्यकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी समाज के मानव संसाधनों के विकास की दृष्टि से उन वर्गों के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है जो विविध प्रकार के कारणों से बाधित हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं और सामाजिक क्रिया में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहे हैं।

सामाजिक न्याय की परिभाषा समाज में पायी जाने वाली ऐसी स्थिति के रूप में की जा सकती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने के लिए अपेक्षित अवसर उपलब्ध हो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त कार्य की शर्तों पर स्वस्थ कार्य की परिस्थितियों में अपना कार्य सम्पादित करने के अवसर प्राप्त हो, लोगों द्वारा किये गये कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों में उन्हें साम्यपूर्ण हिस्सा प्राप्त हो सके तथा ऐसे व्यक्तियों को जो कार्य करने के योग्य नहीं हैं अथवा इस योग्य नहीं बनाये जा सकते, एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

भारतीय संविधान के आमुख तथा भाग—III IV और XVI के अन्तर्गत सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। इस सम्बन्ध

मे भारतीय सविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 38, 39, 39(ए), 41 तथा 42 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

समाज कार्य सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन में विशेष योगदान दे सकता है। यह सामाजिक न्याय की आवश्यकता को उजागर करते हुए तथा इसका आश्वासन प्रदान करते हुए विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण करते हुए सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपेक्षित जनमत तैयार कर सकता है और इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है।

सन्दर्भ

- 1 Social Policy is a means through which aspirations and motivations are inculcated in such a way as would lead to promotion of the welfare of all

Gokhale, S D, "Integrated Social Policy in India", S D Gokhale (ed) *Social Welfare Legend and Legacy*, Popular Prakashan, Bombay, 1975, p 35

- 2 Social planning can be defined "as encompassing a society's efforts to implement a guaranteed minimum of resources for individual and group development and living and to realize its goals and aspiration for its members "

Kahn, Alfred, J, *Studies in Social Policy and Planning*, Russell Sage Foundation, New York 1969, p 298

समाज कार्य एवं अन्य समाज विज्ञान (SOCIAL WORK AND OTHER SOCIAL SCIENCES)

समाज कार्य एक सहायतामूलक कार्य है। यह सहायता वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं एवं दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग करते हुये प्रदान की जाती है। ज्ञान का क्षेत्र अनन्त है, इसकी प्राप्ति के अनेक अभिगम हैं। वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का विभिन्न अभिगमों के आधार पर विश्लेषण करते हुये विभिन्न विज्ञानों द्वारा ज्ञान की अनवरत रूप से वृद्धि की जाती है। मानव इतिहास में न कभी कोई ऐसी स्थिति आयी है और न शायद आ सकेगी जब यह कहना सम्भव हो कि वास्तविकता के हर पहलू का हर दृष्टि से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान की खोज में लगे हुये विभिन्न विद्या विशेष अपने-अपने अभिगमों में अपनी अलग विशिष्टता को बनाये रखते हुये एक दूसरे से अधिक से अधिक लाभान्वित होने के लिये अन्तर्निर्भरता की स्थिति में पाये जाते हैं। वास्तविकता के समान अथवा एक जैसे पहलुओं की खोज में लगे हुए विद्याविशेष अधिक घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती है। सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने वाले सभी विद्या विशेष एक शृंखला की कड़ी की भाँति एक दूसरे से अपिच्छिन्न रूप से सम्बद्ध हैं। समाज की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना तथा इन दोनों में होने वाली अन्तर्क्रिया जिसके परिणामस्वरूप नया प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जिनका समाज कार्य समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, इतनी जटिल है कि कोई भी समाज विज्ञान अकेले स्वतंत्र रूप से इनका अध्ययन नहीं कर सकता।

समाज विज्ञानों से हमारा अभिप्राय उन विज्ञानों से है जो समाज तथा समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। सेलिंगमेन ने यह विचार व्यक्त किया है "समाज विज्ञानों की परिभाषा ऐसे मानसिक अथवा सांस्कृतिक विज्ञानों के रूप में की जा सकती है जो किसी समूह के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की क्रियाओं से सम्बन्धित होते हैं।" समाज विज्ञान में समाज क्या है, समाज की विभिन्न इकाइयों के सदस्य के रूप में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार अन्तर्क्रिया करता है, इस अन्तर्क्रिया के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करता है तथा इनका किस प्रकार समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे अनेक विषयों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है ताकि इनसे सम्बन्धित प्रामाणिक ज्ञान, परिकल्पनाओं एवं मान्यताओं का निरूपण किया जा सके।

समाज कार्य समाज की विभिन्न इकाइयों के सदस्य के रूप में समस्याग्रस्त व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करता है ताकि वह अपनी प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया के मार्ग में आने वाली नाना प्रकार की मनोसामाजिक समस्याओं को भली प्रकार समझते हुए, उनका समुचित निदान करते हुये तथा उनके समाधान के लिये उपयुक्त कदम उठाते हुये इनको सुलझा सके और भविष्य में इसी प्रकार की समस्याओं के उत्पन्न होने पर वह स्वयं अपनी सहायता करने की दृष्टि से सक्षम बन सके। यह कार्य एक कठिन कार्य है क्योंकि इसे समस्याग्रस्त व्यक्ति के साथ सहोदरपूर्ण किन्तु विषयात्मक एवं अर्थपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुये ही सम्पादित किया जाता है। इसके प्रभावपूर्ण सम्पादन के लिये यह आवश्यक होता है कि समाज कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञानों का समुचित ज्ञान हो और इसीलिये यहाँ पर समाज कार्य तथा अन्य समाज विज्ञानों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध का विवेचन किया जा रहा है

1 समाज कार्य तथा समाज शास्त्र (Social Work & Sociology)

समाजशास्त्र का समाज कार्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। समाजशास्त्र

का प्रारम्भिक प्रभाव स्पेन्सर के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित था जिसके परिणामस्वरूप वैयक्तिक अपूर्णता (Personal inadequacy) को सामाजिक समस्याओं का कारण समझा जाने लगा। यहाँ तक कि जिस सरस्था में समाज कार्य का प्रशिक्षण पहली बार प्रारम्भ किया गया उसका नाम 'स्कूल ऑफ सोशियोलोजी' रखा गया था तथा इसके पाठ्यक्रम में समाजशास्त्रीय सिद्धांत ही प्रमुख रूप से विद्यमान थे।

समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है और इस अर्थ में समाज शास्त्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मैकाइवर तथा पेज ने ठीक ही लिखा है 'समाजशास्त्र सामाजिक विषय के सम्बन्ध में है सम्बन्धों के जाल को हम समाज कहते हैं।'² गिडिंग्स के अनुसार 'समाजशास्त्र सम्पूर्णता में देखे गये समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है।'³ मिलिन तथा मिलिन के मत में 'अपने सर्वाधिक व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली अन्तर्क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है।'⁴ सोरोकिन के विचार में, 'समाजशास्त्र सामान्य स्वरूपों प्रारूपों एवं विविध प्रकार के अन्तर्सम्बन्धों की दृष्टि से सामाजिक - सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है।'⁵

समाजशास्त्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है (1) मानव संस्कृति तथा समाज, (2) मानव व्यवित्तत्व, (3) वैज्ञानिक पद्धति, (4) सामाजिक संरचना (5) सामाजिक व्यवस्था, (6) सामाजिक क्रिया, (7) सामाजिक संस्थाएँ, (8) सामाजिक प्रक्रियाएँ, (9) सामाजिक परिवर्तन, (10) सामाजिक व्याधिकी एवं विघटन, (11) सामाजिक नियंत्रण, तथा (12) सामाजिक एकीकरण।

समाजकार्य का अधिकांश ज्ञान समाजशास्त्र पर आधारित है। समाजकार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक वैयक्तिक समाजकार्य में समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के ज्ञान का पर्याप्त रूप से प्रयोग किया जाता है। टिम्स ने तो यहाँ तक कह डाला है कि वैयक्तिक

समाजकार्य में समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के ज्ञान का ही उपयोग होता है क्योंकि वैयक्तिक समाजकार्य का अपना कोई ज्ञान ही नहीं। मेयर ने समाजशास्त्र तथा समाजकार्य के बीच 4 क्षेत्रों में अन्तर्संबंध का उल्लेख किया है -

1. अन्तर्व्यक्तिक अन्तःक्रिया

व्यक्ति समूह तथा समाज के सदस्य होते हैं। वे आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस अन्तःक्रिया की सफलता अथवा असफलता, समायोजन अथवा असमायोजन उत्पन्न करती है। अन्तःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों के अध्ययन में समाजशास्त्र एवं समाजकार्य दोनों की अनिरुधि है।

2. सामाजिक ज्ञान

समुदाय क्या है? उसका इतिहास क्या है? उसकी आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ क्या हैं? उसकी संस्कृति क्या है? उसकी स्थिति क्या है? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर समाज शास्त्र एवं समाजकार्य दोनों खोजने का प्रयास करते हैं।

3. संस्था का प्रशासन

प्रभावपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिये संस्था का समुचित प्रशासन समाजशास्त्र एवं समाजकार्य दोनों की अनिरुधि का विषय है।

4. सामाजिक समस्याएँ

विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को समझकर उनका समुचित समाधान प्रस्तुत करते हुये सामाजिक विघटन को कम करने और संगठन को प्रोत्साहित करने में समाजशास्त्र और समाज कार्य दोनों अनिरुधि रखते हैं।

लिन्थ के मत में प्रारम्भ से ही समाजशास्त्र एवं समाजकार्य के बीच

प्रकारात्मक सम्बन्ध रहा है क्योंकि (1) इन दोनों की उत्पत्ति समाज से हुई है तथा दोनों ही सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं सुधार में अभिरुचि रखते हैं. (2) अनेक अवसरों पर दोनों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है. (3) समाज कार्यकर्ताओं के लिये एक विशेष प्रकार के समाशास्त्रीय प्रशिक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है. (4) सामाजिक समस्याओं का शोध व्यक्तियों व अध्ययन तथा समुदाय का विश्लेषण करते हुये समाजशास्त्र समाजकार्य के ज्ञान सम्बन्धी आधार को सुदृढ़ बनाता है (5) सामाजिक समूहों व संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में उपयोगी परिकल्पनाएँ प्रस्तुत करते हुये समाजशास्त्र समाज कार्य की सहायता करता है. (6) समाज कार्य प्रशिक्षण में समाजशास्त्रीय अद्ययनियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप सामाजिक संरचना की उपयुक्त जानकारी प्राप्त हो जाती है।

समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित है

- (1) समाजशास्त्र सेवार्थी के व्यक्तित्व को समझने के लिये वशानुक्रम एवं पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करता है।
- (2) समाजशास्त्र संस्कृति द्वारा सेवार्थी के व्यक्तित्व पर डाले गये विभिन्न प्रकार के प्रभावों को उजागर करता है।
- (3) समाजशास्त्र सदर्भ समूहों सहित उन विभिन्न समूहों एवं समुदायों से सम्बन्धित शक्तियों एवं कारकों के सेवार्थी पर प्रभाव को स्पष्ट करता है जिनसे वह सम्बन्धित होता है।
- (4) समाजशास्त्र सेवार्थी के व्यक्तित्व में पायी जाने वाली संघर्ष एवं विघटन की स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करता है।
- (5) समाजशास्त्र सेवार्थी के व्यक्तित्व की विघटन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डालता है।
- (6) समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले एक

पक्ष के रूप में सेवार्थी की मनोवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं इत्यादि को समझने में सहायता करता है।

- (7) समाजशास्त्र सेवार्थी द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के सामाजिक पहलुओं को अर्थात् उन पहलुओं को जो उसके समूहों तथा समुदायों की सदस्यता के कारण उत्पन्न होती हैं, समझने में सहायक सिद्ध होता है।
- (8) समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त कराता है जो समाज के एक सदस्य के रूप में समस्याग्रस्त सेवार्थी से सम्बन्धित होते हैं।
- (9) समाजशास्त्र समाज में उपलब्ध उन विभिन्न ससाधनों की जानकारी कराता है जिनका उपयोग करते हुये समस्याग्रस्त सेवार्थी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- (10) समाजशास्त्र उन कारकों को स्पष्ट करता है जो अन्य व्यक्तियों के साथ समस्याग्रस्त व्यक्ति के संचार को अधिक प्रभावपूर्ण बनाते हैं अथवा इसकी प्रभावपूर्णता को कम करते हैं।

समाजशास्त्र द्वारा उपरिलिखित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली बहुमूल्य सहायता का अन्निप्राय यह कदापि नहीं कि समाज कार्य समाजशास्त्र का ही विस्तृत रूप है। समाज कार्य समाजशास्त्र के साथ-साथ सेवार्थी उत्तकी समस्या तथा परिस्थितियों के अनुसार अन्य विविध प्रकार के समाज विज्ञानों में उपलब्ध ज्ञान का सहारा लेते हुये अपनी कार्य करने की चुदिकसित प्रणालियों का उपयोग करते हुये सेवार्थी की, समस्याओं का समाधान कर उत्तने आत्म सहायता की, क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार समाज कार्य समाजशास्त्र से कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि समाजशास्त्र एक समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति का अध्ययन करते हुये समाजीकरणों के आधार पर सामान्य सिद्धान्त विकसित करने तक अपने को सीमित रखता है जबकि समाज कार्य विभिन्न समाज विज्ञानों से आवश्यकतानुसार ज्ञान का

प्रयोग करते हुये वास्तव में मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है।

समाज कार्य भी समाजशास्त्र को मूल्यवान ज्ञान प्रदान करता है। सेवार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हुये सेवार्थियों के व्यक्तित्व के बारे में, विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व पर विभिन्न समूहों एवं समुदायों द्वारा डाले गये प्रभावों के बारे में, सेवार्थियों की समस्याओं के बारे में-विशेष रूप से सामाजिक कारकों के योगदान के बारे में तथा समस्याग्रस्त सेवार्थी एवं सामाजिक वास्तविकता के बीच होने वाली अन्त क्रिया के बारे में समाज कार्यकर्ताओं द्वारा विकसित किये गये ज्ञान के आधार पर समाजशास्त्र में समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से सम्बन्धित ज्ञान में वृद्धि होती है। समाजशास्त्र के कुछ नये क्षेत्र उदाहरण के लिये चिकित्सा समाजशास्त्र, सुधारशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, इत्यादि के विकास में समाजकार्य का प्रमुख योगदान रहा है।

सारांश में, समाजकार्य एवं समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और यह सम्बन्ध एकतरफा न होकर, दोतरफा है।

II समाजकार्य एवं मनोविज्ञान

(Social Work and Psychology)

मनोविज्ञान मन अथवा आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहार के रूप में इनके परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। समय-समय पर विभिन्न विचारकों द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की गयी है।

मनोविज्ञान को अनेक प्रकार परिभाषित किया गया है। बोरिंग^१ के अनुसार, "मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है।" मैकडुगल^२ का कहना है कि "मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का वास्तविक विज्ञान है।" मन^३ का कथन है कि "मनोविज्ञान आन्तरिक अनुभूतियों एवं वाह्य व्यवहारों के अनुभव के आधार का प्राकृतिक विज्ञान है।"

इस प्रकार मनोविज्ञान की परिभाषा मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई व्यक्ति है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों तथा मानसिक क्रियाओं और मानव व्यवहार में इनके परावर्तन का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान चेतन, अर्द्धचेतन एवं अचेतन तीनों स्तरों पर विभिन्न मानसिक क्रियाओं तथा इनके व्यवहार के रूप में परावर्तन का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के अन्तर्गत संवेदन, अवबोधन, संज्ञान, सीखना, स्मरण, सम्प्रेरण, संवेगों, मनोदशाओं, इत्यादि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुये व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है।

समाज कार्य के अंतर्गत एक मनो-सामाजिक समस्या से ग्रस्त सेवार्थी को सहायता प्रदान किये जाने की दृष्टि से मनोविज्ञान निम्नलिखित रूप से सहायक सिद्ध होता है .

- (1) मनोविज्ञान इस बात की जानकारी कराता है कि व्यक्ति के व्यवहार के सम्प्रेरक क्या हैं और इनकी प्रकृति क्या है?
- (2) मनोविज्ञान चेतना के विभिन्न स्तरों पर पायी जाने वाली इच्छाओं, आशाओं एवं अभिलाषाओं को स्पष्ट करता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- (3) मनोविज्ञान उन विभिन्न ग्रन्थियों को स्पष्ट करता है जो मानव व्यवहार में असामान्यता उत्पन्न करती हैं।
- (4) मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न उत्तेजकों का संवेदन किस प्रकार होता है, उनका संज्ञान किस प्रकार होता है, वे कहीं तक स्मृति का अंग बने रहते हैं।
- (5) मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति की मनोदशाओं तथा उसके संवेगों का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- (6) मनोविज्ञान इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि व्यक्तित्व

के विकास के विभिन्न चरण क्या होते हैं, विभिन्न चरणों पर किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित किये जाते हैं तथा इन चरणों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएँ क्या होती हैं।

- (7) मनोविज्ञान अपने बचाव के लिये व्यक्ति द्वारा अपनायी जाने वाली विभिन्न रक्षायुक्तियों की जानकारी कराता है और इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक अभिप्राय को समझने में सहायता प्रदान करता है।
- (8) मनोविज्ञान, असामान्य व्यवहार के विविध प्रकारों इनके कारणों लक्षणों एवं उपचार के उपायों की जानकारी कराता है।
- (9) मनोविज्ञान मरिक्क के तीन विभिन्न अंगों के रूप में इद, अह तथा पराह द्वारा व्यवहार पर डाले जाने वाले प्रभावों तथा इद एवं पराह के बीच समन्वय स्थापित करने की अह की शक्ति को स्पष्ट करता है।
- (10) मनोविज्ञान व्यक्ति के बुद्धि के स्तर, उसकी आत्म-अवधारणा उसकी मनोवृत्तियों, पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादी धारणाओं, इत्यादि को समझने में सहायता करता है।

उपरिलिखित विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान द्वारा प्रदान की गयी जानकारी सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा उसकी समस्या (जहाँ तक यह उसके व्यक्तित्व सम्बन्धी कारकों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है) को समझने में सहायक सिद्ध होती है।

समाज कार्य मनोविज्ञान से एकतरफा सहायता ही नहीं प्राप्त करता बल्कि समाजकार्य अभ्यास के दौरान अनेक ऐसी परिकल्पनाओं तथा सामान्यीकरणों का निर्माण करता है जो मनोविज्ञान के लिये सहायक सिद्ध होते हैं। मनश्चिकित्सा तथा उपचार मनोविज्ञान के क्षेत्र में समाज कार्य द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किये गये हैं।

इस प्रकार समाजकार्य एवं मनोविज्ञान पारस्परिक रूप से सहायता करते हुये एक दूसरे को सृष्ट बनाते हैं।

III समाजकार्य तथा सामाजिक मनोविज्ञान (Social Work and Social Psychology)

समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाओं के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति की अन्तर्क्रिया एवं व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। किम्बाल यंग¹¹ के अनुसार "सामाजिक मनोविज्ञान एक दूसरे के साथ उनकी अन्तर्क्रियाओं में तथा इस अन्तर्सम्बन्ध के व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, सवैगों एवं आदतों पर प्रभावों के सन्दर्भ में व्यक्तियों का अध्ययन है।" आलपोर्ट¹² के अनुसार "सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों के उस व्यवहार का अध्ययन है कि वे दूसरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में एवं सामाजिक परिस्थितियों में व्यवक्त करते हैं।" शेरिफ तथा शेरिफ¹³ का मत है कि "सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक उत्तेजना प्रदान करने वाली परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्यक्ति के अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन है।"

इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत सम्प्रेरणाओं, सीखने, अनुकरण, सामाजीकरण, व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभाव, सामूहिक अन्तर्क्रियाओं, संघर्षों, नेतृत्व, मनोबल, सामाजिक मनोवृत्तियों एवं विश्वासों, पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवाद धारणाओं, जनमत, प्रचार, संचार, अफवाहों, सामाजिक तनावों, सामाजिक आयोजन, क्रान्ति, युद्ध, भीड़ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

समाज कार्य इस मान्यता के आधार पर सेवार्थी को सहायता प्रदान करता है कि उसकी समस्याएँ, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उसके द्वारा अनुकूलनपूर्ण व्यवहार कर पाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं और यदि इनका प्रभावपूर्ण समाधान किया जाना है तो सेवार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुये उसके अपने व्यक्तित्व एवं पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन किये जाने होंगे। इसीलिये समाज कार्यकर्ता व्यक्ति के व्यवहार तथा पर्यावरण के बीच अन्तर्सम्बन्ध को समझने के लिये सामाजिक मनोविज्ञान का आश्रय लेता है।

समाज कार्य में सामाजिक मनोविज्ञान के इन क्षेत्रों के ज्ञान का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व पर सामूहिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव, व्यवहार के सम्प्रेषक, सीखने की प्रक्रिया, मनोवृत्तियाँ एवं विश्वास, पूर्वाग्रह एवं रुढ़िबद्ध अवधारणाएँ, नेतृत्व, मनोबल, सामूहिक संघर्ष, सामाजिक तनाव, सामाजिक आयोजन, जनमत, प्रचार इत्यादि। इससे यह सुरक्षित हो जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में आने वाली सम्पूर्ण सामग्री समाज कार्य के लिये उपयोगी है।

समाज कार्य भी अपने ढंग से सामाजिक मनोविज्ञान को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के साथ कार्य करता हुआ समाज कार्यकर्ता सामान्य रूप से और समाजकार्य शोध के माध्यम से सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार से सम्बन्धित प्रमाणित ज्ञान में वृद्धि करते हुये विशेष रूप से सामाजिक मनोविज्ञान की सम्पूर्ण विषय वस्तु को सुदृढ़ बनाता है।

इस प्रकार समाजकार्य और सामाजिक मनोविज्ञान के बीच एक दूसरे को पूर्ण बनाने वाली अन्योन्याश्रितता का सम्बन्ध है।

IV समाज कार्य तथा मानवशास्त्र (Social Work and Anthropology)

मानवशास्त्र मनुष्य के शारीरिक स्वरूप, प्रजातीय विशेषताओं तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। मानवशास्त्र के तीन क्षेत्र हैं (1) भौतिक मानवशास्त्र जिसके अन्तर्गत आदिम मानव की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, (2) प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र जिसके अन्तर्गत प्रागैतिहासिक युग की संस्कृतियाँ, मकानों तथा प्रविधियों का अध्ययन किया जाता है, तथा (3) सामाजिक मानवशास्त्र जिसके अन्तर्गत जनजातीय समाजों एवं उनकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है।

सामाजिक मानवशास्त्र समाजकार्य के लिये विशेष रूप से उपयोगी

करता है ताकि उसे सुख का अनुभव हो सके। मार्शल¹⁴ के शब्दों में, "अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है, यह वैयक्तिक एवं सामाजिक क्रिया के उस भाग की जांच करता है जो कल्याण की प्राप्ति तथा इसके लिये अपेक्षित सामग्री के प्रयोग से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।" राबिन्सन¹⁵ के मत में, "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उद्देश्यो एवं ऐसे सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के बीच सम्बन्ध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है"।

इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के आर्थिक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो उसकी सुख एवं समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इन सबके अध्ययन के बिना मनुष्य की समृद्धि के लिये अपेक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का न तो प्रभावपूर्ण रूप से उत्पादन किया जा सकता है, न ही इनका उपभोग। इन वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुपस्थिति में एक न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर जो समाज कल्याण का लक्ष्य है, सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है। मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान भी जीवन के आर्थिक पहलू को सुनिश्चित किये बिना सम्भव नहीं है तथा अनेक मनो-सामाजिक समस्याओं के मूल में आर्थिक कारकों की भूमिका सापेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिये, अचानक आर्थिक स्थिति में तीव्र गिरावट आ जाने पर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अवसाद का शिकार होता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी सामाजिक क्रिया दोषपूर्ण हो जाती है और व्यक्ति वैयक्तिक एवं सामाजिक असंतुलन का शिकार हो जाता है। विशिष्ट रूप से अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान समाजकार्य के लिये निम्न क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होता है

- (1) जीवन यापन के लिये किस प्रकार के कार्यों में उद्यम का चुनाव किया जाये और इसे किस प्रकार प्रभावपूर्ण रूप से चलाया जाये ताकि यह लाभपूर्ण सिद्ध हो सके?

- (2) समाज में किन वस्तुओं एवं सेवाओं की किस सीमा तक माग है? यह माग कितनी स्थायी अथवा अस्थायी है? इस माग की पूर्ति में कौन-कौन से व्यक्ति तथा संगठन पहले से ही कार्यरत हैं? इत्यादि।
- (3) उत्पादित की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को इनकी लक्ष्य जनसंख्या तक किस प्रकार पहुँचाया जाये? जमाखोरी, जखरेवाजी तथा एकाधिकार पर किस प्रकार नियंत्रण लागू किया जाय ताकि निर्बल वर्ग के लोगों को भी आवश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकें? इत्यादि।
- (4) जीवन को सुख एवं आराम के साथ व्यतीत करने के लिये कौन सी वस्तुएँ एवं सेवाएँ सापेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण हैं जो वस्तुएँ एवं सेवाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं उनकी अनवरत एवं सामाजिक रूप से आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित की जाये? इत्यादि।
- (5) प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उसकी पसन्द का कार्य किस प्रकार उपलब्ध कराया जाये? दिये गये कार्य को अनुकूल परिस्थिति में उपयुक्त शर्तों पर स्वतंत्रतापूर्वक सम्पादित करने के अवसर किस प्रकार प्रदान किये जाँयें? उसे अपने कार्य को अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार किस प्रकार नियमित एवं नियंत्रित करने दिया जाये? इत्यादि।
- (6) उत्पादित की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं के आपस में आदान-प्रदान को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाये? इस आदान-प्रदान के माध्यम क्या हो? इन माध्यमों को किस प्रकार विकसित एवं नियंत्रित किया जाये इनका दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार दण्डित किया जाये इत्यादि।
- (7) अपेक्षित जनसेवाओं एवं सुविधाओं की अनवरत आपूर्ति को सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक संसाधनों (वित्तीय संसाधनों सहित) की व्यवस्था किस प्रकार की जाये कौन से और किस

प्रकार के नये कर लगाये जाये ताकि राज्य के ससाधनो मे वृद्धि हो सके? इत्यादि ।

- (8) समाज के निर्बल वर्गों को भी आराम एव सुख के साथ जीवित रहने मे समर्थ बनाने के लिये किन वस्तुओ एव सेवाओ की पूर्ति उपलब्धि के आधार पर अथवा निशुल्क रूप से सुनिश्चित करायी जाये? इस छूट का लाभ प्राप्त करने मे बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियो तथा जमाखोरी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले, भ्रष्टाचार मे लिप्त सरकारी तंत्र से सबद्ध भ्रष्ट कर्मचारियो इत्यादि के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाये, इत्यादि ।

जहा एक ओर अर्थशास्त्र जीवनयापन के लिये अपेक्षित सुख-सुविधाओ को उपलब्ध कराते हुये समाज कल्याण के सभी वर्गों के लिये एक न्यूनतम इच्छित जीवन स्तर के लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायता प्रदान करता है जो समाज कार्य का भी उद्देश्य है, वही समाज कार्य जीवन के विविध पहलुओ मे आर्थिक क्रियाओ के प्रभावपूर्ण सम्पादन के लिये अपेक्षित ज्ञान प्रदान करता है। आर्थिक क्रियाओ के भी अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण तथा परिणाम होते हैं। समाजकार्य सेवार्थियो की परम्पराओ, प्रथाओ, रूढियो, जनरीतियो, मनोवृत्तियो, विश्वासो, पूर्वाग्रहो, रूढिग्रस्त अवधारणाओ, अनौपचारिक समूहो, सगठनो तथा सचार व्यवस्थाओ इत्यादि का अध्ययन करते हुये आर्थिक क्रियाओ पर इनके प्रभावो को स्पष्ट करता है। समाज कार्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक अभिवृद्धि को विकास के एक आधारभूत सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार करते हुये आर्थिक विकास से सम्बद्ध व्यक्तियो को सामाजिक विकास के विविध पहलुओ को ध्यान मे रखते हुये आर्थिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापो का अनुसरण करने की प्रेरणाएँ एव परामर्श प्रदान करता है। समाज कार्य यह सुस्पष्ट करता है कि व्यक्ति मात्र रोटी से जीवित नही रह सकता, उसकी आर्थिक आवश्यकताओ के साथ-साथ अन्य आवश्यकताये सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इत्यादि भी महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार समाज कार्य तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे को सुदृढ बनाते हुये अन्योन्याश्रितता के सम्वन्ध की स्थिति मे पाये जाते हैं।

VI समाज कार्य तथा राजनीतिशास्त्र

(Social Work and Political Science)

वर्तमान समय मे राजनीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज जब राज्य की हस्तक्षेप न करने की नीति समाप्त हो गयी है तथा राज्य सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक पहलू को नियमित एव नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, राजनीति सर्वोपरि है, राजनीति के विविध पहलुओं का अध्ययन राजनीतिशास्त्र द्वारा किया जाता है। गेटिल^६ (Gettle) का मत है, "राजनीतिशास्त्र राज्य का विज्ञान है। यह उन मनुष्यों के समुदायो का अध्ययन करता है जो राजनैतिक इकाइया बनाकर रहते हैं। यह उनकी सरकारों के सगठन तथा इन सरकारों के विधान निर्माण एव विधान प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध संचालन सम्वन्धी क्रियाओं का अध्ययन करता है।"

राजनीतिशास्त्र किसी भी देश के राजतंत्र को चलाने के लिये सम्पादित की जाने वाली विविध प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अन्तर्गत राज्य का स्वरूप क्या होगा, इसके उद्देश्य क्या होंगे? इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन क्या होंगे? राज्य की सगठनात्मक संरचना क्या होगी? राज्य की क्रियाओं का विनियमन किस प्रकार किया जायेगा? राज्य द्वारा अपेक्षित साधन किस प्रकार जुटाये जायेंगे? निर्वल एवं कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण एव सवर्द्धन किस प्रकार किया जायेगा? विभिन्न प्रजातीय एव सांस्कृतिक समूहों के साथ किस प्रकार का वर्ताव होगा? राज्य एव व्यक्ति के बीच किस प्रकार के सम्वन्ध होंगे? राज्यहित तथा व्यक्तिहित में विरोधाभास अथवा सघर्ष होने की स्थिति में किसे अधिक महत्व प्रदान किया जायेगा? राज्य हित एव जनहित में क्या सम्वन्ध होगा? इन दोनों में विरोधाभास अथवा सघर्ष होने की स्थिति में किसे अधिक महत्व प्रदान किया जायेगा? सार्वभौमिक रूप से मान्य अधिकारों का

सरक्षण एव सबर्द्धन किस प्रकार किया जायेगा? इन अधिकारों की क्या सीमाएँ होंगी, इत्यादि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर राजनीतिशास्त्र द्वारा प्रदान किया जाता है।

समाज कार्य के अन्तर्गत सेवार्थियों को सहायता एक दी हुई सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिति के सदर्भ में प्रदान की जाती है जो पायी जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था से नियमित एवं नियंत्रित होती है। राज्य द्वारा निर्धारित की गयी नीतियाँ, नियम तथा कानून और इसके द्वारा बनायी जाने गयी योजनाएँ तथा कार्यक्रम न केवल समाज कल्याण समस्याओं के सगठनात्मक स्वरूप को प्रभावित करते हैं बल्कि इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति तथा स्थिति भी प्रभावित होती है। राजनीतिशास्त्र का ज्ञान समाज कार्य को निम्न क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से सहायता प्रदान करता है

- (1) समाज कल्याण से सम्बन्धित लोकनीतियाँ, नियम तथा कानून क्या हैं? इनके अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से निर्बल वर्गों, के हितों के सरक्षण एव सबर्द्धन के लिये क्या प्रावधान किये गये हैं? इत्यादि।
- (2) राज्य द्वारा बनायी गयी विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएँ क्या हैं? इन योजनाओं के अन्तर्गत सामान्य व्यक्तियों, विशेष रूप से निर्बल वर्गों, के हितों के सरक्षण एव सबर्द्धन के लिये क्या व्यवस्था की गयी है? इत्यादि।
- (3) लोगों के कल्याण, विशेष रूप से निर्बल वर्गों तथा अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा के लिये, किस प्रकार की एजेन्सियों का प्रावधान किया गया है। इनकी प्रशासकीय व्यवस्था किस प्रकार की गयी है। इनमें सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिये क्या प्रावधान किये गये हैं? इत्यादि। कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिये क्या क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं? इन कार्यक्रमों से किस प्रकार से लोगों को लाभ हो सकता है? इनसे लाभान्वित होने के लिये निर्धारित की गयी पात्रता की शर्तें क्या हैं? इत्यादि।

(4) लोगो के कल्याण के लिये बनायी गयी योजनाओ तथा कार्यक्रमो और स्थापित की गयी सस्थाओ के उपयुक्त संचालन के लिए अधीक्षण एव नियंत्रण सम्बन्धी क्या व्यवस्था की गयी है?, इत्यादि।

जहा एक ओर राजनीतिशास्त्र समाजकार्य को अपनी सहायता प्रदान करने मे सेवार्थी की मनो-सामाजिक समस्या के समाधान के लिये उसकी सम्पूर्ण परिस्थिति के विविध राजनीतिक प्रभावो की जानकारी प्रदान करते हुये उसकी प्रभावपूर्णता को बढाता है, वही समाजकार्य भी इस बात से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करते हुये कि नीतियो, कार्यरीतियो, नियमो तथा कानूनों मे विसंगतिया क्या हैं? योजनाओ तथा कार्यक्रमो मे पायी जाने वाली कमिया क्या हैं? स्थापित की गयी कल्याणकारी सस्थाओ की सगठनात्मक सरचना तथा क्रियाविधि मे पायी जाने वाली गडबडिया क्या हैं? विनियमन एव नियंत्रण के लिये स्थापित की गयी व्यवस्था मे क्या दोष है? इत्यादि, राजनीतिशास्त्र को सुदृढ बनाता है।

इस प्रकार समाजकार्य एव राजनीतिशास्त्र अपने ज्ञान की सहायता से एक दूसरे को पारस्परिक रूप से अधिक प्रामाणिक एव उपयोगी बनाते हुये घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध की स्थिति मे पाये जाते हैं।

VII समाजकार्य एवं विधि (Social Work and Law)

जीवन का कोई भी क्षेत्र विधि की परिधि के बाहर नहीं है। यहा तक कि व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन भी विधि की सीमाओ के अन्तर्गत पाया जाता है। विधि उन सभी क्षेत्रो मे हस्तक्षेप करता है जहां अन्य व्यक्तियो के सन्दर्भ मे विधिक अधिकारों का प्रश्न सामने आता है। विधि उन नियमो, प्रथाओ एव कानूनों का द्योतक है जो किसी एक विशेष अन्य व्यक्ति अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के सन्दर्भ में व्यक्ति के अधिकारो की पूर्ति तथा अपेक्षित कर्तव्यो के निर्वाह को सुनिश्चित करते हैं।

विधि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हितो, अन्य व्यक्तियो के हितो एव सामान्य सामाजिक हितो के बीच सतुलन बनाये रखने के लिये

समाज द्वारा स्थापित की गयी प्रथाओं तथा राज्य द्वारा बनाये गये नियमों-कानूनों की एक व्यवस्था है ताकि व्यक्ति के किसी एक विशेष अन्य व्यक्ति अथवा सभी अन्य व्यक्तियों के सन्दर्भ में अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके और उसे इनके सन्दर्भ में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिये बाध्य किया जा सके।

विधि समाज के निर्बल एवं शोषण किये जाने योग्य वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिये आवश्यक वैधानिक प्रावधान करता है। उदाहरण के लिये अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों महिलाओं बच्चों, युवकों, बृद्धों, बाधितों श्रमिकों, निराश्रितों इत्यादि के सन्दर्भ में अनेक प्रकार के विशिष्ट कानून बने हुये हैं। इनके अतिरिक्त समाज कल्याण को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिये सामान्य कानून भी बनाये गये हैं। संविधान जो सभी कानूनों का स्रोत है के अन्तर्गत सामान्य कल्याण के प्रोत्साहन निर्बल एवं शोषण किये जाने योग्य वर्गों के हितों के संरक्षण एवं संपर्द्धन तथा समाज सेवाओं के आयोजन के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान किये गये हैं। इन वैधानिक एवं सवैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप समाज कल्याण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है तथा अनेक प्रकार की सामाजिक कुदृष्टियाँ दूर हुई हैं जो समाज कार्य के लिये गम्भीर अभिरुचि के विषय हैं।

समाज कार्य पेटिटस के दौरान इन नियमों एवं कानूनों की अनेक प्रकार की कमियाँ सामने आती हैं। न केवल इतना सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र सामने आते हैं जिनमें सामाजिक विधान बनाते हुये वैधानिक रूप से नियंत्रण लागू किये जाने की आवश्यकता का अनुभव होता है। इनके परिणामस्वरूप शासन को न केवल नये विधान बनाने के लिये बाध्य होना पडता है बल्कि उसे इनके निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है।

इस प्रकार जहाँ एक ओर विधि समाज कार्य को एक ऐसा विधिक आधार प्रदान करता है जिनका प्रयोग करते हुये समाज कार्य अपने सेवार्थियों के हितों की अधिकार के रूप में रक्षा कर पाने में

समर्थ होता है, वहीं दूसरी ओर समाज कार्य ऐसे नवीन क्षेत्रों को उजागर करते हुये जिनमें वैधानिक कमियों को दूर किये जाने अथवा नये विधान बनाये जाने की आवश्यकता होती है तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुये विधि को और अधिक सुदृढ तथा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हुये उसकी प्रभावपूर्णता को बढ़ाता है।

VIII समाज कार्य एवं सांख्यिकी (Social Work and Statistics)

वर्तमान सूचना के युग में जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित करने तथा इनका वैज्ञानिक विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता का अनुभव प्राय होता है क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में प्रभावपूर्ण नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं होता है। 'सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो हमें इस कार्य में सहायता प्रदान करता है। सेलिगमैन' के मत में, "सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो किसी जाच के क्षेत्र पर कुछ प्रकाश डालने के लिये एकत्रित किये गये संख्यात्मक आकड़ों को इकट्ठा करने, वर्गीकरण करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने तथा निर्वचन करने के ढंगों के साथ कार्य करता है।"

लेविट¹⁸ के अनुसार, "सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है, जो किसी घटना के स्पष्टीकरण, विवरण तथा तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण तथा सारिणीकरण का कार्य करता है।"

इस प्रकार सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो मानव को वास्तविकता के विविध क्षेत्रों से संबंधित विविध प्रकार की घटनाओं के अध्ययन के दौरान संख्यात्मक आकड़ों का एकत्रीकरण, सम्पादन, वर्गीकरण, सारिणीकरण एवं विश्लेषण एवं निर्वचन करते हुये सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। इसके अन्तर्गत प्राय अध्ययन के लिये ली गयी घटना से संबंधित इकाइयों का प्रतिदर्शन के आधार पर चयन करते हुये अध्ययन किया जाता है और प्रतिदर्श से प्राप्त परिणामों के

अध्ययन को भी सम्भव बनाते हैं और एक ही श्रृंखला के अन्तर्गत भी इसे उपभागों में विभाजित करते हुये इसके अन्तर्गत पाये जाने वाले प्रसरण का विश्लेषण करते हुये इसके लिये उत्तरदायी विभिन्न कारकों को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं।

- (6) यह विभिन्न श्रेणियों के बीच पाये जाने वाले सहपरिवर्तन की प्रवृत्ति को समझने में सहायक सिद्ध होती है।
- (7) यह साहचर्य गुणांक की सहायता से अध्ययन की इकाइयों में पाये जाने वाले गुणों में साहचर्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है।
- (8) यह कोई स्वचायर परीक्षण की सहायता से चरों (Variables) के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध की सार्थकता के अध्ययन को सम्भव बनाती है।
- (9) यह समय श्रृंखला विश्लेषण का प्रयोग करते हुये एक समय के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर एकत्रित किये गये आकड़ों के विश्लेषण एवं विवेचन को सम्भव बनाते हुये निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करती है। अन्तर्वेशन (Interpolation) तथा बाह्यवेशन (Extrapolation) का आश्रय लेते हुये समय श्रृंखला के अन्तर्गत तथा इसके बाहर पाये जाने वाले समय के बिन्दुओं पर अध्ययन की जा रही घटना की स्थिति की गणना को सम्भव बनाती है।
- (10) समाश्रयण का प्रयोग करते हुये कार्य-कारण सम्बन्ध की मान्यता के आधार पर एक दिये हुये चर के मान की पृष्ठभूमि में अध्ययन में सम्मिलित किसी अन्य चर के मान की गणना करने में सहायक सिद्ध होती है।
- (11) यह सूचकांकों का प्रयोग करती हुई जीवन निर्वाह सूचकांक तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सूचकांकों की गणना को सम्भव बनाती है।
- (12) यह सम्भाविता का सहारा लेती हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं के घटित होने की सम्भाविता की गणना करने में सहायक सिद्ध होती है।

(13) यह चित्रों तथा रेखाचित्रों की सहायता से आकड़ों को प्रस्तुत करती हुई इन्हे आकर्षक एवं संग्राह्य बनाती है।

इस प्रकार सांख्यिकी और समाजकार्य दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं।

सन्दर्भ

- 1 Social Sciences may be defined as those mental or cultural sciences which deal with the activities of the individual as a member of a group
Seigman E.R.A., *What are the Social Sciences?* Encyclopaedia of Social Sciences, The Macmillan Co., New York, 1930 Vol I, p 3
- 2 Sociology is about social relationship the net work of relationship we call society
Machver, R.M. and Page, C.H., *Society* Macmillan Co. New York 1950 (Preface)
- 3 Sociology is the systematic description and explanation of society viewed as a whole
Giddings, F.H., *Principles of Sociology*, The MacMillan Co. New York, 1913, p 9
- 4 Sociology in its broadest sense may be said to be the study of interactions arising from the association of living beings
Glän, J.L. and Juän, J.P. *Cultural Sociology* The Macmillan Comp, New York, 1954, P 5
- 5 Sociology is a generalizing science of socio-cultural phenomena viewed in their generic forms, types and manifold inter-connections
Sorokin, P.A., *Society Culture and Personality* Harper and Bros. Co. New York, 1948 p 16
- 6 Timms, N., *Social Casework - Principles and Practice* Routledge and Kegan Paul Ltd London 1954
- 7 Meyer H. *Social Work and Social Welfare* Pergamon Press Newyork 1970 p 21
- 8 Psychology is the study of human nature
Bonng E., *Psychology* The Macmillan Co. New York 1957 P 27
- 9 Psychology is the positive science of conduct and behaviour
McDougall W. *The Frontiers of Psychology* Hsibet & Co. London 1936 P 2

समाज कार्य का इतिहास (HISTORY OF SOCIAL WORK)

इंग्लैण्ड में समाज कार्य का इतिहास (History of Social Work in England)

आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने का कार्य मानव समाज की स्थापना से ही होता आ रहा है। आदिकाल से ही धर्म गुरुओं, प्रचारकों तथा अनुयायियों ने दीन दुखियों की सहायता करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया। 1520 में जर्मनी में मार्टिन लूथर ने भिक्षावृत्ति को रोकने तथा सनी पेरिजो में दीन दुखियों की सहायता हेतु भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करने के लिए दानपेटी की स्थापना किये जाने की अपील की। 1525 में उल्चि ज्यिंगली (Ulrich Zwingli) ने इसी प्रकार की अपील स्विटजरलैण्ड में की। 17वीं शताब्दी में फ्रांस में फादर विन्सेन्ट द पाल (Father Vicent de Paul) ने अनेक प्रकार के सुधार किये। चान्सेलर बिस्मार्क (Chancellor Bismark) ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी में अनेक प्रकार के सुधार सभी कार्यक्रम चलाये। इन सभी सुधारों के परिणामस्वरूप समाज कार्य के विकास के लिए उचित भूमि तैयार हुई।

इंग्लैण्ड में समाज कार्य के इतिहास को 4 श्रेणियों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है (i) अपिवेकपूर्ण दान का युग, (ii) सुपात्र निर्धनों के लिए सहायता एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों की सहायता का युग, (iii) समन्वय एवं नियंत्रण का युग, तथा (iv) आय अनुरक्षण का युग।

(i) अविवेकपूर्ण दान का युग 14वीं शताब्दी तक निर्धना, अपगों एवं अपाहिजों को भिक्षा देना एक पुण्य का कार्य समझा जाता था। चर्च का प्रमुख कार्य निर्धनों का दान देना तथा उनकी सहायता करना था। निर्धनों की सहायता सम्बन्धी कार्यों का उत्तरदायित्व मुख्य पादरियों, स्थानीय पादरियों और पादरियों के नीचे के तीसरे स्तर के डेकन्स के नाम से सम्बोधित किये जाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ईसाई धर्म को राज धर्म का स्तर प्राप्त होने के साथ-साथ मठा में निर्धना के लिए सरथाये स्थापित की गयीं जो अनाथा, वृद्धा रोगिया और अपगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी तथा बचरा का शरण देती थीं। इससे भिक्षावृत्ति में वृद्धि हुई जिस राज्य न अच्छा नहीं समझा। निर्धनों की सहायता के एक ऐतिहासिक उल्लेख के अनुसार 1839 में इंग्लैण्ड तथा वेल्स की 1,53,57,000 जनसंख्या में निर्धनों पर किया जाने वाला व्यय 44,06,907 पाउण्ड था। निर्धन सहायता पर इतना अधिक व्यय किये जाने के बावजूद भी इससे कोई लाभ नहीं होता था।

(ii) सुपात्र निर्धनों के लिए सहायता एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों की सहायता का युग 1349 में किंग एडवर्ड III ने यह आदेश दिया कि शारीरिक दृष्टि से छुट-पुट प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य अवश्य करें तथा वह अपने पैरिस (निवास स्थान) को छोड़े बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति के यहां काम करें जो उसे काम देना चाहे। यह पहला प्रयास था जिसके अधीन निर्धनता के लिए स्वयं निर्धन व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया तथा शारीरिक दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों को दान एवं भिक्षा पर निर्भर रहने के बजाय काम करने के लिए बाध्य किया गया। 1531 में हेनरी VIII के कानून (Statute of Henry VIII) के अधीन भिखारियों के लिए पर्जीकरण आवश्यक कर दिया गया तथा उन्हें एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत भिक्षा मागने के लिए लाइसेन्स दिये गये। इस कानून के अधीन नगर प्रमुख तथा शान्ति के न्यायाधीशों को यह आदेश दिया गया कि वे कार्य करने में असमर्थ वृद्धों एवं निर्धनों के प्रार्थना पत्र की जांच करें और उनका

पजीकरण करते हुए उन्हें एक निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा मागने के लिए लाइसेन्स दे। स्वरथ शरीर वाले भिखारियों को कोड़े लगाने तथा उन्हें अपने जन्म स्थान पर जाकर मजदूरी करने की भी व्यवस्था की गयी। हेनरी द्वारा चर्च की सम्पत्ति के जब्त कर लिये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया कि निर्धनों की दूसरे तरीको से सहायता की जाये। 1532 में कारीगरों के कानून (Statute of Artificers) के अधीन मजदूरी और काम करने का समय निश्चित किया गया तथा बेकार घूमने वाले तथा आवारों को कठिन काम करने के लिए बाध्य किया गया। 1536 में ही पहली बार इंग्लैण्ड की सरकार के तत्वावधान में निर्धनों की सहायता के लिए एक योजना बनायी गयी जिसके अधीन ऐसे निर्धनों के जो 3 वर्ष से काउन्टी में रह रहे हों, उनकी पैरिसो में पजीकरण की व्यवस्था की गयी। चर्चों द्वारा पैरिसो के निवासियों से एकत्रित किये गये स्वेच्छापूर्ण दान से पैरिसो में पाये जाने वाले असमर्थ निर्धनों के पालन-पोषण के लिए धन की व्यवस्था से की गयी। हष्ट-पुष्ट भिक्षुको को काम करने के लिए बाध्य किया गया और 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच के निकम्मे बच्चों को उनके माता-पिता से लेकर प्रशिक्षण के लिए मास्ट्रो को दिया गया। निर्धनों के निरीक्षकों को नया कानून लागू करने हेतु नियुक्त किया।

इसी दौरान चरित्तव्य उपयोग के कानून (Statute of Charitable Uses) बनाया गया जिसके अधीन सभी प्रकार के दानों को एक वर्ग के अन्तर्गत परिभाषित किया गया। इसके अन्तर्गत बन्धकों की मुक्ति, अकिंचनों की सहायता, शिक्षा के प्राधान तथा अनाथों की देखभाल एवं प्रशिक्षण जैसे मसलों को सम्मिलित किया गया।

1576 में सुधारगृह (House of Correction) स्थापित किये गये जिनमें पटसन, पटुआ, लोहा एकत्रित किया जाता था और स्वरथ शरीर वाले निर्धनों, विशेष रूप से युवकों को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। निर्धनों के लिए 1601 में एलिजाबेथ का निर्धन कानून (Elizabethan Poor Law) बनाया गया जिसे 43

एलिजाबेथ" के नाम से जाना जाता था। इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं

- (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति का पजीकरण न किया जाये जिसके सम्बन्धी, पति अथवा पत्नी, पिता अथवा पुत्र सहायता कर सकने की स्थिति में हो।
- (2) निर्धन कानून के अन्तर्गत 3 प्रकार के निर्धनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।

(क) स्वस्थ शरीर वाले निर्धन

स्वस्थ शरीर वाले निर्धनों एवं भिक्षुओं को सुधारगृहों अथवा कार्यगृहों में काम करने के लिए बाध्य किया गया। नागरिकों को इस बात का आदेश दिया गया कि वे स्वस्थ शरीर वाले निर्धनों को भिक्षा न दे। दूसरे गावों से आये हुए निर्धनों को उन्ही स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की गयी जहा वे पिछले एक वर्ष से रह रहे थे। ऐसे स्वस्थ शरीर वाले भिक्षुओं अथवा आवारों को जो सुधारगृह में काम करने से मना करे, जेल में डाल दिया जाये और उनके गले तथा पेटों में बधन डाल दिये जाये।

(ख) शक्तिहीन निर्धन

कार्य करने में असमर्थ रोगियों, वृद्धों, अधों, गूगों, बहरो, बच्चों और अल्प आयु के शिशुओं वाली माताओं को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इनके पास अपना निवास स्थान होने की स्थिति में उन्हें उनके घरों में ही रखकर निर्धनों के ओवरसियरों द्वारा खाना, कपडा, ईंधन इत्यादि के रूप में वाह्य सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। आवास विहीन होने की स्थिति में उन्हें सुधारगृहों में रखे जाने की व्यवस्था की गयी।

(ग) आश्रित बच्चे

अनाथ माता-पिता द्वारा परित्यक्त, निर्धन माता-पिता अथवा

पितामह के बच्चों को इस श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। इन्हें ऐसे नागरिकों के पास रखे जाने की व्यवस्था की गयी जो सरकार से उनके पालन-पोषण के लिए कम से कम पैसे की माग करे। 8 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे बच्चों को जो कुछ घरेलू अथवा अन्य काम कर सकते थे, किसी नागरिक के साथ बंधक करते हुए रख दिया जाता था। ऐसे बच्चे मालिकों का घरेलू व्यवसाय सीखते थे और 24 वर्ष की आयु तक मालिकों के साथ रहते थे। लड़कियों को घर की नौकरानी के रूप में रखा जाता था और उन्हें 21 वर्ष की आयु अथवा विवाह होने तक मालिकों के घर में रहना पड़ता था।

- (3) यदि बच्चे अपने निर्धन माता-पिता या सम्बन्धियों के साथ रह सकें तो उन्हें उत्पादन के लिए आवश्यक ऐसी वस्तुएं प्रदान की जाये जिनसे वे घरेलू उद्योग चला सकें। ऐसा सम्भव न होने की स्थिति में इन बच्चों को निर्धन गृहों में रखा जाये।
- (4) निर्धनों के ओवरसियरों को इस कानून को लागू करने तथा इसका प्रशासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इन ओवरसियरों की नियुक्ति शान्ति न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती थी। ये ओवरसियर निर्धनों से प्रार्थनापत्र लेते थे, उनकी सामाजिक दशाओं का पता लगाते थे और समुचित सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेते थे।
- (5) निर्धन सहायता हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए निर्धन कर लगाकर एक कोष स्थापित किया गया था जिसमें निजी दान, कानून का उल्लंघन करने पर किये गये जुर्माने इत्यादि से प्राप्त धनराशि जमा की जाती थी।

इस प्रकार 1601 का यह निर्धन कानून इंग्लैण्ड में 300 वर्षों तक जन सहायता के क्षेत्र में अपेक्षित मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्धनों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा।

1662 में एक बस्ती कानून (Law of Settlement) बनाया गया जिसके अधीन शान्ति के न्यायाधीशों (Justice of Peace) को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे ऐसे किसी भी न्यायगन्तुक को उसके पुराने निवास स्थान पर वापस भेज सकते थे जो निर्धनों के ओवरसियरों के मत में भविष्य में इस समुदाय के लिए एक बोझ बन सकता था।

1696 में कार्य गृह कानून (Work Houses Act) के बन जाने के बाद ब्रिस्टल तथा अन्य शहरों में कार्य गृहों की स्थापना की गयी जिनमें वहाँ निर्धन प्रौढ़ों एवं बच्चों को कताई-बुनाई इत्यादि के प्रशिक्षण अवसर प्रदान किये गये।

1722 में ओवरसियरों को इस बात का अधिकार प्रदान किया गया कि वे ऐसे उत्पादन कर्ताओं के साथ अनुबंध करें जो निर्धनों को सेवायोजित करने के लिए तैयार हों।

1782 में बनाये गये निर्धन कानून संशोधन अधिनियम (Poor Law Amendment Act) जिसे गिलवर्ट कानून के नाम से भी जाना जाता है, के अधीन कार्यगृहों की ठेकेदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, अवैतनिक निर्धनों के ओवरसियरों के स्थान पर वंशानुगत निर्धनों के संरक्षकों (Guardians of Poor) की नियुक्ति की गयी तथा तब तक घर पर ही सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी जब तक कि निर्धन सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सेवायोजन न प्रदान किया जाये। 1795 में स्पीन्हमलेण्ड कानून की घोषणा की गयी जिसके अधीन एक सार्वभौमिक कार्य सारिणी (Table of Universal Practice) अथवा आजीविका मापक्रम (Bread Scale) का विकास किया गया ताकि श्रमिकों की मजदूरी का पूरण किया जा सके और कम मजदूरी की पूर्ति के लिए श्रमिकों के परिवार के आधार को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित सहायता निर्धनों को घर पर ही पहुँचायी जा सके।

(iii) समन्वय एवं नियंत्रण का युग 1832 में निर्धन कानून के प्रशासन एवं व्यावहारिक कार्यान्वयन की जांच करने के लिए शाही

आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग के सदस्य एडविन चाडविक थे। इस आयोग ने कहा कि निर्धन सहायता बच्चों एवं स्वरथ शरीर वाले व्यक्तियों में आबारापन एवं भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करती है। इस आयोग ने निम्नलिखित सरस्तुतियाँ कीं (1) स्प्रीन्ग्मलैण्ड विधि से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का उन्मूलन किया जाये, (2) सहायता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी समर्थ अभ्यर्थियों को कार्यगृहों में रखा जाये (3) केवल रोगियों वृद्धों अशक्तों एवं नवजात शिशुओं वाली विधवाओं को ही बाहरी सहायता प्रदान की जाये (4) विभिन्न पैरिसो के सहायता सम्बन्धी कार्यों को मिलाकर एक निर्धन कानून संघ (Poor Law Union) का संगठन किया जाये, (5) निर्धन सहायता प्राप्त करने वालों के स्तर को समुदाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्तर से नीचे रखा जाये अर्थात् 'कम पात्रता' (Less Eligibility) के सिद्धान्त को लागू करते हुए सहायता पाने वाले व्यक्तियों को कार्य करने वाले व्यक्तियों की स्थिति से नीचे रखा जाये तथा (6) नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय परिषद की स्थापना की जाये।

इन सरस्तुतियों के आधार पर 1834 में नया निर्धन कानून बनाया गया जिसके अधीन शारीरिक दृष्टि से स्वरथ व्यक्तियों को कार्यशालाओं में रखने, सरक्षक परिषद द्वारा प्रसारित निर्धन कानून संघों का निर्माण करने तथा निर्धन सहायता के क्षेत्र में एकरूपतापूर्ण नीति का निर्धारण करने हेतु एक स्थायी शाही निर्धन कानून आयोग के बनाये जाने का प्रावधान किया गया। इस नये कानून ने आयोग की सभी सरस्तुतियों को लागू करने पर बल दिया। 1869 में दातव्य सहायता संगठन एवं भिक्षावृत्ति दमन समिति (Society for Organizing Chantable Relief and Repressing Mendicity) का लंदन में गठन हुआ जिसका कुछ वर्षों बाद ही नाम बदलकर दातव्य संगठन समिति (Charity Organization Society) कर दिया गया।

(iv) आय अनुरक्षण युग इस युग का विवरण दो उपश्रेणियों के

अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है (क) वेवरिज रिपोर्ट के पहले, तथा (ख) वेवरिज रिपोर्ट एव उसके बाद।

(क) वेवरिज रिपोर्ट के पहले आय सरक्षण

1905 में लार्ड जार्ज हेमिल्टन की अध्यक्षता में निर्धन कानून एव दुःख निवारण शाही आयोग (Royal Commission on Poor Laws and Relief of Distress) का गठन किया गया। इस आयोग की सस्तुतियों के अनुसरण में 1905 में बेकार कर्मकार अधिनियम पारित किया गया जिसके अधीन स्थानीय कष्ट निवारण समिति (Local Stress Committee) द्वारा बेकारों को सहायता देने का प्रावधान किया गया।

1908 में वृद्धावस्था पेंशन कानून पास हुआ जिसके अधीन 70 वर्ष से अधिक आयु के आवश्यकताग्रस्त निर्धनों को 5 शिलिंग प्रति सप्ताह की पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गयी। 1909 में श्रम कार्यालय अधिनियम (Labour Exchanges Act) पारित किया गया।

1911 में राष्ट्रीय बीमा कानून बना जिसके अधीन निम्न आय समूह के श्रमिकों के अनिवार्य स्वास्थ्य बीमे की व्यवस्था की गयी। 1925 में विधवा, अनाथ एव वृद्धावस्था अशदायी पेंशन अधिनियम (Widows, Orphans and Old Age Contributory Pension Act) पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, विधवाओं, अनाथों और 14 वर्ष से कम आयु के (यदि स्कूल जा रहे हों तो 16 वर्ष से कम आयु के) आश्रित बच्चों को बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया जिसकी वित्तीय व्यवस्था मालिकों और श्रमिकों द्वारा दिये गये अशदानों से की जाती थी। इन अशदानों का संग्रह अनुमोदित समितियों द्वारा किया जाता था। बीमा की इस योजना के अन्तर्गत लाभ भोगियों को डाकघर के माध्यम से सगान दर पर लाभ प्रदान किये जाते थे। दावों के उचित होने का निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थानीय शाखा के कार्यालय द्वारा किया जाता था। अशदान और लाभ दोनों के लिए एक

जारी दर ही रखी गयी थी ताकि विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक लाभभोगियों को समान धनराशि का भुगतान किया जा सके। 1925 में स्थानीय शासन अधिनियम (Local Government Act) पारित किया गया जिसने निर्धन कानून सघो एव सरक्षक परिषदों को समाप्त कर निर्धन सहायता के प्रशासन का उत्तरदायित्व काउन्टी काउंसिलों और शहरों में बरो कौंसिलों (Borough Council) को दे दिया। 1931 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अधिनियम (National Economy Act) बनाया गया जिसके अधीन ऐसे बेकार व्यक्तियों को राज्य कोष से बेकारी सहायता देने की व्यवस्था की गयी जिन्होंने बेकारी बीमा के अधीन उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त कर लिये हों अथवा जो इन लाभों के लिए पात्र न हों। 1934 में बेकारी अधिनियम (Unemployment Act) पास किया गया जिसके अधीन बेकारी सहायता के प्रशासन का उत्तरदायित्व बेकारी सहायता बोर्ड को सौंपा गया। 1939 में इस बोर्ड को युद्ध के शिकार व्यक्तियों को भत्तों का भुगतान करने का दायित्व भी प्रदान किया गया और 1940 में वृद्धावस्था पेशान अधिनियम बना जिसके अधीन वृद्धों को विशेष रूप से चिकित्साकीय उपचार के लिए उनकी आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त पेशानों के भुगतान की व्यवस्था की गयी।

(ख) वेवरिज रिपोर्ट एव उसके बाद

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जून 1941 में इंग्लैण्ड ने अपने सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों में सुधार करना प्रारम्भ किया और लार्ड विलियम वेवरिज की अध्यक्षता में एक सामाजिक बीमा एव सम्बन्धित सेवाओं पर अन्तर्विभागीय आयोग (Inter-departmental Commission on Social Insurance and Allied Services) गठित किया। इस आयोग की रिपोर्ट में 5 कार्यक्रमों पर आधारित सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गयी। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं (1) सामाजिक बीमा (2) जन सहायता (3) बच्चों के भत्ते (4) व्यापक निःशुल्क स्वास्थ्य एव पुनर्वास सेवाएँ तथा (5) पूर्ण रोजगार का अनुरक्षण।

वेवरिज रिपोर्ट के आधार पर 1944 में अपंग व्यक्ति कानून (Disabled Persons Act) बना जिसके अधीन वाणिज्य तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपंगों को रोजगार दे। 1944 में ही पेंशन एवं राष्ट्रीय बीमा मंत्रालय का गठन किया गया और इसके अधीन एक राष्ट्रीय सहायता परिषद् बनायी गयी जो सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थी। 1945 में परिवार भत्ता कानून (Family Allowance Act) पास किया गया। 1946 में राष्ट्रीय बीमा कानून (National Insurance Act) बनाया गया जिसके अधीन स्वास्थ्य अपंगता एवं वृद्धावस्था बीमा इत्यादि योजनाये बनायी गयी। 1946 में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) बनाया गया। इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कानून (National Health Service Act) बना। 1948 में राष्ट्रीय सहायता बोर्ड बना जिसका उत्तरदायित्व आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए जन सहायता का प्रावधान करना था। 1959 में राष्ट्रीय बीमा कानून में संशोधन किया गया। समान कर प्रणाली के स्थान पर सेवायोजक तथा कर्मचारी की अवकाश ग्रहण पेंशन के अंशदान तथा लाभों का एक क्रमिक कार्यक्रम (Graduated Programme) चलाया गया। अक्टूबर, 1966 में क्रमिक अंशदानों एवं लाभों के इसी सिद्धान्त को आय से सम्बन्धित पूरकों को प्रदान करने के लिए भी लागू किया गया और इसके अधीन बेकारी, बीमारी तथा विधवाओं को समान दर पर प्रदान किये जाने वाले लाभ क्रमिक दर पर दिए जाने लगे। अप्रैल 1976 में कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को उनकी आय से पूर्णरूपेण सम्बद्ध कर दिया गया और अंशदानों की समान एवं क्रमिक दरों को समाप्त कर दिया गया।

1975 में सामाजिक सुरक्षा लाभ अधिनियम (Social Security Benefit Act) बनाया गया जो इंग्लैण्ड के निवासियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए समाज कल्याण के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1986 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसके अधीन सम्पूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार किये गये हैं इनमें राज्य की आय से सम्बन्धित पेंशन योजना (State

Earnings Related Pension Scheme) वैयक्तिक एवं व्यावसायिक पेशन योजनाओं को प्रोत्साहित करने वाली नवीन व्यवस्थाओं तथा पारिवारिक आय पूरक, पूरक लाभ एवं आवास लाभ के स्थान पर आय से संबंधित अनेक प्रकार के लाभों का प्रदान किया जाना उल्लेखनीय है। अप्रैल 1987 में सामाजिक कोष से मातृ एवं दाह सस्कार पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वैयक्तिक समाज सेवाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा इंग्लैण्ड में पाई जाने वाली समाज कल्याण व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सभी नागरिकों को उनकी आय पर ध्यान दिये बिना व्यापक रूप से चिकित्सकीय सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। स्थानीय प्राधिकरण वैयक्तिक समाजसेवी एवं ऐच्छिक संगठन वृद्धों असमर्थों तथा देखभाल की आवश्यकता रखने वाले बच्चों को सहायता एवं परामर्श प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वित्तीय आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों को एक मूलभूत जीवन स्तर का आश्वासन प्रदान करती है और इसके लिए इस व्यवस्था के अधीन रोजी-रोटी कमाने में असमर्थता की अवधि में आय प्रदान की जाती है तथा परिवारों को सहायता दी जाती है और असमर्थता के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का दायित्व केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है। यह सहायता इसके एजेंटों के रूप में कार्य करने वाले स्वास्थ्य प्राधिकरणों एवं बोर्डों द्वारा दी जाती है। केन्द्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैयक्तिक समाज सेवाओं के क्षेत्र में केन्द्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व वहन करती है।

इंग्लैण्ड में समाज कार्य शिक्षा का विकास

इंग्लैण्ड में 1950 तक समाज कार्य शिक्षा का शुभारम्भ कहीं भी

नहीं हा पाया था। समाज कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति बहुत कम थी क्योंकि प्रशिक्षण की सुविधाएँ ही उपलब्ध नहीं थी किन्तु मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकीय समाज कार्य बच्चों की देखरेख परिदीक्षा, इत्यादि विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते थे।

कार्नेजी की पहली रिपोर्ट (1947) जो समाज कार्यकर्ताओं के सेवायाजन एवं प्रशिक्षण से संबंधित थी, के अन्तर्गत इस बात की सस्तुति की गयी कि किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से चलने वाला समाज कार्य विद्यालय खोला जाय।

सस्तुति के आधार पर एक परिषद का गठन किया गया। 1950 में इस परिषद ने एक और उपसमिति चनायी जिसे एक वर्षीय, वैयक्तिक समाज कार्य सम्बन्धी परा प्रमाणपत्र (Post Certificate) के लिए पाठ्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस समिति ने इस मान्यता के आधार पर एक नानान्य पाठ्यक्रम बनाया कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी समाज कार्यकर्ताओं को एक ही मूलभूत निपुणताओं की आवश्यकता होती है। समाज कार्यकर्ताओं को मानव व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान सर्वप्रथम प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि वे चाहें जहाँ कार्य करें उन्हें एक ही प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे।

कार्नेजी ट्रस्ट की दूसरी रिपोर्ट 1951 में प्रकाशित हुई। इसके अंतर्गत इस विद्यालय का नाम बदल कर समाज कार्य विद्यालय के स्थान पर व्यावहारिक समाज अध्ययन संस्थान (Institute of Applied Social Studies) कर दिया गया।

1951 में टाविस्टाक क्लिनिक ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। 1959 तक 24 समाज विज्ञान विभागों में से 6 में व्यावहारिक समाज कार्य शिक्षा प्रदान की जाने लगी थी।

पहला द्विवर्षीय स्नातकोत्तर समाज कार्य शिक्षा का कार्यक्रम 1966 में यार्क यूनिवर्सिटी में प्रारम्भ किया गया। ससेक्स विश्वविद्यालय में 14 महीने के शैक्षिक पाठ्यक्रम को दो वर्ष का बना दिया गया। इसी प्रकार नाटिघम विश्वविद्यालय में भी दो वर्षीय स्नातकोत्तर समाज कार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 1970 के अंत तक समाज कार्य की सम्पूर्ण शिक्षा व्यक्ति, समूह तथा समुदाय को आधार मानकर सामान्य रूप से प्रदान की जाती थी। 1975 में इंग्लैण्ड के 35 विश्वविद्यालयों में सामाजिक प्रशासन तथा समाज कार्य के विभाग थे।

सयुक्त राज्य अमरीका में समाज कार्य का इतिहास (History of Social Work in United States of America)

अमरीका में विभिन्न युगों में निर्यल एव शोषित वर्गों को प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर अमरीकी समाज कार्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है

- 1 दान काल
- 2 स्थानीय सहायता काल
- 3 राज्य सहायता काल
- 4 अधीक्षण समन्वय एव प्रशिक्षण काल
- 5 युद्धों के साथ कार्य का काल
- 6 आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के साथ कार्य करने एव रहने का काल
- 7 सामाजिक सुरक्षा काल
- 8 निर्धनता उन्मूलन काल

1. दान काल

17वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इंग्लैण्ड से आकर अमरीका में बसने वाले लोग वहाँ की प्रथाओं, परम्पराओं एव कानूनों को भी अपने

साथ लाये। वे अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर बेकारी, गरीबी तथा कामचोरी से इतना अधिक डरते थे कि वे बेकारी और कामचोरी को एक पाप और अपराध मानते थे, किन्तु हर समाज की तरह अमरीका में भी ऐसे अनेक वर्ग थे, उदाहरण के लिए, अनाथ बालक, विधवाएँ, बीमार, निराश्रित बूढ़े, अशक्त व्यक्ति, इत्यादि जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी। इन लोगों की सहायता परम्परागत ढंगों का प्रयोग करते हुए की जाती थी। निर्धनों के लिए चिकित्सालय खोले गये। इन चिकित्सालयों में निर्धनों के शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार किया जाता था।

2. स्थानीय सहायता काल

उपनिवेशों द्वारा सिद्धान्ततः एलिजाबेथ के निर्धन कानून को अपना लिया गया और इस प्रकार निर्धनों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व करों को सौंप दिया गया। न्यूयार्क में रेने सेलर्सविक में भिक्षुक गृह (Alms House) 1657 में स्थापित किया गया तथा प्लार्इमाउथ कालोनी द्वारा स्वस्थ शरीर वाले निर्धनों के लिए पहली कार्यशाला के निर्माण का आदेश 1658 में दिया गया। कालांतर में ऐसे भिक्षुकगृहों एवं कार्यशालाओं को कुछ उपनिवेशों के बड़े शहरों में स्थापित किया गया और इस प्रकार अकिंचनों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व सामान्यतया या तो कसबों अथवा काउन्टियों द्वारा ग्रहण किया जाता था। मैसोचुसेट्स के विधान मण्डल में 1699 में कानून बना जिसके अधीन आवारा, भिखारियों एवं अव्यवस्थित लोगों को सुधारगृहों में रखते हुए काम में लगाने का प्रावधान किया गया।

1823 में न्यूयार्क में जे.वी.एन. येट्स को निर्धन कानूनों की क्रियाविधि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। येट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निर्धनों के दो वर्गों का उल्लेख किया गया।

- (1) ऐसे निर्धन जिन्हें स्थायी सहायता की आवश्यकता है, तथा
- (2) अस्थायी निर्धन।

येट्स रिपोर्ट में ये सस्तुतियों की गयी

- (1) प्रत्येक काउण्टी में एक सेवायोजन गृह की स्थापना की जाये जिसके द्वारा बच्चों की शिक्षा और कृषि कार्य के लिए भूमि प्रदान की जाये।
- (2) सशक्त निर्धनों तथा आवारों के लिए कार्यगृह उपलब्ध कराया जाये जहाँ पर जबरदस्ती कठिन काम दिया जाये।
- (3) निर्धन कल्याण के लिए धनराशि एकत्रित करने के उद्देश्य से शराब बनाने वाले कारखानों पर उत्पादन कर लगाया जाये।
- (4) न्यूयार्क की एक काउण्टी में एक वर्ष के निवास के आधार पर वैधानिक बन्दोबस्त (Settlement) करने का नियम बनाया जाये।
- (5) निष्कासन आदेशों तथा निर्धन कानूनों से सम्बन्धित मुकदमों में दिये गये फैसलों के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था समाप्त की जाये।
- (6) 18 से 50 वर्ष के बीच की आयु तथा स्वस्थ शरीर वाले किसी भी व्यक्ति को अकिचन की श्रेणी में न रखा जाये।
- (7) गलियों में भीख मागने वाले व्यक्तियों तथा राज्य के अन्दर अकिचनों को लाने वाले लोगों को दण्ड दिया जाये।

येट्स रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए मैसाचुसेट्स, न्यूयार्क तथा अन्य कई राज्यों में अनाथालयों एवं कार्यगृहों की स्थापना की गयी। इस रिपोर्ट के तुरन्त बाद 1824 में न्यूयार्क ने काउण्टी निर्धन गृह कानून बनाया। इसके द्वारा अनाथालयों के प्रबन्ध का कार्य कस्बों से लेकर काउण्टियों को दे दिया गया।

3. राज्य सहायता काल

सर्वप्रथम 1675 में मैसाचुसेट्स राज्य ने भिखारियों के आवश्यक

व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इस उत्तरदायित्व के अधीन ऐसे व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती थी जो थोड़े समय पूर्व ही इस राज्य में आये हुए होते थे अथवा जिन्हें बाहर जाने की चेतावनी दी गयी होती थी। बाद में अन्य राज्यों ने भी इस उत्तरदायित्व को ग्रहण किया। कालान्तर में राज्यों ने ऐसी सस्थाओं को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया जो बाधितों की सहायता करती थी क्योंकि इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ गयी थी। मानसिक रूप से बीमारों की चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था सर्वप्रथम फिलाडेल्फिया के भिक्षागृह में 1732 में की गयी। तदुपरान्त 1753 में पेन्सिलवैनिया के एक चिकित्सालय में भी यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी। वर्जीनिया की विलियम्सबर्ग पूर्वी राज्य ईस्टर्न स्टेट हास्पिटल ऐसी पहली संस्था थी जिसकी स्थापना 1773 में मानसिक रूप से असामान्य व्यक्तियों के लिए की गयी थी। बहरो के लिए पहला सरकारी आवासीय स्कूल 1823 में केंटकी में डैनविले में खोला गया। 1824 में लेक्सिंगटन में ईस्टर्न ल्यूनेटिक असाइलम की स्थापना की गयी। मैसाचुसेट्स के असाइलम फार द ब्लाइण्ड (जिसे बाद में परकिन्स इन्स्टीट्यूट तथा मैसाचुसेट्स स्कूल फार द ब्लाइण्ड के नाम से जाना गया) तथा 1832 में न्यूयार्क इन्स्टीट्यूशन फार द ब्लाइण्ड (जिसे बाद में इन्स्टीट्यूशन फार द एजुकेशन आफ ब्लाइण्ड के नाम से जाना गया) तथा 1833 में फिलाडेल्फिया में अंधों के लिए एक अन्य संस्था के खोले जाने से प्रेरित होकर ओहियो ने सर्वप्रथम 1837 में एक ऐसी जनसंस्था की स्थापना की जिसकी सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था राज्य द्वारा की गयी। इण्डियाना ऐसा पहला राज्य था जिसने अकिचन अंधों के भरण-पोषण के लिए 1840 में एक विशेष कानून बनाया। बाद में इसी प्रकार के कानून अन्य राज्यों द्वारा भी बनाये गये। मूर्खों एवं मदयुद्धि के युवकों के लिए राज्य द्वारा संचालित स्कूल की सर्वप्रथम स्थापना मैसाचुसेट्स के साउथ बुस्टन में 1848 में की गयी। 1851 में न्यूयार्क में मदयुद्धि बच्चों के लिए राज्य द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की गयी। 1854 में पेन्सिलवैनिया राज्य द्वारा जर्नन टाउन में चल रहे मूर्खों के लिए एक निजी स्कूल को

सहायता प्रदान की गयी। 1860 में कैलीफोर्निया में बहरा के साथ अयो के लिए पहले मिश्रित स्कूल की स्थापना की गयी। 1876 में न्यायालयों द्वारा अपराजों के लिए दोषी ठहराये गये नवयुवकों का सुधारगृह न्यूयार्क के अल्मीरा में स्थापित किया गया तथा महिलाओं की पहली जेल की स्थापना मैसाचुसेट्स के शेग्वोर्न में 1879 में की गयी।

(4) अधीक्षण, समन्वय एवं प्रशिक्षण काल

मैसाचुसेट्स ने 1863 में राज्य द्वारा संचालित सभी दान संस्थाओं के अधीक्षण के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटीज की स्थापना की। दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही किया। अधीक्षण एवं नियंत्रण समन्वही उत्तरदायित्व 1925 में लोककल्याण विभाग (Department of Public Welfare) को सौंपे गये। इस विभाग का नाम 1927 में बदल कर राज्य कल्याण विभाग (State Department of Welfare) रखा गया।

1870 और 1873 की मंदियों के परिणामस्वरूप तत्कालीन सहायता व्यवस्था की अनेक कमियां उजागर हुईं। 1870 में बर्फेलो के रेवरेंड एस एच गुर्टीन नाम के पादरी ने न्यूयार्क में बर्फेलो चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस समिति की मान्यता यह थी कि निर्धन जन सहायता लाभ भोगी के लिए हानिकारक है। 1908 में पिट्सबर्ग में एक काउन्सिल ऑफ सोशल एजेन्सीज स्थापित की गयी जिसका कार्य समाज कल्याण के क्षेत्र में नियोजन एवं समन्वय स्थापित करना था और इसीलिए इसका नाम काउन्सिल ऑफ सोशल एजेन्सीज पड़ा। किन्तु इन काउन्सिलों के लिए धन की व्यवस्था करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आयीं। इसीलिए 1913 में क्लीवलैण्ड में निजी क्षेत्र के दान समन्वही सभी कार्यों की संयुक्त वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप सामुदायिक तिजूरी (Community Chest) की विचारधारा सामने आयी। इन सामुदायिक चेस्टों का कार्य लोगों से अशदान लेते हुए एक कोष एकत्रित करने के पश्चात् इसे समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को वितरित करना था।

5. युवको के साथ कार्य का काल

इंग्लैण्ड मे 1844 मे जार्ज विलियम्स द्वारा स्थापित किये गये यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोशियेशन की सफलता से प्रभावित होकर कैप्टन जे.वी. सलीवान ने अमरीका मे 1851 मे ब्रूस्टन मे पहली अमरीकी यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना की जिसका कार्य अमरीकी युवको की अनेक प्रकार की आवश्यकताओ की पूर्ति करना था। इसी प्रकार अमरीका मे 1886 मे ल्यूक्रीशिया ब्याड पहली यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना ब्रूस्टन मे द्वारा की गयी। 1910 मे अमेरिकन ब्याण्ड स्काउट्स का गठन किया गया। कैम्प फायर गर्ल्स की स्थापना 1911 मे की गयी। 1912 मे गर्ल्स गाइड को स्थापित किया गया।

6. आवश्यकताग्रस्त लोगो के साथ काम करने एवं रहने का काल

प्रारम्भिक काल मे अमरीका पहुचने वाले अप्रवासियो की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। ये अप्रवासी विभिन्न वशो एव पृष्ठभूमियो के थे और विभिन्न प्रकार की भाषाये बोलते थे। इनमे पारस्परिक मेलजोल नगण्य था। लंदन मे निवासियो मे पडोस की भावना स्थापित करने के उद्देश्य से कैनेन सेम्युअल वार्नेट द्वारा स्थापित टवायनवी हाल के अनुभवो से प्रेरित होकर चार्ल्स वी स्टोवर ने नेबरहुड गिल्ड ऑफ न्यूयार्क सिटी की 1887 मे स्थापना की। इसे वर्तमान समय मे यूनिवर्सिटी सेटिलमेट हाउस के नाम से जाना जाता है। बाद मे मिस जेन ऐडम्स ने शिकागो मे 1889 मे हाल्टेड स्ट्रीट में एक हल हाउस की स्थापना की। इसकी सफलता के परिणामस्वरूप न्यूयार्क मे कालेज सेटिलमेट फॉर वीमेन, ब्रूस्टन मे ऐण्डोवर हाउस (जिसे बाद मे साउथ यण्ड हाउस का नाम दे दिया गया) शिकागो मे शिकागो वीमेन्स, न्यूयार्क मे हेन्री स्ट्रीट सेटिलमेट तथा कोआपरेटिव सोशल सेटिलमेट (जिसे बाद मे ग्रीनविच हाउस के नाम से सम्बोधित किया गया), शिकागो मे द यूनिवर्सिटी शिकागो सेटिलमेट न्यूयार्क मे गेलार्ड व्हाइट यूनियन सेटिलमेट क्लीवलैण्ड मे गुडरिच हाउस, पिट्सबर्ग मे

आईरीन कॉफमैन सेटिलमेट, सैनफ्रान्सिस्को में टेलीग्राफ हिल नेवरहुड हाउस तथा इण्डियानापोलिस में प्लेनर हाउस की स्थापना हुई।

7. सामाजिक सुरक्षा काल

अमरीकी संविधान में समाज कल्याण के लिए कोई स्थान नहीं था। महान मदी की स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में बेकार व्यक्ति निजी कल्याण संस्थाओं से सहायता की अपेक्षा करने लगे। स्थानीय स्तर पर निजी क्षमता में कार्य करने वाले दातव्य संगठनों ने इन बेकारों की सहायता करने का प्रयास किया किन्तु समस्या इतनी गम्भीर थी कि इन संस्थाओं के सभी वित्तीय साधन समाप्त हो गये। इन परिस्थितियों में अमरीकी कांग्रेस ने 1932 में आपात्कालीन सहायता एवं निर्माण अधिनियम (Emergency Relief and Construction Act) को पारित किया। इस अधिनियम के अधीन पुनर्निर्माण वित्त निगम (Reconstruction Finance Corporation) को राज्यों, काउन्टियों और शहरों को सहायता कार्य तथा जन कार्य सहायता परियोजनाओं को ऋण देने का अधिकार प्रदान किया गया।

1933 में संघीय आपात्कालीन सहायता अधिनियम (Federal Emergency Relief Act) पारित किया गया। इस अधिनियम के अधीन अल्प अवधि वाली ऋण की व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर समाज कल्याण हेतु संघीय उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था का निर्माण किया गया। हैरी एल हॉपकिन्स की अध्यक्षता में संघीय आपात्कालीन सहायता प्रशासन (Federal Emergency Relief Administration) की स्थापना की गयी।

संघीय आपात्कालीन सहायता अधिनियम के अन्तर्गत इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि सभी आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को उनकी न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने तथा उनकी यातनाओं को रोकने के लिए समुचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राज्यों तथा स्थानीय समुदायों को वित्तीय सहायता

प्रदान करने के लिए इस बात को अनिवार्य बना दिया गया कि वे कार्यक्रमों का अधीक्षण करने हेतु प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करें। एजेन्सियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी।

राबर्ट फेघनर के निर्देशन में मार्च, 1933 में आपातकालीन संरक्षण कार्यक्रम जिसे नागरिक संरक्षण कोर (Civil Conservation Copse) के नाम से जाना जाता है, प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवकों को राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण के कार्य में सम्मिलित करते हुए उन्हें अस्थायी सेवायोजन प्रदान करना तथा स्वस्थ वातावरण, समुचित भोजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना था।

जनवरी 1935 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह घोषणा की कि संघ रोजगार दिये जाने योग्य बेकारों के लिए एक कार्य सहायता संबंधी कार्यक्रम का उत्तरदायित्व ग्रहण करे और इसके परिणामस्वरूप मई 1935 में कार्य प्रगति प्रशासन (Work Progress Administration) की स्थापना की गयी। इस प्रशासन ने केन्द्रीकृत संघीय नियंत्रण के अधीन कार्यक्रम को प्रतिस्थापित किया। आपातकालीन सहायता विनियोग अधिनियम (Emergency Relief Appropriations Act) 1935 में पारित किया गया जिसके अधीन कार्य प्रगति प्रशासन (Work Progress Administration) हेतु आवश्यक कोष उपलब्ध कराये गये। 1939 में इस संगठन का नाम बदल कर कार्य परियोजना प्रशासन (Work Project Administration) कर दिया गया।

8. निर्धनता उन्मूलन काल

1961 के बाद प्रारम्भ होने वाले इस काल की प्रमुख विशेषता निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम हैं। अमरीका के समाज वैज्ञानिकों द्वारा इस बात को उजागर किये जाने के कारण कि अमरीकी समाज में भी निर्धनता है, इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ

और 1960 के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को चलाने के क्षेत्र में आगे आयी। निर्धनता को दूर करने की दृष्टि से समय-समय पर कानून बनाये गये। 1961 में क्षेत्र विकास अधिनियम 1962 में जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण अधिनियम तथा 1964 में आर्थिक अवसर अधिनियम पारित किये गये। आर्थिक अवसर अधिनियम निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसके अधीन युवा कार्यक्रम, नगरीय एवं ग्रामीण सामुदायिक क्रिया कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रम, सेवायोजन एवं निवेशों के लिए प्रलोभन कार्यक्रम तथा कार्य अनुभव संबंधी कार्यक्रम चलाये गये।

निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ काली प्रजाति के लोगों को भी विशेष संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। धनात्मक समर्थन (Positive Affirmation) का कार्यक्रम चलाते हुए काली प्रजाति के लोगों को कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार सेवायोजन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

भारत में समाज कार्य का इतिहास (History of Social Work in India)

मजूमदार,¹ मेहता,² गोरे,³ राजाराम शास्त्री,⁴ इत्यादि अनेक विद्वानों ने भारत में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से राजाराम मोहन राय के समय में भारतीय साहित्य में समाज पुधार तथा बाद में समाज कार्य का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम तथा गराठा काल के साहित्य में भी कहीं-कहीं समाज कल्याण सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्राचीनकालीन ग्रंथों का अध्ययन करने पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों की स्पष्ट झलक मिलती है और इसीलिए यह कहा जाता है कि भारतीय समाज में समाज कार्य की जड़े बहुत ही पुरानी हैं।⁵

भारत में समाज कल्याण के विकास का वर्णन निम्नलिखित श्रेणियों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है :

- 1 सामुदायिक जीवन काल
- 2 दान काल (भारतीय सामाजिक भू-भौतिकी के २२, १९७३, १९७४, १९७५, १९७६, १९७७, १९७८, १९७९, १९८०, १९८१, १९८२, १९८३, १९८४, १९८५, १९८६, १९८७, १९८८, १९८९, १९९०, १९९१, १९९२, १९९३, १९९४, १९९५, १९९६, १९९७, १९९८, १९९९, २०००, २००१, २००२, २००३, २००४, २००५, २००६, २००७, २००८, २००९, २०१०, २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८, २०१९, २०२०, २०२१, २०२२, २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९, २०३०, २०३१, २०३२, २०३३, २०३४, २०३५, २०३६, २०३७, २०३८, २०३९, २०४०, २०४१, २०४२, २०४३, २०४४, २०४५, २०४६, २०४७, २०४८, २०४९, २०५०)
- 3 धार्मिक सुधार काल
- 4 व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं संगठन काल

1. सामुदायिक जीवन काल

सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि इस अवधि में नगरीकरण उच्चतम सीमा पर था किन्तु दास प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान थी और इन दासों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके कल्याण के लिए भी व्यवस्था की जाती थी।

वैदिक काल में तीन प्रकार के सामाजिक कार्य स्पष्ट रूप से सम्पादित किये जाते थे। ये कार्य शासन, सुरक्षा तथा व्यापार से सम्बन्धित थे। इन कार्यों को सम्पादित करने वाले तीन वर्ग विद्यमान थे। इस युग में यज्ञ, हवन एवं दान का प्रचलन था। समाज के सभी सदस्य उत्पादन संबंधी कार्यों में भाग लेते थे और उनके सामूहिक श्रम के फलों को सभी सदस्यों में वितरित किया जाता था। यज्ञ जीवन तथा उत्पत्ति को बनाये रखने के लिए समुदाय की क्रियाओं का सकलन था। हवन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन होने वाले लाभों का व्यक्तिगत सदस्यों में वितरण था। दान प्रसन्नता के अवसरों पर समुदाय के सदस्यों में युद्ध से प्राप्त वस्तुओं का वितरण था। इस व्यवस्था में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व अन्य प्रत्येक व्यक्ति पर था।

वैदिक काल में विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों का उत्तरदायित्व शासकों, धनी व्यक्तियों तथा सामान्य

समुदाय के साधारण सदस्यों द्वारा आपस में बांट लिया जाता था। सभी लोग अपने साधनों के अनुसार अपने कार्य का पालन करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। ये कार्य मंदिरों एवं आश्रमों की स्थापना, उन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिए किये गए सम्पत्ति के समर्पण, सन्तों एवं महात्माओं के लिए मठों के निर्माण, घुमक्कड़ योगियों तथा मंदिरों एवं आश्रमों में रहने वालों के लिए भोजन, इत्यादि की आपूर्ति के रूप में किया जाता था।

बौद्ध काल में भी लोगों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने सड़के बनवायीं, ऊबड़-खाबड़ मार्गों को बराबर करवाया, बाघ बनवाये, पुलों का निर्माण कराया तथा तालाब खुदवाये और समाज में पायी जाने वाली परम्परावादी अनेक प्रकार की कुरीतियों का विरोध किया।

2. दान काल

धार्मिक प्रेरणा से समाज सेवाएँ प्रारम्भ हुईं। अनेक प्रकार के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य सम्पादित किये जाने लगे। उदाहरण के लिए, नहरें, तालाब तथा कुएँ खुदवाना, पेड़ लगवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला तथा आश्रम बनवाना, विद्यालय तथा चिकित्सालय स्थापित करना, इत्यादि, इन सभी कल्याणकारी कार्यों का उद्देश्य आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले मोक्ष तथा सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त करना था। अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाओं ने भी सार्वजनिक कल्याण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किये। अनेक धनवानों ने अपनी सम्पत्ति धार्मिक संस्थाओं को सौंप दी या ट्रस्ट बना दिये जिनके माध्यम से अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किये जाने लगे।

मुसलमानों के भारत में आने के बाद उनके द्वारा भारतीय सामाजिक व्यवस्था को इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार चलाने का प्रयास किया गया। इस्लाम की "जकात" एवं "खैरात" की अवधारणाओं को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई। भारतीय मुसलमान अपनी आय का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से निर्धनों एवं आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों

को प्रदान करते रहे हैं। इसी प्रकार से वे स्वैच्छिक रूप से अकिंचनो एवं निराश्रितों को खैरात के रूप में भिक्षा प्रदान करते रहे हैं। अनेक मुत्तलमान शासकों ने आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की समाज सेवाओं का प्रावधान किया। उदाहरण के लिए, रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सालय, बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थायें, यात्रियों के लिए बारादरियां एवं मुत्ताफिरखाने, इत्यादि। मस्जिद से सम्बद्ध मदरसों के रूप में कार्य करने वाली शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना मुत्तलमान समुदाय में अत्यधिक प्रचलित रहा है। इसके अतिरिक्त बूढ़ों, बीमारों और अपगों की सहायता संयुक्त परिवार करते रहे हैं।

अकबर के शासनकाल में अनेक प्रकार के समाज सुधार किये गये। अकबर ने दीन इलाही चलाया। उसने अपने राज्य को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया। दास प्रथा को समाप्त किया और यात्री कर तथा जजिया कर लगाया ताकि कल्याण संबंधी कार्य सम्पादित किये जा सकें। अकबर ने सती प्रथा के सम्बन्ध में भी यह आदेश दिया कि यदि कोई विधवा सती न होना चाहे तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। उसने द्विपत्नी विवाह पर रोक लगायी तथा विवाह के आयु की सीमा को बढ़ाया।

3. धार्मिक सुधार काल

1780 में बंगाल में सेरानपुर मिशन की स्थापना की गयी और धार्मिक प्रचारकों ने भारतीय जनता में यह प्रचार करना आरम्भ किया कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के विविध क्षेत्रों में, विशेष रूप से बाल विवाह, बहुविवाह, बालिकाओं की हत्या, सती प्रथा, विधवा विवाह सम्बन्धी निषेधों जैसे क्षेत्रों में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

चार्टर ऐक्ट, 1813 के अंतर्गत शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा किये जाने वाले कार्य को स्वीकृति प्रदान की गयी। ईसाई मिशनरियों द्वारा पाश्चात्य शिक्षा के

प्रसार पर बल दिया गया। अच्छी सेवाओं तथा ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भारतीयों की मनोवृत्ति में अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों यथा सती प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह पर निषेध, इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। यद्यपि सेरामपुर के मिशनरियों ने सती प्रथा के विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था फिर भी राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दिशा में आन्दोलन चलाया। राजा राम मोहन राय ने जातीय विभेदों एवं सती प्रथा को समाप्त करने की सलाह दी। एक धार्मिक प्रचारक, शिक्षा शास्त्री एवं समाज कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया। सती प्रथा के विरोध में उनका पहला लेख 1818 में प्रकाशित हुआ। उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि 1829 में लार्ड विलियम बैंटिंग द्वारा विनियमन अधिनियम (Regulatory Act) पारित करते हुए सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज की स्थापना की जो बाद में 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में हमारे सामने आया। ब्रह्म समाज द्वारा अकाल के शिकार लोगों के कल्याण, बालिकाओं की शिक्षा, विधवाओं की स्थिति में सुधार, जाति बंधनों के उन्मूलन तथा दान एवं संयम को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य किये गये। राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के रूप में द्वारिकानाथ टैगोर, देवेन्द्र नाथ टैगोर तथा केशव चन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को तीव्रगति से चलाया।

1894 में हिन्दू बालिकाओं के लिए पहली शिक्षा संस्था स्थापित की गयी। 1893 में केशव चन्द्र सेन ने महिलाओं की शिक्षा के कार्य को और आगे बढ़ाया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्ध करते हुए कि विधवा पुनर्विवाह हिन्दू धर्म ग्रन्थों में दिये गये निर्देशों के विरुद्ध नहीं है, इसके विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया और इन्हीं के अनवरत प्रयासों का, विशेष रूप से 1855 में सरकार से की गयी अपील, का परिणाम था कि कट्टरपंथी हिन्दुओं के कठोर विरोध के बावजूद 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ।

न्यायाधीश रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह के लिए घर्नाभूत प्रयास किये और 1861 में विधवा विवाह समिति (Widows' Marriage Association) की स्थापना की। उन्होंने 1870 में सार्वजनिक समाज की स्थापना में भी सहायता प्रदान की। शशीपदा बनर्जी ने भी महिलाओं की शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते हुए उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कथनी एवं करनी में कोई अन्तर नहीं था। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा से विवाह किया। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए उस समय प्रयास किए जबकि यह बात लोगों के मस्तिष्क में भी नहीं थी।

1872 में विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसके अधीन पुनर्विवाह तथा अन्तर्जातीय एवं अन्तर्साम्प्रदायिक विवाहों का प्रावधान किया गया तथा एक विवाह और वयस्कता की प्राप्ति होने पर ही विवाह किये जाने पर बल दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न जातियों एवं सम्प्रदायों के धार्मिक अनुष्ठानों एवं रीति रिवाजों का पालन किये बिना किये गये विवाहों को वैध करार देना था।

1875 में मूलशकर (स्वामी दयानन्द सरस्वती) द्वारा बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गयी।

1875 में सर सैयद अहमद खां ने जिनका अंग्रेजी शिक्षा में गहरा विश्वास था, अलीगढ़ में ऐंग्लो मोहम्मडन कालेज की स्थापना की जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आज भी विद्यमान है। उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए मोहम्मडन सोशल रिफार्मर नाम का एक पत्र भी निकाला। उन्होंने 1888 में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का प्रारम्भ किया।

1882 में पाण्डिया रमादाई जो भारत की एक ईसाई मिशनरी थी, ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की।

1881 में मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ऑल्कट ने मद्रास में

धियासाफिकल सोशायटी की स्थापना की। यह सस्था 1893 तक समाज सुधार एव समाज सेवा के क्षेत्र में तब तक कोई विशेष कार्य नहीं कर सकी जब तक कि श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने सक्रिय रूप से हिन्दू धर्म सिद्धान्तों को उजागर करना तथा अनुष्ठानों एव सस्कारों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना नहीं प्रारम्भ किया। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने बनारस में एक सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना भी की।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनन्य भक्त स्वामी विवेकानन्द ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो अनेक प्रकार की सेवाएँ आज भी प्रदान कर रहा है। यह मिशन "आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सेवा" के सिद्धान्त का आज भी अनुसरण कर रहा है।

धर्मनिरपेक्ष सुधार काल

ईसाई मिशनरियों ने निर्धनता की स्थिति का लाभ उठाकर निर्धनों के कल्याण के लिए सस्थायें खोलीं जिनका प्रमुख उद्देश्य सहायता प्रदान करना न होकर धर्म परिवर्तन करना था। बम्बई में 1830 के बाद ही एल्फिस्टन इन्स्टीट्यूट के अध्यापकों ने ऐच्छिक प्रयासों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। बाल गंगाधर शास्त्री जन्मेकर जो एल्फिस्टन इन्स्टीट्यूट से निकलने वाले पहले विद्यार्थी थे, के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कक्षाएँ प्रारम्भ की गयीं। कट्टर हिन्दुओं को इस बात के लिए प्रेरित करना प्रारम्भ किया गया कि वे धर्म परिवर्तन किये हुए हिन्दुओं को हिन्दू धर्म में पुनः दापस ले तथा विवाह से सम्बन्धित अनुष्ठानों एव सस्कारों को सरल बनायें।

1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। मार्क मण्डारकर, विन्तामणि चन्द्रावर्कर, नरेन्द्र नाथ सेन, इत्यादि व्यक्तियों ने समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया। 1880 में ऐलेन ऑक्टोवियन ह्यूम ने सम्पूर्ण देश में लोगों को समाज सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में लगे हुए समाज सेवियों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के विश्लेषण के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन का

निर्माण करने की आवश्यकता का अनुभव किया किन्तु लार्ड डफरिन के सुझाव पर ह्यूम इस संगठन की गतिविधियों में राजनीति को सम्मिलित करने के लिए भी तैयार हो गये और परिणामतः एक सामाजिक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किन्तु राजनीतिक मुद्दों के सर्वोपरि हो जाने के कारण सामाजिक मुद्दों की अवहेलना होने लगी और इसीलिए न्यायमूर्ति एम. जी. रानाडे ने इण्डियन सोशल कान्फ्रेन्स की स्थापना की जो देश में प्रबुद्धजनों को तैयार करने में सफल रही।

1887 में ससिपदा बनर्जी ने हिन्दू विधवाओं के लिए एक गृह की स्थापना की जिसका अनुसरण करते हुए बम्बई, मद्रास, इत्यादि नगरों में भी इस प्रकार के गृह स्थापित किये गये। प्रा. डी. के. कर्वे ने 1896 में पूना में एक विधवा गृह स्थापित किया। मद्रास में भी ऐसा ही विधवा गृह 1898 में स्थापित किया गया।

1897 में शंकरन नायर ने कांग्रेस अध्यक्ष से एक विशुद्ध धर्म निरपेक्ष सरकार की मांग की। 1904 में बम्बई के समाज सुधारकों के महत्व पर महिलाओं का विशेष सत्र आयोजित किया गया और यहीं पर उन बीजों का रोपण किया गया जो 20 साल बाद आल इण्डिया वीमन्स कान्फ्रेन्स के रूप में प्रस्फुटित हुए।

1905 में समाज सेवा में गम्भीर अभिरुचि रखने वाले गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोशायटी की स्थापना की। इस सोशायटी ने समाज के बहुमुखी विकास के साथ-साथ दलित वर्गों के उत्थान पर विशेष रूप से बल दिया। इस सोशायटी की गतिविधियों से जी.के. देवघर, एन.एम. जोशी, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री तथा पंडित एच.एन. कुन्जरू सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे। ए.वी. ठाकुर ने सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोशायटी के माध्यम से गुजरात की जनजातियों के विकास का कार्य प्रारम्भ किया।

डा. एनी बेसेण्ट तथा श्रीमती मार्गरेट कजिन्स ने महिला संगठनों

की स्थापना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनके प्रयासों से ही 1917 में वीमन्स इण्डियन एसोशियेशन की स्थापना हुई। इसके 8 साल बाद 1925 में महिलाओं का एक राष्ट्रीय संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ वीमन के नाम से सामने आया। इसके 2 साल बाद 1927 में ऑल इण्डिया वीमन्स कॉन्फ्रेंस का सत्र पूना में हुआ।

1920 में भारतीय समाज सेवा क्षितिज पर महात्मा गांधी का अभ्युदय हुआ। गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति का सुधार चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सर्वोदय (सबका कल्याण) की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने 'अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई' के स्थान पर 'सभी लोगों की अधिकतम भलाई' का विचार सामने रखा। वे साम्राज्य की स्थापना अर्थात् ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें प्रेम सर्वत्र व्याप्त हो और व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ विद्यमान हों। उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसके प्रमुख अंगभूत (1) साम्प्रदायिक एकता, (2) अस्पृश्यता निवारण, (3) मद्य निषेध, (4) खादी, (5) ग्रामोद्योग, (6) नई तालीम (बैसिक शिक्षा), (7) प्रौढ शिक्षा, (8) ग्राम स्वच्छता, (9) पिछड़ी जातियों की सेवा, (10) नारी उद्धार, (11) स्वास्थ्य एवं सफाई की शिक्षा, (12) राष्ट्रभाषा का प्रसार, (13) प्राकृतिक शिक्षा, (14) आर्थिक समानता से संबंधित कार्य, (15) किसानों, मजदूरों एवं युवकों के संगठनों की स्थापना, (16) निरन्तर आत्मिक उत्थान, (17) सर्वधर्म समभाव, तथा (18) शारीरिक श्रम सम्मिलित थे।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं संगठन काल

इस देश में व्यावसायिक समाज कार्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में वर्ष 1936 एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि 1936 में समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार के पारितोषिकपूर्ण कार्यों को करने के लिए अपेक्षित ज्ञान एवं निपुणताओं से उपयुक्त रूप से सुसज्जित करने हेतु प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करने के इरादे से सर

दोराब जी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अमरीकी मराठा मिशन के डा० किलफर्ड मैन्सहर्ट की सलाह पर अमरीका के समाज कार्य की शिक्षा संस्थाओं के प्रतिमान पर सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल आफ सोशल वर्क की स्थापना की। 1947 तक सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इस देश में व्यावसायिक समाज कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करती थी। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रश्नात काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा कालेज ऑफ सोशल सर्विस, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की स्थापना हुई। इसके बाद 1948 में डेलही स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापित किया गया। 1949 में समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

1951 में योजनाबद्ध विकास का युग प्रारम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यों का सृजन हुआ। 1953 में भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने एवं सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। जिसके द्वारा स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं को समाज कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाने लगी। परिणामतः समाज कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने की आवश्यकता और अधिक घनीभूत हुई और इसकी पूर्ति के लिए समाज कार्य का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई।

वर्तमान समय में समाज कार्य का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की संख्या 44 है। इन संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जा रहे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्रियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है :

दी गयी सर्टिफिकेट / डिप्लोमा एंव डिग्री	समाजकार्य प्रशिक्षण सस्थाओ की सख्या
स्नातक	4
परास्नातक	11
पी एच डी	13
डी लिट	1
परास्नातक डिग्री तथा परास्नातक डिप्लोमा	5
सर्टिफिकेट तथा परास्नातक डिप्लोमा	1
परास्नातक डिग्री, पी एच डी डिग्री तथा परास्नातक डिप्लोमा	2
स्नातक, परास्नातक तथा पी एच डी डिग्री और सर्टिफिकेट	1
स्नातक तथा परास्नातक डिग्री तथा सर्टिफिकेट	1
परास्नातक डिप्लोमा	2
स्नातक डिग्री तथा सर्टिफिकेट	1
स्नातक तथा परास्नातक डिग्री तथा सर्टिफिकेट एंव परास्नातक डिप्लोमा	1
<hr/>	
कुल योग	44

इनमे से कुछ स्नातक की डिग्री, कुछ सर्टिफिकेट तथा स्नातक की डिग्री दोनों तथा कुछ परास्नातक डिप्लोमा प्रदान कर रही है। इनमे से अधिकतर परास्नातक डिग्री दे रहे हैं। लगभग 1/3 सस्थाये पी-एच डी की उपाधि दे रही हैं। दो सस्थाये शोध के क्षेत्र मे डी लिट की उच्चतम उपाधि का भी प्रावधान करती है। इन विभिन्न समाज कार्य प्रशिक्षण सस्थाओ से प्रशिक्षित होकर आने वाले विद्यार्थियों का विवरण निम्नलिखित तालिका की सहायता से प्रदर्शित किया जा रहा है

भारत में 1950-51 से लेकर 1984 तक समाज कार्य में विभिन्न प्रकार की दी गयी डिग्रियां/डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट

वर्ष	डिग्रियां		डिप्लोमा/सर्टिफिकेट				
	स्नातक	परास्नातक	पी-एच डी	डी लिट	सर्टिफिकेट	डिप्लोमा	परास्नातक
1	2	3	4	5	6	7	8
1950-51	16	579**					
1952-56	52	548					
1957-61	129	1443					
1962-66	387	1717					
1967	123	378					
1968	129	427					
1969	112	430					
1970	147	409					
1971	151	459					
1972	144	542					
1973	230	573					
1974	238	466					
1975	223	676	98*				
1976	241	708	7				
1977	186	775	28	-	255	14	163
1978	276	678	18	-	289	40	44
1979	434	1051	18	-	60	79	40
1980	306	1224	18	-	169	34	69
1981	413	929	25	-	267	-	312
1982	395	994	20	-	226	-	329
1983	422	958	23	1	240	-	289
1984	456	992	22	-	207	-	200

*1950 से 1976 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं

**पूर्व वर्षों के आंकड़े सम्मिलित

स्रोत : महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रशिक्षण संस्थाओं तथा व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ व्यावसायिक संगठनों का भी विकास हुआ है ताकि व्यावसायिक मानदण्डों को विकसित एवं कार्यान्वित

किया जा सके और प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की अभिरुचियों का संरक्षण किया जा सके। प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं का संगठन बनाने का विचार सर्वप्रथम 1951 में डा. जे.एम. कुमारप्पा के मरिक्का में आया था जबकि जमशेदपुर में इण्डियन कान्फेन्स ऑफ सोशल वर्क का वार्षिक सत्र हो रहा था। जमशेदपुर में इण्डियन एसोसियेशन ऑफ अल्युम्नाई ऑफ द स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। इसकी वार्षिक बैठकें इण्डियन कान्फेन्स ऑफ सोशल वर्क की वार्षिक बैठकों के समय ही अलग से हो जाती थीं। यह सुसंगठित नहीं था तथा अनौपचारिक संगठन होने के कारण इसके सदस्यों के सम्बन्ध भी सुपारिभाषित नहीं थे। 1959-60 में इस संगठन को पुनः गतिशील बनाया गया। 1961 में इसके संविधान का संशोधन किया गया तथा 1962 में इसका पंजीकरण कराते हुए इसकी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में खोली गयीं तथा इसे इण्टर्नेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स से सम्बन्धित भी कराया गया। 1964 में इसका नाम बदलकर इण्डियन एसोसियेशन ऑफ ट्रेण्ड सोशल वर्कर्स कर दिया गया जिसका उद्देश्य समाज कार्य के व्यावसायिक मानदण्डों की स्थापना करना तथा प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक अभिरुचियों का संरक्षण करना था। दुर्भाग्य से प्रबन्ध मण्डल की निष्क्रियता के कारण यह संगठन मृतप्राय हो गया। 1960 में समाज कार्य शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए एसोसियेशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया की स्थापना की गयी।

इन संगठनों के अतिरिक्त विभिन्न समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर भी स्थानीय संगठनों का निर्माण किया गया है।

सन्दर्भ

- 1 Majumdar R C *Social Work in Ancient India* in A R Wadia (ed) *History and Philosophy of Social Work in India* Allied Publishers Bombay 1968
- 2 Mehta B N *Historical Development of Social Work in India* Indian Journal of Social Work Vol. 13 June 1952

- 3 Gore, M S , *Historical Background of Social Work in India*, in *Social Welfare in India*, Planning Commission, Govt. of India, New Delhi, 1955
- 4 Shastri, R R *Social Work Tradition in India*, Welfare Forum and Research Organization Varanasi, 1965
- 5 Banerjee, G R , *Social Welfare in Ancient India* in *Papers on Social Work An Indian Perspective*, Tata Institute of Social Sciences, Bombay, 1972
- 6 Natrajan, S A, *Century of Social Reform in India*, Asia Publishing House New Delhi, 1962

समाज कार्य दर्शन (PHILOSOPHY OF SOCIAL WORK)

दर्शन सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धान्तों और धारणाओं की व्याख्या करता है। यह सामाजिक जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाता है तथा व्यक्ति, समाज, आदि के आदर्शों तथा नैतिक व्यवहारों की व्याख्या करता है। दर्शन सामाजिक संबंधों के सर्वोच्च आदर्श का निरूपण करता है। समाज कार्य का अस्तित्व व्यक्ति की भलाई में निहित है। इसका मूलाधार ही मानवतावादी है, लेकिन मानवतावादी विचार सिद्धान्तों तथा तथ्यों पर आधारित है। समाज कार्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग जन कल्याण के लिए करता है।

1. दर्शन क्या है?

लियोनार्ड (Leonard)' के अनुसार "दर्शन विश्व के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रत्यात्मक अभिव्यक्ति से अधिक कुछ और है। आदर्शात्मक रूप के अतिरिक्त यह मनुष्य-मनुष्य के बीच तथा मनुष्य व सम्पूर्ण जगत के बीच सम्बन्धों की मूल सत्यताओं का निरूपण करता है। मानव विज्ञानों को वैज्ञानिक होने के लिए दार्शनिक होना होगा।"

समाज कार्य मानव जीवन को अधिक सुखमय तथा प्रकार्यात्मक बनाने का संकल्प रखता है। अतः बट्रिम (Butrym) का मत है कि समाज कार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक है।² परन्तु यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब समाज कार्य उन विश्वासों पर आधारित हो जो सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी संदर्भ

मे समाज कार्य दर्शन का वर्णन किया जा रहा जिसमे समाज कार्य के प्रत्ययो, मनोवृत्तियों तथा मूल्यों का निरूपण किया जायेगा।

II समाज कार्य के मूल प्रत्यय (Basic concepts of social work)

समाज कार्य के निम्नलिखित प्रत्यय महत्वपूर्ण हैं

1. व्यक्ति का प्रत्यय (Concept of individual)

जान्सन³ का मत है कि समाज कार्य व्यक्ति के अन्तर्निहित महत्व (Inherent Worth), सत्यनिष्ठा (Integrity) तथा गरिमा (Dignity) के प्रति आस्था रखता है। इस प्रत्यय को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता सम्वन्ध स्थापित करता है तथा समस्या समाधान करने का प्रयास करता है। कार्यकर्ता यह विश्वास भी रखता है कि व्यक्ति समग्रता में प्रतिक्रिया करता है तथा उसकी बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः उनका व्यवहार भी भिन्न-भिन्न होता है। उसके वैयक्तिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं और वह संपूर्ण पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसको अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है। समाज कार्य में इन्हीं बिन्दुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा ये ही समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य का मार्ग निर्देशन करते हैं।

2. व्यवहार का प्रत्यय (Concept of behaviour)

व्यवहार का तात्पर्य व्यक्ति के बाह्य पर्यावरण के प्रति किये गये प्रत्युत्तर से है। व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रत्युत्तर करता है। प्रत्येक क्षण व्यक्ति को आन्तरिक तथा बाह्य प्रेरक, आवश्यकताएँ तथा सामाजिक पर्यावरण प्रभावित करते हैं जिसके कारण उस पर दबाव पड़ता है। फलतः उसे तनाव एवं चिंता की अनुभूति होती है। इस चिंता को कम करने तथा तनाव को हटाने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है उसे उस व्यक्ति का व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहार के अन्तर्गत एक समय में व्यक्ति द्वारा

किये गये समस्त सवेग, विचार, दृष्टिकोण तथा कार्य आते हैं। मानव व्यवहार अनेक सिद्धान्तों पर आधारित है जिनमें निम्न प्रमुख हैं

- (1) सभी प्रकार का व्यवहार अर्थपूर्ण होता है।
- (2) व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति उसके व्यवहार को प्रभावित करती है।
- (3) अतीत में प्राप्त किए गए अनुभव व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- (4) सामाजिक पृष्ठभूमि व्यवहार के ढंग को प्रभावित करती है।
- (5) वंश परम्परा की विशेषताओं का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।
- (6) व्यवहार चेतन व अचेतन दोनों प्रकार का होता है।
- (7) वर्तमान दशाओं का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।
- (8) भावी आशाओं का भी व्यवहार में महत्वपूर्ण स्थान है।
- (9) सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है।
- (10) नवीन तथ्यों की जानकारी के पश्चात् व्यवहार बदलता भी रहता है।

समाज कार्यकर्ता व्यवहार के इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर ही अपनी भूमिका संपादित करता है।

3. समस्या का प्रत्यय (Concept of problem)

जब एक व्यक्ति पहले से सीखी हुई आदतों, सम्प्रेरणाओं तथा नियमों की सहायता से उद्देश्य पर पहुँच नहीं पाता है, तब समस्या की स्थिति उत्पन्न होती है। समस्या उस समय भी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति एक उद्देश्य तो रखता है, परन्तु यह नहीं जानता है कि उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाये। समस्या किसी एक या एक से अधिक आवश्यकता से सम्बन्धित होती है जो व्यक्ति के जीवन में व्यवधान एवं कष्ट उत्पन्न करती है। समस्या किसी दबाव (शारीरिक,

मनोवैज्ञानिक, सामाजिक) के रूप में भी हो सकती है जो सामाजिक भूमिका पूरी करने में बाधा उत्पन्न करती है। समस्या के अनेकानेक रूप होते हैं तथा इसकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। यह सदैव श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रतिक्रिया करती है। कोई भी समस्या जिससे व्यक्ति ग्रसित होता है वस्तुगत(बाह्य) तथा विषयगत(आन्तरिक) दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। समस्या के बाह्य तथा आन्तरिक तत्व न केवल एक साथ घटित होते हैं बल्कि इनमें से कोई भी एक दूसरे का कारण हो सकता है। समस्या की प्रकृति कैसी भी हो लेकिन सेवार्थी की प्रतिक्रियाओं का प्रभाव समस्या समाधान पर अवश्य पड़ता है।

समाज कार्यकर्ता में समस्या समाधान के लिए निम्न योग्यताएँ होनी आवश्यक होती हैं

- (1) समस्या के तथ्यों का पूर्ण ज्ञान
- (2) समस्या के सभी तत्वों के अन्तर्सम्बन्धों का ज्ञान
- (3) तत्वों को व्यवस्थित करने की योग्यता तथा विकास की गति का ज्ञान
- (4) परिस्थिति का उचित प्रत्यक्षीकरण
- (5) पूर्व अनुभवों का उचित उपयोग
- (6) सम्प्रेरणाओं की जटिलता तथा इनके प्रकार का ज्ञान

समाज कार्य का दृढ़ विश्वास है कि समस्या सभी व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। परन्तु जो व्यक्ति समाधान कर लेता है, वह सेवार्थी नहीं बनता। अतः समाधान करने की क्षमता का विकास व्यक्ति में सन्निहित है।

4. सम्बन्ध का प्रत्यय (Concept of relationship)

सम्बन्ध एक प्रत्यय है जो मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों में प्रकट होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लघुकालीन, दीर्घकालीन, स्थायी अथवा अस्थायी सामान्य अभिरुचियों एवं भावनाओं

के साथ अन्त क्रिया करते हैं। सामाजिक एव सावेगिक होने के नाते मनुष्य दूसरो के साथ सम्बन्धो, उनकी वृद्धि एव विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ उसका सम्पूर्ण समायोजन भी इसकी परिधि क्षेत्र मे आ जाता है। बीस्टेक (Biestek)⁴ ने सम्बन्ध के इन तत्वों का उल्लेख किया है भावनाओ का उद्देश्यपूर्ण प्रगटन, नियंत्रित सावेगिक भागीकरण (Involvement), स्वीकृति, वैयक्तीकरण, अनिर्णायक मनोवृत्ति, आत्म निश्चयीकरण तथा गोपनीयता।

5. भूमिका का प्रत्यय (Concept of role)

सामाजिक सास्कृतिक व्यवस्था मे व्यक्ति अपनी आयु लिंग, जाति, प्रजाति एव व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर जिस स्थिति को प्राप्त करता है उसे उसकी प्रस्थिति (Status) कहा जाता है और प्रस्थिति के सदर्थ मे सामाजिक परम्परा, प्रथा, नियम एव कानून के अनुसार कार्य करने होते हैं, वह उसकी भूमिका (Role) होती है। लिटन का मत है कि प्रत्येक स्थिति का एक क्रियापक्ष होता है, इस क्रिया पक्ष को ही भूमिका कहते हैं। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को कुछ करना होता है, उसी को भूमिका कहा जाता है।⁵

जब व्यक्ति की प्रेरणाये एव क्षमताये उसकी अपेक्षित भूमिका के अनुकूल नही होती हैं तो उसका अनुकूलन नही हो पाता है और उसे दाह्य सहायता की आवश्यकता होती है।

6. अह का प्रत्यय (Concept of ego)

अह मस्तिष्क का वह भाग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखता है। व्यक्ति मे ऐसी अनेक मूल प्रवृत्तिया होती हैं जो सन्तुष्ट होने के लिए चेतन मे आने का प्रयत्न करती हैं, परन्तु अह ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उन्हे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नही होती है।

अह की शक्ति (Ego Strength) की असफलता की अवस्था में व्यक्ति अतार्किक एवं अचेतन सुरक्षात्मक उपायो (Defence Mechanisms) का प्रयोग अह की सुरक्षा के लिए करता है। इस प्रकार की युक्तियों द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार को तार्किक बनाता है और समाज द्वारा अस्वीकृत उत्प्रेरकों को सही मानता है। वह अह की रक्षा के लिए प्रक्षेपण, प्रतिगमन, अस्वीकृति, स्थानापन्न, प्रतिक्रिया निर्माण, आदि युक्तियों का प्रयोग सचेतन रूप से करता है।

कार्यकर्ता सेवार्थी के समाज द्वारा स्वीकृत अनुकूलन के ढंगों तथा अतार्किक सुरक्षात्मक उपायों द्वारा अनुकूलन में अन्तर स्पष्ट करता है। वह सेवार्थी की अह शक्ति का मूल्यांकन करता है तथा वर्तमान स्थितियों का सेवार्थी की दृष्टि से मूल्यांकन करता है। कार्यकर्ता अह की कार्य प्रणाली तथा कार्यात्मकता के अध्ययन तथा निदान द्वारा सेवार्थी की शक्ति, विचार पद्धति, प्रत्यक्षीकरण, मनोवृत्ति, आदि की जानकारी प्राप्त करता है। इस ज्ञान के आधार पर उसे चिकित्सा प्रक्रिया निश्चित करने में सुविधा होती है।

7. अनुकूलन का प्रत्यय (Concept of adaptation)

व्यक्ति को दो कारणों से तनावपूर्ण स्थिति का अनुभव होता है :

- (1) पहले अपनाए गए तथा अभ्यस्त ढंगों के द्वारा परिवर्तित स्थिति की माँगों से सम्बन्धित भूमिकाओं का प्रतिपादन न हो पाना।
- (2) व्यक्तिगत सम्प्रेरणों एवं क्षमताओं में परिवर्तन होने की स्थिति में पहले की भूमिकाओं को पूरा करने में व्यक्तिगत असन्तुलन होना।

व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति से तीन प्रकार से अनुकूलन करता है

- (1) प्रयोग में लाए गए तथा पूर्व निश्चित ढंगों के उपयोग द्वारा।
- (2) कल्पना की उड़ान द्वारा।
- (3) उदासीनता, मानसिक उन्मुखता, प्रत्याहार, अगतिमानता अथवा अतिसक्रियता द्वारा।

व्यक्ति सबसे पहले अपनी समस्या का समाधान अपने पहले प्रयोग में लाए गए ढंगों एवं प्रयुक्त प्रविधियों द्वारा करने का प्रयत्न करता है। यदि इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह या तो सघर्ष करता है या अपने को उस स्थिति के अनुकूल बना लेता है अथवा उस स्थिति से दूर होने का प्रयत्न करता है। यदि ये तरीके भी असफल हो जाते हैं तो वह समस्या के प्रति उदासीन होकर मानसिक रोगी बन जाता है।

समाज कार्य सेवार्थी की अनुकूलन करने की प्रविधियों की शक्तियों, क्षमताओं, प्रभावों, आदि को महत्व देता है। सेवार्थी में अनुकूलन करने की क्षमता सामाजिक पर्यावरण से समायोजन करने की स्थिति को प्रभावित करती है। वह यह निश्चित करता है कि सेवार्थी तनावपूर्ण स्थिति को किस प्रकार सुलझाने का प्रयत्न करता है तथा अपने प्रयत्नों को किस सीमा तक परिवर्तित करता है, और उसकी कठिनाई एवं समस्या को कितनी जल्दी दूर किया जा सकता है। कार्यकर्ता यह जान लेने के पश्चात् दो प्रकार के प्रयत्न करता है यह या तो व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों को सम्बल प्रदान करते हुए अनुकूलन सम्भव बनाता है या फिर सामाजिक परिस्थिति में ही परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

III समाज कार्य के मौलिक मूल्य (Basic values of social work)

समाज कार्य का उद्देश्य मानव कल्याण करना है। यह कल्याण कार्य तभी सम्भव हो सकता है जब वह सामाजिक मूल्यों को अपनी क्रियाविधि में समाहित करे, क्योंकि मूल्य ऐसे सामाजिक प्रतिमान लक्ष्य तथा आदर्श होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों तथा व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यों के आधार पर ही मनुष्य के सामाजिक जीवन की शैली का निर्धारण होता है तथा अन्त क्रियाएँ सम्भव होती हैं।

जान्सन^६ (Johnson) के अनुसार मूल्यों को एक सांस्कृतिक या केवल वैयक्तिक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वस्तुओं की एक-दूसरे के सन्दर्भ में तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है, उन्हें सापेक्ष रूप से अपेक्षित या उपेक्षित, अधिक या कम, बुद्धिमत्तापूर्ण या मूर्खतापूर्ण, अधिक या कम सही माना जाता है।

मुकर्जी^७ के मत में "मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाये तथा लक्ष्य हैं जिनका अभ्यन्तरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो विषयात्मक प्रतिष्ठा, उद्देश्य एवं आकांक्षाये बन जाते हैं।"

कॉस^८ के अनुसार "मूल्य को किसी वस्तु, अवधारणा, सिद्धान्त, क्रिया अथवा परिस्थिति के विषय में किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के बौद्धिक एवं सवेगात्मक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।"

प्रत्येक व्यवसाय में जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित है कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होते हैं और इन मूल्यों के आधार पर ही वह व्यवसाय अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि वे सामाजिक सन्तुलन बनाये रखते हैं, व्यवहारों में एकता लाते हैं, जीवन के मनोवैज्ञानिक आधार निश्चित करते हैं, निश्चित व्यवहार प्रदान करते हैं, भूमिका का निर्धारण करते हैं तथा सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के मूल्यांकन को सम्भव बनाते हैं।

समाज कार्य के मूल्य

कॉस^९ ने समाज कार्य के 10 प्राथमिक मूल्यों का उल्लेख किया है:

- (1) मनुष्य की महत्ता तथा गरिमा, (2) मानव प्रकृति में पूर्ण मानवीय विकास की क्षमता, (3) मतभेदों के लिए सहनशीलता, (4) मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि, (5) स्वाधीनता में विश्वास, (6) आत्म निर्देशन, (7) अनिर्णायक प्रवृत्ति, (8) रचनात्मक सामाजिक

सहयोग (9) कार्य का महत्त्व तथा रिक्त समय का रचनात्मक उपयोग (10) मनुष्य एव प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए खतरों से अपने अस्तित्व की रक्षा।

कोनोपका (Konopka)¹⁷ ने समाज कार्य के 2 प्राथमिक मूल्यों का उल्लेख किया है

- (1) प्रत्येक व्यक्ति का आदर तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास का अधिकार।
- (2) व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता तथा एक-दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व।

सयुक्त राष्ट्र¹⁸ ने समाज कार्य के निम्न दार्शनिक एव नैतिक मूल्यों एव मान्यताओं का उल्लेख किया है

- (1) किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि (स्थिति, जाति, धर्म राजनैतिक विचारधारा) तथा व्यवहार को ध्यान में रखे बिना उसके महत्त्व मूल्य या योग्यता को मान्यता प्रदान करना तथा मानव प्रतिष्ठा एव आत्म-सम्मान को प्रोत्साहित करना।
- (2) व्यक्तियों, वर्गों एव समुदाय के विभिन्न मतों का आदर करने के साथ-साथ जन कल्याण के साथ उनका सामन्वय स्थापित करना।
- (3) आत्म-सम्मान एव उत्तरदायित्व पूरा करने की योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से स्वावलम्बन को प्रोत्साहित करना।
- (4) व्यक्तियों वर्गों अथवा समुदायों की विशेष परिस्थितियों में सतोषमय जीवन निर्वाह करने हेतु समुचित अवसरों में वृद्धि करना।
- (5) समाज कार्य के ज्ञान एव दर्शन जो मानवीय इच्छाओं एव आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उपलब्ध है के अनुरूप अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण एव अपनी कार्य क्षमता का सदुपयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके।

- (6) व्यावसायिक सम्बन्धों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- (7) सेवार्थियों (व्यक्ति, समूह या समुदाय) को अधिक स्वतंत्र एवं आत्म निर्भर बनाने में सहायता देने के लिए इन सम्बन्धों का उपयोग करना।
- (8) यथासम्भव विषयात्मकता एवं उत्तरदायित्व के साथ व्यवसायिक सम्बन्धों का उपयोग करना।

मिर्जा आर अहमद" ने समाज कार्य के निम्नलिखित मूल्यों का उल्लेख किया है

- (1) समाज कार्य आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के अधिक समतावादी ढंगों की सहायता से पुनर्वितरण में विश्वास करता है।
- (2) समाज कार्य उत्पादन की सामाजिक व्यावहारिकता पर विश्वास करता है तथा उत्पादन को सामाजिक उद्देश्य के अधीन मानता है।
- (3) संगठित श्रम का सामुदायिक जीवन में सकारात्मक योगदान होता है तथा उसे ध्वन्सात्मक शक्ति के रूप में न मानकर रचनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
- (4) समाज कार्य का विश्वास है कि आर्थिक भूमिका प्रदत्त प्रस्थिति (ascribed status) के आधार पर न होकर उपलब्धि के मानक के आधार होनी चाहिए।
- (5) समाज कार्य आर्थिक असन्तुलन को समाप्त करने में काले धन के स्रोतों को बन्द करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के आक्रमण से बचाने तथा निष्कपट एवं निश्चल प्रयासों द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना करने में विश्वास रखता है।
- (6) समाज कार्य सामाजिक नियोजन में विश्वास रखता है जिसे समाजवादी अर्थ व्यवस्था द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु किया जाता है।
- (7) समाज कार्य ऐसे सेवारत राज्य में विश्वास करता है जिसका

मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हा तथा जो व्यक्ति के सरक्षण को मौलिक प्रजातांत्रिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करता है।

- (8) समाज कार्य सचयात्मक मूल्यों के स्थान पर वितरक (Distributive) मूल्यों में विश्वास रखता है।
- (9) समाज कार्य सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है।
- (10) समाज कार्य वितरक न्याय (Distributive Justice) में विश्वास करता है जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामाजिक योगदान के अनुपात में ही प्रतिफल (Return) मिले।
- (11) समाज कार्य धार्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक विचारधाराओं की प्रतिबद्धता में विश्वास रखता है।
- (12) समाज कार्य आधुनिकीकरण में विश्वास रखता है।

IV समाज कार्य दर्शन (Social work philosophy)

हर्बर्ट बिस्नो² (Herbert Bisno) ने समाज कार्य के दर्शन का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने समाजकार्य दर्शन को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है— व्यक्ति की प्रकृति के सन्दर्भ में, समूहों, व्यक्तियों एवं समूहों और व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों के सन्दर्भ में, समाज कार्य की प्रणालियों एवं कार्यों के सन्दर्भ में, सामाजिक कुसमायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में।

1. व्यक्ति की प्रकृति के सन्दर्भ में

- (1) व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण ही मूल्यवान है।
- (2) मानवीय पीड़ा अवाच्छनीय है अतः इसको दूर किया जाना चाहिए अन्यथा जहाँ तक संभव हो कम किया जाना चाहिए।
- (3) समस्त मानव व्यवहार जैविकीय अथवा तथा उसके पर्यावरण के बीच अन्तःक्रिया का परिणाम है।

- (4) मनुष्य सम्भवत विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता है।
- (5) जन्म के समय मनुष्य अनैतिक तथा असांभाजिक होता है।
- (6) मानव आवश्यकताये वैयक्तिक एव सामाजिक दोनों प्रकार की होती हैं।
- (7) मनुष्यो मे महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। अत उन्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।
- (8) मानव सम्प्रेरण जटिल एव अस्पष्ट होती है।
- (9) व्यक्ति के प्रारम्भिक विकास मे पारिवारिक सम्बन्धो का प्राथमिक महत्व होता है।
- (10) सीखने की प्रक्रिया मे अनुभव एक आवश्यक पहलू है।

2. समूहो, व्यक्तियो एवं समूहो और व्यक्तियो के परस्पर सम्बन्धो के संदर्भ मे

- (1) समाज कार्य हस्तक्षेप न करने की नीति (Laissez Faire) तथा सबसे अधिक उपयुक्त के जीवित रहने (Survival of the Fittest) के सिद्धांत को नहीं मानता है।
- (2) यह आवश्यक नहीं है कि धनी तथा शक्तिशाली व्यक्ति ही योग्य हो तथा निर्धन एवं दुर्बल व्यक्ति अयोग्य हो।
- (3) सामाजिकृत व्यक्तिवाद (Socialised Individualism) विषम व्यक्तिवाद (Rugged Individualism) की अपेक्षा अच्छा है।
- (4) सदस्यो के कल्याण का मुख्य उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है।
- (5) सामाजिक सेवाओ पर समुदाय के सभी वर्गों का समान अधिकार है। समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह बिना भेदभाव के अपने सभी सदस्यों की कठिनाइयो का निराकरण करे।
- (6) केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह स्वास्थ्य,

आवास, पूर्ण रोजगार, शिक्षा तथा अन्य विविध प्रकार से जन कल्याण एव सामाजिक बीमा योजना सम्बन्धी कार्यक्रमो को लागू करे।

- (7) जन सहायता आवश्यकता की अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए।
- (8) संगठित श्रम का सामुदायिक जीवन में सक्रिय योगदान होता है तथा उसकी शक्ति को विध्वसात्मक न मानकर रचनात्मक मानना चाहिए।
- (9) सम्पूर्ण समानता एव पारस्परिक सम्मान के आधार पर सभी प्रजातियो एवं प्रजातीय समूहो में सम्पूर्ण सहयोग होना चाहिए।
- (10) स्वतंत्रता एव सुरक्षा में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है।

3. समाज कार्य की प्रणालियो एव कार्यों के सदर्थ में

- (1) समाज कार्य का दृष्टिकोण द्विमुखी है। एक ओर समाज कार्य व्यक्तियों को संस्थागत समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है तो दूसरी ओर वह इस संस्थागत समाज के आवश्यक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयास भी करता है।
- (2) मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को ही आवश्यक साधन माना जाता है।
- (3) सामान्यतया एक सक्षम व्यक्ति अपने हितों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। उसे स्वयं निर्णय लेना चाहिए तथा समस्या का निराकरण करना चाहिए।
- (4) व्यवहार में सुधार एव सामाजिक विकास के लिए वातावरण के परिवर्तन एव अन्तर्दृष्टि के विकास पर विश्वास रखता है न कि आदेश, निर्णय, अथवा प्रबोधन में।
- (5) समाज कार्य जनतंत्र को एक प्रणाली के रूप में मानता है।

4. सामाजिक कुसमायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में

- (1) हमारी सस्कृति में गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कुसमायोजन है।
- (2) क्रमिक विकास द्वारा किया गया सुधार हमारे समाज के लिए प्रासंगिक एवं वाछनीय है।
- (3) सामाजिक नियोजन आवश्यक है।

V समाज कार्य का भारतीय दर्शन

(Indian philosophy of social work)

भारत के इतिहास का यदि हम अवलोकन करें तो पता चलता है कि समाज के निर्माण के साथ-साथ समाज सेवा के कार्य चलते रहे हैं। गरीबों, असहायों तथा अपंगों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। वैदिक काल में सामुदायिक जीवन का विकास हुआ तथा सामूहिक सम्पत्ति की परम्परा टूटी। ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में पुरोहित को एक कुशल समाज कार्यकर्ता के रूप में माना गया। उपनिषदों एवं प्राचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि प्राचीन समय में दान देना, धर्मशालाएँ बनवाना, सड़के बनवाना तथा दीन-दुखियों की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता था। व्यक्ति को सदैव महत्व दिया गया तथा उसकी पीड़ा को दूर करने के निरन्तर प्रयास होते रहे। सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य रामायण, महाभारत, गीता, आदि से पता चलता है कि इस काल में व्यक्ति तथा समुदाय की भौतिक सहायता ही केवल सेवार्थी की सेवा नहीं थी। क्योंकि इससे हीनता एवं आश्रितता की भावना बनाने का भय था इसीलिए उन्हें किसी न किसी उद्योग में लगाना भी कर्तव्य समझा जाता था।

बौद्ध काल में समाज कार्य के भारतीय दर्शन की एक झलक मिलती है। विद्यार्थियों को अपने जीवन यापन के लिए स्वयं साधन

दूढ़ने होते थे। विद्या दान पर विशेष बल दिया जाता था। युवको में धार्मिक मनोवृत्ति के विकास के लिए अनेक मठों, मन्दिरों तथा धार्मिक सरथाओं की स्थापना की गयी थी। इस शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सम्बन्धों में सुधार करना तथा उन्हें सुदृढ बनाना था।

अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारको ने समाज कार्य के मूल्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। जाति प्रथा तथा भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। राजा राममोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, शशिपदा वैदर्जी, महादेव गोविन्द रानाडे ने अनेक सराहनीय प्रयास किये। अनेक सरथाओं जैसे ब्रह्म समाज आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इत्यादि ने सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन लाने तथा सामाजिक सम्बन्धों में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक कार्य किये।

बीसवीं शताब्दी में गांधी जी के कार्यों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अतः समाज कार्य के संदर्भ में गांधी दर्शन को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। समाज कार्य के आधुनिक प्रत्यय 'समाज कार्य मनो-सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की इस प्रकार सहायता करता है कि वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें' ने गांधी जी के नेतृत्व में पर्याप्त सामाजिक स्वीकृति प्राप्त की। अपना तथा दूसरों का आदर एवं सम्मान (Respect for self and others) समाज कार्य में सभी प्रकार के सम्बन्धों का आधार है। गांधी जी ने मानव प्रतिष्ठा पर जोर दिया और उसकी प्राप्ति के लिए देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया क्योंकि परतन्त्रता की स्थिति में आत्म सम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

गांधी जी ने अपने आन्दोलन में कभी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं आने दिया। उनके कार्यों, भाषणों तथा व्याख्यानो में सदैव जाति एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना का स्वप्न झलकता था। गांधी जी के लिए लोग महत्वपूर्ण थे, न कि

उनकी जाति, धर्म तथा पृष्ठभूमि। उन्होंने कभी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारको के आधार पर लोगों को समझने तथा उनकी सहायता करने का प्रयत्न नहीं किया। गांधी जी का मत था कि किसी को भी दूसरो पर अपना मत अथवा विचार नहीं थोपना चाहिए। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि लोग अपने मन से ही अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करेगे, दूसरो के विचार उन पर प्रभाव नहीं डाल सकते।

गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि स्वयं अपनी सहायता सबसे अच्छी सहायता है। लोग तभी सक्रियता एवं पूर्ण आस्था के साथ काम करेगे जब वे नियोजन एवं कार्यक्रमो में भाग लेंगे। गांधी जी चाहें हरिजनो के साथ कार्य करते थे या महिलाओ के, उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करते थे तथा उन्हें यह अनुभव कराने का प्रयत्न करते थे कि उनकी भलाई उन्हीं में निहित है।

गांधी जी ने आत्म-अनुशासन (Self-discipline) को जीवन की शैली माना तथा इसका उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास भी किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि नैतिक शक्ति के द्वारा बड़े से बड़े साम्राज्य से टक्कर ली जा सकती है और उसे हराया भी जा सकता है। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा (Truth and Non-violence) न केवल व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं बल्कि समूहो, समुदायो तथा राष्ट्रों के विकास के आधार भी है। उनका विचार था कि लक्ष्य साधनो के औचित्य को सिद्ध नहीं करते हैं (Ends do not justify means) बल्कि साधन स्वयं महत्वपूर्ण हैं।

गांधी जी ने समाज कल्याण को "सर्वोदय" के रूप में समझा जिसका तात्पर्य सभी क्षेत्रों में सभी का कल्याण है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय समाज के निर्बल एवं दुर्बल वर्ग के कल्याण पर विशेष बल दिया। इसीलिए उन्होंने रचनात्मक कार्यों का शुभारम्भ किया। गांधी जी ने सामाजिक बुराइयो को दूर करने के लिए जन आन्दोलन छेडा। उन्होंने जनमत तैयार किया तथा जन साधारण के स्तर से कार्यक्रमो को प्रारम्भ किया।

गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे। वे अपरिग्रह में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने न्यासधारिता (Trusteeship) के सिद्धान्त में यह प्रतिपादित किया कि जिन लोगों के पास अपनी तथा अपने आश्रितों की आवश्यकता की पूर्ति से अधिक धन/वस्तुएँ हैं उन्हें आवश्यकताग्रस्त लोगों की धरोहर के रूप में अपने पास रखना चाहिए और इससे सहायता की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों की तुरन्त सहायता करनी चाहिए।

गांधी जी का दर्शन "श्रम की महत्ता" (Dignity of labour) पर आधारित है जो कि समाज कार्य दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है। उनका श्रम की महत्ता में अटूट विश्वास था तथा उनका यह मत था कि जीविकोपार्जन का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, और इसे साकार करने का वे सदैव प्रयत्न करते रहे। उन्होंने अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास कभी भी नहीं किया। उनका यह प्रयास था कि लोगों में जागृति आवे जिससे वे स्वयं परिवर्तन का प्रयास करें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी ने भारत में व्यावसायिक समाज कार्य की नींव डाली।

सन्दर्भ

- 1 Leonard P Social Work - Science or Mystique National Institute of Social Work, U S A. 1969
- 2 Butrym, Zofia T The Nature of Social Work, Mac Millan Press Ltd London 1976, p 42
- 3 Johnson A Development of Basic Methods of Social Work Practice and Education Social Work Journal Vol 36 No 3 1955 p 104
- 4 Biestek F P The Casework Relationship Loyola University Press Chicago 1957 p 11
- 5 Linton R, The Cultural Background of Personality Appleton Century Crafts, Inc New York 1945 p 264
- 6 Values may be defined as a conception of a standard cultural or merely personal, by which things are compared and approved or disapproved in relation to one another held to be relatively desirable or undesirable

more mentonous or less, more or less correct

Johnson, H M , Sociology A systematic Interpretation, Macmillan Co , London, 1961, p 49

- 7 Values are socially approved desires and goals that are internalized through the process of conditioning, learning, socialization and that become subjective preferences, aims and aspirations

Mukerjee, R K , The Frontiers of Social Sciences B Singh, (ed) Macmillan Co , London, 1956, p 3

- 8 Kohs, S C , The Roots of Social Work, Association Press, New York, 1966, p 62

- 9 Ibid, p 64

- 10 Konopka, G , Edward C Lindman and Social Work Philosophy The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1958, p 178

- 11 United Nations, Training for Social Work - Third International Survey, Dept. of Economics and Social Affairs, New York, 1958, pp 194-195

- 12 Ahmad, M R , Perspectives on Social Work Philosophy, in Singh S and Soodan, K.S (ed), Horizons of Social Work. Jyotsna Publications, Lucknow, 1985, pp 38-66

- 13 Bisno, Herbert, The Philosophy of Social Work, Public Affairs Press, Washington, D C , 1953, pp 5-111

एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य (SOCIAL WORK AS A PROFESSION)

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो बज्जानक ज्ञान एव मानव सम्बन्धों की निपुणता पर आधारित है। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह या समुदाय में सहायता करता है ताकि वे सामाजिक व वैयक्तिक सतुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। फ्रीडलैण्डर ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज कार्य एक व्यवसाय है। सामान्यतया व्यवसाय के अन्तर्गत औषधि, कानून, प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हैं और समाज कार्य ने यह रूप किस प्रकार से प्राप्त किया है अथवा उन विशेषताओं को जो इसे व्यवसाय का स्वरूप प्रदान करती हैं किस प्रकार प्राप्त किया है, यह चर्चा का विषय बन गया है। समाज कार्य का व्यावसायिक रूप उस समय से प्रारम्भ हुआ जब यह अनुभव किया गया कि वर्तमान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष ज्ञान एवं निपुणताओं की आवश्यकता है। सहानुभूति, सद्भावना, प्रेम, आदि गुणों के साथ-साथ विभिन्न निपुणताएँ होने पर ही इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। इन निपुणताओं तथा ज्ञान का विकास प्रशिक्षण द्वारा ही सम्भव है तथा क्योंकि लोगों की सहायता करना एक आवश्यक सामाजिक कार्य है अतः जो लोग इसमें लगे हैं उन्हें उनकी सेवा के बदले में भुगतान किया जाये।

I व्यवसाय का अर्थ (Definition of profession)

व्यवसाय एक ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य जीविका उपलब्ध

कराना है, जिसमें विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणता होती है और उस व्यवसाय को करने वाले का व्यवहार दूसरों से भिन्न होता है। जोन्स, ब्राउन तथा ब्रैडशा के अनुसार व्यवसाय एक वृत्ति है जिसमें उच्चतर शैक्षिक योग्यता—एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, की आवश्यकता होती है।¹ प्रोफेसर गोरे के अनुसार व्यवसाय को ज्ञान और निपुणताओं, कार्य करने के क्षेत्र, एक आचार संहिता तथा कुछ सीमा तक व्यवसायिक सदस्यों के संगठन के रूप में समझा जा सकता है।⁴

मिलरसन (Millerson)⁵ ने 21 ऐसे लेखों जिनमें व्यवसाय के सम्बन्ध में लिखा गया था, का अध्ययन करने के पश्चात् व्यवसाय की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है

1. सैद्धान्तिक ज्ञान पर आधारित निपुणताएँ
2. प्रशिक्षण तथा वृत्ति का प्रावधान
3. सदस्यों की सक्षमता (Competence) का परीक्षण
4. संगठन
5. व्यवसायिक आचरण संहिता, तथा
6. परोपकारी सेवा

फ्रीडलैण्डर⁶ ने व्यवसायों की शिक्षा के विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है :

1. अनुभवी अध्यापकों एवं अभ्यासकर्ताओं की देखरेख में प्रशिक्षण
2. शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना
3. विश्वविद्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना और उन्हें अपने शैक्षिक एवं एकेडमिक कार्यक्रम का भाग बनाना।

फ्लेक्सनर (Flexner) ने व्यवसाय के 6 गुणों का उल्लेख किया है

1. दैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ ज्ञान और विज्ञान का समावेश।

- 2 व्यवसाय को सदस्यों को इस बात का पूरा ज्ञान हो कि व्यवसाय सम्बन्धी क्या नवीन ज्ञान सामने आ रहा है और इस नवीन ज्ञान को समझने के लिए निरन्तर सम्मेलन आयोजित किये जाये।
- 3 व्यवसाय को केवल सैद्धान्तिक ही नहीं होना चाहिए। इसका व्यावहारिक रूप भी हो।
- 4 व्यवसाय में एक प्राविधिक ज्ञान का परस्पर सम्बन्धित भंडार हो और यह प्राविधिक ज्ञान व्यक्तियों को एक विशिष्ट शैक्षिक पद्धति द्वारा सिखाया जा सकता हो।
- 5 व्यवसाय को समाज से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों में सामूहिक भावना का होना आवश्यक है। व्यवसायिक कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को कुशलता से निभाना चाहिए।
- 6 व्यवसाय का सम्बन्ध साधारण जनता से होना चाहिए, किसी व्यक्ति या समूह विशेष से नहीं। व्यवसाय को सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बनने का प्रयास करना चाहिए।

जान्सन (Johnson) ने व्यवसाय में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक बताया है

- 1 बौद्धिक प्रशिक्षण से अर्जित विशेष राक्षमता जो न केवल यांत्रिक कुशलताये बल्कि अन्य योग्यताएँ भी विकसित करती हो और जिसके लिए स्वतंत्र एवं दायित्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग किया जाना अनिवार्य हो।
- 2 शैक्षिक अभिगम पर आधारित ज्ञान एवं कौशल के प्रयोग के साथ एक व्यवस्थित एवं विशेषीकृत शैक्षणिक विज्ञान के माध्यम से संचारित किये जाने योग्य अलग से पाई जाने वाली प्रविधियाँ।
- 3 व्यवसायिक कार्यकर्ता जिन्हें सामान्य बातों का ज्ञान हो और जो उच्च मानकों के विकास तथा सामान्य हितों की रक्षा के लिए एक व्यवसायिक सघ के रूप में संगठित हो।

- 4 व्यावसायिक सघ एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए सेवा मानकों के विकास का ध्यान रखता है। जनता के हित में प्रयोग में लाए जाने के लिए एक नीतिशास्त्र सहित, विशिष्ट शिक्षा के प्रावधान और विशेषीकृत ज्ञान एवं निपुणता की व्यवस्था।
- 5 एक व्यावसायिक व्यक्ति का अपने लिए कुछ निर्धारित मानकों के लिए एक ही क्षेत्र के अन्य लोगों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी तथा जिम्मेदार होना।

II समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में (Social work as a profession)

यहाँ पर उन गुणों का विवेचन किया जा रहा है जो समाज कार्य व्यवसाय में उपलब्ध हैं

1. क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ज्ञान (Systematic and scientific knowledge)

समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। यह किसी कल्पना में विश्वास नहीं रखता। यद्यपि इसका अधिकांश ज्ञान अन्य विज्ञानों से लिया गया है परन्तु वह पूरी तरह से परखा हुआ है। समाज कार्य में निम्न प्रमुख क्षेत्रों का ज्ञान कराया जाता है .

- (1) मानव व्यवहार तथा सामाजिक पर्यावरण व्यक्तित्व, इसके कारक, सिद्धान्त, सामाजिक पक्ष, तथा मनोचिकित्सकीय पक्ष, मानव सम्बन्ध, समूह, सामाजिक संस्थाएँ, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आदि।
- (2) समाज कार्य की प्रणालियाँ तथा प्रविधियाँ - वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक कार्य शोध।
- (3) समाज कार्य के क्षेत्र - बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा

कल्याण, वृद्धों का कल्याण, श्रम कल्याण, ग्राम्य विकास, नगरीय विकास, अनुसूचित एव जगजातीय कल्याण, परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, अपराधी सुधार, आदि।

- (4) सामाजिक समस्याये अपराध, बाल अपराध मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय एकीकरण, आदि।

समाज कार्य के विशिष्ट सिद्धान्त ये हैं वैयक्तीकरण का सिद्धान्त, स्वीकृति का सिद्धान्त, सेवार्थी के आत्म निश्चय का सिद्धान्त, गोपनीयता का सिद्धान्त, आत्मप्रकटन का सिद्धान्त, आदि। व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता को मानव व्यवहार का समुचित ज्ञान होता है। उसमें सुनने तथा अवलोकन करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। उसमें परानुभूति की योग्यता होती है। उसमें सेवार्थी की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। वह सेवार्थी की योग्यता, गरिमा एव महत्ता को स्वीकार करता है। उसका यह दृढ विश्वास है कि व्यक्ति में समस्या समाधान की क्षमता होती है केवल उसे इसके चारे में जागरूक करना होता है।

2. निपुणताये, प्रविधियां तथा यंत्र (Skills, techniques and tools)

समाज कार्यकर्ता में निपुणताओं का विकास शिक्षण तथा प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। समाज कार्यकर्ता कार्यक्रम की निपुणता द्वारा ही सेवार्थी के साथ उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है तथा किसी प्रकार्यात्मक समझौते पर पहुँचता है। वह सामाजिक स्थितियों के विश्लेषण में निपुण होता है। उसमें व्यक्तियों एव समूहों की भावनाओं को समझने तथा उनसे निपटने की क्षमता पायी जाती है। वह सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाने में निपुण होता है। वह समुदाय तथा सस्था के स्रोतों एव साधनों को समयानुसार उपयोग में लाता है। उसमें सबसे बड़ी निपुणता सम्बन्धों के रचनात्मक उपयोग की होती है। वह

आत्मबोधन, प्रत्यक्षीकरण समस्या विश्लेषण, व्यावसायिक सम्बन्धों का प्रयोग तथा निदान व उपचार के तरीकों के उपयोग में दक्ष होता है। कार्यकर्ता वैयक्तिक तथा सामूहिक आत्मा की चेतना के जागरण (Individual and Group conscientization) संगठन तथा नियोजन, प्रति व्यवस्था (Counter System) निर्माण तथा प्रशासनिक प्रविधियों का प्रयोग करता है। कार्यकर्ता के पास 3 प्रमुख यंत्र होते हैं - (1) स्वयं का प्रयोग, (2) कार्यक्रम नियोजन, (3) सेवाार्थी के साथ सम्बन्ध। इन यंत्रों का उपयोग वह समझ बूझ कर करता है।

3. समाज कार्य शिक्षा (Social work education)

समाज कार्य की शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई है। इसकी शिक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, पी-एच डी स्तर की दी जाती है; यह शिक्षा विश्वविद्यालयों के विभागों तथा स्वतन्त्र रूप से कार्यरत समाज कार्य विद्यालयों के माध्यम से दी जाती है। सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को समाज कार्य अभ्यास के लिए विभिन्न संस्थाओं में भेजा जाता है। उन्हें चिकित्सालयों, श्रम कल्याण केन्द्रों, आवास गृहों, विद्यालयों, मलिन वस्तियों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, निर्देशन केन्द्रों आदि में क्षेत्रीय कार्य करने के लिए भेजा जाता है।

4. व्यावसायिक संगठन (Professional organization)

जैसे-जैसे समाज कार्य का विकास हुआ, वैसे-वैसे इसके व्यावसायिक संगठन भी बनते गये। इन व्यावसायिक संगठनों का कार्य समाज कार्य व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना तथा कार्यकर्ताओं में उच्चतर योग्यताओं, क्षमताओं एवं निपुणताओं का विकास करना है। ये संगठन कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं तथा व्यावसायिक व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख संगठन ये हैं : अमेरिकन असोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, नेशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, अमेरिकन हास्पिटल सोशल वर्कर्स असोसिएशन, साइक्याट्रिक सोशल वर्कर्स असोसिएशन। भारत में प्रमुख

व्यावसायिक संगठन है असोशियेशन ऑफ स्कूल्स आफ सोशल वर्क इन इण्डिया। महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर महाराष्ट्र असोशियेशन ऑफ सोशल वर्क एज्यूकेटर्स पाया जाता है।

5. सामाजिक अनुमोदन (Social approval)

समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित है। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ समाज कार्य को सेवाएँ प्राप्त करती हैं। अधिकांश संस्थाओं में प्रशिक्षित कार्यकर्ता कार्य करते हैं।

6. आचार संहिता (Code of ethics)

अमेरिका में समाज कार्यकर्ताओं के लिए एक निरिक्त आचार संहिता है जिसका पालन करना सभी व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य है। इस आचार संहिता को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

(अ) सेवार्थियों से सम्बन्ध

- 1 सेवार्थी के कल्याण को समुदाय के कल्याण के अनुकूल रखना,
- 2 वैयक्तिक लक्ष्यों एवं मतों की अपेक्षा व्यावसायिक उत्तरदायित्व को प्रधानता देना,
- 3 अपने विषय में स्वयं निर्णय लेने के सेवार्थी के अधिकार को स्वीकार करना,
- 4 सेवार्थी को गोपनीयता का आश्वासन देना
- 5 बिना भेदभाव के सेवार्थी की सहायता करना एवं ऐसा करते समय वैयक्तिक भिन्नताओं का आदर करना।

(ब) नियोजक संस्था से सम्बन्ध

- 1 संस्था के कार्यक्रमों, नीतियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार का ज्ञान रखना और उनमें उन्नति करने का प्रयास करना

2. व्यावसायिक समाज कार्य की आचार संहिता के विरुद्ध नीति एवं कार्यरिती वाली संस्था में कार्य न करना
3. संस्था के साथ सेवायोजन के लिए किये गये समझौते का पालन करना
4. संस्था की नतियो एवं कार्यरितियों के निर्धारण में कर्मचारियों को भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराना।

(स) व्यावसायिक साथियों से सम्बन्ध

1. व्यवसायिक साथियों की रिथति एवं उनकी योग्यताओं का आदर करना
2. व्यवसायिक साथियों को अपने ज्ञान एवं अनुभव से लाभान्वित करना
3. व्यवसायिक साथियों के आपसी मतभेदों का आदर करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना
4. निष्पक्षता एवं विषयात्मक सूचना के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, इत्यादि करना।

(द) समुदाय से सम्बन्ध

1. समुदाय की उन्नति के कार्यक्रमों में ज्ञान एवं निपुणताओं का प्रयोग करना
2. संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा समाज कार्य के अनैतिक प्रयोग से समुदायों को सुरक्षित रखना
3. व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण अनुभव एवं कुशलता से समुदाय के साथ अपने सदस्यों को प्रभावित करना और इनकी व्याख्या करना
4. अपने कथनों को व्यक्त करते समय तथा व्यवहार करते समय यह स्पष्ट कर देना कि वे एक व्यक्ति के रूप में कहे और किये गये हैं, न किसी समिति या संस्था के प्रतिनिधि के रूप में।

(य) समाज कार्य व्यवसाय से सम्बन्ध

- 1 व्यवसाय के आदर्शों का समर्थन करना और उनमें सुधार का प्रयास करना
- 2 एक उच्च स्तर की सेवा प्रदान करके व्यवसाय में जनता के विश्वास को बनाये रखना और उसे बढ़ाने का प्रयास करना
- 3 बाहरी न्यायहीन आक्रमणों और अनुचित प्रतिनिधित्व से व्यवसाय को सुरक्षित रखना
- 4 समाज कार्य एवं व्यावसायिक सेवा में विषयात्मक सुधार लाने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना जिससे समाज कार्य को आलोचना से बचाया जा सके।

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज कार्य एक पूर्ण व्यवसाय है क्योंकि उसमें व्यवसाय की सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। परन्तु यह विश्वास केवल सिद्धान्त पर आधारित है, वास्तविकता इससे भिन्न है। आज भी अनेक विद्वानों का विचार है कि समाज कार्य व्यवसाय नहीं है क्योंकि यह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो असाधारण हो। कार्यकर्ता का व्यवहार एवं उसकी दक्षता कोई विशिष्ट नहीं होती। प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कार्यकर्ता में व्यावहारिक अंतर स्पष्ट नहीं होता है। त्याग की भावना ही निपुणता तथा सहायता की इच्छा जाग्रत करती है, प्रशिक्षण का कोई विशेष महत्व नहीं है। कार्यकर्ता आत्म छवि को विकसित करने में असफल रहे हैं। व्यावसायिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तथा समाज कार्य का उपयुक्त वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी समाज कार्य व्यावसायिक विशेषताओं को धीरे-धीरे विकसित कर रहा है, इसे सभी विद्वान मानते हैं।

III भारत में समाज कार्य की व्यावसायिक छवि

(Professional image of social work in India)

भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का विकास अमरीका की तरह

से ही शुरू हुआ। सन् 1936 में पहली बार समाज कार्य के प्रशिक्षण के लिए बम्बई में सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क खोला गया। तबसे समाज कार्य धीरे-धीरे व्यावसायिक रूप ग्रहण करता जा रहा है तथा लगभग व्यवसाय की सभी विशेषताओं को प्राप्त कर चुका है। इन विशेषताओं के आधार पर हम यहाँ भारत में समाज कार्य के व्यावसायिक स्वरूप की विवेचना करेंगे।

1 क्रमागत एवं वैज्ञानिक ज्ञान

समाज कार्य ज्ञान में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अनेक समाज कार्य के स्कूलों में शोध की सुविधा पाई जाती है जिनमें ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में खोज की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में मानव व्यवहार, पर्यावरण, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास, आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई है परन्तु भारतीय संदर्भ में समाज कार्य की प्रणालियों एवं विधियों को किस प्रकार लागू किया जाये, हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाज कार्य नहीं विकसित हो पा रहा है।

2. व्यावसायिक शिक्षा

भारत में समाज कार्य शिक्षण सन् 1936 से प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष बम्बई में सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस हो गया। सन् 1947 में काशी विद्यापीठ में समाज विज्ञान विद्यालय खुला। इसी वर्ष डेल्ही स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुला। सन् 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। 1950 में बड़ोदा विश्वविद्यालय में समाज कार्य सकाय खोला गया। 1952 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क तथा 1955 में आगरा में समाज कार्य की शिक्षा प्रारम्भ हुई। आज समाज कार्य का प्रशिक्षण बम्बई, आगरा, मद्रास, पटना, लखनऊ, वाराणसी, जमशेदपुर, कलकत्ता,

वाल्टेयर, उदयपुर, भागलपुर, बगलौर, मगलौर, इन्टार कोयम्बटूर, कर्नाटक, आदि स्थानों पर होता है। वर्तमान समय में 60 से अधिक विद्यालय एव सरथाये समाज कार्य प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। कुछ सरथानों में स्नातक, कुछ में स्नातकोत्तर तथा कुछ में दोनों स्तर की शिक्षा दी जाती है। पी-एचडी की उपाधि के लिए भी व्यवस्था है। दो सरथानों में डीलिट की उपाधि भी दी जाती है। इस दृष्टि से भारत में समाज कार्य व्यवसाय के रूप में खरा उतरता है।

3. निपुणताये एवं प्रणालियां

भारतीय समाज कार्यकर्ता के पास अमरीका में प्रयोग में लाई जाने वाली निपुणताये हैं। वे भारतीय परिवेश में प्रासंगिक नहीं सिद्ध हो रही हैं। जिन विशेष प्रविधियों तथा निपुणताओं की आवश्यकता है उनका विकास अभी नहीं हो पाया है। सामाजिक क्रिया की प्रविधि, आत्मा को जागृत करने की प्रविधि, विचारों में क्रान्ति लाने की प्रविधि, संप्रेषण की प्रविधि, आदि प्रविधियों के विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रणालियों को भी भारतीय रूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

4. आचार संहिता

भारत में आचार संहिता के विकास का उत्तरदायित्व असोशिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया को 1960 में सौंपा गया था। असोशिएशन के निम्नलिखित कार्य हैं

- (1) समाज कार्य की व्यवसायिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करना।
- (2) समाज कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।
- (3) सकाये के अध्यापकों को आपस में मिलने तथा विचारों के आदान-प्रदान का अवसर देना।
- (4) सगोष्ठियों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) को आयोजित करना।

- (5) अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- (6) समाज कार्य का साहित्य प्रकाशित करना।
- (7) राष्ट्रीय फोरम के रूप में कार्य करना।

वर्तमान समय में टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज के प्रयास से एक आचार संहिता का निर्माण हुआ है जिसे अल्युमनाई असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया ने स्वीकार कर लिया है।

5. सामाजिक मान्यता एवं अनुमोदन

भारत में समाज कार्य को धीरे-धीरे मान्यता प्राप्त हो रही है। कारखाना अधिनियम के अनुसार उन कारखानों में जिनमें श्रमिकों की संख्या 500 से अधिक है श्रम कल्याण अधिकारी का नियुक्त किया जाना अनिवार्य है। बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, परिवार कल्याण, आदि क्षेत्रों में भी समाज कार्य में प्रशिक्षित लोगों को वरीयता दी जाती है। चिकित्सालयों में समाज कार्यकर्ता नियुक्त किये जाते हैं। शोध कार्यों में भी समाज कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यह मान्यता बहुत निर्बल है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो पूर्णरूपेण समाज कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो। आज जहाँ कहीं भी प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के अवसर होते हैं वहाँ पर दूसरे विषयों के लोगों को भी घयनित कर लिया जाता है।

6. व्यावसायिक संगठन

सन् 1951 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ अल्युमनाई ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क बनाया गया जिसका सन् 1964 में नाम बदल कर इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेण्ड सोशल वर्कर्स कर दिया गया। इसकी शाखाएँ बम्बई, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जमशेदपुर, मद्रास, नागपुर, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, बनारस, वाल्टेयर तथा

लखनऊ में थी। सन 1960 में एसोसियेशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का गठन किया गया जिसका उद्देश्य समाज कार्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। एसोसियेशन ऑफ मेडिकल एण्ड साइक्याट्रिक सोशल वर्क भी समाज कार्य व्यवसाय की सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त समाज कार्य के विद्यालयों के स्तर पर भी संगठन बनाए गए हैं जो समाज कार्य के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

इस प्रकार भारत में समाज कार्य धीरे-धीरे व्यावसायिक गुणों को अर्जित करता जा रहा है। लेकिन व्यवसायीकरण की गति धीमी है। इसके अनेक कारण हैं और यदि इन कारणों को दूर नहीं किया गया तो समाज कार्य की स्थिति और अधिक विगड़ जायेगी।

IV भारत में समाज कार्य व्यवसाय के रूप में विकास की धीमी गति के कारण (Reasons for the slow development of social work as profession in India)

व्यवसाय के रूप में भारत में समाज कार्य आज भी बाल्यावस्था में है। किन्तु इसका व्यावसायिक रूप अभी तक विकसित नहीं हो सका है। कुछ लोगों के मन में यह आशंका है कि क्या समाज कार्य में कोई विशेष सैद्धान्तिक ज्ञान एवं प्रत्यय हैं जिनके आधार पर इसे एक विद्या विशेष या ज्ञान की शाखा समझा जाये। समाज कार्य का सबंध मानव अन्तःकरण से है। समाज कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज कार्यकर्ता अपनी सोच एवं व्यवहार में मानवतवादी तथा प्रजातांत्रिक हो। उसमें परानुभूति की क्षमता हो तथा दूसरों को सहायता प्रदान करने की भावना एवं वचनबद्धता हो। वह स्वयं कष्ट उठाकर पीड़ित मानवता को दुःखों से छुटकारा दिलाने के त्याग तथा बलिदान करने की इच्छा हो। वाह्य प्रशिक्षण मात्र से समाज कार्य के लिए आपेक्षित गुणों को अर्जित नहीं किया जा सकता है। समाज कार्य का आधुनिक अर्थ स्पष्ट कार्यकर्ताओं को भी भूमित किये हुये है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता अपनी सेवाओं के लिए पारितोषिक लेता है किन्तु यह भी

सत्य है कि वह पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने सेवार्थी की सहायता करता है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का प्रारम्भ ठीक से नहीं हुआ। समाज कार्य का दर्शन, सिद्धान्त, प्रणालियाँ, प्रविधियाँ, इत्यादि उसी रूप में भारत में समाज कार्य के विद्यालयों में स्वीकार कर ली गयी है जैसी वे अमरीका में हैं। अमरीका पूँजीवादी देश है तथा वहाँ की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था व्यक्ति केन्द्रित उपागम के अनुकूल है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था उससे भिन्न है। यहाँ पर बहुसंख्यक समस्याओं की जड़े सामाजिक संरचना में सन्निहित हैं इसलिए इसमें अपेक्षित परिवर्तन लाने के पश्चात् ही इनका समाधान किया जा सकता है। इसके बावजूद भी समाज कार्य स्कूलों में वैयक्तिक उपागम को स्वीकार किया है। इसीलिए समाज कार्य का अभ्यास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है।

भारत में समाज कार्य के अर्थ के विषय में ही आज तक भ्रम बना हुआ है। कभी यह परोपकार का कार्य समझा जाता है। कभी इसे दान के रूप में देखा जाता है। कभी इसे चरित्र निर्माण, निःस्वार्थ सेवा श्रमदान अथवा आपात्कालीन सेवा के रूप में समझा जाता है। ऐच्छिक शारीरिक श्रम को भी समाज कार्य की श्रेणी में माना जाता है। इसी प्रकार समाज कार्यकर्ता के अर्थ के विषय में भ्रम है। समाज सुधारक, दानी, परोपकारी, वैच्छिक कार्यकर्ता तथा नेता सभी को समाज कार्यकर्ता कहा जाता है तथा वे अपने कार्यों को समाज कार्य कहते हैं। परिणामतः आधुनिक समाज कार्य का व्यवसायिक रूप उभरने में कठिनाई हो रही है।

भारतीय सदर्भ में शिक्षण सामग्री का नितान्त अभाव है। जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं वे पश्चिमी देशों की शिक्षा के आधार पर रची गयी हैं। उनका यहाँ पर आधिकार्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। सिद्धान्त तथा व्यवहार में काफी अन्तर है। कक्षाओं में उन सिद्धान्तों को बताया जाता है जो पश्चिमी देशों के लिए प्रामाणिक हैं लेकिन वे सिद्धान्त

भारत में लागू नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमरीकी पुस्तकें इस मूल मान्यता के आधार पर लिखी गयी हैं कि सेवार्थी स्वयं सस्था में आता है और सेवा प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। लेकिन भारत में यह स्थिति नहीं है। यहां पर विद्यार्थियों को लोगों को, विशेष रूप से निरक्षर एवं अज्ञानियों को, सस्था की सेवा लेने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। इन सभी कारणों से विद्यार्थी निराशा का सामना करते हैं और स्वयं में परिपक्व नहीं हो पाते हैं।

समाज कार्य में विशेषीकृत क्षेत्र का अभी भी अभाव है। इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये हैं लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता है कि यह कार्य समाज कार्य व्यवसाय में प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। भारतीय परिस्थिति के अनुकूल कार्य की प्रणालियों का विकास नहीं हो पाया है जिससे प्रयास एवं त्रुटि (Tnal and Error) का सिद्धान्त सदैव लागू किया जाता है।

समाज कार्य के व्यावसायिक संगठन भी प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। वे समाज कार्य को व्यावसायिक रूप देने में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। इन संगठनों का कार्य इतना सकुचित है कि समाज कार्यकर्ता स्वयं इनके अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण कारक समाज कार्यकर्ताओं में लगनशीलता एवं कर्तव्यपरायणता की कमी है। उनमें मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है जिससे वे प्रायः अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने में लगे रहते हैं। वे व्यावसायिक आचार संहिता को ताल पर रखकर अपने स्वाध की पूर्ति में लगे हुए हैं। परिणामस्वरूप यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि कहीं समाज कार्य अपना व्यावसायिक स्वरूप ही न खो दे और सामान्य जनता में इसकी बची-खुची साख भी समाप्त हो जाये। समाज कार्यकर्ताओं को विशेष लगन एवं निष्ठा से कार्य करना होगा तभी समाज कार्य अपना व्यावसायिक रूप ग्रहण कर सकेगा।

सन्दर्भ

- 1 Friedlander, W A , Introduction to Social Welfare, op cit, p 4
- 2 Ranade, S N , "Trends in Social Work" in Khinduka, S K (ed) Social Work in India, op cit, pp 206-207
- 3 A profession is an occupation which requires a higher educational qualification - a degree, diploma or certificate
Jones, K , Brown, J and Bradshaw, J , Issues in Social Policy, Routledge and Kegan Paul Ltd , London, 1978, p 60
- 4 A profession is characterized by a specialized body of knowledge and skills, an area of operations, a code of ethics, and a certain degree of organization among the members of the profession
Gore, M S , Social Work and Social Work Education, Asia Publishing House, Bombay, 1965, p 86
- 5 Millerson, G , The Qualifying Associations, Routledge and Kegan Paul Ltd , London, 1964
- 6 Friedlander, W A , Introduction to social welfare, op cit , p 620
- 7 Johnson, A , Quoted by Friedlander, W A., Introduction to social welfare op cit, pp 620-21
- 8 Ahmad Mirza, R , Samaj Karya, Darshan Avam Pranaliya, op cit , pp 168-70

वैयक्तिक समाज कार्य (SOCIAL CASEWORK)

समाज कार्य की 6 प्रणालिया हैं जिनका प्रयोग करते हुये सेवार्थियों की सहायता की जाती है। इन प्रणालियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

- (1) प्राथमिक प्रणालिया (Primary methods) जिनके अन्तर्गत वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य तथा सामुदायिक संगठन को सम्मिलित किया गया है, तथा
- (2) द्वितीयक (Secondary methods) अथवा सहायक प्रणालिया जिनके अन्तर्गत समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया और समाज कार्य शोध को रखा गया है।

वैयक्तिक समाज कार्य एक व्यक्ति के रूप में मनो-सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त सेवार्थी को सहायता प्रदान करने की प्राथमिक प्रणाली है जिसका प्रयोग करते हुये कार्यकर्ता सेवार्थी की क्षमताओं में विकास करते हुये उसे अपनी समस्या का समाधान कर समायोजन स्थापित करने के योग्य बनाता है।

I वैयक्तिक समाज कार्य की परिभाषा (Definition of social casework)

समय-समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा वैयक्तिक समाज कार्य की भिन्न-भिन्न परिभाषाये प्रदान की गयी हैं जो एक काल एव स्थान

विशेष पर वैयक्तिक समाज कार्य के सम्वन्ध में पाये जाने वाले ज्ञान का परावर्तन करती है।

(1) मेरी रिचमण्ड (1915)

वैयक्तिक समाज कार्य "विभिन्न व्यक्तियों के साथ सहयोग करते हुये उनकी अपनी तथा समाज की एक साथ भलाई प्राप्त करने हेतु उनके साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की एक कला है।"¹

(2) मेरी रिचमण्ड (1917)

वैयक्तिक समाज कार्य "व्यक्ति के रूप में पुरुषों तथा स्त्रियों अथवा बच्चों के सामाजिक सम्वन्धों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की एक कला है।"²

(3) टैपट (1920).

वैयक्तिक समाज कार्य "व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक सम्वन्धों को समझने तथा एक अधिक अच्छे सामाजिक एवं वैयक्तिक समायोजन को लाने में उसकी सहायता करने के प्रयासयुक्त कुसमायोजित व्यक्ति का सामाजिक उपचार है।"³

(4) मेरी रिचमण्ड (1922).

वैयक्तिक समाज कार्य का अर्थ "ऐसी प्रक्रियाओं जो व्यक्तियों एवं उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच एक-एक करके चेतन रूप से लाये गये समायोजन के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करती हैं से है।"⁴

(5) स्वीथन यावर्स (1949)

"वैयक्तिक समाज कार्य एक ऐसी कला है जिसके अन्तर्गत मानव सम्वन्धों के विज्ञान के ज्ञान तथा सम्वन्ध की निपुणता का प्रयोग व्यक्ति की उपयुक्त क्षमताओं तथा समुदाय के ससाधनों को सेवार्थी तथा उसके सपूर्ण पर्यावरण के समस्त अंगों अथवा

किरसी अग के बीच अधिक अच्छे समायोजन के लिये गतिशील बनाने हेतु किया जाता है।⁵

(6) देसाई (1956)

वैयक्तिक समाज कार्य "व्यक्ति की न केवल यथास्थिति के साथ समायोजन करने बल्कि परिवर्तन तथा नये-नये स्तरों पर अपने परिवर्तित होते हुये पर्यावरण के साथ संश्लेषण करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है।"⁶

(7) पर्लमैन (1957)

"वैयक्तिक समाज कार्य कुछ मानव कल्याण अभिकरणों द्वारा व्यक्ति की सामाजिक क्रिया में अपनी समस्याओं का अधिक प्रभावपूर्ण रूप से समाधान करने में सहायता प्रदान करने हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली एक प्रक्रिया है।"⁷

उपरिलिखित परिभाषाओं पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालने पर यह पता चलता है कि वैयक्तिक कार्य सर्वप्रथम मेरी रिचमण्ड द्वारा एक कला के रूप में वर्णित किया गया जिसका उद्देश्य अपना तथा समाज की उन्नति करना था। तदुपरान्त टैपट ने वैयक्तिक समाज कार्य को एक सामाजिक चिकित्सा के रूप में चिन्हित करते हुये इसका उद्देश्य अधिक अच्छा वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन बताया। बाद में वैयक्तिक समाज कार्य को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रक्रिया के दौरान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा अगभूतों का निरूपण करते हुये समायोजन लाने को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के उद्देश्य पर भी बल दिया जाने लगा।

इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि वैयक्तिक समाज कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनो-सामाजिक समस्या के शिकार एक व्यक्ति का मनो-सामाजिक अध्ययन निदानात्मक मूल्यांकन तथा परामर्श मनोपचार, पर्यावरण में

परिवर्तन एव सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से उपचार करते हुये समस्या का समाधान कर सेवार्थी का उसके पर्यावरण के साथ सर्वोत्तम सम्भव समायोजन कराने का प्रयास किया जाता है ताकि वह सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप में सम्मिलित हो सके और व्यक्तिगत स्तर पर सुख एवं शान्ति का अनुभव कर सके।

II वैयक्तिक समाज कार्य के अंगभूत (Elements of social casework)

पर्लमैन के अनुसार वैयक्तिक कार्य का मूल बिन्दु इस प्रकार है "एक समस्याग्रस्त व्यक्ति एक स्थान पर आता है जहाँ एक व्यावसायिक प्रतिनिधि एक दी हुई प्रक्रिया द्वारा उसकी सहायता करता है।" इस कथन से यह सुरस्पष्ट है कि वैयक्तिक समाज कार्य के 4 अंगभूत होते हैं .

1. व्यक्ति (Person)

यह व्यक्ति एक पुरुष, स्त्री अथवा बच्चा कोई भी हो सकता है जिसे अपने जीवन के किसी सामाजिक सवेगात्मक पहलू में सहायता की आवश्यकता होती है। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व एक सम्पूर्णता के रूप में पाया जाता है। उसके व्यक्तित्व के सभी भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इत्यादि पहलू एक दूसरे के साथ एकीकृत रूप से सम्यद्ध होते हैं। यह व्यक्तित्व अतीत के अनुभवों, वर्तमान के प्रत्यक्षीकरणों एवं प्रतिक्रियाओं और भावी आशाओं एवं प्रत्याशाओं का सगम होता है। व्यक्ति द्वारा किये गये व्यवहार का उद्देश्य संतोष प्राप्त करना, निराशा से बचना अथवा इसे कम करना और व्यक्तित्व के संतुलन को बनाये रखना होता है। व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उसके व्यवहार की क्षमता बहुत कुछ सीमा तक उसकी व्यक्तित्व सम्बन्धी संरचना की कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है।

सहायता के लिये आने वाला व्यक्ति सदैव समस्याओं (Problems) से युक्त होता है। ये समस्याएँ उसके पर्यावरण की असफलता

अथवा दबावों, व्यक्ति के अन्दर चलने वाले आन्तरिक संघर्ष, किसी महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका को प्रतिपादित करने की निराशा अथवा उसके लक्ष्य एवं सान्ध्य के बीच आने वाले व्यवधानों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। उसकी यह समस्या द्विमुखी होती है (1) वह स्वयं समस्या का एक खतरे अथवा आक्रमण के रूप में अनुभव करता है, तथा (2) उसकी इस समस्या पर काबू पाने में असमर्थता उसके तनाव को बढ़ाती है।

2. समस्या (Problem)

समस्याएँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इनका स्वरूप शारीरिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इत्यादि हो सकता है। वैयक्तिक समाज कार्य के क्षेत्र में केवल वही समस्याएँ आती हैं जो व्यक्ति की सामाजिक क्रिया को गम्भीर रूप से प्रभावित करती हैं अथवा उसकी सामाजिक क्रिया से गम्भीर रूप से प्रभावित होती हैं।

मानव जीवन के किसी भी पहलू से सम्बन्धित समस्याओं की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है अर्थात् वह व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभाव डालती है। प्रत्येक समस्या का विषयात्मक तथा रागात्मक दोनों प्रकार का महत्व होता है। ये दोनों प्रकार के विषयात्मक (बाह्य) तथा रागात्मक (आन्तरिक) पहलू न केवल एक साथ पाये जाते हैं बल्कि इनमें से एक दूसरे का कारण भी हो सकता है।

एजेन्सी में सहायता के लिये आने वाले व्यक्ति की समस्या की प्रकृति चाहे जो भी हो, इसके साथ सदैव उसके सेवार्थी होने की समस्या सम्बद्ध होती है और यह इसे प्रायः और अधिक गम्भीर बनाती है। एजेन्सी में सहायता के लिये जाना, उसके द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों की पूर्ति करना, सेवाओं के लिये पात्र पाये जाने पर एजेन्सी द्वारा निर्धारित किये गये समय पर सेवाओं को प्राप्त करने के लिये जाना, इत्यादि समस्याएँ व्यक्ति की मौलिक समस्या को अधिक गम्भीर बना देती हैं।

3. स्थान (Place)

समस्याग्रस्त व्यक्ति जिस स्थान पर सहायता के लिये आता है उसे सामाजिक एजेन्सी के नाम से संबोधित करते हैं। सामाजिक एजेन्सिया एक दूसरे से भिन्न होती हैं क्योंकि इनके वित्तीय स्रोत भिन्न होते हैं, व्यावसायिक निपुणता के स्रोत भिन्न होते हैं तथा इनके विशिष्ट कार्य एवं क्षेत्र भिन्न होते हैं। ये संस्थाएँ सरकारी राजस्व अथवा ऐच्छिक अशदानों अथवा दोनों पर आधारित हो सकती हैं। ऐसी एजेन्सिया जिनकी सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था सरकारी राजस्व से की जाती है, सरकारी एजेन्सियों के नाम से जानी जाती हैं तथा वे एजेन्सियां जो पूर्णरूपेण स्वैच्छिक अशदानों अथवा प्रमुख रूप से ऐच्छिक अशदानों के साथ-साथ आंशिक रूप से सरकारी राजस्व से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग करते हुये चलायी जाती हैं, उन्हें निजी संस्थाओं के रूप में संबोधित किया जाता है।

कुछ एजेन्सियां ऐसी होती हैं जिनके पास अपने समाज कल्याण सम्बन्धी प्रकार्यों का पूर्ण अधिकार एवं दायित्व होता है इन्हे प्राथमिक एजेन्सियों के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ एजेन्सियां ऐसी होती हैं जो अपने अधिकारों एवं दायित्वों को पोषक एजेन्सी से प्राप्त करती हैं। इन एजेन्सियों को द्वितीयक एजेन्सियों की संज्ञा प्रदान की जाती है।

कुछ एजेन्सियां बहु उद्देशीय होती हैं। वे अनेक क्षेत्रों में सेवायें प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिये, एक बाल कल्याण संस्था बच्चों के पोषण गृह के रूप में कार्य कर सकती है, बच्चों के गोद लेने में सहायता प्रदान कर सकती है, बच्चों को मार्गदर्शन दे सकती है, बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें प्रदान कर सकती है, इत्यादि। कुछ संस्थाएँ ऐसी होती हैं जो किसी एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिये कार्य करती हैं।

4. प्रक्रिया (Process)

वैयक्तिक समाज कार्य प्रक्रिया वास्तव में समस्या समाधान की

प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कार्यक्षेत्र को समझने के लिये यह आवश्यक है कि उन व्यवधानों को भली प्रकार समझ लिया जाये जो लोगों के समस्या समाधान के सामान्य प्रयासों में घटित होते हैं। ये व्यवधान सामान्यतया 6 प्रकार के होते हैं

- (i) समस्या-समाधान के लिये आवश्यक साधनों एवं ससाधनों का उपलब्ध न होना,
- (ii) समस्या अथवा इसके समाधान के वर्तमान ढंगों से सम्बन्धित तथ्यों के सम्बन्ध में अज्ञानता अथवा निराधार शकाओं का पाया जाना,
- (iii) समस्याग्रस्त व्यक्ति में अपेक्षित सवेगात्मक अथवा शारीरिक ऊर्जा का न पाया जाना,
- (iv) चेतन नियंत्रणों के ऊपर सवेगों का आवश्यकता से अधिक प्रभाव होना,
- (v) समस्या का व्यक्ति के अन्दर ही पाया जाना अर्थात् व्यक्ति का ऐसे सवेगों का शिकार हो जाना जो एक लम्बे समय तक उसकी सोच तथा कार्यों को नियंत्रित करते रहे हो, तथा
- (vi) व्यक्ति में सोचने अथवा योजना बनाने की क्रमबद्ध आदतों अथवा ढंगों का न पाया जाना।

वैयक्तिक समाज कार्य प्रक्रिया का उद्देश्य सेवार्थी को उसकी एक अथवा अनेक समस्याओं के साथ कार्य करने अथवा समाधान करने में लगाना है और इस कार्य को ऐसे साधनों के द्वारा सम्पादित कराना है कि वह भविष्य में अपने जीवन में अधिक अच्छी स्थिति में रह सके। ये साधन उपचारात्मक सम्बन्ध के प्रावधान, क्रमबद्ध ढंग के प्रावधान तथा समस्या के प्रति अनुकूलनपूर्ण क्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अवसरों एवं सहायताओं के रूप में प्रमुखता से पाये जाते हैं।

III वैयक्तिक समाज कार्य का विकास (Development of social casework)

समस्याग्रस्त व्यक्ति को वैयक्तिक स्तर पर सैवायें प्रदान करने का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का। सभी प्राचीन धर्मों में समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता था। चाहे हिन्दू दर्शन हो, या पाश्चात्य दर्शन, चाहे येदीलोनिया तथा निन्न की धार्मिक संहितायें हों, चाहे यूनान तथा रोम की धार्मिक प्रथायें हो, इन सबमें समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता को एक प्रमुख स्थान प्रदान किया गया था। वैयक्तिक समाज कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में वैयक्तिक स्तर पर सहायता प्रमुख रूप से आर्थिक समस्याओं के शिकार व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी किन्तु कालक्रम में परिवर्तन के साथ-साथ वैयक्तिक समाज कार्य सहायता का सम्बन्ध व्यक्ति की आन्तरिक तथा बाह्य समाज से सम्बन्धित कठिनाइयों से हुआ। 1601 में इलिजाबेथेन पूअर लॉ (Elizabethan Poor Law) से सम्बन्धित निरीक्षक निर्धनों को सहायता प्रदान करने के लिये प्रार्थनापत्र देते थे, उनकी परिस्थितियों की जांच करते थे और इसके आधार पर यह निर्णय लेते थे कि सहायता प्रदान की जाये अथवा नहीं और यदि सहायता दी जाये तो उसका स्वरूप क्या हो? टामस चामर्स ने अपने अनुभवों के आधार पर दान की इस पद्धति की कटु आलोचना की क्योंकि यह निर्धनों का चारित्रिक पतन करती थी और उनकी स्वावलम्बन की इच्छा को निर्बल बनाती थी। चामर्स ने वैयक्तिक आधार पर जाय किये जाने पर बल दिया। उनका यह विचार था कि व्यक्ति में पायी जाने वाली अज्ञानता एवं दूरदर्शिता की कमी निर्धनता को उत्पन्न करती है। उन्होंने व्यक्तिगत कमियों को ही निर्धनता का प्रमुख कारण माना। उनकी यह धारणा थी कि निराश्रितों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में वैयक्तिक रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। चामर्स के इन अग्रगामी विचारों के काफी समय बाद लंदन चेरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी ने सहायता का एक कार्यक्रम बनाया जो प्रमुख रूप से चामर्स के विचारों पर

आधारित था। इस आन्दोलन की आधारभूत विचारधारा यह थी कि सार्वजनिक निर्धन सहायता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही और सहायतार्थी का इस प्रकार पुनर्वास होना चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार का उचित रूप से भरण पोषण कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी के आयोजन में इस बात की व्यवस्था की गयी कि निर्धनों के घर जाकर उनका निरीक्षण किया जाये, उन्हें परामर्श प्रदान किया जाये, अनुचित कार्यों को करने से रोका जाये और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। परिणामतः निर्धनों के पुनर्वास के पूर्व उनकी परिस्थितियों की सावधानी से जांच करना तथा उनकी समस्या के सद्य में स्वयं तथा उनके संबंधित लोगों से विचार विमर्श करना आवश्यक माना जाने लगा। निर्धनों तथा अभावग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान किये जाने के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जहाँ से वैयक्तिक समाज कार्य का उद्गम होता है।

वैयक्तिक समाज कार्य शब्द का पहली बार उल्लेख एडवर्ड टी डेवाइन के लेख में हुआ जो उन्होंने चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के बाद 1897 में प्रकाशित किया। 1909 में मेरी कै० रिम्फोविच जो ग्रीनविच हाउस, न्यूयार्क में थी, ने यह सुझाव दिया कि पुनर्स्थापन की आवश्यकता रखने वाले परिवारों के साथ वैयक्तिक समाज कार्य अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। 1895 से लेकर 1920 के बीच मेरी रिचमण्ड के अनेक लेख प्रकाशित हुये। 1917 में पहली बार मेरी रिचमण्ड ने अपनी पुस्तक सोशल डाइगनासिस में वैयक्तिक समाज कार्य के सम्बन्ध में एक सुव्यवस्थित मत प्रस्तुत किया जिससे वैयक्तिक समाज कार्य को एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुआ।

चिकित्सा के क्षेत्र में वैयक्तिक समाज कार्य

वैयक्तिक समाज कार्य का चिकित्सालयों में उपयोग 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में प्रारम्भ हो गया था। 1893 में हेनरी स्ट्रीट सेटिलमेंट

हाउस, न्यूयार्क की विलियम लायड मेरी ब्रेवेस्टर ने रोगियों के घरों पर जा-जाकर निरीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने अपने सेवाकार्य के दौरान इस बात का अनुभव किया कि रोगियों की बीमारी के कारण उनके घरों में अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही स्तरों पर समाधान किया जाना महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर रोगियों के घरों में प्रभावपूर्ण सेवाकार्य हेतु घर पर जाने वाली परिचारिकाओं की व्यवस्था की गयी। डा. रिचर्ड सी. कैबोट तथा होडा एम. कैन्नन ने वैयक्तिक समाज कार्य की आवश्यकता का विशेष रूप से अनुभव किया तथा इसके विकास की दिशा में अपने भरसक प्रयास किये। डा. कैबोट ने बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में काम करते हुये इस बात का अनुभव किया कि रोगियों को न केवल रोग सम्बन्धी समस्याएँ होती हैं बल्कि ऐसी अन्य अनेक समस्याएँ भी होती हैं जो रोगी को अक्षम बना देती हैं। डा. कैबोट को एक दस वर्षीय बालक के चिकित्सालय में भर्ती होने, ठीक होकर चले जाने, पुनः भर्ती होने तथा पुनः ठीक होकर चले जाने की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया ने वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिये ठोस आधार प्रदान किया जिसका कार्य रोगियों तथा उनके परिवार में सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना, उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना तथा उनकी आवश्यकतानुसार समस्याओं के समाधान के लिये सहयोग प्रदान करना था। डा. कैबोट ने अपने अनुभवों के आधार पर इस बात का निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक परिस्थितियों का उचित रूप से अध्ययन किये बिना रोगी का समुचित उपचार नहीं किया जा सकता। इन्हीं की सलाह पर 1905 में बोस्टन के मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल में वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति की गयी।

मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में वैयक्तिक समाज कार्य

वैयक्तिक समाज कार्य के ढंगों-तथा कार्य प्रणाली पर मनोविज्ञान

तथा मनोविकार विज्ञान में होने वाले विकास तथा उनकी बढ़ती हुई आवश्यकता का गभीर प्रभाव पड़ा है। जे.स्टैनली के बाल विकास सद्वी अध्ययन, विनेट तथा साइमन द्वारा विकसित किये गये बुद्धिलब्ध सद्वी परीक्षण, हैयलक इलिस के यौन समस्याओं से संबंधित शोध, सिगमण्ड फ्रायड के मनोविश्लेषण सद्वी विचार, ऑटो रैक तथा जुग के प्रकार्यात्मक विचार जैसे अनेक महत्वपूर्ण कारकों का वैयक्तिक समाजकार्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनोरिचिकित्ता के क्षेत्र में वैयक्तिक समाज कार्य के 4 उदगम स्रोत रहे हैं

- (1) मनोरोग चिकित्ता केंद्रों तथा मानसिक चिकित्सालयों में रोगियों के साथ वैयक्तिक स्तर पर किये गये कार्य तथा प्रदान किया गया अनुरक्षण
- (2) बाल कार्यालयों में आने वाले मामलों तथा बाल निर्देशन चिकित्ता केंद्रों और सामाजिक समस्याओं के उपचार तथा नानायोजन हेतु भेजे गये बालकों एवं किशोरों के साथ वैयक्तिक स्तर पर किये गये कार्य,
- (3) मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में दयस्क रोगियों के साथ वैयक्तिक स्तर पर किये गये कार्य, तथा
- (4) सैनिकों एवं सैन्य चिकित्सालयों तथा क्लिनिकों में मनोस्नायु रोगियों के साथ वैयक्तिक एवं सामूहिक स्तर पर किये गये कार्य।

वैयक्तिक समाज कार्य के मानसिक चिकित्सालयों में उद्दिबिकास को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक दानो विश्व युद्ध तथा इनके मयादह परिणाम थे। मनोस्नायु विकृति से पीड़ित रोगियों की संख्या में हुई अत्याधिक तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप 1917 में मनोरिचिकित्ताकीय समाज कार्य प्रशिक्षण में विस्तार हुआ। युद्ध के कारण अनेक प्रकार के मनोविकार सामने आने लगे। इनके उपचार हेतु पहली बार 1918 में स्विथ कालेज में मनोरिचिकित्ताकीय समाज कार्यकर्ताओं के लिये

प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान अमरीकी रेडक्रास ने ऐसे परिवारों की सहायता के लिये जिनके सदस्य युद्ध पर गये हुये थे, होम सर्विस डिवीजन की स्थापना की जो उन्हें मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक सहायता भी प्रदान करते थे। आज इसका उपयोग विद्यालयों, बाल न्यायालयों, चिकित्सालयों तथा औद्योगिक फार्मों में होने लगा है।

IV वैयक्तिक समाज कार्य के सम्प्रदाय (Schools of social case work)

समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में वैयक्तिक समाज कार्य के विकास के साथ-साथ इसकी आधारभूत मान्यताओं, अवधारणाओं, प्रविधियों तथा कार्य-पद्धतियों में अन्तर आता गया। प्रारम्भ में वैयक्तिक समाज कार्य का उद्देश्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना था किन्तु बाद में मनोविज्ञान तथा मनोचिकित्सा विज्ञान के प्रभाव के कारण व्यक्तित्व एवं व्यवहार सम्बन्धी उपचार को भी इसके विषय क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया। धीरे-धीरे वैयक्तिक समाज कार्यकर्ताओं के अभिविन्यास तथा अभिगम में पर्याप्त अन्तर हो गया जिसके परिणामस्वरूप निदानात्मक (Diagnostic) तथा प्रकार्यात्मक (Functional) सम्प्रदायों का विकास हुआ।

निदानात्मक सम्प्रदाय (Diagnostic school)

इस सम्प्रदाय के विकास का श्रेय मेरी रिचमण्ड को है। इसके अतिरिक्त न्यूयार्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की मेरिथन केन वर्दी, फेमिली सोसाइटी ऑफ फिलेडेल्फिया की वेल्सीलिबी, लेखक, शिक्षक एवं विद्वान गार्डन हैमिल्टन, बर्था रेनाल्ड्स, सार्लट टावले, प्लारेन्स डे, लूत्सिली ऑस्टिन, गैरेट इत्यादि ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निदानात्मक सम्प्रदाय पर फ्रायड के सिद्धान्त का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस सिद्धान्त के अनुसार सेवार्थी की समस्या के निदान एवं

उपचार के लिये समस्या का उसके पर्यावरण के अंश के रूप में देखा जाना तथा सम्पूर्ण के साथ इसके सम्बन्ध के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसके विभिन्न तत्व आपस में प्रतिक्रिया करते हुये व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। चेतन मन के साथ अचेतन मन के प्रभाव भी व्यक्ति के मूल्यों, व्यवहार तथा आत्मसंयम पर पड़ते हैं। अतः वैयक्तिक समाज कार्यकर्ताओं के लिये इन बाह्य तथा आन्तरिक प्रभावों का समुचित ज्ञान आवश्यक हो जाता है।

निदानात्मक सम्प्रदाय में सेवार्थी की समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु निम्नलिखित की पूर्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है :

- (1) सेवार्थी की सहायता करने अथवा उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिये उसके बाह्य पर्यावरण के साथ उसकी अन्तर्क्रियाओं की जानकारी आवश्यक होती है। बाह्य पर्यावरण के सापेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण एवं सामान्य दोनों प्रकार के ही अंशों का समझा जाना आवश्यक होता है। बाह्य पर्यावरण के अन्तर्गत परिवार, सामाजिक समूह, शिक्षण संस्थान तथा अन्य विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थान आती हैं।
- (2) सेवार्थी की आवश्यकतानुसार उसकी चिकित्सा योजना तैयार की जानी चाहिये। सभी सेवार्थियों के लिये सामान्य चिकित्सा योजना न बनाकर वैयक्तीकरण करना आवश्यक होता है। सेवार्थी की समस्या की उत्पत्ति उसकी कार्यात्मक अक्षमता अथवा दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों अथवा इन दोनों की सम्मिलित प्रभाव के कारण हो सकती है।
- (3) वैयक्तिक समाज कार्य के अन्तर्गत किये जाने वाले उपचार में वैयक्तिक अथवा सामाजिक अथवा अन्तर्वैयक्तिक पर्यावरण अथवा इन दोनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है।

- (4) उपचार का उद्देश्य सेवार्थी की इस प्रकार सहायता करना होता है ताकि वह अपने आप में अथवा अपने पर्यावरण अथवा इन दोनों में इस प्रकार परिवर्तन ला सके जिससे उसका उचित समायोजन सम्भव हो सके।

इस सम्प्रदाय के विचारको की यह मान्यता है कि वैयक्तिक समाज कार्य उपचार के परिणामस्वरूप व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हुये इसका विकास किया जा सकता है और उपचार की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण में किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उसका समायोजन सरलतापूर्वक सम्भव हो जाता है। उपचार के प्रभाव कार्यकर्ता एवं सेवार्थी के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध की घनिष्ठता पर निर्भर करते हैं।

उपचार के प्रारम्भिक चरण में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :

- (1) सेवार्थी के संस्था के साथ सम्पर्क स्थापित किये जाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, अर्थात् यह पता लगाना कि सेवार्थी ने किन प्रेरकों से प्रेरित होकर संस्था के साथ सम्पर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- (2) सेवार्थी के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- (3) सेवार्थी को उपचार की क्रिया में लगाना, अर्थात् उसे इस बात के लिये प्रेरित करना तथा इसके दौरान आने वाले विभिन्न प्रकार के अवरोधों को दूर करना।
- (4) उपचार सम्बन्धी कार्य का शुभारम्भ करना।
- (5) मनोसामाजिक निदान तथा उपचार सम्बन्धी निर्देशन के लिये आवश्यक सूचनाये एकत्र करना।

इस सम्प्रदाय का यह स्पष्ट मत है कि समुचित निदान के बिना वैयक्तिक सेवा कार्य सम्बन्धी सेवाये नहीं प्रदान की जा सकती।

निदान ऐसी समस्याओं के कारणों की खोज है जो सेवार्थी को वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता के पास उसकी सहायता के लिये ले जायी जाती है। समुचित निदान के लिये मनोसामाजिक तथा सामाजिक कारणों का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। निदान की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित तीन प्रकार के कार्य सम्पादित किये जाते हैं -

- (1) सेवार्थी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों की सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ प्रतिक्रिया की प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
- (2) कारणात्मक कारकों का वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही स्तरों पर पता लगाया जाना।
- (3) सेवार्थी की प्रकार्यात्मकता तथा क्लिनिकल निदान का वर्गीकृत किया जाना।

सेवार्थी की प्रकार्यात्मकता के आधार पर उसे अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिये सेवार्थी का वर्गीकरण उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धर्म, जाति, इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है। शारीरिक बीमारियों का शिकार होने की स्थिति में रोग के आधार पर वर्गीकरण किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है किन्तु मनोसामाजिक समस्याओं के वर्गीकरण का कार्य वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता द्वारा सम्पादित किया जाता है। मनोसामाजिक समस्याओं के उदाहरण के रूप में पति-पत्नी के बीच कुसमायोजन, पिता-पुत्र के बीच कुसमायोजन, सीखने की प्रक्रिया में विकास की धीमी दर, इत्यादि। मनोविकार सम्बन्धी समस्याओं के पाये जाने की स्थिति में वर्गीकरण का कार्य मनश्चिकित्सकीय कार्यकर्ता द्वारा सम्पादित किया जाता है।

निदानात्मक सम्प्रदाय में उपचार के दो प्रमुख स्वरूप पाये जाते हैं (1) पर्यावरण में परिवर्तन तथा (2) व्यक्तित्व में परिवर्तन।

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय (Functional school)

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय का विकास पेन्सिलवैनिया स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा 1930 में किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रायड के समर्थकों ने अहम, मनोविज्ञान पर बल देते हुये इस विचार धारा को प्रतिपादित किया कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ऑटो रैंक (Otto Rank) ने एक नये दृष्टिकोण को सामने रखते हुये यह विचारधारा प्रतिपादित की कि व्यक्ति की सकल्प शक्ति ही उसका नियंत्रण एव संचालन करती है और इस प्रकार एक नये सम्प्रदाय की आधारशिला रखी जिसे प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इस सम्प्रदाय का विकास ऑटा रैंक के सिद्धांतों के आधार पर हुआ किन्तु इस पर टैफ्ट (Taft) के विचारों का विशेष प्रभाव पडा। उन्होने इस विचारधारा को सामने रखा कि संस्था के कार्यों का उपयोग समाज कार्य सहायता का मूल है और अपने एक लेख द्वारा संस्था के कार्य तथा सहायतामूलक प्रक्रिया के बीच सम्बन्ध स्थापित किया। राबिन्सन ने प्रकार्यात्मक सिद्धांतों का उपयोग समाज कार्य शिक्षा प्रदान करते समय किया। आप्टेकर (Aptekar), डावले (Dawley), डी स्वीनिज़ (De Schweinitz), फिलिप्स, लेविस, स्मैली (Smalley) इत्यादि विचारकों ने भी प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के विकास में अपना योगदान दिया।

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय की मौलिक मान्यता यह है कि व्यक्ति के अन्तर्गत ऐसी शक्ति पायी जाती है जो जीवन, स्वास्थ्य एवं पूर्णता की प्राप्ति में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति अपनी आन्तरिक शक्ति द्वारा ही अपने अन्दर तथा अपने पर्यावरण में परिवर्तन एवं संशोधन करता रहता है। यह परिवर्तन अवसर, उद्देश्य, स्थिति तथा सीमा में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत मानव संबंधों के उपयोग की पूर्ण क्षमता पायी जाती है। वह कार्यकर्ता के साथ सम्बन्ध स्थापित करके अपने में शक्ति अर्जित कर सकता है तथा अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।

इस सम्प्रदाय में तीन चरणों में कार्य किये जाते हैं प्रारम्भिक चरण, मध्यवर्ती चरण तथा अन्तिम चरण। प्रारम्भिक स्तर पर कार्यकर्ता सेवार्थी के अन्दर पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के डरो तथा अवरोधों को समझता है और इन्हें दूर करने का प्रयास करता है, सेवार्थी को अपनी भूमिका से अवगत कराता है, सेवार्थी को अपनी आशाओं, इच्छाओं, समस्याओं, रुचियों इत्यादि को व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है, समस्या का वर्गीकरण करता है तथा समस्या-समाधान को प्रारम्भ करने की स्थिति का निर्धारण करता है।

मध्यवर्ती चरण में सेवार्थी के उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है और उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं। टैपट का यह मत है कि मध्यवर्ती चरण होता ही नहीं है क्योंकि सेवार्थी के साथ एक बार उपचार का कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने पर वह तब तक अनवरत रूप से चलता रहता है जब तक कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाय।

अन्तिम चरण में सेवार्थी के अन्दर इस बात का भय विद्यमान रहता है कि सेवार्थी से कार्यकर्ता अलग हो जायेगा। कार्यकर्ता इस भय से मुक्ति दिलाने के लिये सेवार्थी में आत्म विश्वास पैदा करता है, उसमें आत्मबल बढ़ाता है, उसकी सकल्प शक्ति को सुदृढ़ बनाता है और अन्तिम रूप से उसे इस बारे में सक्षम बना देता है कि वह कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुये अपनी समस्याओं का समाधान करता रहे।

इस सम्प्रदाय की मान्यताओं के आधार पर कार्य करता हुआ वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की सामान्य पृष्ठभूमि यथा उसकी आयु, लिंग, स्थिति, संस्कृति, विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं, इत्यादि सम्बन्धी जानकारी को ध्यान में रखते हुये सेवार्थी का साक्षात्कार करता है। वह सेवार्थी से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उनका अध्ययन करता है। इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत सेवारथियों को श्रेणीबद्ध करने का प्रयास नहीं

किया जाता क्योंकि इससे उसके विकास करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के अन्तर्गत एक सहायतामूलक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में सेवार्थी में ही परिवर्तन लाने के प्रयास किये जाते हैं। उसकी इच्छा शक्ति को सुदृढ बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता सेवार्थी को केवल प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करता है। वह न तो कोई उपचार करता है और न ही सेवार्थी निष्क्रिय होकर कार्यकर्ता का अनुसरण करता है। सेवार्थी की प्रकार्यात्मकता को बढ़ाने का सतत प्रयास किया जाता है। वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता द्वारा किसी समाज कार्य संस्था के तत्वावधान में प्रावधानित सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है।

निदानात्मक तथा प्रकार्यात्मक सम्प्रदायों में प्रमुख अन्तर

इन दोनों सम्प्रदायों में अन्तर को तीन आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है . (1) व्यक्तित्व के प्रत्यय के आधार, (2) उपचार की अवधारणा के आधार पर, तथा (3) कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व के प्रत्यय के आधार पर।

व्यक्तित्व के प्रत्यय के आधार पर अन्तर . निदानात्मक सम्प्रदाय सिग्मण्ड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित है जबकि प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय ऑटो रैंक की संकल्प शक्ति पर आधारित है। निदानात्मक सम्प्रदाय व्यक्तित्व को अहम् द्वारा प्रमुख रूप से नियंत्रित आन्तरिक एव वाह्य पर्यावरण के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया के परिणाम के रूप में मानता है। उदाहरण के रूप में स्पष्ट करने के लिये व्यक्तित्व को एक स्वचालित वाहन, इदम् को इसके इंजन, अहम् को इसके चालक तथा पराहम् को पीछे की सीट पर बैठे हुये चालक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व समन्धी संरचना में सगठन शक्ति नहीं होती। व्यक्तित्व

सम्यन्धी सरचना मे अनेक प्रकार की अन्तर्क्रिया करने वाली शक्तिया पायी जाती हैं जो न केवल आपस में एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करती हैं बल्कि पर्यावरण के साथ भी अन्तर्क्रिया की स्थिति मे आती हैं। इन शक्तियो की सापेक्ष शक्ति तथा इनकी सतुलन व्यवस्था व्यक्ति के पूर्व अनुभवो पर आधारित होती है जिन्हे वह अपने माता पिता के साथ सम्यन्ध स्थापित करने के परिणामस्वरूप प्राप्त करता है। इस सम्पूर्ण मानव संरचना मे अहम् का प्रमुख स्थान होता है जो आन्तरिक तथा बाह्य दोनो ही स्तरों पर शक्ति के रूप मे कार्य करता है। अहम् का कार्य प्रत्यक्षीकरण, वास्तविकता परीक्षण, निर्णय, सगठन, नियोजन तथा आत्म-संरक्षण करना है। अहम् की शक्ति व्यक्ति के मनो-सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। मनोचिकित्सकीय सहायता द्वारा अहम् का विकास किया जा सकता है।

फ्रायड के मत मे व्यक्ति के अन्दर पायी जाने वाली प्राकृतिक जैविक शक्ति (Natural Biological Power) जीवन की मूलभूत प्रवृत्ति तथा मृत्यु की मूलभूत प्रवृत्ति के रूप मे पायी जाती है जिन्हे फ्रायड द्वारा "इरास" (Eros) तथा 'थेनाटास' (Thanatos) के नाम से सम्बोद्धित किया गया है। 'इरास' दो प्रकार की प्रेरक शक्तियों के रूप में पायी जाती है : लैंगिक प्रेरक शक्तियो के रूप में जिनका प्रतिनिधि इदम् द्वारा किया जाता है तथा अहम् प्रेरक शक्तिया जिनका प्रतिनिधित्व अहम् द्वारा किया जाता है। 'थेनाटास' का प्रतिनिधित्व इदम् द्वारा किया जाता है। मानव व्यवहार 'इरास' तथा 'थेनाटास' के बीच पायी जाने वाली अन्तर्क्रिया का परिणाम होता है। यदि 'इरास' अधिक प्रबल होता है तो व्यवहार रचनात्मक होता है, यदि 'थेनाटास' अधिक प्रबल होता है तो व्यवहार विध्वंसात्मक होता है, तथा यदि 'इरास' की तुलना मे 'थेनाटास' बहुत अधिक प्रबल हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है।

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय के अनुसार सकल्पशक्ति (Will) प्रमुख सगठनकारी शक्ति होती है। यद्यपि व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों एव बाह्य पर्यावरण के बीच अन्तर्क्रिया होती है फिर भी यह सकल्प शक्ति

द्वारा निर्देशित की जाती है। यह सकल्प शक्ति आन्तरिक एव वाह्य अनुभवों को सगठित कर स्व (Self) का विकास करती है। यह विकास व्यक्ति के परिवेश में अर्थपूर्ण सम्वन्धों के विकसित होने के साथ-साथ घटित होता है। परिवेश के इन विभिन्न प्रकार के सबंधों में सर्व प्रमुख स्थान माता के साथ पाये जाने वाले सम्वन्धों का होता है। व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के अनुभव उसे मिलना (union), बिछुडना (separation) प्रक्षेपण (projection) एव तादात्म्यकरण (identification) की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

'स्व' (self) सकल्पशक्ति द्वारा आन्तरिक एव वाह्य अनुभवों के रचनात्मक प्रयोग का परिणाम होता है। यदि इच्छाशक्ति आन्तरिक एव वाह्य अनुभवों का रचनात्मक एव सकारात्मक प्रयोग करती है तो सफल व्यक्तित्व विकसित होता है।

व्यक्ति अपने जीवन में लोगों के साथ सम्पर्क में आता है, उनसे अलग होता है, अपनी आन्तरिक इच्छाओं एव आवश्यकताओं को वाह्य पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर प्रक्षेपित करते हुये इन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हेतु इनका प्रयोग करता है तथा अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक समझी गयी वस्तुओं के साथ तादात्म्य स्थापित करता है।

मिलने, बिछुडने, प्रक्षेपित करने एवं तादात्म्यकरण करने की घटनाएँ आजीवन चलती रहती हैं। सर्वप्रथम भ्रूण जब मां के गर्भ में पल रहा होता है वह पूर्ण मिलन की स्थिति में होता है। जन्म लेने के समय वह बिछुडने का अनुभव करता है और इसीलिये जन्म को मानसिक मृत्यु (Mental death) के नाम से भी सम्वोधित किया जाता है। मां जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वह पुन उसके साथ मिलन का अनुभव करता है और जब अलग कर देती है तो बिछुडने की अनुभूति करता है। वह पहले अपनी जैविक आवश्यकताओं एव अभिरुचियों की पूर्ति के लिये विभिन्न पदार्थों को प्रयोग करने का प्रयास करता है। जब उसे इस बात का अनुभव होता है कि यह

आवश्यक नहीं कि दूसरे सभी व्यक्ति उसकी इन आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों की पूर्ति में निश्चित रूप से सहायक ही सिद्ध होंगे तब वह अपने तथा दूसरे लोगों के बीच विभेद करने लगता है और उन वस्तुओं के साथ जो उसकी आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती हैं, तादात्म्य स्थापित करने लगता है। सर्वप्रथम वह अपनी माता के ऊपर अपनी आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों को प्रक्षेपित करता है और उनकी पूर्ति में माता के सहायक होने पर उसके साथ तादात्म्यकरण करने लगता है। यदि माँ उसकी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की सतुष्टि पर नियंत्रण लगाने लगती है तो वह इनकी सतुष्टि के अन्य ढंगों की खोज करने लगता है और यही पर 'स्व' प्रकट होता है जो स्वयं अपने तथा माँ के विषय में अच्छे अथवा बुरे होने की भावना का द्योतक होता है। इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत सेवार्थी को सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हुये तथा अच्छे अनुभव देते हुए उसकी सकल्पशक्ति को सुदृढ़ बनाया जाता है और इस कार्य में सस्था में उपलब्ध सेवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। इस सम्प्रदाय में वर्तमान के प्रयोग पर अधिक बल देते हुये इच्छा शक्ति को अधिक सुदृढ़ बनाया जाता है।

2. उपचार की अवधारणा के आधार पर अन्तर निदानात्मक सम्प्रदाय में वैयक्तिकृत अभिगम का सहारा लिया जाता है। इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत सेवार्थी-कर्ता सबंध को सेवार्थी के समाज में अधिक अच्छे समायोजन के लक्ष्य की प्राप्ति में एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस सम्प्रदाय में उपचार को अधिक अच्छे समायोजन के लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। समस्या का मनो-सामाजिक अध्ययन करने के पश्चात् निदानात्मक मूल्यांकन करते हुये उपचार की योजना बनायी जाती है। उपचार करने के लिये पर्यावरण में सशोधन किये जाते हैं, आवश्यक रोगाये प्रदान की जाती हैं तथा निर्देशित एवं गैर-निर्देशित दोनों प्रकार की मञ्जरा, उपचारात्मक साक्षात्कार, हस्तांतरण स्पष्टीकरण व्याख्या, निर्वचन तथा गतिरोध व्यवस्था का प्रयोग करते हुये प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जाता है।

प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय में सम्वन्ध स्वयं में एक उद्देश्य होते हैं। इन्हीं के आधार पर इच्छा शक्ति सुदृढ बनती है। सेवार्थी के साथ इस प्रकार के सबंध स्थापित किये जाते हैं ताकि इन संबंधों के दौरान मिलने, बिछुडने, प्रक्षेपण एवं तादात्मीकरण की प्रक्रियाओं से रचनात्मक अनुभव प्राप्त हो सकें। सम्वन्ध स्थापित करने के साथ-साथ ऐसे साधन भी उपलब्ध कराये जाते हैं जो व्यक्ति को आन्तरिक तथा वाह्य कारकों के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया का रचनात्मक प्रयोग करने में सहायक सिद्ध हो सकें।

3. कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व के प्रत्यय में अन्तर : निदानात्मक सम्प्रदाय में कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व अत्यधिक गम्भीर होता है क्योंकि अतीत और वर्तमान दोनों के सन्दर्भ में उसके व्यक्तित्व तथा समस्या का मनोसामाजिक अध्ययन करने के उपरान्त निदानात्मक मूल्यांकन करते हुये उपचार की योजना बनाकर उपचार की प्रक्रिया में कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है जबकि प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय में कार्यकर्ता को केवल ऐसे सम्वन्ध स्थापित करने होते हैं तथा ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं जो सेवार्थी को रचनात्मक अनुभव प्रदान करते हुये उसके 'स्व' के विकास में सहायक सिद्ध हो सकें।

V वैयक्तिक समाज कार्य के मौलिक प्रत्यय (Basic concepts of social case work)

एक वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता अपनी सेवायें प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित प्रत्ययों को सदैव ध्यान में रखते हुये कार्य करता है :

1. सामाजिक भूमिका (Social role)

प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में अपनी आयु, लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, इत्यादि के आधारों पर एक स्थिति को प्राप्त करता है जिसे प्रस्थिति (Status) के नाम से संबोधित

किया जाता है। प्रस्थिति व्यक्ति का समाज में वह स्थान होता है जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के आचारों पर समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक प्रस्थिति के साथ कुछ उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं। ये उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य सामाजिक नियमों, परम्पराओं, प्रथाओं, रीतियों, विघटनों, नियमों इत्यादि द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। ये उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य व्यक्ति की भूमिका का निर्णय करते हैं। इस प्रकार भूमिका एक प्रस्थिति के साथ सम्बद्ध ऐसे उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य होते हैं जिनका निर्धारण प्रचलित सामाजिक मान्यताओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिये, परिवार में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्री, पुत्र, बहन, भाई इत्यादि अनेक प्रकार की प्रस्थितियाँ पायी जाती हैं। इन प्रस्थितियों के साथ अनेक प्रकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सम्बद्ध होते हैं। एक पिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी तथा सतानों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। यह उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य भी प्रकाशित मान्यताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। अमरीका जैसे सुविकसित समाज में जहाँ स्त्रियाँ तथा किशोर भी कार्यरत होकर आजीविका कमाने की स्थिति में होते हैं वहाँ पिता का उत्तरदायित्व अपने बच्चों के किशोरावस्था तक पहुँचने तक ही भरण पोषण करना होता है। इसके विपरीत भारतीय समाज में पिता के रूप में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का सामान्यतया आजीवन तथा बच्चों का कम से कम कमाने की अवस्था तक पहुँचने तक, कुछ स्थितियों में आजीवन भी, भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इस प्रकार प्रस्थिति का दायित्व सम्बन्धी पक्ष भूमिका कहलाता है। भूमिका की अवधारणा में दो तत्व सन्निहित होते हैं - (1) भूमिका से सम्बद्ध प्रत्याशाएँ, तथा (2) इन प्रत्याशाओं के सन्दर्भ में सम्पादित की गयी क्रियाएँ। समाज को किसी भी प्रस्थिति में स्थित व्यक्ति से कुछ आशाएँ होती हैं। समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह अपनी प्रस्थिति सम्बन्धी इन आशाओं को आवश्यक कार्य करते हुए पूर्ण करेगा। इस प्रकार सामाजिक भूमिका प्रत्याशाओं एवं क्रियाओं का एक अन्तर्संबंधित समूह होता है जो किसी सामाजिक संगठन का एक समेकित अंग होता है।

भूमिका के निम्नलिखित पहलू हैं -

- (1) भूमिका प्रस्थिति से सम्बन्धित होती है।
- (2) इसके अंतर्गत वे कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व आते हैं जो सामाजिक प्रस्थिति को अपनाने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पादित किये जाने होते हैं।
- (3) इन उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा किया जाता है।
- (4) भूमिका के अंतर्गत प्रत्याशित उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य तथा वास्तव में सम्पादित उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं।
- (5) प्रत्याशित भूमिकाओं तथा सम्पादित भूमिकाओं के बीच प्रायः अन्तर पाया जाता है।
- (6) भूमिका प्रत्याशा तथा भूमिका निष्पत्ति के बीच अत्यधिक अन्तर पाये जाने पर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जब वह इनका समाधान स्वयं नहीं कर पाता तब उसे सहायता की आवश्यकता का अनुभव होता है।

2 अनुकूलन (Adaptation)

अनुकूलन का अर्थ जैदिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तित करना होता है ताकि विकास एवं प्रगति सम्भव हो सके। फेयरचाइल्ड के अनुसार "अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक ही हुई परिस्थिति में रहने की योग्यता प्राप्त करता है।"²

अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण के अनुसार अपने को ढालता है। व्यक्ति में यह क्षमता पायी जाती है कि वह समय के साथ अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन कर लेता है। कर्मी वह अपने को परिवर्तित करता है तो कर्मी पर्यावरण को।

अनुकूलन तीन प्रकार का होता है (1) प्राणिशास्त्रीय (Biological) अनुकूलन, (2) भौतिक अनुकूलन, तथा (3) सामाजिक (Social) अनुकूलन। प्राणिशास्त्रीय अनुकूलन के माध्यम से व्यक्ति जीवित रहने के लिये अनुकूल दशाये प्राप्त करता है। भौतिक अनुकूलन बिना किसी प्रयत्न के स्वतः होता रहता है। सामाजिक अनुकूलन के लिये व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं। सामाजिक अनुकूलन व्यक्ति के लिये अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना न तो विकास एव उन्नति सम्भव है और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा का प्राप्त हो पाना।

व्यक्ति सदैव अपनी परिस्थितियों, दशाओ, अन्तर्व्यक्तिक सबधो इत्यादि के साथ अनुकूलन प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा रहता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह अपने इस प्रयास में सफल ही हो अथवा उसकी अनुकूलन पद्धति उसे व्यक्तिगत सफलता उपलब्ध करा ही दे। व्यक्ति का अनुकूलन उस सीमा तक पूर्णरूपेण स्वस्थ होता है जिस सीमा तक वह अपनी परिस्थितियों, दशाओ तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करता है। जो व्यक्ति अपनी बाधाओ को दूर करने में असमर्थ होता है वह असामान्यता के लक्षण प्रदर्शित करता है।

सामाजिक परिस्थितियों के साथ व्यक्ति तीन प्रकार से अनुकूलन करने का प्रयास करता है

- (1) अभ्यस्त एव पूर्व निश्चित ढंगों का उपयोग करते हुये,
- (2) बुद्धि अथवा संघर्ष का प्रयोग करते हुये, तथा
- (3) उदासीनता, मानसिक उन्मुखता, प्रतिगमन, प्रत्याहार अथवा कल्पना की उडान का प्रयोग करते हुये।

सर्वप्रथम व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास पूर्व परिचित ढंगों एव पहले प्रयोग में लायी गयी प्रविधियों का प्रयोग करते हुये करता है। यदि इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं होता तो वह या तो संघर्ष करता है या अपने आपको उस स्थिति के

अनुकूल बना लेता है या उस स्थिति से दूर हो जाने का प्रयास करता है। यदि ये ढग भी असफल हो जाते हैं तो वह समस्या के प्रति उदासीन हो जाता है और मानसिक विकार के अनेक लक्षण उत्पन्न कर लेता है।

3. अहम् (Ego)

मानव व्यक्तित्व में पायी जाने वाली शक्तियों के तीन कार्य होते हैं - (1) जीवन शक्तियों की सन्तोषपूर्ण अभिव्यक्ति, (2) ऐच्छिक अथवा स्वचालित प्रतिबंध व्यवस्था का कार्यान्वयन, तथा (3) सगठन एव प्रशासन व्यवस्था जो सतुलन स्थापित करने का कार्य करती है तथा यह क्या चाहता है और क्या कर सकता है, के बीच नियंत्रण स्थापित करती है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व की इन शक्तियों को इदम्, अहम् तथा पराहम् के नाम से सम्बोधित किया है। इदम् मानव व्यक्तित्व की उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को सुख प्रदान करने में सहायक होती हैं। अहम् व्यक्तित्व की उन शक्तियों का द्योतक है जिनके द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाये रखता है। पराहम् व्यक्तित्व की उन शक्तियों का परिचायक है जो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करने के लिये नियंत्रण लागू करती है।

वास्तविकता की जानकारी करने तथा इदम् और पराहम् के बीच संतुलन स्थापित करने के कारण अहम् की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डेविसन के मत में, "अहम् व्यक्तित्व के चेतन रूप से कार्य करने वाले ऐसे अंश का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करता है और दूसरों के साथ सम्प्रेषण करता है" फ्रीडलैण्डर के अनुसार "अहम् का प्रत्यय ऐसी अभ्यन्तर (Intrapersonal) शक्तियों को सम्बोधित करता है जो व्यक्ति की विभिन्न तथा कभी-कभी एक दूसरे के साथ एव वाह्य संसार की मांगों के साथ संघर्षपूर्ण आवश्यकताओं एवं मूल्यों के साथ सतुलन बनाये रखने के लिये निरन्तर प्रयास करता है।" अहम् परिणामों के विषय में सोचता है, उन स्थितियों का पूर्वानुमान करता है जो घटित नहीं हुई होती तथा

समाधान के उपाय निर्धारित करता है। अहम् के अनेक कार्य हैं। इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं प्रत्यक्षीकरण (सही/विघटित), निर्णय (तार्किक/अतार्किक), सोच समझ कर/जल्दबाजी में, वास्तविकता परीक्षण (वास्तविक स्थिति पर ध्यान अथवा कल्पना का सहारा), आत्मनिर्णय (वास्तविक/बढा-चढाकर/अव्यवस्थित), मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण (बहुत कम/बहुत अधिक), क्रिया संगठन (व्यवस्थित/अव्यावहारिक), विचार (तर्कपूर्ण/अतार्किक), सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग (सीमा तथा प्रकार)।

अहम् का ज्ञान व्यक्ति को समझने तथा उसे सहायता प्रदान करने के लिये आवश्यक है। सेवार्थी की समस्या के वास्तविक कारणों तथा इसके समाधान के लिये उसके द्वारा किये गये प्रयासों को जानने के लिये वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता अहम् की विगत कार्यात्मकता का ज्ञान प्राप्त करता है। यदि उसे यह पता चलता है कि सेवार्थी के विगत जीवन में विघटित प्रत्यक्षीकरण के अनुभव प्राप्त हुये हैं, उसके द्वारा ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं किया गया है तथा वह सामान्य समस्याओं के समाधान में असफल रहा है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सेवार्थी की अहम् शक्ति दुर्बल है और वह इसे सुदृढ बनाने का प्रयास करता है।

VI वैयक्तिक समाज कार्य के चरण (Steps in social casework)

वैयक्तिक समाज कार्य के तीन चरण हैं (1) मनो-सामाजिक अध्ययन, (2) निदान एवं मूल्यांकन, तथा (3) उपचार।

1. मनोसामाजिक अध्ययन (Psycho-social study)

प्रारम्भ में सम्बन्ध, समर्थन (Support), पुनराश्वासन (reassurance), स्पष्टीकरण (clarification), संलाह, व्याख्या, इत्यादि का प्रयोग करते हुये वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि उसकी चिन्ता कम हो सके, उसके विश्वास एवं आशा में वृद्धि हो सके, वह अपनी समस्या के परिस्थिति

सम्बन्धी तथा रागात्मक पहलुओं के विषय में सोचते हुये विचार व्यक्त कर सके, वह अपने उद्देश्यों एवं संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सके और समस्या-समाधान में अपना सहयोग प्रदान कर सके।

मनो-सामाजिक अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ घनिष्ठ संबंध (rapport) स्थापित करते हुये अपने में सेवार्थी का विश्वास जागृत कर सके और उसे यह विश्वास दिला सके कि वह वास्तव में उसकी समस्या-समाधान में सहायता करना चाहता है और उसके द्वारा प्रदान की गयी सम्पूर्ण सूचनाओं को गोपनीय रखेगा। सेवार्थी के साथ उसकी सुविधानुसार समय निर्धारित कर उसके लिये अनुकूल स्थान पर गैरनिर्देशात्मक (non-directive) साक्षात्कार का प्रयोग करते हुये वह सेवार्थी की समस्या का मनो-सामाजिक अध्ययन करता है। वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ उसके द्वारा सरलतापूर्वक समझी जाने वाली भाषा एवं शैली में समस्या से सम्बन्धित कुछ प्रमुख बिन्दुओं को उठाते हुये उनके विषय में सेवार्थी को स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अनेक समस्याएँ ऐसी होती हैं जिनके साथ सेवार्थियों की व्यक्तिगत भावनायें सम्बद्ध होती हैं और उनके विषय में सेवार्थी सरलतापूर्वक सम्प्रेषण नहीं कर पाते और ऐसी परिस्थिति में वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता न केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में सेवार्थी की बात को सुनता रहता है बल्कि वह उसे समस्या से संबंधित तथ्यों को प्रेरित करने के लिये उत्प्रेरक का कार्य करता है और उसे अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उसकी सहायता करता है। वह न केवल सेवार्थी को इस बात का अनवरत रूप से आश्वासन देता रहता है कि उसके द्वारा बतायी जाने वाली बातें महत्वपूर्ण हैं। कभी-कभी वह सेवार्थी से समस्या के किसी पहलू विशेष अथवा इससे संबंधित परिस्थिति विशेष के संबंध में और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिये कहता है वल्कि कभी-कभी वह सेवार्थी को इस बात का स्पष्टीकरण भी प्रदान

करता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की सूचना का संग्रह क्यों किया जा रहा है। सेवार्थी के अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होने अथवा एक ही समस्या के विभिन्न स्तरों पर पाये जाने अथवा अपने विचारों के व्यक्त करते समय सेवार्थी के अपने स्वयं के सम्बन्ध में बह जाने की स्थिति में वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता कुछ प्रश्नों टिप्पणियों अथवा सुझावों का प्रयोग करते हुये उससे अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिये निवेदन करता है और समस्या के किसी अंश को सापेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण मानते हुये उसको पृथक् करता है जिसका परिणाम यह होता है कि इससे इस पहलू का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तथा अहम् की शक्ति इसके समाधान की ओर निर्देशित हो जाती है।

मनो-सामाजिक अध्ययन के लिये प्रमुख रूप से वैयक्तिक अध्ययन तथा साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है।

वैयक्तिक अध्ययन (Case study) वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग वैयक्तिक समाज कार्य में सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा उसकी समस्या का सम्पूर्णता में अध्ययन करने के लिये किया जाता है। यह अध्ययन का एक ऐसा ढंग है जो सूचना के विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हुये सेवार्थी तथा उसकी समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपेक्षित सम्पूर्ण गुणात्मक सामग्री के संग्रह को सम्भव बनाता है। एक ढंग के रूप में यह सापेक्षतया अधिक गुणात्मक है, इसकी सहायता से अधिक विस्तृत एवं पूर्ण सूचना का संग्रह किया जा सकता है तथा इसके अंतर्गत सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा उसकी समस्या से सम्बन्धित विभिन्न तत्वों को एकीकरण तथा समग्रता की स्थिति में स्वीकार करते हुये सूचना को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

वैयक्तिक अध्ययन ढंग का प्रयोग करते हुये यह समझने का प्रयास किया जाता है कि आन्तरिक संरचना के विभिन्न पहलू क्या हैं तथा आन्तरिक संरचना के विभिन्न पहलुओं तथा बाह्य वातावरण के बीच सम्बन्ध क्या है।

वैयक्तिक अध्ययन के दौरान निम्नलिखित प्रमुख प्रविधिया प्रयोग में लायी जाती हैं

- (1) बिना किसी अनुसूची का प्रयोग करते हुये अनौपचारिक साक्षात्कार का किया जाना,
- (2) वैयक्तिक दस्तावेजों का अवलोकन करते हुये इच्छित सूचना का संग्रह किया जाना,
- (3) जीवन इतिहासों का तैयार किया जाना, तथा
- (4) सगठनात्मक अभिलेखों का अवलोकन करते हुये इच्छित सूचना का संग्रह किया जाना।

वैयक्तिक अध्ययन ढग का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित स्रोतों से सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है

- (1) सेवार्थी तथा उसकी परिस्थिति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति,
- (2) सेवार्थी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, उदाहरणार्थ, उसके घर, व्यवसाय, शिक्षा, फर्म, मनोरंजन, चिकित्सा, इत्यादि से सम्बन्धित सस्थाए तथा इनमें कार्यरत महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा इनमें उपलब्ध दस्तावेज एवं अभिलेख,
- (3) सेवार्थी के घनिष्ठ मित्र, सम्बन्ध इत्यादि जो उसके जीवन, व्यक्तित्व तथा समस्या पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं,
- (4) सेवार्थी के निजी महत्वपूर्ण दस्तावेज, उदाहरणार्थ, दैनन्दिनियाँ (Diaries), पत्र इत्यादि।

2. निदान एवं मूल्यांकन (Diagnosis and evaluation)

निदान शब्द का प्रयोग अधिकांशतः चिकित्साशास्त्र में किया जाता है जिसका अभिप्राय रोग का सम्पूर्ण ज्ञान होता है। वैयक्तिक समाज कार्य में प्रयोग में लाये जाने वाले निदान शब्द का अर्थ

चिकित्साशास्त्र में प्रयुक्त निदान शब्द के अर्थ से अधिक व्यापक है। वैयक्तिक समाज कार्य में निदान का अर्थ न केवल समस्या का पूर्ण ज्ञान बल्कि समस्याग्रस्त व्यक्ति के सम्बन्ध में भी पूर्ण ज्ञान से होता है। निदान सेवार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्या की वास्तविक प्रकृति के सम्बन्ध में व्यावसायिक मत है। निदान तथा उपचार अन्योन्याश्रित हैं क्योंकि निदान उपचार को निर्देशित करता है तथा जैसे-जैसे उपचार में प्रगति होती है वैसे-वैसे निदान में परिवर्तन तथा सशोधन होता जाता है और तदनुसार उपचार को पुनः निर्देशित किया जाता है। उपयुक्त निदान करने तथा समस्या के समाधान के लिये तथ्यों की खोज करने दोनों की ही आवश्यकता होती है किन्तु सहायता की प्रक्रिया में निदान का महत्व तथ्यों की खोज से अधिक हो जाता है।

निदान का अर्थ (Diagnosis)

मेरी रिचमण्ड^७ के अनुसार, "सामाजिक निदान यथासंभव एक विशिष्ट सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा सामाजिक स्थिति की ठीक परिभाषा करने का प्रयास है।" हरवर्ट आस्टेकर^{१०} के अनुसार 'निदानात्मक सम्प्रदाय के दृष्टिकोण के अनुसार निदान उस समस्या के कारण की खोज है जो सेवार्थी को कर्ता के पास सहायता के लिये ले जाता है

इस प्रकार निदान ऐसे मनोवैज्ञानिक अथवा व्यक्तित्व सम्बन्धी कारकों को जो सेवार्थी की कठिनाई के साथ कारणात्मक सम्बन्ध रखते हैं, तथा सामाजिक अथवा पर्यावरणात्मक कारकों को जो इसे बनाये रखते हैं, दोनों को समझने से सम्बन्धित है।

निदान सेवार्थी की समस्या, उसके व्यक्तित्व तथा परिवेश को यथार्थ रूप से समझने के लिये किया गया प्रयास है। निदान की प्रक्रिया में समस्या से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, सेवार्थी की शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कार्यात्मकता का निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता है, पर्यावरण सम्बन्धी कारकों को समस्या के सन्दर्भ में देखा जाता है तथा सेवार्थी एवं पर्यावरण दोनों

की एक साथ व्याख्या करते हुये समस्या के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

निदान की प्रक्रिया के चरण (Steps in the process of diagnosis)

निदान की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं

(1) आंकड़ों का संग्रह (Collection of data)

इस चरण में सेवार्थी से सम्बन्धित सभी क्षेत्रीय तथा अभिलेखीय स्रोतों का प्रयोग करते हुये सेवार्थी की समस्या, उसके व्यक्तित्व तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के सम्बन्ध में व्यापक सूचना एकत्र की जाती है। सेवार्थी से सम्बन्धित रिपोर्टों, सरथा के अभिलेखों, मनोचिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्टों, विद्यालय तथा अन्य सेवा सरथाओं से मिली जानकारी, परिवारजनों, मित्रों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों, इत्यादि से प्राप्त सूचना को एकत्रित किया जाता है।

(2) तथ्यों का मूल्यांकन (Evaluation of facts)

वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के सम्बन्ध में एकत्रित किये गये तथ्यों का तीन प्रकार से मूल्यांकन करता है -

(i) समस्या का मूल्यांकन (Evaluation of problem)

यहां पर वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि समस्या का स्वरूप क्या है। यह शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाली समस्या है मनोवैज्ञानिक दबाव डालने वाली समस्या है, असमायोजन सम्बन्धी समस्या है, भूमिका सम्पादन सम्बन्धी समस्या है, इत्यादि। समस्या का मूल्यांकन करते समय वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता इस प्रकार की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि सेवार्थी किस समस्या से ग्रस्त है, उसकी समस्या का प्रादुर्भाव कब हुआ, समस्या को सुलझाने की दिशा में कब-कब और क्या-क्या प्रयास किये गये, इन प्रयासों में क्या सफलता मिली तथा इन प्रयासों को क्यों बंद कर दिया गया।

(ii) *व्यक्तित्व का मूल्यांकन (Evaluation of personality)*

वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की अहम् शक्ति का मूल्यांकन करता है। ऐसा करते हुये वह यह जानने का प्रयास करता है कि सेवार्थी के अतीत के अनुभव क्या रहे हैं। उसके निर्णय की वया स्थिति है तथा उसमे बाहर एव आन्तरिक दबावो से निपटने की क्षमता क्या है।

(iii) *पर्यावरण का मूल्यांकन (Evaluation of environment)*

यहा पर वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के परिवार, पड़ोस, विद्यालय, धार्मिक सरथाओ, आर्थिक सरथाओ, राजनीतिक सरथाओ, मनोरजनात्मक सरथाओ, इत्यादि के बारे मे मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन करते समय वह विभिन्न प्रकार की सरथाओ के साथ सेवार्थी के सम्बन्धो, इन सरथाओ द्वारा सेवार्थी पर डाले गये प्रभावो तथा इन सरथाओ के सन्दर्भ मे सेवार्थी द्वारा प्रतिपादित की गयी भूमिकाओ ओर इनके उद्देश्यो की प्राप्ति मे सेवार्थी द्वारा प्रदान किये गये योगदान का मूल्यांकन करता है।

(3) *कारणात्मक कारको की खोज (Search of etiological factors)*

इस चरण मे वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि (1) समस्या का स्वरूप क्या है, (2) सामाजिक पर्यावरण का सेवार्थी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पडा है, तथा (3) समस्या की उत्पत्ति के लिये मुख्य रूप से कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं।

(4) *वर्गीकरण (Classification)*

इस चरण मे वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता समस्या का उसके प्रकार, कारणो समाधान के लिये अपेक्षित उपायो, इत्यादि के आधार पर वर्गीकरण करता है।

निदान के प्रकार (Forms of diagnosis)

पर्लमेन के मत में निदान के तीन प्रकार हैं (1) गतिशील निदान (Dynamic diagnosis), (2) क्लिनिकल निदान (Clinical diagnosis), तथा (3) कारणात्मक निदान (Etiological diagnosis)।

(1) गतिशील निदान

गतिशील निदान वह निदान है जो व्यक्ति-समस्या-परिस्थिति की जटिलता में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाली शक्तियों का निदान करता है। इसके अंतर्गत उन बातों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें सामान्य रूप से मनोसामाजिक कहा जाता है तथा इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत सेवार्थी की वर्तमान क्रियाविधि को भी सम्मिलित किया जाता है।

गतिशील निदान सेवार्थी की समस्या सम्यन्धी परिस्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का निदान है। ये शक्तियाँ सेवार्थी के अन्दर उसकी उसकी सामाजिक परिस्थिति में अथवा उसके तथा उसकी परिस्थिति के बीच कार्यरत होती हैं। गतिशील निदान यह पता लगाने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है, कौन से मनोवैज्ञानिक, भौतिक अथवा सामाजिक कारक इसकी उत्पत्ति में योगदान दे रहे हैं, इसका सेवार्थी तथा अन्य व्यक्तियों के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार का समाधान खोजा रहा है तथा सेवार्थी, उसकी परिस्थिति, आयोजित सेवाओं एवं उपलब्ध संसाधनों में क्या सम्यन्ध पाये जा रहे हैं।

गतिशील निदान सरल अथवा जटिल दोनों प्रकार का हो सकता है। कहीं मनोवैज्ञानिक कारक अधिक प्रभावपूर्ण हो सकते हैं तो कहीं सामाजिक कारक वैयक्तिक कार्य की प्रारम्भिक स्थिति में निदानात्मक खोज का केन्द्र बिन्दु बदलता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह पूर्णरूपेण बदल जाता है। इसमें सेवार्थी तथा उसकी परिस्थिति के

दारे में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होने के साथ आवश्यक परिवर्तन किये जाते रहते हैं।

(2) विलनिकल निदान

विलनिकल निदान व्यक्ति को उसकी बीमारी की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करने का एक प्रयास है। इसके अतर्गत उसके व्यक्तित्व के कुसमायोजन के कुछ स्वरूपों एवं लक्षणों तथा उसकी दुष्क्रिया (malfunctioning) के लक्षणों स्वरूप, आवश्यकताओं एवं व्यवहार के स्वरूपों का पता लगाया जाता है। इनसे यह पता चलता है कि व्यक्ति के प्रत्युत्तर तथा क्रिया के प्रतिमान किस प्रकार के होंगे तथा ये उसके अन्तर्ब्यक्तिक एवं सामाजिक सम्बन्धों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। जब यह पता चलता है कि समस्या सेवार्थी के व्यक्तित्व सम्बन्धी संरचना अथवा क्रियाओं द्वारा उत्पन्न की गयी है अथवा समस्या और/अथवा इसका समाधान इनसे अत्यधिक प्रभावित हो रहा है तो व्यक्तित्व सम्बन्धी कुसमायोजन अथवा दुष्कार्य का पता लगाया जाता है और इसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसे विलनिकल निदान अर्थात् व्यक्ति में स्वयं पायी जाने वाली गड़बड़ी का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन कहा जाता है।

विलनिकल निदान में कार्यरत दैयक्तिक समाज कार्यकर्ता में इस बात की योग्यता होनी चाहिये कि वह इस बात की पहचान कर सके कि सेवार्थी के व्यक्तित्व में कुल मिलाकर दुख की क्या स्थिति है अर्थात् उसमें मनो-विकास मनो-स्नायुविकृति, चारित्रिक एवं व्यवहारिक विसंगतियों के लक्षणों की पहचानने की योग्यता होनी चाहिये। इस प्रकार का निदान मनश्चिकित्सकों के सहयोग से किया जाता है।

(3) कारणात्मक निदान

सामान्य प्रयोग में कारणात्मक निदान का सम्बन्ध निकटवर्ती कारणों (immediate causes) से कम होता है तथा समस्या की प्रारम्भिक स्थिति और जीवन इतिहास से अधिक। इसका सम्बन्ध ऐसी

समस्या से होता है जो सेवार्थी के व्यवित्तत्व अथवा उसकी क्रिया में सन्निहित होती है। सेवार्थी के इतिहास में समस्याग्रस्त होने, इनका सामना करने तथा समाधान करने की घटनायें वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी प्रदान कर सकती हैं कि सेवार्थी किस समस्या से ग्रस्त है और समस्या का सामना करने की उसकी क्षमता क्या है। इस प्रकार का निदान ऐसे अनुपयुक्त व्यवहार अथवा स्थिर प्रतिक्रियाओं (rigid reactions) को समझने में सहायक सिद्ध होता है जो प्रारम्भ से ही पाये जाते रहे हैं। कारणात्मक निदान से समस्याग्रस्त व्यक्ति तथा इसके समाधान में सहायक सिद्ध होने इससे प्राप्त वाले साधनों को समझने में सहायता मिलती है।

सारांश में, वैयक्तिक कार्य निदानात्मक प्रक्रिया तथा इससे प्राप्त परिणाम का उद्देश्य वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता की सहायता प्रदान करने के इरादों एवं निपुणताओं की सीमा का ज्ञान कराना सार्थकता एवं निर्देशन प्रदान करना है। एक प्रक्रिया के रूप में यह सेवार्थी के व्यवित्तत्व के प्रकार, उसकी आन्तरिक तथा बाह्य क्रिया एवं संसाधनों तथा संस्था के सहायतामूलक साधनों के संदर्भ में समस्या की प्रकृति का पता लगाने एवं मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। इससे प्राप्त परिणामकर्ता तथा सेवार्थी के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु स्पष्ट करता तथा आवश्यक निर्देशन प्रदान करता है। यह कार्य-कारण सम्बन्धों का पता लगाती है ताकि समस्या के रोकने अथवा इसमें परिवर्तन लाने की दृष्टि से सार्थक हस्तक्षेप किये जा सकें। इसके अंतर्गत कोई उपचार का नुस्खा नहीं लिखा जाता बल्कि कुछ सामान्य प्रत्याशाओं (Expectations) की ओर इशारा किया जाता है और इस प्रकार वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता की क्रियाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है।

मूल्यांकन (Evaluation)

निदान की भांति मूल्यांकन सेवार्थी के संस्था में आने के साथ से ही प्रारम्भ हो जाता है और अन्त तक चलता रहता है। सेवार्थी की

क्षमताओं एवं अक्षमताओं, उपलब्ध सहायता के उपयोग की इच्छा एवं अनिच्छा, उसके सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कारकों इत्यादि के सम्बन्ध में अनुमान लगाते हुये निर्णय लिये जाने को मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। गार्डन हैमिल्टन के अनुसार "मूल्यांकन एक निर्णय लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो यह निश्चित करती है कि व्यक्ति, कार्यकर्ता तथा संस्था का क्या उत्तरदायित्व है, इसको पूरा करने की क्षमता कितनी है, शक्तियाँ क्या-क्या हैं, कौन से कार्य रचनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं तथा कौन से कार्य समस्या को जटिल बनाते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन का उद्देश्य दार्शनिक एवं नैतिक ज्ञान है।" मूल्यांकन कार्यकर्ता किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये नकारात्मक कारकों के विरुद्ध सकारात्मक कारकों का सतुलन बनाये रखता है।

मूल्यांकन का सहारा लेते हुये कार्यकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि सेवार्थी ने उद्देश्यों को प्राप्त करने अथवा समस्या का समाधान करने का कितना तथा क्या प्रयास किया है, वह समस्या का अनुभव किस प्रकार कर रहा है, वह किस सीमा तक सहायता लेने की इच्छा रखता है, संस्था द्वारा किस सीमा तक सहायता प्रदान की जा सकती है, उपचार पद्धति कितनी उपयोगी है, उपचार में नियोजन, नियंत्रण तथा परिमार्जन की कितनी सुविधा है तथा कर्ता की अपनी शक्तियाँ एवं क्षमताएँ क्या हैं।

मूल्यांकन के परिणामस्वरूप समस्या की गंभीरता तथा इसके सेवार्थी की क्रियाविधि के लिये महत्व की जानकारी प्राप्त होती है, सेवार्थी के मनोबल का पता चलता है, विभिन्न प्रकार के अवरोधों एवं बाधाओं की जानकारी हासिल होती है, सेवार्थी की इच्छा शक्ति का पता चलता है, प्रदान की जाने वाली सेवा की उपयोगिता स्पष्ट होती है, सेवार्थी की क्षमताओं, शक्तियों, निपुणताओं, सम्बन्धों इत्यादि के साथ ही साथ उसकी कमियों, अक्षमताओं, दोषों तथा संघर्षों पर प्रकाश पड़ता है, सेवार्थी की सहायता की आवश्यकता की सीमा की जानकारी

उपलब्ध होती है, निदान में परिवर्तन तथा उपचार पद्धति में संशोधन करने की आवश्यकता उजागर होती है तथा वैयक्तिक समाजकार्य के ढंगों एवं प्रविधियों की उपयुक्तता के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है।

मूल्यांकन का कार्यक्षेत्र तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - (1) समस्या का मूल्यांकन, (2) सेवार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, तथा (3) सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन।

समस्या का मूल्यांकन करते समय इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते हैं कि समस्या का स्वरूप क्या है, समस्या कब प्रारम्भ हुई, समस्या से संबंधित विभिन्न कारण क्या हैं, समस्या समाधान की दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं, इन प्रयासों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है, समस्या समाधान के लिये किस प्रकार के ढंगों एवं साधनों की आवश्यकता है, सेवार्थी में स्वयं कितनी क्षमता है, सेवार्थी के जीवन पर समस्या का क्या प्रभाव पड़ा है, इत्यादि।

सेवार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय इस संबंध में निर्णय लिये जाते हैं कि सेवार्थी की अहम् शक्ति की क्या स्थिति है, यह कितनी निर्दल एवं शक्तिशाली है, सेवार्थी के व्यवहार के प्रतिमान क्या हैं, सेवार्थी के अनुभव क्या हैं, सेवार्थी की निर्णय लेने की शक्ति क्या है, सेवार्थी पर पड़ने वाले बाह्य तथा आन्तरिक दबाव क्या हैं, सेवार्थी की आशाएँ क्या हैं, संस्था की आशाएँ एवं प्रत्याशाएँ क्या हैं, सेवार्थी में समायोजन करने की क्षमता की क्या स्थिति है, सेवार्थी द्वारा विभिन्न मनोरक्षात्मक ढंगों का उपयोग किये जाने की क्या स्थिति है, इत्यादि।

सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन करते समय इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते हैं कि सेवार्थी की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसको प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएँ कौन-कौन सी रही हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्ति कौन-कौन से रहे हैं, इन घटनाओं तथा व्यक्तियों का वास्तविक प्रभाव क्या रहा है, तथा सेवार्थी का अपने पर्यावरण के प्रति रुख क्या है।

निदान एवं मूल्यांकन में अन्तरसम्बन्ध

(Inter-relatedness between diagnosis and evaluation)

निदान समस्या के समुचित उपचार के लिये इसके कारणों की खोज है जबकि मूल्यांकन समस्या-समाधान की दृष्टि से सेवार्थी की शक्तियों एवं कमियों का अन्वेषण है। इन दोनों में मिनताये तथा समानताये दोनों ही पायी जाती हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर बताये जा सकते हैं

- (1) निदान से सेवार्थी की मनो-सामाजिक समस्या के कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है जबकि मूल्यांकन से सेवार्थी की क्षमता, आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतों तथा कार्यात्मकता का ज्ञान प्राप्त होता है।
- (2) निदान की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से समस्या का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है जबकि मूल्यांकन में प्रमुख रूप से समस्याग्रस्त व्यवित का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है।
- (3) मूल्यांकन का लक्ष्य सामाजिक है जबकि निदान का लक्ष्य इस सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सेवार्थी की क्षमताओं का पता लगाना है।
- (4) निदान सबधी निपुणता कर्ता के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक ज्ञान पर निर्भर करती है जबकि मूल्यांकन करने की निपुणता कर्ता के तार्किक विचारों तथा अनुभवों एवं भावनाओं पर निर्भर करती है।

निदान तथा मूल्यांकन दोनों में इस आशय की समानता पायी जाती है कि दोनों उपचार की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में योगदान देते हुये समस्या का समाधान प्रस्तुत कर समायोजन लाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

3. वैयक्तिक समाज कार्य में उपचार की विधियां (Treatment methods in social casework)

वैयक्तिक समाज कार्य में उपचार का उद्देश्य सामाजिक अनुकूलन

गना अथवा सामजस्य की दृष्टि से सेवार्थी की क्रियाविधि को स्थिर बनाना अथवा इसमें सुधार करना होता है। इसमें आन्तरिक एव वाह्य शक्तियों के बीच सतुलन लाने का प्रयास किया जाता है तथा अध्ययन एव निदान के दौरान अपनाये गये मनोवैज्ञानिक अभिगम को उपचार के दौरान भी बनाये रखा जाता है। वैयक्तिक समाज कार्य की विशिष्ट विशेषता के रूप में सेवार्थी-कर्ता संबंधों के चेतन एव नियंत्रित उपयोग, साक्षात्कार की प्रक्रिया में निपुणता सामाजिक ससाधनों के ज्ञान एव निपुणता, एजेन्सी की नीतियों एव सेवाओं तथा विभिन्न एजेन्सियों के बीच सहयोग के प्रयोग एव निर्वहन में निपुणता का प्रयोग किया जाता है। उपचार सदैव समुदाय की संस्कृति एव इसमें उपलब्ध अवसरों द्वारा तथा वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता एव उसके सहयोगियों की रुझान एव निपुणता द्वारा प्रभावित होता है।

उपचार का उद्देश्य वैयक्तिक सामजस्य, प्रत्यक्ष उपचार प्रदान करना, पर्यावरणात्मक परिवर्तन करना इत्यादि हो सकता है। उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब स्वयं सेवार्थी अपने में परिवर्तन लाना चाहता हो तथा वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित किये गये उपचार को स्वीकार करने तथा इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिये तैयार हो।

उपचार के उद्देश्य एवं केन्द्र बिन्दु (Objectives and centre of treatment)

मनो-सामाजिक समायोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य सामाजिक विघटन को रोकना, शक्तियों को संकलित करना, सामाजिक क्रियाविधि को फिर से सम्पन्न बनाना, जीवन के अनुभवों को अधिक संतोषजनक तथा लाभ प्रदान करने वाले बनाना, अभिवृद्धि एव विकास के अवसर उपलब्ध कराना तथा आत्मनिर्देशन करने एवं सामाजिक अंशदान देने की क्षमता में वृद्धि करना होता है।

मनो-सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जाते हैं :

- (1) वित्तीय सहायता की आपूर्ति के सुनिश्चित किए जाने अथवा बंधों के रखे जाने अथवा विद्यालय के कार्यक्रमों में सहोधन किये जाने जैसे पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन किया जाता है अथवा सुधार लाया जाता है।
- (2) पर्यावरण में परिवर्तन (Environmental manipulation) अथवा प्रत्यक्ष साक्षात्कार सम्बन्धी उपचार (Direct Interviewing Treatment) द्वारा सामाजिक परिस्थिति के अतर्गत मनोवृत्तियों अथवा व्यवहार में परिवर्तन करके व्यक्ति की सहायता की जाती है।
- (3) इन दोनों व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन तथा पर्यावरण में परिवर्तन का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक समर्थन के माध्यम से परिस्थिति को और अधिक न बिगड़ने देने, ओर यथास्थिति को बनाये रखने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अन्य समूहों की सहायता से सामान्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य की ओर उन्मुख सामाजिक क्रिया समाज कार्यकर्ताओं का भी उत्तरदायित्व होती है किन्तु इस प्रकार की सामाजिक क्रिया वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया का एक अंग नहीं होती क्योंकि इसके अतर्गत एक विशिष्ट परिस्थिति में आन्तरिक एवं बाह्य शक्तियों के बीच सतुलन बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।

उपचार के साधन (Means of treatment)

उपचार के साधनों का वर्णन तीन श्रेणियों में किया जा सकता है

- (1) व्यावहारिक सेवाओं का प्रशासन, (2) पर्यावरण में परिवर्तन, तथा
- (3) प्रत्यक्ष उपचार

व्यावहारिक सेवाओं का प्रशासन

(Administration of practical services)

वैयक्तिक समाज कार्य उपचार के विविध प्रकारों में से व्यावहारिक

सेवाओं का प्रशासन सर्वाधिक प्राचीन तथा विख्यात है। सर्वप्रथम इसका वर्णन करने का प्रयास पोर्टर ली के नेतृत्व में किया गया था। वर्तमान समय में इसे "समाज कल्याण प्रशासन" के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की इस बात में सहायता करता है कि वह समुदाय के सामाजिक ससाधनों में से अपनी आवश्यकतानुसार चयन करते हुये उनका प्रयोग कर सके। यहाँ पर भी माध्यम के रूप में वैयक्तिक कार्य सवध उस सीमा तक कार्य करता है जिस सीमा तक साक्षात्कार का प्रयोग विचार विमर्श, सूचना एवं स्पष्टीकरण के साधन के रूप में किया जाता है। एक परिपक्व व्यक्ति सम्यन्ध के बारे में बहुत कम सचेत होता है तथा ससाधन को ही महत्वपूर्ण मानता है किन्तु यदि सेवार्थी अशक्त अथवा बीमार हो तो सम्यन्ध समर्थन प्रदान करने का कार्य बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है और वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की पहुँच के अन्दर ससाधन को अधिक सक्रिय रूप से ला सकता है किन्तु यदि "निर्वल चरित्र" अथवा अहम् सरचना के कारण सेवार्थी में वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता की कमी हो अथवा उसे वास्तविकता का सही ज्ञान न हो अथवा वह अपनी भावनाओं के आधार पर परिस्थितियों, सीमाओं एवं सांस्कृतिक रूढ़ियों के प्रति प्रतिक्रिया करता हो, अथवा उसके अन्दर समाज के प्रति सामान्य असादान देने अथवा सतोष प्राप्त करने में अपने स्तर पर हिचक पायी जाती है तो एक शैक्षिक, परिवर्तनकारी अथवा चिकित्सकीय प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। हार्वर्ट आप्टेकर जैसे कुछ लोगों का ऐसा मत है कि व्यावहारिक सेवा के प्रदान किये जाने पर ही सहायता प्रक्रिया को वैयक्तिक कार्य माना जाना चाहिये। किन्तु हैमिल्टन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। वैयक्तिक सेवा कार्यकर्ता अपनी एजेन्सी अथवा अन्य एजेन्सियों के माध्यम से सेवाओं की व्यवस्था करा सकता है। व्यवहारिक सेवाओं के उचित प्रयोग के लिये निदानात्मक सर्वेक्षण, सेवार्थी की शक्तियों एवं ससाधनों का मूल्यांकन तथा उसके संस्था द्वारा अपनाये जाने अथवा किसी उपयुक्त एजेन्सी में भेजे जाने

का कार्य आवश्यक होता है। समाज सेवा के प्रावधान के साथ परामर्श भी दिया जा सकता है।

प्रायः सेवार्थी अपनी आवश्यकता के बारे में जानता है किन्तु उसे यह पता नहीं होता कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपेक्षित सेवा अथवा ससाधन कहाँ प्राप्त होगा। कभी-कभी उसे अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता तथा कभी-कभी वह बाधिता का इतना गंभीर रूप से शिकार होता है कि वह अपने लिये कुछ नहीं कर सकता। इन सभी परिस्थितियों में वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है। यथासंभव अपनी सस्था के ससाधनों का प्रयोग करते हुये यह सहायता प्रदान की जानी चाहिये किन्तु अपनी एजेन्सी में उपयुक्त सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में किसी अन्य ऐसी एजेन्सी में भेजा जाना चाहिये जहाँ सबसे अच्छी सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। व्यावहारिक सेवाओं का समुचित रूप से उपलब्ध कराया जाना वैयक्तिक समाज कार्य में महत्पूर्ण स्थान रखता है। सम्पूर्ण उपचार का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं व्यावहारिक सेवाओं से संबंधित है। ससाधन "उपचार" होता है, किन्तु वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली इसका रचनात्मक प्रयोग किये जाने में व्यक्ति की सहायता करती है।

इस प्रकार की व्यावहारिक सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता का उपलब्ध कराया जाना, शरण की व्यवस्था किया जाना, विधिक परामर्श अथवा चिकित्सकीय सहायता प्रदान किया जाना शिविरों की व्यवस्था किया जाना, इत्यादि आते हैं। सहायता के सर्वोत्तम स्रोतों के निर्धारण के लिये समुदाय के सांस्कृतिक प्रतिमानों तथा एजेन्सी के कार्यों की विस्तृत जानकारी आवश्यक होती है।

पर्यावरण में परिवर्तन (Environmental manipulation)

परिवर्तन शब्द का अर्थ यह कदापि नहीं कि वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता अपने प्रत्यक्ष एवं योजनाओं को सेवार्थी के ऊपर जबरदस्ती थोपे अथवा चुपके से कुछ निहित स्वार्थों से प्रेरित होते हुये परिस्थिति

को इस प्रकार बदले कि उससे उसके अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यहाँ पर परिवर्तन शब्द का प्रयोग रचनात्मक अर्थ में किया जा रहा है जो सेवार्थी की व्यक्तित्व सम्बन्धी संरचना उसके व्यवहार के प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आवश्यकताओं, सघर्षों, रक्षा-युक्तियों, इत्यादि को भली प्रकार समझ लेने के पश्चात् किया जाता है। वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करने के लिये सुझाव दे सकता है। वह उसके साथ रागात्मक, व्यावसायिक एवं मनोरजनात्मक क्रियाओं की योजना बना सकता है। वह सेवार्थी की समस्या के प्रति मनोवृत्तियों एवं अभिगमों को परिवर्तित कर सकता है। वह समायोजन के लिये आवश्यक सवेगात्मक परिवर्तन कर सकता है।

पर्यावरण परिवर्तन के दौरान सेवार्थी को एक अधिक लाभकारी परिस्थितियों (conditions) में रखा जा सकता है ताकि वह अपने को एक अधिक हितकारी वास्तविकता में पाकर अधिक अच्छे ढंग से कार्य करने लगे और बाद में अपनी सामान्य जीवन परिस्थितियों को अधिक अच्छे ढंग से सामना करने की क्षमता विकसित कर सके। इस नवीन परिस्थिति में प्राप्त होने वाले अनुभव उसकी पुरानी मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं तथा नयी मनोवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं।

पर्यावरण परिवर्तन के दौरान मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ताकि सेवार्थी की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिये, उसकी क्रोध, ईर्ष्या, इत्यादि जैसी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त होने के अवसर प्राप्त हो। पर्यावरण संबंधी परिवर्तन के अन्तर्गत तनाव को कम करने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। बाधितों के साथ कार्य करते हुये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है कि उन्हें प्रतियोगिता का सहारा न लेना पड़े। इन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक परिस्थितियों से प्राप्त अनुभवों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के साथ-साथ

कुछ व्यावहारिक साधनों की आपूर्ति का भी सहारा लिया जाता है किन्तु व्यावहारिक साधनों की इस आपूर्ति को व्यावहारिक सेवाओं के प्रशासन से भिन्न समझा जाना चाहिये क्योंकि इस आपूर्ति के दौरान सेवार्थी के प्रति अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति के परिवर्तन पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस प्रकार के अन्तर्व्यक्तिक सामंजस्य के लिये सेवार्थी के लिये महत्वपूर्ण व्यक्तियों उदाहरणार्थ उसके परिवारजनों, शिक्षकों मित्रों इत्यादि की मनोवृत्तियों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। विशेष रूप से इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नकारात्मक मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है।

प्रत्यक्ष उपचार (Direct treatment)

प्रत्यक्ष उपचार से हमारा अभिप्राय साक्षात्कारों की एक ऐसी श्रृंखला से है जो सवंगात्मक सतुलन को बनाये रखने, रचनात्मक निर्णयों को लेने तथा अभिवृद्धि अथवा परिवर्तन के लिये उपयुक्त मनोवृत्तियों को उत्पन्न करने अथवा सवल प्रदान करने के लिये आयोजित किये जाते हैं। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक समर्थन (Psychological Support) को भी सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यह वैयक्तिक कार्य प्रणालियों के मनोसामाजिक सामंजस्य में एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

प्रत्यक्ष उपचार में निम्नलिखित प्रविधियों का सहारा लिया जाता है (1) मंत्रणा, (2) चिकित्सकीय साक्षात्कार, (3) मनोवैज्ञानिक आलवन, (4) स्पष्टीकरण, (5) अन्तर्दृष्टि का विकास (6) निर्वचन, (7) सुझाव, (8) पुनराश्वासन, (9) अनुनय (10) पुनर्शिक्षा तथा (11) सामूहिक चिकित्सा।

(1) मंत्रणा (Counselling)

यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सेवार्थी को उसकी परिस्थिति से सम्यन्धित विभिन्न मसलों की विवेकपूर्ण ढंग से विवेचना

करने, उसकी समस्या को स्पष्ट करने, वास्तविकता के साथ उसके सघर्षों को सामने लाने, विभिन्न प्रकार के क्रिया सम्बन्धी विकल्पों की व्यावहारिकता पर विचार विमर्श करने तथा विभिन्न विकल्पों में चयन करने के उत्तरदायित्व को ग्रहण करने की दृष्टि से सेवार्थी को स्वतंत्रता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान समय में परामर्श शब्द का प्रयोग मनमाने ढंग से मार्गदर्शन से सबधित विविध प्रकार की क्रियाओं को सम्बोधित करने के लिये किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शब्द का प्रयोग ऐसे वैयक्तिक परामर्श को सम्बोधित करने के लिये किया जा रहा है जिसके लिये व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा साक्षात्कार संबन्धी अनुभव की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार का इस प्रकार प्रयोग करने के लिये कि इसके परिणामस्वरूप सेवार्थी के मस्तिष्क में परिवर्तन हो सकें, विशेष प्रकार के ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से अपनायी गयी प्रविधि, समस्या तथा इसके प्रति भावनाओं एवं मनोवृत्तियों के स्पष्टीकरण की है।

मंत्रणा के अन्तर्गत सूचना का प्रदान किया जाना, परिस्थिति का स्पष्ट किया जाना तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया जाना तथा क्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों का विवेचन किया जाना सम्मिलित है। इसका प्रयोग परिस्थिति की वास्तविकताओं से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श करने तथा यह निर्धारित करने के लिये कि इसका कितना अंश इच्छा अथवा कल्पना से सम्बन्धित है, किया जाता है। यदि सामाजिक समस्या से कोई अन्य व्यक्ति सम्बन्धित होता है तो मंत्रणा मनोचिकित्सा (Psychotherapy) का स्वरूप ग्रहण करने लगती है। अपने अधिक सरल स्वरूपों में मंत्रणा का उद्देश्य बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना होता है।

(2) चिकित्सकीय साक्षात्कार (Therapeutic interviewing)

इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि सेवार्थी किसी प्रकार की बीमारी अथवा असमर्थता का शिकार होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार के दौरान सेवार्थी को किसी

शान्तिपूर्ण कमरे में बैठकर कार्यकर्ता उसे अपनी समस्या को बिना किसी बाधा के व्यक्त करने के लिये कहता है। बीच-बीच में कार्यकर्ता सेवार्थी को सवेगात्मक भावनाये व्यक्त करने में सहारा भी प्रदान करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार के परिणामस्वरूप सेवार्थी के कष्टदायी विचारों की अभिव्यक्ति हो जाती है और वह आराम महसूस करने लगता है।

(3) मनोवैज्ञानिक आलंबन (Psychological support)

मनोवैज्ञानिक आलंबन प्रदान करते हुये वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को भावनाओं को व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है, उसकी भावनाओं को समझता है तथा स्वीकृति प्रदान करता है, सेवार्थी में समस्या-समाधान के लिये अपेक्षित रुचि उत्पन्न करता है, वह अपने द्वारा प्रदान की गयी सहायता के प्रकार को स्पष्ट करता है, समस्या-समाधान की क्षमता उत्पन्न करता है तथा आवश्यकतानुसार योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक आलंबन के परिणामस्वरूप सेवार्थी को प्रत्यक्ष रूप से उत्साह मिलता है और उसमें अपनी समस्या का समाधान करने की योग्यता में विश्वास उत्पन्न होने लगता है।

(4) स्पष्टीकरण (Clarification)

डा एडवर्ड ब्राइन्ग के शब्दों में, "स्पष्टीकरण रोगी को कुछ मनोवृत्तियों, भावनाओं के प्रति सचेत बनाते हुये अथवा इसकी यथार्थ बनाम रागात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते हुये उसे स्वयं अपने आपको तथा पर्यावरण को एक अधिक विषयात्मक ढंग से देखने की अनुमति प्रदान करता है जिससे अधिक अच्छा नियंत्रण हो जाता है। स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी को पर्यावरण अथवा उससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसी सूचनाये प्रदान की जाती हैं जिनकी जानकारी पहले से सेवार्थी को नहीं होती तथा जिनके बिना वह न तो समस्या का और न ही अपनी शक्तियों का और

न ही विभिन्न प्रकार के उपलब्ध विकल्पो का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रविधि के परिणामस्वरूप सेवार्थी स्वयं अपने आप को, अपनी समस्या को अपने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को और अपने पर्यावरण को विषयात्मक रूप से समझने लगता है।

(5) अन्तर्दृष्टि का विकास (Insight development)

कभी-कभी सघर्षात्मक भावनाये तथा उत्तेजक सवेग वास्तविकता को समझने की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति आन्तरिक प्रत्यक्षीकरण के अभाव से ग्रस्त हो जाता है और समुचित निर्णय नहीं ले पाता। आन्तरिक प्रत्यक्षीकरण को ही अन्तर्दृष्टि कहते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता सेवार्थी के आन्तरिक आवश्यकताओं के प्रत्यक्षीकरण तथा वाह्य वातावरण के प्रति विषयात्मक प्रत्युत्तरो को समझने में सहायता करता है, सेवार्थी के अन्दर पायी जाने वाली घृणा एवं प्रेम की वास्तविक स्थिति से सेवार्थी को अवगत कराता है तथा उसके अन्दर पायी जाने वाली चिन्ता एवं उग्रता की प्रतिक्रिया का ज्ञान कराता है।

(6) निर्वचन

एक उपचारक के रूप में वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सामाजिक अथवा वैयक्तिक कारको और उनके बीच होने वाली अन्तर्क्रिया के निर्वचन का प्रयोग अत्यधिक सतर्कता के साथ करता है। निर्वचन के दौरान वह स्पष्टीकरण तथा हस्तांतरण के अन्तर्गत अहम् को समर्थन प्रदान करने की प्रविधियों का प्रयोग करता है। ऐसा करते समय वह रक्षायुक्तियों में हस्तक्षेप बहुत कम करता है जब तक कि ये नकारात्मक न हो तथा जब तक कि ये बहुत अधिक गतिरोध उत्पन्न न करती हो और नकारात्मक हस्तांतरण न होता हो। इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती क्योंकि उपचार की प्रक्रिया में विभिन्न रोगियों को भिन्न-भिन्न स्तर के अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। सामाजिक तथा वैयक्तिक कारको और इनके अन्तर्क्रिया के

निर्वचन के परिणामस्वरूप आत्म-चेतना तो किसी न किसी स्तर पर उत्पन्न होती ही है किन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जब सेवार्थी इसके लिये तैयार हो। रक्षात्र मे घुसपैट करने के अपरिपक्व प्रयासों की उपेक्षा की जा सकती है, इनके प्रति गतिरोध प्रदर्शित किया जा सकता है तथा इनसे चिन्ता स्थितिया उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि भावनाओं को व्यक्त कराते हुये तथा पर्यावरण मे सुधार करते हुये भावनाओं एव व्यवहार में परिवर्तन, विशेष रूप से छोटे बच्चों के, बिना चेतन अन्तर्दृष्टि के समय हैं। किन्तु परिवर्तन के साथ-साथ कुछ न कुछ आत्मचेतना विकसित होती ही है। निर्वचन किस समय किया जाये, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(7) सुझाव (Suggestion)

चिकित्सा की एक पद्धति के रूप मे सुझाव का प्रयोग प्राचीनकाल से किया जा रहा है। ऐसा करते समय कार्यकर्ता सेवार्थी के सामने कुछ सुझाव रखता है और इन सुझावों को मानना अथवा न मानना सेवार्थी की इच्छा पर छोड देता है। सुझाव की पद्धति अत्यधिक उपयोगी है। चिन्ता तथा अवसाद की स्थिति मे रोगी को मनोवैज्ञानिक समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता होती है और इन नाजुक क्षणों मे यदि उसे सुझाव के रूप मे बाह्य सहायता प्राप्त होती है तो उसे बडी राहत मिलती है। इसी प्रकार आर्थिक सकट, वृद्धावस्था, सघर्षात्मक स्थितियों इत्यादि मे सुझाव सेवार्थी के सामने विकल्प प्रस्तुत करते हुये उसके तनाव को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

(8) पुनराश्वासन (Re-assurance)

पुनराश्वासन के माध्यम से विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते हुये सेवार्थी मे इस बात का विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि यह समस्या से मुक्त हो जायेगा। पुनराश्वासन का प्रयोग करता हुआ वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी मे उपचार के प्रति तथा समस्या के

प्रति विश्वास उत्पन्न करता है और इस प्रकार उसे उपचार की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये मानसिक रूप से तैयार करता है। पुनराश्वासन का प्रयोग करते हुये वह सेवार्थी को यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उसकी समस्या क्या है, इसके कारण क्या हैं, यह किन लक्षणों के रूप में व्यक्त हो रही है तथा इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुये सेवार्थी को इस बात का आश्वासन देता है कि वह निश्चित रूप से समस्या मुक्त हो जायेगा।

(9) पुनर्शिक्षा (Re-education)

शिक्षा की प्रक्रिया चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय पर क्यों न हो रही हो, व्यक्ति में वास्तविकता को समझने की क्षमता उत्पन्न करती है। शिक्षा के दौरान वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये वस्तुस्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया जाता है। वैयक्तिक समाज कार्य के दौरान वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता पुनर्शिक्षा का प्रयोग करते हुये समस्या के लक्षणों एवं कारणों को स्पष्ट करता है तथा चेतन स्तर पर पायी जाने वाली मानसिक स्थिति तथा इसका प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप सेवार्थी को होने वाली हानियों की चर्चा करता है।

(10) सामूहिक चिकित्सा (Group therapy)

सामूहिक चिकित्सा एक अत्यधिक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग किसी भी मनश्चिकित्सकीय प्रक्रिया को सम्बोधित करने के लिये किया जाता है जिसमें व्यक्तियों के समूह किसी चिकित्सक की देखरेख में मिलते हैं और ऐसी क्रियाओं में भाग लेते हैं जिनके दौरान उन्हें अपनी संवेगात्मक भावनाओं को व्यक्त करने, अपनी कमियों को समझने, दूसरों की आशाओं एवं प्रत्याशाओं के अनुसार समायोजन करने, के अवसर प्राप्त होते हैं। सामूहिक चिकित्सा दो प्रकार की होती है : (1) प्रकार्यात्मक चिकित्सा जिसके अंतर्गत सेवार्थी को

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए इससे सम्बन्धित विभिन्न क्रियाओं में सम्मिलित कराते हुए चिकित्सा की जाती है तथा (2) सामाजिक सहाय्य जिसके दौरान अनेक सेवाार्थियों को एक साथ रखते हुए भोजन कराते हुए आगोद प्रमोद कराते हुये इत्यादि के माध्यम से उपचार किया जाता है।

सन्दर्भ

- 1 Social casework is the art of doing different things with different people by cooperating with them to achieve at one and at the same time their own and society's betterment
Colcord J and Mann R Z S The Long View Papers and address by Mary E Richmond Russell Sage Foundation New York 1930 pp 374-375
- 2 Social case work is the art of assisting the individual in developing and making use of his personal capacity to deal with problems which he faces in his social environment
Ibid p 398
- 3 Social casework is social treatment of maladjusted individual involving an attempt to understand his personality behaviour and social relationships and to assist him in working out a better social and personal adjustment
Taft *The Family* Volume No 5 p 1
- 4 Social casework means those processes which develop personality through adjustment consciously affected individual by individual between men and their social environment
Richmond Mary *What is Social Case Work?* The Russell Sage Foundation New York 1922 p 98
- 5 Social casework is an art in which knowledge of the science of human relations and skill in relationship are used to mobilize capacities in the individual and resources in the community appropriate for better adjustment between the client and all or any part of his total environment
Bowers Swithun "The Nature and Definition of Social Case work" in Kasius Cora (ed) *Principles and Techniques in Social Casework* Family Service Association of America New York 1952 P 127
- 6 Social casework is a process of helping the individual not only to adjust to the status quo but to become an active partner in the process of

change and synthesis with his changing environment at newer and newer levels

Desai Manu M , *Social Casework and Cultural Problems* The Indian Journal of Social Work, TISS, Bombay Vol XVII No 3 Dec 1956 p 191

- 7 Social casework is a process used by certain human welfare agencies to help individuals to cope more effectively with their problems in social functioning

Perlman, H H , *Social Casework - A Problem Solving Process* The University of Chicago Press, Chicago, 1957, p 4

- 8 Adaptation is a process through which one gets the ability to live in a given situation

Fairchild, H P , *Dictionary of Sociology*, Philosophical Library New York, 1944

- 9 Social diagnosis is the attempt to arrive at an exact definition as far as possible of the social situation and personality of a given client

Richmond, Mary, *Social Diagnosis*, Russell Sage Foundation New York, 1917, p 5

- 10 Aptekar, H , *The Dynamics of Casework and Counselling* Houghton Mifflin Comp New York, 1955, p 72

सामूहिक समाज कार्य (SOCIAL GROUP WORK)

सामूहिक समाज कार्य समाज कार्य की एक प्रणाली है, जो सामूहिक क्रियाओं द्वारा रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। विभिन्न समाज विज्ञानों के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की सामूहिक जीवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक होती है। जहाँ एक ओर सामूहिक सहभागिता व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, वहीं दूसरी ओर भागीकरण से समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सामूहिक जीवन में भाग लेने, अपनत्व की भावना का अनुभव करने, अन्य व्यक्तियों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने, मतभेदों को निपटाने तथा अपने हितों तथा समूह के हितों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित एवं संचालित करने की योग्यता होना जरूरी होता है। सामूहिक कार्य द्वारा इन विशेषताओं एवं योग्यताओं का विकास किया जाता है। व्यक्ति के लिए सामूहिक जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसकी भौतिक आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं। जब सामूहिक जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन अस्त-व्यस्त तथा व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। सामूहिक कार्य इस प्रकार की समस्याओं के समाधान करने का प्रयत्न करता है।

I सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली के रूप में (Social group work as a method)

जब हम कहते हैं कि सामाजिक सामूहिक समाज कार्य एक

प्रणाली है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि यह केवल काम करने का एक तरीका ही नहीं है बल्कि एक क्रमानुसार, व्यवस्थित तथा नियोजित समूह के साथ काम करने का तरीका है। प्रणाली उद्देश्य प्राप्त करने का चेतन तरीका तथा अभिकल्पित साधन होती है। साधारण अर्थों में प्रणाली कोई भी कार्य करने का तरीका है परन्तु यहाँ पर हम सदैव ज्ञान बोध तथा सिद्धान्तों की एकीकृत व्यवस्था की खोज करते हैं।¹

प्रणाली और निपुणता में अन्तर है। प्रणाली का तात्पर्य ज्ञान और सिद्धान्तों के आधार पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से अन्तर्दृष्टि तथा समझ का उपयोग है। निपुणता ज्ञान और बोध को एक निश्चित परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता है। उपयोग करने की प्रक्रिया है निपुणता इसके उपयोग की क्षमता है।

सामाजिक सामूहिक समाज कार्य समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा समाज कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अन्य प्रणालियों के समान ही की जाती है। अतः यहाँ हम सामूहिक समाज कार्य के अर्थ, सिद्धान्त, दर्शन, निपुणताओं तथा कार्यविधि का वर्णन कर रहे हैं।

II सामूहिक समाजकार्य की परिभाषा (Definition of social group work)

सामूहिक समाज कार्य समूह के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करता है। समूह की सहायता से व्यक्ति में शारीरिक, दौढ़िक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को उत्पन्न कर समायोजन के योग्य बनाया जाता है। अतः सामूहिक समाज कार्य को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख कर रहे हैं।

क्वायल² (1937)

सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तित्वों की अन्तःक्रियाओं द्वारा व्यक्तियों का विकास करना तथा ऐसी

सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना जिससे सामान्य उद्देश्यों के लिए एकीकृत, सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके।

विल्टन एण्ड राइलैण्ड* (1949)

सामूहिक समाज कार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है, जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित किया जाता है जो उद्देश्य प्राप्त के लिए समूह की परस्पर सम्बन्धी प्रक्रिया को चेतन रूप से निर्देशित करता है जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

हैमिल्टन* (1949)

सामूहिक समाज कार्य एक ननो-सामाजिक प्रक्रिया है जो नेतृत्व की योग्यता और सहयोग के विकास से उतनी ही सम्बन्धित है, जितनी सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरुचियों के निर्माण से।

ट्रेकर* (1949)

सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक अभिकरणों के अन्तर्गत समूहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है जो कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में उनकी अन्तर्क्रिया का मार्ग दर्शन करता है जिससे वे दूसरों से सम्बन्ध स्थापित कर सकें और वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों का अनुभव कर सकें।

कोनोप्का* (1963)

सामूहिक समाज कार्य समाज कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जो उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के माध्यम से वैयक्तिक सामूहिक और सामुदायिक समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से चुलझाने तथा उनकी सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है।

जब हम उपरिलिखित परिभाषाओं का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि ग्रेस क्वायल के अनुसार सामूहिक समाज कार्य व्यक्ति का विकास करता है। इस विकास का माध्यम समूह में व्यक्तियों के बीच में होने वाली अन्तर्क्रिया होती है। जब उनमें आपस में अन्तर्क्रिया होती है तो व्यक्तित्व को नयी दिशा प्राप्त होती है। इसका दूसरा कार्य ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना है जहाँ पर एकीकृत एवं सहयोगिक भावना इस सीमा तक कार्य करे जिससे समान उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। क्वायल ने समस्या समाधान की बात इसमें नहीं कही है।

विल्सन तथा राइलैण्ड ने सामूहिक समाज कार्य को एक प्रक्रिया तथा प्रणाली बताया है। इसका कार्य व्यक्ति के सामूहिक जीवन को प्रभावित करना है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूहों के साथ इस प्रकार कार्य करता है जिससे कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वह चेतनरूप से अन्तर्क्रिया को समूह के उद्देश्य पूर्ति के लिए निर्देशित करता है। सामूहिक समाज कार्य द्वारा प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।

हैमिल्टन के विचार अपने समय के सभी विद्वानों के विचारों से भिन्न हैं। उनका विचार है कि सामूहिक कार्य एक मनो-सामाजिक प्रक्रिया है अर्थात् इसके द्वारा व्यक्ति को मानसिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से प्रभावित किया जाता है। वह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक अभिरुचियों के विकास का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ उनके नेतृत्व एवं सहयोग की भावना के विकास पर भी बल देता है।

सामूहिक समाज कार्य की सबसे उपयुक्त एवं पूर्ण परिभाषा ट्रेकर ने दी है। उनके अनुसार सामूहिक समाज कार्य की निम्न विशेषताएँ हैं :

1. सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है

इसका तात्पर्य यह है कि सामूहिक समाज कार्य के लिए विशेष

ज्ञान की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता को जब तक समूह की विशेषताओं, दशाओं, मनोवृत्तियों, आदि का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। उसको व्यक्ति तथा समूह दोनों के व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें विशेष समझ होती है जिससे वह विभिन्न स्थितियों में समूहों के साथ कार्य करने में समर्थ होता है। उसको समूह की गत्यात्मकता का ज्ञान होता है। ट्रेकर का मत है कि सामूहिक कार्य के अपने कुछ सिद्धान्त हैं जो दूसरी प्रणालियों से भिन्न हैं। नियोजित समूह निर्माण, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता-सेवार्थी सम्बन्ध, निरन्तर वैयक्तीकरण, निर्देशित सामूहिक अन्त क्रिया, प्रजातांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण, लचीला कार्यात्मक संगठन, निरन्तर प्रगतिशील कार्यक्रम, संसाधनों का उपयोग तथा निरन्तर मूल्यांकन के सिद्धान्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामूहिक समाज कार्य की अपनी विशिष्ट निपुणताएँ हैं जिनको सामूहिक कार्यकर्ता अपने व्यवहार में लाता है। कार्यकर्ता में उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता होती है। वह सामूहिक स्थिति का विश्लेषण करने में दक्ष होता है। वह समूह के साथ भाग लेने में निपुण होता है। अपनी भूमिका की व्याख्या तथा उसकी आवश्यकता को समयानुसार निश्चित करने में समर्थ होता है। यह प्रत्येक नयी स्थिति का निष्पक्ष रहकर विषयात्मक रूप से अध्ययन करता है तथा समूह की सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाओं को समझकर ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। वह समूह की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित करता है। उसमें संस्था तथा समुदाय के संसाधनों को उपयोग में लाने की निपुणता होती है।

2. सामूहिक समाज कार्य द्वारा समूह में संस्था के अन्तर्गत व्यक्तियों की सहायता की जाती है

ट्रेकर की परिभाषा की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक समाज कार्य में समूह तथा अभिकरण दोनों महत्वपूर्ण हैं। अर्थात् व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से अभिकरण के तत्वाधान में

की जाती है। समूह की अपनी विशेषताये होती हैं तथा उसके गठन का भी एक उद्देश्य होता है। यह समूह किसी सस्था के अन्तर्गत ही गठित किया जाता है। ये समूह समुदाय की इच्छाओं तथा आवश्यकताओ के अनुरूप होते हैं।

3. सामूहिक समाज कार्य एक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है जो समूह की कार्यक्रम क्रियाओं में होने वाली अन्तर्क्रिया को निर्देशित करता है

सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह सभी कार्यों की धुरी होता है। अतः जैसी उसमें योग्यता एवं क्षमता होती है, समूह उसी प्रकार की उपलब्धि करता है। वह समूह की स्वीकृति के आधार पर अपनी भूमिका का सम्पादन करता है। जिस सीमा तक समूह उसको अपनी भूमिका पूरी करने की आज्ञा देता है वह वहीं तक अपने कार्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाता है। कार्यकर्ता समूह के सदस्यों का वैयक्तिकरण करते हुए उनकी आवश्यकताओ, इच्छाओ तथा अन्तर्निहित क्षमताओ का ज्ञान प्राप्त करता है। वह उद्देश्यों के निर्धारण में समूह की सहायता करता है तथा कार्यक्रमों के चलाने में उनकी आवश्यकता के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। वह समूह को मंत्रणा भी देता है तथा कार्य सम्पादन के लिए प्रोत्साहित भी करता है। कार्यकर्ता समूह की सहायता सामूहिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जहाँ कहीं यह आवश्यक होती है, करता है। वह सामुदायिक ससाधनों के समुचित उपयोग में भी समूह की सहायता करता है।

4. सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य आपसी सम्बन्धों में वृद्धि तथा अपनी क्षमताओ के अनुसार विकास करना है

सामूहिक समाज कार्य के अन्तर्गत कार्यकर्ता इस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों में दूसरे लोगों के साथ सम्यन्ध स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। वे अपनी आवश्यकताओ एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसरों

का अनुभव करते हैं। समूह सदस्यों में सहभागिता की क्षमता आती है, सम्पर्कों को करने की विधि सीखते हैं, निर्णय की क्षमता बढ़ती है तथा उत्तरदायित्व ग्रहण करना सीखते हैं। उनमें स्व-सम्प्रेरक शक्ति काम करने लगती है तथा अपनत्व की भावना विकसित होती है। इन सभी गुणों से वे अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजित करने में सफल होते हैं एवं वृद्धि के अवसरों से लाभ उठाते हैं।

5. सामूहिक समाज कार्य सहायता का उद्देश्य वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक विकास करना है

सामूहिक समाज कार्यकर्ता व्यक्तियों के व्यवहार के परिवर्तन के लिए कार्यक्रमों का उपयोग करता है। चाहे वह समस्या हो अथवा विकास का प्रश्न हो, दोनों ही स्थितियों में व्यवहार ही बाधा बनता है। अतः यदि दोनों प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है तो व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इस परिवर्तन से व्यक्ति व समूह में परिवर्तन आता है जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है।

III सामूहिक समाज कार्य की विशेषताएँ (Characteristics of social group work)

जब हम सामूहिक कार्य की उपरिलिखित परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि—

- 1 सामूहिक समाज कार्य समाज कार्य की एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है। समूह को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाध्य नहीं किया जाता है वरन् समूह को पूरा अधिकार होता है कि वह अपने लक्ष्यों, कार्यक्रमों एवं क्रिया कलापों को अपनी रुचि के अनुसार व्यवस्थित एवं सगठित करे।
- 2 सामूहिक समाज कार्य व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक जीवन के आदर्शों एवं नेतृत्व की योग्यता का विकास करता है।
- 3 सामूहिक समाज कार्य द्वारा समूह के सदस्यों में रचनात्मक

सम्यन्ध विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। कार्यकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है।

4. सामूहिक समाज कार्य समूह के सदस्यों में आत्म-निर्देशन की योग्यता का विकास करता है। कार्यकर्ता समूह की सहायता उसी सीमा तक करता है जहाँ तक समूह आवश्यक समझता है।
5. समूह का उपयोग सामूहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाता है।
6. सामूहिक समाज कार्य प्रणाली की अपनी विशिष्ट निपुणताये, सिद्धान्त एवं प्रविधियां हैं।
7. सामूहिक समाज कार्य एक सस्था के माध्यम से कार्य करता है।
8. सामूहिक समाज कार्य व्यक्तियों की समानता में विश्वास रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक जीवन में बराबर का भाग लेने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देता है।
9. सामूहिक समाज कार्य समूह सदस्यों के लिए एक नवीन अनुभव होता है।
10. सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ काम करने, रहने, समस्याओं को समझने तथा वास्तविकता को ज्ञात करने का अवसर मिलता है।

उपरिलिखित विशेषताओं के आधार पर हम सामूहिक समाज कार्य को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं :

सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है जिसमें कार्यकर्ता अभिकरण के माध्यम से समूह की उन्नति एवं आत्म विकास के लिए उन्ही के माध्यम से कार्यक्रमों का निर्धारण करता है और अन्तर्सम्यन्धों को इस उन्नति एवं विकास का आधार मानता है।

IV सामूहिक समाज कार्य की भ्रातिया (Misconceptions)

समाज कार्य एक नवीन व्यवसाय है। इस लिए अधिकांश लोग इसके अर्थ से पूर्णतया अवगत नहीं हैं। सामूहिक समाज कार्य के विषय में भी अनेक अटकलें लगायी जाती हैं तथा अलग-अलग विचार प्रस्तुत किये जाते हैं। ट्रेकर ने निम्नलिखित भ्रातियों का उल्लेख किया है।

1. सामूहिक समाज कार्य एक अभिकरण (Agency) के रूप में

कुछ लोगों की धारणा है कि सामूहिक समाज कार्य एक सामाजिक अभिकरण है। इसके उद्देश्य स्वयं कुछ न होकर वे एक विशेष प्रकार के अभिकरण के उद्देश्य होते हैं। यह कथन किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है क्योंकि सामूहिक समाज कार्य द्वारा अभिकरण के सभी अथवा कुछ कार्य पूरे किये जाते हैं।

2. सामूहिक समाज कार्य एक विशेष कार्यक्रम (Programme) के रूप में

कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि सामूहिक समाज कार्य एक विशेष कार्यक्रम है। परन्तु यह स्वयं में कार्यक्रम स्वयं नहीं है बल्कि इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं को सम्पन्न किया जाता है। यदि यह स्वयं कार्यक्रम होता तो सभी समूहों के साथ कोई एक ही कार्यक्रम चलाया जाता। परन्तु यहाँ पर अनेक समूहों के सदस्यों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं।

3. सामूहिक समाज कार्य एक विशेष प्रकार के समूह (Group) के रूप में

कुछ लोगों का विचार है कि सामूहिक समाज कार्य एक ऐसा समूह है जिसमें विशेष क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। यह कोई विशेष समूह नहीं होता है। जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होती है समूह का निर्माण कर लिया जाता है और उसके माध्यम से कार्यक्रम सम्पादित

किये जाते हैं। कुछ लोग क्लब को सामूहिक समाज कार्य मानते हैं क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न क्लबों व समूहों के कार्यों को सम्पन्न किया जाता है।

V सामूहिक समाज कार्य की मूल मान्यताएं (Basic assumptions of social group work)

सामूहिक समाज कार्य की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताये हैं .

- 1 शिक्षात्मक तथा मनोरजनात्मक क्रियाये व्यक्ति तथा समाज के लिए लाभदायक होती है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता इसी मान्यता के आधार पर व्यक्ति को समूह के माध्यम से शिक्षात्मक तथा मनोरजनात्मक दोनों प्रकार की सेवाये तथा उनका अनुभव प्रदान करता है।
- 2 कार्यकर्ता में अपनी भूमिका निभाने की अन्तर्दृष्टि होती है। वह सदैव समूह के अन्तर्गत दो बातों का ध्यान रखता है : एक तरफ वह कार्यक्रम क्रियाओं तथा उनकी प्रगति देखता है तथा दूसरी ओर समूह में सामाजिक सम्वन्धों की भूमिका को ध्यान में रखता है। अतः अपने सम्वन्धों को भी वह साथ ही साथ समझता जाता है।
- 3 कार्यक्रम सदैव प्रभावात्मक होना चाहिये। यह मान्यता इस बात को सुनिश्चित करती है कि कार्यकर्ता के सम्वन्ध क्रिया पर केन्द्रित न होकर व्यक्ति पर केन्द्रित हो। कार्यकर्ता की दृष्टि से सफलता खेल के प्रकार में नहीं बल्कि सदस्यों के अनुभवों से सम्वन्धित होती है। कार्यक्रम सदैव अनुभव के अनुसार आयोजित किये जाने चाहिये।
- 4 सामूहिक समाज कार्य के अन्तर्गत कार्यक्रम तथा क्रियाये कार्य-संस्थिति, पारिवारिक सम्वन्ध तथा सामुदायिक मनोवृत्ति पर आधारित हो। कार्यकर्ता को न केवल साधेगिक, सामाजिक तथा शारीरिक तत्त्वों के कारणों का ज्ञान हो बल्कि उसे समूह

के सदस्यों, कार्य-संस्थिति, परिस्थितियों, पारिवारिक सम्बन्ध तथा तानुदायिक मनोवृत्तियों से अवगत होना चाहिए।

- 5 कार्यकर्ता को सदस्यों के व्यवहार का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि कार्यकर्ता व्यक्तियों को शिक्षात्मक तथा मनोरजनात्मक क्रियाओं द्वारा सहायता करना चाहता है तो उसे उनके व्यवहारों का ज्ञान अदृश्य हो। बिना इस ज्ञान के वह सफल नहीं हो सकता है।
- 6 कार्यकर्ता व्यवसायिक रूप से अपने कार्य करने में सक्षम हो। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ता में आवश्यक योग्यता निपुणता, ज्ञान तथा कार्य करने की आंतरिक इच्छा हो और वह व्यावहारिक रूप से अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में निपुण हो।

समाज कार्य व्यक्तियों की आवश्यकता की संतुष्टि पर बल देता है। जब व्यक्ति की आवश्यकताओं का समाधान नहीं होता है तो उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति में समाज कार्य व्यक्तियों की वैयक्तिक रूप से या समूह के माध्यम से सहायता करता है।

VI सामूहिक समाज कार्य का दर्शन (Philosophy of social group work)

- 1 व्यक्ति अकेला नहीं रहता है। वह परिवार जाति तथा द्वितीयक समूहों में रह कर ही उन्नति एवं विकास कर सकता है। उसका उचित विकास तभी हो सकता है जब वह सम्पूर्ण समूह के एक अंग के रूप में रहता तथा कार्य करता हो। उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास तभी सही तानान्वय व स्वस्थ रूप से हो सकता है जब वह समूह के साथ भावनात्मक एवं सवेगात्मक रूप से जुड़ा हो। मानव जीवन की सभी समस्याएँ सहयोग की क्षमता तथा मानसिकता की माँग करती हैं।

2. साधारणतया मनुष्य एक निर्बल प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है क्योंकि समूह के सदस्य के रूप में वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दार्ष्टिक तथा आत्मिक शक्तियों का विकास समूह के ही माध्यम से करता है।
3. सामूहिक अनुभव की आवश्यकता मौलिक एवं सर्वमान्य है। ग्रेस क्वायल के अनुसार सामूहिक अनुभव 5 प्रकार से महत्वपूर्ण है
- (i) परिपक्वता की प्रक्रिया (Maturation Process) में जिस प्रकार परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसी प्रकार लघु समूहों की भूमिका भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। बालको को नर्सरी स्कूल, पूर्व विद्यालयी शिक्षा, खेल समूह तथा इसी प्रकार के अन्य समूहों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है।
 - (ii) सामूहिक अनुभव न केवल व्यक्तित्व का विकास करते हैं बल्कि वे समन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने में सकारात्मक योगदान देते हैं। सामूहिक अनुभव से न केवल बच्चे बल्कि प्रौढ़ भी लाभ प्राप्त करते हैं तथा समन्धों का उचित प्रयोग करना सीखते हैं।
 - (iii) जब व्यक्ति सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है तो वह अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। समूह में नागरिकता की शिक्षा देने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। समूह सन्ध नागरिक जीवन को समस्याओं का समाधान करने में भी सक्रिय योगदान देता है।
 - (iv) समूह का उपयोग बाल अपराधियों तथा अपराधियों के साथ इसलिये किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से वे नये तरीके से रहना सीखते हैं और नकारात्मक प्रवृत्तियों का हास होता है।
 - (v) यह मानसिक रोगियों के साथ महत्वपूर्ण कार्य करता है।

- 4 सामूहिक समाज कार्य की धारणा है कि सामाजिक सस्था के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसका मनोवृत्तियों में परिवर्तन सामूहिक अनुभवों द्वारा किया जा सकता है। व्यक्तियों के लिए सामाजिक सस्थाएँ एक यत्र का कार्य करती हैं। इन सस्थाओं के माध्यम से ही वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। सस्थाएँ समूहों की कुछ सामान्य तथा कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए सगठित की जाती हैं।
- 5 जिन समूहों में सामूहिक समाज कार्यकर्ता अपनी सेवाओं का सदुपयोग करता है, उनके सदस्यों में न केवल किसी एक गुण का विकास होता है वरन् सम्पूर्ण प्रतिभा का विकास भी होता है। व्यक्ति न केवल समूहों में विकास करते हैं बल्कि समूहों के द्वारा ही उनका विकास संभव होता है।
- 6 समूहों द्वारा व्यक्तित्व का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन तथा आदतों का निर्माण होता है। इसलिए यदि समूह का सगठन सुनियोजित ढंग से किया जाता है तो उद्देश्य की पूर्ति सुगमता से हो सकती है।
- 7 पारास्परिक स्वीकृति के बिना सामाजिक जीवन का कोई महत्व नहीं है। समूह में स्वीकृति-अस्वीकृति की घटना उस समय घटित होती है, जब अन्त क्रिया होती है, तथा विचारों, अभिरुचियों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है।
- 8 सामूहिक समाज कार्य का विश्वास है कि जनतात्रिक व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार है।
- 9 सामूहिक समाज कार्य प्रणाली व्यक्तियों की आवश्यकताओं और रुचियों की अधिकतम पूर्ति की स्वतन्त्रता देती है।
- 10 सामूहिक समाज कार्य एक लक्ष्य विशेष का साधन है और यह लक्ष्य व्यक्ति का विकास है।

VII सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य (Objectives of social group work)

सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य समूह द्वारा व्यक्तियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्देशन का विकास करना है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता व्यक्तियों में सामंजस्य को बढ़ाने और सामूहिक उत्तरदायित्व एवं चेतना का विकास करने में सहायता देता है। सामूहिक समाज कार्य द्वारा व्यक्तियों में इस प्रकार की चेतना तथा क्षमता का विकास किया जाता है जिससे वे समूह और समुदाय के क्रियाकलापों में जिनके वे अंग हैं, बुद्धिमतापूर्वक भाग ले सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं, रुचियों, पसंद नापसंद आदि की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।

ग्रेस क्वायल ने सामूहिक समाज कार्य के निम्न उद्देश्य बताये हैं

1. व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करना।
2. व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, समूहों और समुदाय से समायोजन प्राप्त करने में सहायता देना।
3. समाज के विकास हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करना।
4. व्यक्तियों को अपने अधिकारों, सीमाओं और योग्यताओं के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, योग्यताओं एवं अन्तरों को पहचानने में सहायता देना।

मेहता ने सामूहिक समाज कार्य के निम्न उद्देश्य बताये हैं

1. परिपक्वता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की सहायता करना
2. पूरक सांवेगिक तथा सामाजिक खुराक प्रदान करना
3. नागरिकता तथा जनतात्रिक सहभागिता को बढ़ावा देना
4. असमायोजन तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक विघटन का उपचार करना

विल्सन तथा राइलैण्ड ने कहा है कि अधिकांश सामाजिक सस्थाओं के जो समूहों के लिए कार्य करती हैं, दो उद्देश्य होते हैं

1. समूह के माध्यम से व्यक्तियों के सावैगिक सतुलन को बनाना तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना
2. समूह की उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना जो आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक जनतंत्र के लिए आवश्यक हैं।

ट्रेकर ने भी इसी प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया है। उनके अनुसार सामूहिक समाज कार्य का मूल रूप से उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का यथा सम्भव अधिकतम विकास करना जो है जनतात्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित तथा अनुरक्त हो।

फिलिप्स ने सामूहिक समाज कार्य के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कहा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्यों का समाजीकरण करना है।

कोनोप्का का विचार है कि सामूहिक समाज कार्य सामूहिक अनुभव द्वारा सामाजिक प्रकार्यात्मकता में वृद्धि करता है।

उपरिलिखित विचारों के अध्ययन के पश्चात् हमारे मत में सामूहिक समाज कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

1. जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करना

सामूहिक समाज कार्य का प्रारम्भ आर्थिक समस्याओं का समाधान करने से हुआ है। परन्तु कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि आर्थिक आवश्यकताओं का समाधान सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। स्वीकृति, प्रेम, सहभागिता, सामूहिक अनुभव, सुरक्षा, आदि अनेक ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनका पूरा किया जाना भी आवश्यक है। इसी आधार पर अनेक सस्थाओं का विकास हुआ है और उन्होंने जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य प्रारम्भ किया। आज सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके

एकाकीपन की समस्या का समाधान करता है, सहभागिता को प्रोत्साहन देता है तथा सुरक्षा की भावना का विकास करता है।

2. सदस्यों को महत्व प्रदान करना

भौतिकवादी युग के कारण आज व्यक्ति का कोई महत्व न होकर धन, मशीनों तथा यंत्रों का बोलबाला हो गया है। परिणामतः व्यक्ति में निराशा तथा हीनता के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका कुछ महत्व हो तथा समाज में सम्मान हो। यह समस्या युवा अवस्था में उतनी गम्भीर नहीं होती है जितनी वृद्धावस्था में। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल वृद्धावस्था में ही सम्मान प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि हम मानव विकास के स्तरों का सूक्ष्म अवलोकन करें तो ऐसा कोई भी स्तर नहीं है जहाँ पर व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने की इच्छा न रखता हो। बाल अपराध का मुख्य कारण बालक को महत्ता एवं स्वीकृति न प्रदान करना है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें उचित सम्मान व स्वीकृति देता है।

3. सामन्जस्य स्थापित करने की शक्ति का विकास करना

व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सामन्जस्य प्राप्त करने की होती है। व्यक्ति इससे जीवन रक्षा के अवसर प्राप्त करता है तथा पर्यावरण को समझ कर अपनी आवश्यकताओं को समायोजित करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक अनेकानेक समस्याएँ उसे घेरती हैं और उसे समायोजन स्थापित करने के लिए बाध्य करती रहती हैं। सामूहिक समाज कार्यकर्ता सामूहिक अनुभवों के द्वारा व्यक्ति में सामन्जस्य स्थापित करने की कुशलता विकसित करता है। व्यक्ति जब समायोजन स्थापित करने में असमर्थ होता है तो इसका कारण उसकी या उसके पर्यावरण में पाई जाने वाली कमियाँ होती हैं। व्यक्ति शासन करने, अधिकार

जमाने, अनावश्यक हस्तक्षेप करने, वारताविक स्थिति को अस्वीकार करने, उत्तरदायित्व को पूरा न करने, दूसरो का सहयोग स्वीकार न करने आदि के कारण सामाजिक स्थापित करने मे असमर्थ होता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता कार्यक्रमो के माध्यम से उन कमियो को दूर करके सामान्य गुणो को विकसित करता है।

4. आत्म-विश्वास व आत्मनिर्भरता को विकसित करना

जब तक व्यक्ति मे आत्म-विश्वास नही होता है तब तक वह न तो कोई अपने आप निर्णय ले सकता है और न ही कोई जोखिम का कार्य करता है। आत्म-निर्भरता का होना व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता व्यक्ति मे इन गुणो का विकास करने के लिए प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग कार्य करने तथा उत्तरदायित्व ग्रहण करने का अवसर देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओ, शक्तियो एव निपुणताओ को प्रकट करने का पूरा अवसर देता है जिसके फलस्वरूप उनसे स्वत आत्म-विश्वास एवं आत्म-निर्भरता विकसित हो जाती है।

5. प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास करना

सामूहिक समाज कार्यकर्ता का उद्देश्य जहाँ एक ओर व्यक्तियो मे प्रजातांत्रिक मूल्यो का विकास करना है वही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास भी करता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के प्रत्येक सदस्य को नेतृत्व प्रदान करने के अवसर देता है। यद्यपि नेता राय तो दे सकता है परन्तु अंतिम निर्णय समूह पर निर्भर होता है। नेता सभी सदस्यो को समान अवसर एव उन्नति की सम्मान सुविधाये प्रदान करता है।

6. सामाजिक सम्बन्धो को सुदृढ बनाना तथा मनो-सामाजिक समस्याओ का समाधान करना

व्यक्ति समाज मे पैदा होता है और सामाजिक सम्बन्धो मे ही

अपना जीवन विताना है। इसीलिए मेकाइवर तथा पेस ने समाज को सामाजिक सम्वन्धो का जाल कहा है। सम्वन्धो के आधार पर ही समाज के कार्य सम्पन्न हातें हैं। परन्तु कभी-कभी व्यक्ति इन सम्वन्धो को निभाने में असमर्थ होता है जिसके परिणामस्वरूप मानसिक तनाव एवं अन्य मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा कभी-कभी व्यक्ति मानसिक रोगो का शिकार भी हो जाता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार द्वारा तनाव को कम करता है। कार्यकर्ता का उद्देश्य न केवल तनाव को कम करना होता है बल्कि समान्य व्यक्तियों को सामूहिक अनुभव द्वारा यह ज्ञात कराना भी होता है कि उसकी कठिनाइयां उसकी असफलताओं के कारण ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार से अनेक कठिनाइयो से पीडित हैं। ऐसा होने पर उनमें सतोष उत्पन्न होता है और समाधान की शक्ति आती है एवं सम्वन्ध स्थापति करने की इच्छा का विकास होता है। उनमें नवीनता का संचार होता है तथा वे स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं।

VIII सामूहिक समाज कार्य के सिद्धान्त (Principles of Social Group work)

किसी भी कार्य के सुचारु रूप से संपादन हेतु सिद्धान्त आवश्यक हैं। सिद्धान्त अनुभव पर आधारित ऐसे सामान्यीकरण हैं जो हमारे कार्यों का मार्ग दर्शन करते हैं। वार, बर्टन तथा ब्रुकनेर के अनुसार "सिद्धान्त अर्थात् सामान्य नियम या कानून, प्रत्यय, मूलभूत सत्यताये, सामान्य रूप से माने गये मत-वे साधन हैं जिनके द्वारा हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं।" सामाजिक सामूहिक कार्य के अभ्यास का एक लम्बा इतिहास है और इस अभ्यास के दौरान जिन नियमों को आवश्यक समझा गया उन्हें सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लियोनार्ड डी. हाइट का मत है कि एक सिद्धान्त अवश्य ही उपकल्पना समझी जानी चाहिये जिसका इस प्रकार प्रत्यवेक्षण अथवा प्रयोग करके परीक्षण किया गया है कि इसे बुद्धिमत्तापूर्वक क्रिया के पथ प्रदर्शक अथवा ज्ञान के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सामूहिक समाज कार्य समाज कार्य की एक पद्धति है। समाज कार्य की भाँति इनके भी कुछ सिद्धान्त हैं जिनका मानना समाज कार्यकर्ता के लिये आवश्यक होता है क्योंकि इनके अनुपालन के बिना निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

सामूहिक समाज कार्य के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्त हैं

1. नियोजन का सिद्धान्त (Principle of Planning)

नियोजन वगैरह में लक्ष्यो का निर्धारण किया जाता है, उनको पूर्ति के लिये साधनो की व्यवस्था की जाती है और क्रियाओ को संगठित रूप प्रदान किया जाता है। नियोजन के अन्तर्गत वर्तमान स्थितियो तथा सम्भावित परिवर्तनो की उपयोगिता को ध्यान में रखकर एक व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे भविष्य के परिवर्तनो को अपेक्षित लक्ष्यो के अनुरूप नियंत्रित निर्देशित तथा सशोधित किया जा सके। सामूहिक समाज कार्य में समूह ही आधारभूत साधन होता है जिसके द्वारा व्यक्ति की सहायता की जाती है, परिणामस्वरूप सस्था एव कार्यकर्ता, जिनका समूहो के निर्माण अथवा सस्था के पूर्व निर्मित समूहो को रचीकार करने का उत्तरदायित्व होता है, उन्हें सामूहिक स्थितियो के उन अन्तर्भूत कारको का ज्ञान होना चाहिए जो व्यक्ति की अभिवृद्धि एव पहचानी जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह को सकारात्मक शक्ति प्रदान करते हैं।

सामूहिक कार्यकर्ता सुनियोजित ढंग से समूह निर्माण का कार्य करते हुए ही लक्ष्यो को प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में उरो निम्नलिखित कार्य करने पडते हैं.

- 1 विकास के लक्ष्यो एव मूल्यो का निर्धारण।
- 2 परिस्थिति का विश्लेषण।
- 3 वर्तमान सेवाओं के गुणात्मक एव परिमाणात्मक दृष्टि से पाई जाने वाली कमियों की जानकारी।
- 4 विशिष्ट उद्देश्यों तथा रणनीतियो का निर्धारण।
- 5 आगत, लक्ष्य, क्षेत्र, साधन आदि का निर्धारण।

- 6 प्रशिक्षण तथा संचार प्रक्रिया की सीमाओं की जानकारी।
- 7 क्रिया नियोजन तथा कार्यों की लिपिवद्ध किए जाने के महत्व का ज्ञान।
- 8 कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण की जानकारी।
- 9 सम्भावित साधनों की उपलब्धता की जानकारी।
- 10 शक्ति के स्रोतों का निर्धारण।
- 11 समूह के सदस्यों की संख्या का निर्धारण।
- 12 समूह के सदस्यों की सामाजिक मान्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, आयु, अनुभव तथा जीवनस्तर की पहचान।

कार्यकर्ता को समूह का निर्माण करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि समूह के सदस्यों की संख्या, साधनों, शक्ति के स्रोतों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के बीच समुचित सतुलन अवश्य हो। समूह के नियोजित होने पर ही यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 'समूह के उद्देश्य एवं लक्ष्य किस प्रकार तथा किस सीमा तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. लक्ष्यों की स्पष्टता का सिद्धान्त

(Principle of Clarification of the Objectives)

सामूहिक कार्यकर्ता के लिये स्पष्ट लक्ष्यों का ज्ञान कार्य को पूरा करने के लिये आवश्यक होता है क्योंकि लक्ष्य ही वह सम्प्रेरक शक्ति प्रदान करते हैं जिसके आधार पर समूह विकास की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लक्ष्यों की स्पष्टता महत्वपूर्ण है, क्योंकि :

- 1 लक्ष्य ही कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते हैं तथा आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करते हैं।
- 2 लक्ष्यों की स्पष्टता उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करने पर बल देती है।
- 3 लक्ष्यों पर ही कार्यक्रम निर्भर होते हैं। यदि वे स्पष्ट हैं तो कार्यकर्ता को घबराहट में कोई कठिनाई नहीं होती है।
- 4 लक्ष्यों के स्पष्ट होने पर यह निर्णय लेना आसान हो जाता

है कि कार्य प्रारम्भ कैसे किया जाय तथा उसका स्वरूप तथा प्रकृति क्या हो।

- 5 लक्ष्यो के स्पष्टता से सस्था के लिये आवश्यक यत्रो साधनो तथा कोष को निश्चित करने मे सहायता मिलती है।
- 6 लक्ष्य स्पष्ट होने पर समूह का नियंत्रण तथा उसका निर्देशन अच्छा होता है।
- 7 समूह के सदस्यो की सहभागिता अच्छी होती है।
- 8 मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका आधार लक्ष्य ही होते हैं।

अतः कार्यकर्ता समूह तथा सस्था तीनों के लक्ष्य स्पष्ट हो तभी मूल्यांकन की प्रक्रिया अपना कार्य कर सकती है। सामूहिक समाज कार्य में व्यक्ति का समूह के विकास के विशिष्ट लक्ष्यो का निर्धारण समूह की इच्छाओ एव क्षमताओ तथा सस्था के कार्यो को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता द्वारा किया जाना चाहिये।

3. सोदेश्य सम्बन्ध का सिद्धान्त (Principle of Purposeful Relationship)

सम्बन्ध जीवन का आधार है। व्यक्ति सम्बन्ध स्थापित करके ही पशु स्तर की क्रियाओ से लेकर अति बुद्धिमता पूर्ण क्रियायें करता है। वह अपनी आवश्यकताओ की सतुष्टि सम्बन्ध के माध्यम से करता है। अतः प्रत्येक सामाजिक स्थिति में सम्बन्धो का विशेष महत्व है। सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता तथा समूह के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होने चाहिये तथा वे सम्बन्ध निश्चित उद्देश्यो पर आधारित होने चाहिये। सामान्यतः सोदेश्य सम्बन्ध के निम्न लक्षण हैं

- 1 कार्यकर्ता की समूह द्वारा स्वीकृति।
- 2 समूह की कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृति।
- 3 स्नेह तथा आत्म-संचार की पूर्णता।
- 4 समस्या को सुलझाने की इच्छा का विकास।

- 5 समूह के सदस्यों की सहभागिता तथा कार्यकर्ता द्वारा व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग।
- 6 सदस्यों की इच्छा का सम्मान तथा आत्मनिर्णय (Self determination) का अधिकार।
- 7 सामूहिक रुचि तथा सहभागिता में निरन्तर वृद्धि।

घनिष्ठ सम्वन्ध के तीन प्रमुख आधार हैं

- 1 कार्यकर्ता को सदस्यों के प्रति सहिष्णुता तथा लगाव प्रदर्शित करते हुये उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कार्यकर्ता उसमें रुचि ले रहा है तो वे स्वयं अपना उत्तरदायित्व समझने लगते हैं।
- 2 कार्यकर्ता को सदस्यों की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिये तथा उसी के अनुरूप कार्यक्रम चलाने चाहिये।
- 3 कार्यकर्ता को उसी बौद्धिक स्तर से बातचीत तथा कार्य प्रारम्भ करना चाहिये जिस स्तर पर समूह के सदस्य हो।
- 4 सम्वन्धों की घनिष्ठता के लिये सदस्यों का वैयक्तिक अध्ययन आवश्यक होता है।

सामूहिक समाज कार्य में सम्वन्ध स्थापन सहायता का आधार होता है क्योंकि सम्वन्धों के आधार पर ही कार्यकर्ता कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

4 अनवरत वैयक्तीकरण का सिद्धान्त (Principle of Continuous Individualization)

सामूहिक समाज कार्य की यह मान्यता है कि समूह अनेकों प्रकार के होते हैं और व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से करता है। परिणामस्वरूप, कार्यकर्ता द्वारा वैयक्तीकरण का अनवरत उपयोग करना आवश्यक होता है। वैयक्तीकरण के लिए कार्यकर्ता में निम्नलिखित विशेषताये होनी चाहिये

- 1 पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता।
- 2 मानव व्यवहार का ज्ञान।
- 3 सुनने तथा अपलोकन करने की क्षमता।
- 4 सेवार्थी की भावनाओं को समझने की योग्यता।
- 5 सेवार्थी में आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने की योग्यता।
- 6 समस्या के अध्ययन निदान तथा उपचार सेवार्थी का सहयोग प्राप्त करने की योग्यता।

कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य की कठिनाइयों को ध्यान में रखता है तथा सहभागिता के आधार पर उसको प्रोत्साहित करता है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो समूह के साथ अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण अपना सामन्जस नहीं कर पाते हैं। इसलिये ऐसे सदस्यों के साथ अनवरत वैयक्तीकरण कर सामूहिक कार्यक्रमों में सामूहिक कार्यकर्ता द्वारा यथोचित तथा क्षमतानुसार भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. निर्देशित सामूहिक अंत क्रिया का सिद्धान्त (Principle of Guided Group Interaction)

सामूहिक समाज कार्य में प्राथमिक शक्ति का स्रोत पारस्परिक प्रत्युत्तर ही हैं। अंत क्रिया जो समूह की निपुणताओं में वृद्धि करने हैं तथा सदस्यों में परिवर्तन लाते हैं सामूहिक कार्यकर्ता अपनी सहभागिता द्वारा अंत क्रिया को प्रभावित करता है जिससे सदस्यों के व्यवहारों तथा विचारों एवं उनकी कार्यविधियों में अंतर आता है।

जब व्यक्ति समूह का सदस्य बनता है तो उसकी अन्य सदस्यों के साथ अंत क्रिया होना स्वाभाविक हो जाता है। उनमें पारस्परिक प्रत्युत्तर होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामूहिक कार्य में इस अंत क्रिया-प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। कार्यकर्ता इस सिद्धान्त को मानता है कि उसका

कार्य अन्त क्रिया की क्षमता में वृद्धि करना तथा सभी सदस्यों को सहभागिता के लिये प्रोत्साहित करना है। अन्त क्रिया की दिशा निर्देशित होने पर ही सामूहिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। अतः कार्यकर्ता के लिये नितान्त आवश्यक है कि समूह में होने वाली अन्त क्रिया को सही दिशा प्रदान करे क्योंकि समूह के कार्य एवं उद्देश्य समूह में होने वाली अन्त क्रिया पर निर्भर होते हैं। कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिये कि समूह के आपसी सम्बन्ध सकारात्मक बने रहे तथा अन्त क्रिया का प्रवाह घनात्मक दिशा में हो। इससे आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है तथा पारस्परिक विश्वास बढ़ता है।

6. प्रजातांत्रिक सामूहिक आत्म-निर्णय का सिद्धान्त (Principle of Democratic Self-Determination)

कार्यकर्ता का कार्य समूहों को अपना निर्णय लेने तथा कार्यों को निश्चित करने में सहायता प्रदान करना है। समूह को अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार अधिकाधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये तैयार करना कार्यकर्ता का कर्तव्य है। सामूहिक क्रियाओं के निर्णय का मूल स्रोत समूह स्वयं है। यह सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि समूह तथा व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों का विकास तभी कर सकते हैं जब उन्हें उत्तरदायित्व ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध कराये जायें। लेकिन उन्हें कितना उत्तरदायित्व किस विधि से दिया जाय यह निश्चित करना कार्यकर्ता का कार्य होता है।

सामूहिक कार्य में समूह निर्माण के प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण तक होने वाली सभी क्रियायें जनतंत्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित हैं। समूह के सदस्य स्वयं अपना रास्ता तय करते हैं तथा उसे पूरा करते हैं। कार्यकर्ता का कार्य केवल दिशा प्रदान करना तथा सकारात्मक रूप से समूह की अन्त क्रिया को निर्देशित करना होता है। समूह की सभी क्रियायें समूह के सदस्यों द्वारा स्वतः प्रेरित होती हैं। कार्यकर्ता का कार्य सदस्यों को

सामाजिक वास्तविकता का सही ज्ञान कराना तथा उनकी सोई हुई शक्तियों को सही दिशा प्रदान करना है।

7. लोचदार प्रकार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त

(Principle of Flexible Functional Organization)

सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता समूह का निर्देशन समूह संगठन के माध्यम से करता है। पहले वह समूह को संगठित करता है। तदुपरान्त उस संगठन के माध्यम से कार्यक्रमों को सम्पादित करता है लेकिन उसके द्वारा बनाया गया औपचारिक संगठन दूसरे प्रकार के समूहों में पाये जाने वाले संगठनों से भिन्न होता है। सामूहिक कार्यकर्ता औपचारिकता को उतना ही महत्व देता है जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक से अधिक प्रभावापूर्ण ढंग से हो सके और कोई बाधा उत्पन्न न हो। अर्थात् उसके संगठन में लचीलापन होता है जिससे आवश्यकतानुसार अपेक्षित परिवर्तन करना सम्भव हो सके।

8. प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धान्त

(Principle of Progressive Programme Experiences)

सामूहिक समाज कार्य में उसी स्तर से कार्य प्रारम्भ होना चाहिये जिस स्तर की सदस्यों की अभिरुचियाँ, आवश्यकतायें अनुभव निपुणतायें तथा दक्षताएँ हो। जैसे इन शक्तियों का विकास हो वैसे-वैसे कार्यक्रमों में भी परिवर्तन लाया जाना चाहिये तथा इस प्रस्तावित परिवर्तन की दिशा विकासात्मक होनी चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम प्रारम्भ करने का एक बिन्दु होता है और उस बिन्दु की ठीक से पहचान करना तथा इसकी उपयुक्त परिभाषा करनी महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ता समूह के स्तर के अनुरूप ही कार्यक्रमों को आयोजित करने की सलाह देता है। वह कार्यक्रम नियोजन तथा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समूह की सहायता करता है। मूल्यांकन के द्वारा वह कार्यक्रम के अनुभवों में जटिलता लाता है। कार्यकर्ता समूह को विकासात्मक

कार्यक्रमों को संगठित करने के लिये निरन्तर प्रोत्साहित करता रहता है।

9. स्रोतों के उपयोग का सिद्धान्त (Principle of Resource Utilization)

सामूहिक समाज कार्य में संस्था तथा समूह के कार्य बहुत बड़ी सीमा तक समूह में उपलब्ध साधनों पर निर्भर होते हैं कार्यकर्ता के लिये आवश्यक होता है कि उसे समुदाय व संस्था के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान हो जिससे समूह के उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण रूप से पूरा किया जा सके। इन स्रोतों में व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएँ, उपकरण, सेवाएँ, स्थान आदि आते हैं। समूह को जब तथा जिस स्रोत एवं साधन की आवश्यकता हो तब कार्यकर्ता को इससे लाभ उठाने में पूर्णरूपेण समर्थ होना चाहिये। संस्था एवं समुदाय में उपलब्ध साधनों एवं स्रोतों से समूह अनुभव को न केवल बढ़ाया जा सकता है वरन् इससे सभी समूह सदस्यों के विकास को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

10. मूल्यांकन का सिद्धान्त (Principle of Evaluation)

मूल्यांकन एक निर्णय की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि समूह, कार्यकर्ता तथा संस्था का क्या उत्तरदायित्व है, उनमें उसको निभाने की कितनी क्षमता है तथा इनकी क्या-क्या शक्तियाँ तथा कमजोरियाँ हैं इस प्रकार मूल्यांकन का उद्देश्य सही स्थिति का आकलन करना है। सामूहिक कार्यकर्ता निम्न स्थितियों का मूल्यांकन करता है :

- 1 कार्यक्रम का मूल्यांकन।
- 2 सदस्यों की सहभागिता तथा अनुभव का मूल्यांकन।
- 3 कार्यकर्ता का अपना स्वयं का मूल्यांकन।

मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रम के महत्व का ज्ञान होता है, सदस्यों की मनोवृत्तियों, रुचियों एवं अनुभवों का पता चलता है, अवरोधों एवं बाधाओं का ज्ञान होता है, सदस्यों की इच्छाओं का पता चलता है तथा उनकी क्षमताओं, दोषों निपुणताओं, सम्बन्धों साथ ही साथ कमियों, अक्षमताओं, दोषों तथा सघर्षों की जानकारी होती है। इससे कार्यकर्ता को स्वयं में परिवर्तन

कार्यक्रम में बदलाव तथा क्रियात्मक विधियों में सशोधन करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

IX सामाजिक सामूहिक कार्य की निपुणतायें (Skills in social group work)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका अस्तित्व समूह से ही तथा समूह में ही है। जिस प्रकार कोषाणु द्वारा जीवन सम्भव होता है, उसी प्रकार समूह द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक स्वरूप प्राप्त कर सकता है। मानव में आत्म निर्भरता की प्रवृत्ति पायी जाती है और इसकी प्राप्ति हेतु अपेक्षित भूमिका निर्वाह के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वह इन निपुणताओं में कौशल का विकास कर सके जो इन भूमिकाओं को प्रतिपादन के लिए आवश्यक होती है।

किसी भी व्यवसाय के लिये निपुणताओं का होना उसके स्वरूप व महत्व को स्पष्ट करता है। समाज कार्य की प्रगति व विकास में निपुणताओं का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह मानव व्यवहार की समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित है और इन समस्याओं का तब तक प्रभावपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता जब तक विशेष योग्यताओं एवं कौशल का प्रयोग न किया जाय। समाज कार्यकर्ता में निपुणताओं का होना ही यह निश्चित करता है कि वह अपने उद्देश्य में कहीं तक सफल हो सकेगा।

निपुणता का अर्थ (Meaning of Skills)

सामान्य अर्थ में निपुणता का अर्थ कार्य करने की क्षमता से है। वेबरस्टर्स शब्दकोष के अनुसार निपुणता का तात्पर्य कार्य के क्रियान्वयन व उसे पूर्ण करने के लिए अपेक्षित ज्ञान एवं दक्षता से है। ट्रेकर के अनुसार निपुणता कार्यकर्ता की ज्ञान एवं समझ के विशेष परिस्थितियों में उपयोग की क्षमता से है। इस प्रकार परिवर्तन प्रारम्भ करने तथा इसे नियंत्रित करने की क्षमता है जिससे पदार्थ में होने वाला परिवर्तन इस पदार्थ के गुण एवं क्षमता पर अधिक से अधिक ध्यान देते हुए एवं उपयोग करते हुए, किया जा सके।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति निपुणताओं की प्राप्ति ज्ञान वृद्धि एवं कार्य अनुभव से करता है। जब वह किसी कार्य में सतत लगा रहता है तो निपुणताये स्वयं आ जाती हैं। यदि कार्यकर्ता अपने समूह की सहायता प्रभावकारी ढंग से करना चाहता है तो उसे प्रासंगिक सामाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा इस बात का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है कि वह इन प्रत्ययों को समूह में किस प्रकार उपयोग में लाये। निपुणता के तीन अंग हैं—ज्ञान, भावना एवं क्रिया। सामान्य रूप से प्रणाली तथा निपुणता को समान समझा जाता है। परन्तु ऐसा नहीं है। प्रणाली एक क्रमानुसार व्यवस्थित तथा नियोजित काम करने का तरीका है। इसके अन्तर्गत सदैव ज्ञान और समझ को विशिष्ट परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता है। प्रणाली ज्ञान व समझ को प्रयोग करते हुए व्यवस्थित रूप से काम करने का एक तरीका है जबकि निपुणता परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और समझ का सम्यक प्रयोग करने की क्षमता है।

सामाजिक सामूहिक कार्य की अनिवार्य निपुणतायें (Essential Skills in Social Group Work)

ट्रेकर ने सामूहिक कार्य की निम्नलिखित निपुणताओं का उल्लेख किया है :

1. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता
(Skill in Establishing Purposeful Relationship)
- (अ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह की स्वीकृति प्राप्त करने और समूह के साथ एक सकारात्मक तथा व्यावसायिक आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने में अवश्य निपुण होना चाहिये।
- (ब) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के सदस्यों को एक दूसरे को स्वीकार करने और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह के

साथ सहयोग करने में अवश्य ही निपुण होना चाहिये।

समूह की परिस्थिति का विश्लेषण करने की निपुणता

(Skill In Analysing Group Situation)

- (अ) सामूहिक कार्यकर्ता में समूह के स्तर, उसकी आवश्यकताओं तथा गतिशीलता को जानने के लिये समूह विकास के स्तर को समझने की निपुणता अवश्य होनी चाहिये। यह समूह का प्रत्यक्ष अवलोकन कर इसे जानने तथा समझने की निपुणता हो जिसके आधार पर इसका उपयुक्त विश्लेषण करना तथा इसके विषय में समीचीन निर्णय सम्भव होता है।
- (ब) सामूहिक कार्यकर्ता में इस बात की निपुणता होनी चाहिये कि वह समूह को अपने विचारों को व्यक्त करने उद्देश्यों को निर्धारित करने, आवश्यक लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करने और समूह के रूप में अपनी शक्तियों एवं सीमाओं को समझने में सहायता कर सके।

समूह के साथ सहभागिता करने में निपुणता

(Skill In Participation with the Group)

- (अ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के प्रति अपनी भूमिका निर्धारित करने, उसकी व्याख्या करने उसे ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने में अवश्य ही निपुण होना चाहिये।
- (ब) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के सदस्यों को भाग लेने, अपने बीच में से नेतृत्व की पहचान करने और अपनी क्रियाओं के विषय में उत्तरदायित्व स्वीकार करने में सहायता देने में अवश्य ही निपुण होना चाहिये।

4. समूह की भावनाओं से निपटने में निपुणता

(Skill in Dealing with the Group Feelings)

- (अ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में अवश्य ही निपुण होना चाहिये और उसे प्रत्येक नवीन परिस्थिति का अधिक से अधिक विषयनिष्ठता (Objectivity) के साथ अध्ययन करना चाहिये।
- (ब) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह को अपनी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करने में अवश्य निपुण होना चाहिये। उसे समूह द्वारा सामूहिक एवं आन्तरिक संघर्ष की परिस्थिति का विश्लेषण करने में सहायता देने में अवश्य निपुण होना चाहिये।

5. कार्यक्रम के विकास में निपुणता (Skill in Programme

Development)

- (अ) सामूहिक कार्यकर्ता को सामूहिक चिन्तक का मार्ग निर्देशित करने में अवश्य निपुण होना चाहिये जिससे उसकी अभिरुचियाँ और आवश्यकताएँ व्यक्त की जा सकें और उन्हें समझा जा सके।
- (ब) सामूहिक कार्यकर्ता को समूहों के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का नियोजन एवं आयोजन करने में अवश्य निपुण होना चाहिये जिनके माध्यम से समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं।

6. संस्था और सामुदायिक साधनों के उपयोग में निपुणता

(Skill in Using Agency and Community Resources)

- (अ) सामूहिक कार्यकर्ता को ऐसे विभिन्न सामुदायिक साधनों का पता लगाने और उनके विषय में समूह को जानकारी देने में अवश्य निपुण होना चाहिये जिनका उपयोग कार्यक्रम उद्देश्यों

मिलकर तथा उनसे सम्पर्क द्वारा, v होम विजिट्स द्वारा, vi आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावों की जानकारी द्वारा, vii कार्यस्थल की दशा को जानकर, viii उस समुदाय की रिथति की जानकारी द्वारा जहाँ से सदस्य आया है।

सामूहिक समाज कार्य में तथ्यों की खोज निम्न ज्ञान एवं समझ पर आधारित है

- 1 व्यक्ति के व्यवहार तथा उसकी गत्यात्मकता (Dynamics) के विषय में सम्पूर्ण जानकारी
- 2 समूह में सदस्य की रिथति तथा भूमिका
- 3 व्यक्ति पर समूह के प्रभाव की सीमा
- 4 समूह पर व्यक्ति के प्रभाव की सीमा
- 5 पूरे समूह का वातावरण
- 6 समूह के अन्तर्व्यक्तिक सम्वन्ध
- 7 सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण

सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के सदस्यों से सम्वन्धित तथ्यों की खोज करता है। वह इस बात का पता लगाता है कि समूह की रुचियाँ, इच्छायें, शक्तियाँ एवं सीमाये क्या हैं। वह समूह की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, सामाजिक संरचना का पता लगाता है सदस्यों की आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित करता है तथा उन साधनों का पता लगाता है जो संस्था अथवा समुदाय में उपलब्ध हैं।

2. निदान (Diagnosis)

निदान शब्द अधिकांशतः चिकित्साशास्त्र में प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य रोग के सम्पूर्ण ज्ञान से है। समाज कार्य में निदान का अर्थ न केवल समस्या के पूर्ण ज्ञान से होता है बल्कि सेवार्थी से सम्वन्धित पूर्ण ज्ञान से भी होता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता तथ्यों

को ज्ञात कर लेने के पश्चात यह पता लगाता है कि वे कौन से कारक हैं जो समूह या व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी खोज करके समस्या का निदान करता है। यदि सेवार्थी की समस्या का समाधान चेतन अथवा अचेतन किसी भी प्रकार से करना है तो समस्या का उचित निदान किया जाना हर प्रकार से आवश्यक होता है।

निदान के अन्तर्गत हम मुख्य रूप से दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं

- 1 समूह की समस्या अथवा समस्याओं के क्या कारण हैं?
- 2 किन-किन साधनों द्वारा समस्या का निदान किया जा सकता है? उल्लेखनीय है कि समस्या के निदान का कार्य तथा समस्या समाधान साथ ही साथ चलता है।

निदान के अन्तर्गत 3 चरण होते हैं

1. तथ्यों का संकलन (Collection of facts)

- i) समस्या का मूल्यांकन
- ii) समूह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन
- iii) सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन

2. कारण की खोज (Search of etiology)

- i) समस्या का स्वरूप
- ii) सामुदायिक पर्यावरण का समूह का प्रभाव
- iii) समस्या उत्पत्ति अथवा विकास के मार्ग में बाधाएँ
- iv) समस्या के उपचार के उपलब्ध सुलभ हैं तथा अनुपलब्ध

3. श्रेणीकरण (Classification)

- i) समस्या के आधार पर समूह के सदस्यों का वर्गीकरण अथवा समूहों का वर्गीकरण
- ii) समस्या के समाधान में सस्था की भूमिका

सामूहिक समाज कार्य में निदान की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। निदान की प्रक्रिया पहले स्तर से प्रारम्भ होकर समस्या के समाधान तक चलती है। निसन्देह उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता है।

उपचार (Treatment)

जब सामूहिक समाज कार्यकर्ता तथ्य सकलन तथा निदान द्वारा यह निश्चित कर लेता है कि समूह किस प्रकार की सहायता चाहता है और उसकी इच्छा किस सीमा तक पूरी की जा सकती है तो वह सिद्धान्तों एवं प्रविधियों के आधार पर उसके अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। साथ ही साथ वह मूल्यांकन करता रहता है कि उसके कार्यक्रम का प्रभाव उक्त समस्या विशेष को हल करने में कहीं तक सफल हो रहा है।

सामूहिक समाज कार्य में चिकित्सा दो प्रकार की होती है

1. अल्पकालीन (Short-term)
2. दीर्घकालीन (Long-term)

जो समूह मनोरजन एवं खाली समय की क्रियाओं के लिए सगठित किये जाते हैं वे प्रायः अल्पकालीन अवधि के होते हैं तथा जो समूह विकास के लिए अथवा चिकित्सा के उद्देश्य से सगठित किये जाते हैं, वे दीर्घकालीन अवधि के होते हैं।

उपचार के माध्यम (Media of treatment)

सामूहिक समाज कार्यकर्ता निम्नलिखित प्रमुख चिकित्सा माध्यमों का उपयोग करता है .

1. उद्देशपूर्ण एवं सूझ-बूझ पर आधारित समूह के सदस्यों के बीच व्यवसायिक सम्बन्ध की स्थापना
2. समूह के सदस्यों में पाए जाने वाले सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण एवं मजबूत बनाना

3. शाब्दिक सम्प्रेषण (Verbal communication)
4. गैर-शाब्दिक या दैहिक सम्प्रेषण (Non Verbal Communication)
5. पर्यावरण का उद्देशपूर्ण चुनाव (Purposeful Selection of Environment)

उपचार के ढंग (Methods of treatment)

उपचार में निम्नलिखित तरीके उपयोग में लाये जाते हैं

1. परानुभूति (Empathy), गर्मजोशी (Warmth) तथा निरछलता
2. आत्म-प्रकटन (Self-expression)
3. अन्वेषण (Exploration)
4. आलम्बन (Support)
5. ज्ञानात्मक पुनर्संरचना (Cognitive Restructuring)
6. भूमिका निष्पादन (Role playing)
7. कार्यक्रम क्रियाओं का उपयोग (Use of Programme Activities)
8. स्पष्टीकरण (Clarification)
9. आदर्श प्रदर्शन (Modeling)

सामूहिक समाज कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य सहायक (Helping) एवं आलम्बनात्मक (Supportive) वातावरण तैयार करना होता है ताकि सामूहिक क्रियाएँ सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा सकें।

संदर्भ

1. In its outer aspect, method is a way of doing something but underneath doing we always discover an integrated arrangement of knowledge, understanding and principles
 Trecker, H B., *Social Group work, Principles and Practice* Association Press New York, 1955, P 3
2. Social group work aims at the development of persons through the interplay of personalities in group situations and at the creation of such

group situation as provide for integrated, cooperative group action for common ends

Coyle, Grace, "Social Group Work". In *Social work Year Book*, American Association of Social Workers, New York, 1937, p 461

- 3 We see social group work as a process and a method through which group life is affected by worker who consciously directs the interacting process towards the accomplishment of goals which are conceived in a democratic frame of reference

Wilson G and Ryland G., *Social Group Work Practice*, Houghton Mifflin, Boston 1947, P6

- 4 Social group work is a psycho-social process which is concerned no less with developing leadership ability and cooperation than with building on the interests of the group for a social purpose

- 5 Social group work is a method through which individuals in groups in social agency settings are helped by a worker who guides their interaction in program activities so that they may related themselves to others and experience growth opportunities in accordance with their needs and capacities to the end of individual, group and community development

Trecker, H B , op cit, P5

Social group work is a method of social work which helps individuals to enhance their social functioning through perposeful group experiences and to cope more effectively with their personal, group or community problems

- 6 Konopke, G , *Social Group Work A Helping Process*, Practice Hall, cliffs, 1966, P 29

- 7 Pnnciples-that is, general rules or laws, concepts, fundamental truths, generally accepted tenets-are the means by which we proceed from one sitution to another .

Barn, A S , Burton, WH and Brueckner, Leo J *Supervision-Pnnciples and Practice in the Improvement of Instruction* Appleton-Centure Croft, New York, PP. 32-33

- 8 A Pnnciple must be undrstood to mean a hypothesis so adequately tested by observation and/or experenent that it may intelligently be put forward as a guide in action or as a means of understanding

White, Leonard D , *The frontiers of Public Adminstration*, Chicago press, Chicago, 1936, P21

सामुदायिक संगठन (COMMUNITY ORGANIZATION)

साधारण बोलचाल में सामुदायिक संगठन का अभिप्राय किसी समुदाय की आवश्यकताओं तथा साधनों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करने से है। सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है। इस रूप में सामुदायिक संगठन का तात्पर्य किसी समुदाय या समूह में लोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याण कार्यों की योजना बनाना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय तथा साधनों को निश्चित करना है। किसी समुदाय से संबंधित प्रक्रियाएँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं। अतः सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का अभिप्राय केवल उस प्रक्रिया से है जिसमें समुदाय की शक्ति और योग्यता का विकास किया जाता है।

रूप' ने सामुदायिक संगठन का अर्थ बतलाते हुए कहा है प्रमुख रूप से इस शब्द के कम से कम तीन अर्थ हैं—प्रथम, इसका प्रयोग समाज कार्य की उन प्रत्यक्ष एवं समाविष्ट प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसकी आवश्यकता समाज कल्याण के मौलिक उद्देश्यों के पूर्णतः प्रकटन के लिए होती है। द्वितीय, सामुदायिक संगठन का प्रयोग सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण के लिए व्यावसायिक व्यक्तियों एवं सभ्य नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली क्रियाओं का बोध कराने के लिए किया जाता है तृतीय सामुदायिक संगठन का प्रयोग समाजशास्त्रियों द्वारा तथा समाज वैज्ञानिकों द्वारा समुदाय की संरचना का बोध कराने के लिए किया जाता है।

1 परिभाषा (Definition)

सामुदायिक सगठन की प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है

लिण्डमैन² (1921)

सामुदायिक सगठन सामाजिक सगठन का वह स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किये जाते हैं तथा जिसके द्वारा वह अपने मामलों को प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करता है तथा अपने विशेषज्ञों, सगठनों, संस्थाओं तथा संस्थानों से जाने-पहचाने अन्तर्सम्बन्धों के द्वारा उनकी उच्च कोटि की सेवाएँ प्राप्त करता है।

पैटिट³ (1925)

सामुदायिक सगठन एक समूह के लोगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।

सैण्डरसन एण्ड पोल्सन⁴ (1939)

सामुदायिक सगठन का उद्देश्य समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य ऐसे सबन्ध विकसित करना है जिससे उन्हें ऐसी सुविधाओं तथा संस्थाओं का निर्माण करने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए एक साथ कार्य करने में सहायता मिलेगी तथा जिसके माध्यम से समुदाय के सभी सदस्यों के समान कल्याण में अपने उच्चतम मूल्यों का अनुभव कर सकें।

मैकमिलन⁵ (1947)

अपने सामान्य अर्थ में सामुदायिक सगठन समूहों की सहायता का विचारपूर्वक किया हुआ निर्देशित प्रयास है जिससे वे अपने उद्देश्यों और कार्यों को प्राप्त कर सकें। इनका प्रयोग चाहे लोगों

को इसका ज्ञान हो या न हो से परे कर उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर दो या दो से अधिक समूहों की योग्यताओं व साधनों को सामान्य या विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकत्रित करना होता है।

डनहम^० (1948)

समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्यक्षेत्र के समाज कल्याण साधनों में समायोजन लाने तथा बनाये रखने की प्रक्रिया से है।

रारा' (1955)

सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों को पहचानता है, इन आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए विश्वास एवं इच्छा विकसित करता है, इन आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए साधनों (आन्तरिक और/अथवा/वाह्य) का पता लगाता है, इनके रावध में क्रिया करता है और ऐसा करते हुए समुदाय में सहयोगात्मक तथा सहकासत्मक मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों का विकास एवं विस्तार करता है।

फ्रीडलेण्डर^० (1955)

समाज कल्याण के सन्दर्भ में सामुदायिक संगठन की परिभाषा एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा सामुदायिक कल्याण साधनों के बीच क्रमिक और अधिक सार्थक समायोजन उत्पन्न करने वाली समाज कार्य की एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है।

उपरिलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन में सेवार्थी समुदाय होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य समुदाय की इस प्रकार सहायता करना होता है जिससे वह अपनी सहायता स्वयं करने में समर्थ हो सके। इसकी प्रक्रिया उद्देश्यमूलक होती है।

सामुदायिक सगठन की कार्यविधि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से अधिक समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों पर निर्भर करती है।

सामुदायिक सगठन दो शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय तथा सगठन। समुदाय की एक भौगोलिक सीमा होती है तथा उस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं। समाज कार्य की दृष्टि से समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ पर लोग समाज कल्याण सम्बन्धी सामान्य रुचियाँ रखते हैं तथा जहाँ सामुदायिक सगठन की प्रक्रिया चल रही होती है। यह एक छोटा समुदाय, नगर का एक क्षेत्र, अथवा पूरा नगर एक राज्य, एक देश, सभी कुछ हो सकता है। सगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के लोगों को अपनी मूलभूत समस्याओं को समझने, सुलझाने तथा इसके लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। समुदाय स्वयं विभिन्न प्रकार की समस्याओं की सेवाओं का उपयोग करता है। चाहे ये समस्याएँ आर्थिक विकास से सम्बन्धित हो अथवा स्वास्थ्य से या कल्याण से सामुदायिक सगठन कार्यकर्ता का कार्य निरन्तर उत्साहित करते रहना होता है।

जब हम विभिन्न लेखकों द्वारा दी गयी परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो सामुदायिक सगठन की निम्नलिखित विशेषताएँ सामने आती हैं :

1. यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय पहले से अधिक सकारात्मक एवं रचनात्मक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करता है। सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रक्रिया को जान-बूझ कर सतर्क होकर उपयोग में लाता है।
2. इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जानने तथा उनकी पूर्ति की महत्ता को पहचानने में सफल होता है। समुदाय स्वयं आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्या समाधान का प्रयास करता है। इस स्थिति में कार्यकर्ता का पहला कार्य समुदाय की उन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने में सहायता करना होता है जिनसे उनका सम्पूर्ण जीवन प्रभावित होता है।

- 3 जब समस्याओ एव आवश्यकताओ का ज्ञान समुदाय को हो जाता है तो कार्यकर्ता उन आवश्यकताओ को पूरा करने तथा समस्याओ के निराकरण करने हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने मे समुदाय की सहायता करता है जिससे उसी के अनुसार प्रयासो मे एकरूपता तथा गहनता लायी जा सके।
- 4 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय को उन ससाधनो की खोज करने मे सहायता करता है जिनसे आवश्यकताओ की पूर्ति तथा समस्याओ का समाधान संभव है। समुदाय मे अनेक ऐसी सस्थाए होती है जो समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करती है लेकिन समुदाय को उनका ज्ञान नही होता है। कार्यकर्ता इन सस्थाओ का पता लगाकर समुदाय द्वारा इनकी सेवाओ का उपयोग किए जाने पर बल देता है।
- 5 इस प्रक्रिया के द्वारा कार्यकर्ता समुदाय को विशेष समस्या का समाधान करने तथा आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता है, प्रयास करने के लिए उत्साहित करता है तथा मार्गदर्शन करता है।
- 6 जैसे-जैसे कार्य आगे बढ़ता है, समुदाय के लोग उसकी महत्ता को समझने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगते हैं, आपसी मतभेदो को दूर करते हैं, तथा सभी प्रकार के ससाधनो का उपयोग करने का प्रयास करते हैं एव स्वयं समर्थ बनने की प्रबल इच्छा जागृत कर लेते हैं।

II सामुदायिक संगठन के क्षेत्र (Fields of community organization)

सामुदायिक संगठन का क्षेत्र बृहद है तथा इसकी विषयवस्तु विविध प्रकार की है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायो-गाव, शहर करवा मलिन बस्तियो सभी को हैं। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया चेतन या अचेतन रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रो-राजनीति,

कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन सभी में उपयोग में लायी जाती है। आज समाज कल्याण सेवाओं का सामुदायिक संगठन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता अनेक कारकों से निरन्तर बढ़ रही है।

- 1 समुदाय पहले से अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो रहे हैं।
- 2 समाज कल्याण संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है।
- 3 समाज कल्याण के क्षेत्र में आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ रही हैं।
- 4 आज के समुदाय के लिए उच्च स्तर की सेवाओं तथा उनके प्रशासन की विशिष्ट कलाओं की आवश्यकता है।
- 5 बढ़ते हुए विशेषीकरण के लिए उनमें परस्पर अधिक संगठन करने की आवश्यकता है।
- 6 समुदायों में एकता और सहयोग कम होता चला जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप समस्याएँ अधिक बढ़ रही हैं।
- 7 आज परस्पर कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता अनुभव होने लगी है।

III सामुदायिक संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (*Historical background of community organisation*)

सामुदायिक संगठन शब्द उतना ही प्राचीन है जितना कि सामुदायिक जीवन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ कहीं भी लोग एक साथ रहते हैं संगठन आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब जीवन अधिक जटिल हो जाता है तो ऐसी दशा में समुदाय के कल्याण के लिए कुछ औपचारिक संगठनों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इंग्लैण्ड का इलिजाबेथ का निर्धन कानून इस दिशा में प्रथम प्रयास माना जा सकता है। दान संगठन समिति (Charity Organization Society) आधुनिक सामुदायिक संगठन की आधारशिला थी। सन् 1889 में लंदन में वे इसलिए स्थापित की गयी जिससे दान या सहायता देने वाली संस्थाएँ यह जान सकें कि किसको किस प्रकार की सहायता

की आवश्यकता है। सन्ती का दिना जाच-पडताल किये आर्थिक सहायता न प्रदान कर। सन 1877 में अमेरिका के बफैलो (Buffalo) नगर में पहली बार दान संगठन समिति (Chanty Organization Society) की स्थापना की गयी। उसके बाद पन्तलवानिया, वास्टन, न्यूयार्क फिन्डेलिकिया तथा अन्य स्थानों पर भी इसकी स्थापना की गयी। इन दान संगठन समितियों का मूल उद्देश्य एक क्षेत्र की सन्ती दान सन्ध्याओं में सहयोग स्थापित करना तथा उनके प्रयत्नों में एकात्मकता या एकीकरण लाना था। सेंटलमण्ट हाउस आन्डालन सामुदायिक संगठन की दिशा में दूसरा कदम था। सबसे पहला पडोसी गिल्ड (Neighbourhood Guild) सन 1886 में न्यूयार्क में स्थापित किया गया। इसके पश्चात् ये अन्य आद्योगिक नगरों में स्थापित होते चले गये। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका रेडक्रॉस गृह सेवा कार्यक्रम (Red Cross Home Service Programme) चलाया गया जिसका व्यवहारिक स्वरूप व्यवसायिक समाज कार्य जैसा था। उसी दौरान अन्य सन्ध्याओं जैसे यंगमैनस क्रिश्चियन एसोशियेशन, यंग विमन्स क्रिश्चियन एसोशियेशन, ब्यायज स्पाउट्स, गर्ल गाइड आदि कार्यक्रम चलाये गये।

IV सामुदायिक संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य (Aims and objectives of community organization)

वायलेट एम० सीडर्स ने सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विकास की पाँच स्थितियाँ बतलायी हैं

1. पहली स्थिति में सेवार्थियों द्वारा सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किए गये।
2. दूसरी स्थिति में सेवार्थियों को सेवा प्रदान करते हुए धन एवं प्रयासों को अप्रब्यर्थ और पुनरावृत्ति के रोकने का प्रयास किये गये।
3. तीसरी स्थिति में सन्ध्याओं के साधनों की व्यक्तियों की आवश्यकताओं के साथ समजस्य की स्थिति में ले ज्ञान का प्रयास किये गये।

में अधिक अच्छे ज्ञान को विकसित करना और (6) समाज कल्याण क्रियाओं के लिए जनता में सहयोग और सम्मिलन को विकसित करना।

सेण्डर्सन तथा पॉल्सन" के अनुसार इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- 1 सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करना
- 2 सम्पूर्ण आवश्यकताओं की सतृष्टि करना
- 3 समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलन की वृद्धि करना
- 4 सामुदायिक आत्मा तथा भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियन्त्रण को प्राप्त करना
- 5 सधर्ष को रोकने तथा कुशलता एवं सहयोग की वृद्धि के लिए समूह और क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना
- 6 समुदाय की अवाछनीय प्रभावों अथवा परिस्थितियों से रक्षा करना
- 7 सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अन्य संस्थाओं तथा समुदायों से सहयोग करना
- 8 एकमतता प्राप्त करने के साधनों का विकास करना
- 9 नेतृत्व को विकसित करना

V सामुदायिक संगठन की मौलिक मान्यताएं (Basic assumptions of community organization)

सामुदायिक संगठन की तीन मान्यताएं हैं -

- 1 मूल्य सम्बन्धी मान्यताएं
- 2 समस्या सम्बन्धी मान्यताएं
- 3 ढंग सम्बन्धी मान्यताएं

मूल्य सम्बन्धी मान्यताएँ

- 1 व्यक्ति की आवश्यक गरिमा एवं उसके नैतिक गुण तथा व्यक्तित्व के प्रकटन के लिए स्वतंत्रता महत्त्वपूर्ण है।
- 2 प्रत्येक सामाजिक प्राणी में अभिवृद्धि की महान क्षमता होती है अपने जीवन की व्यवस्था के लिए शक्तियों एवं साधनों का पाया जाना आवश्यक है।
3. जीवन एवं पर्यावरण में सुधार लाने के लिए व्यक्ति द्वारा सघर्ष और प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
- 4 उन आवश्यक आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, मकान) के प्रति व्यक्ति का अधिकार है, जिनके बिना जीवन पूर्ण होने में बाधा आती है।
- 5 आवश्यकता एवं संकट के समय व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
- 6 एक ऐसे सामाजिक संगठन का महत्त्व है जिसके प्रति व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है और जो स्वयं व्यक्ति की भावनाओं के प्रति उत्तरदायी होता है।
- 7 ऐसे पर्यावरण की आवश्यकता जो व्यक्तिगत अभिवृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करती है।
- 8 व्यक्ति को अपने समुदाय के कार्यों में भाग लेने का अधिकार तथा साथ ही साथ कर्तव्य भी होता है।
- 9 आत्म सहायता किसी भी कार्यक्रम की आवश्यक आधार होती है।

सामुदायिक समस्या से सम्बन्धित मान्यताएँ

1. वृहद उप समूहों के पृथक ईकाइयों के रूप में दृढ़ता विकसित करने की प्रवृत्ति समुदाय में सामाजिक तनाव उत्पन्न करती है जो उसके लिए अचेतन रूप से हानिकारक है।

- 2 सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सक्रिय सहभागिता को रोकने वाली बाधाएँ वैयक्तिक विकास को रोकती हैं।
- 3 प्रजातंत्र उस अवस्था में और भी दुर्बल हो जाता है जब सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं को सहायता न प्रदान की जाये तथा नवीन संस्थाओं का विकास न किया जाये।
- 4 व्यक्तियों की समुदाय के प्रति अपनत्व की भावना को नगरीकरण की समस्या ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है।
- 5 प्रौद्योगिकी ही परिवर्तन की प्रमुख शक्ति है। प्रौद्योगिकीकरण से सामाजिक सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रभावों पर बिना ध्यान दिये नगरीकरण तथा औद्योगीकरण पर जोर दिया जा रहा है।
- 6 औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के द्वारा सामान्य अथवा सम्मिलित मूल्यों को विकसित करने तथा बनाये रखने की समस्या को और कठिन बना दिया है।

ढग से सम्बन्धित मान्यताएं

- 1 व्यक्ति परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं।
- 2 समुदाय अपनी समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास कर सकते हैं।
- 3 व्यक्ति को अपने समुदाय में परिवर्तन लाने तथा उनके साथ सामंजस्य प्राप्त करने में भाग लेना चाहिए।
- 4 उन समस्याओं के साथ पूर्णतावादी ढग सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जिसका आशावादी ढग कदापि सामना नहीं कर सकता है।
- 5 प्रायः व्यक्ति व समुदाय अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रागठित होने में ठीक उर्री प्रकार सहायता की आवश्यकता का अनुभव करते हैं जिस प्रकार अनेक व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सहायता चाहते हैं।

6. सामुदायिक जीवन में अपने आप लाये गये अथवा आत्म-विकसित परिवर्तन अर्थपूर्ण तथा स्थायी होते हैं जो जबरदस्ती लादे गये परिवर्तनों में नहीं होता है।

VI सामुदायिक संगठन के ढंग

(Methods of community organization)

मैक मिलन¹² ने सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित तरीके बताये हैं

1. केन्द्रीय अभिलेख सदैव तैयार करना
2. नियोजन करना
3. विशिष्ट अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना
4. संयुक्त बजट तैयार करना
5. शिक्षा, विवेचन एवं जन सम्बंधों से सम्बंधित ढंगों का प्रयोग करना
6. संयुक्त वित्तीय कार्यों का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना
7. संगठन करना
8. अन्तर्संस्थात्मक सलाह देना
9. सामूहिक विचार-विमर्श करना
10. विचार-विमर्श के द्वारा ऐच्छिक करारों को प्रोत्साहित करना
11. बहुमुखी सेवाओं को संयुक्त रूप से चलाना
12. कानूनों के महत्त्व पर प्रकाश डालना

जोन्स तथा डीमार्क¹³ ने निम्नलिखित ढंगों का उल्लेख किया है।

1. तथ्यों का पता लगाना।
2. आवश्यकताओं का निर्धारण करना।
3. कार्यक्रम को निश्चित करना।
4. शिक्षा देना तथा विवेचन करना।

VII सामुदायिक संगठन की निपुणतायें **(Skills of community organization)**

सामुदायिक कार्यकर्ता में निम्नलिखित निपुणताओं का होना आवश्यक है .

1. समुदाय से घनिष्ठता स्थापित करने की निपुणता .
2. समस्याओं को समझने, उनके कारणों की खोज करने, बाधाओं का पता लगाने तथा समस्या की गहनता को जानने की निपुणता,
3. समुदाय के लोगों की भावनाओं के प्रकटन तथा गतिरोध पर विजय प्राप्त करने की निपुणता,
4. व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने की निपुणता,
5. सामुदायिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की निपुणता,
6. जन समुदाय को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करने की निपुणता,
7. समुदाय के विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें पूरा करने की निपुणता,
8. समुदाय में उपलब्ध सार्वजनिक एवं गैर सरकारी संसाधनों, कार्यक्रमों, सुविधाओं का पता लगाना तथा उनका समुदाय के विकास में उपयोग करने की निपुणता,
9. समुदाय के विचारों में एकरूपता तथा सामान्यजस्य बनाये रखने की निपुणता,
10. लक्ष्य की ओर प्रयासों को अग्रसित करने की निपुणता।

VIII सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त **(Principles of community organization)**

आर्थर डनहम के मत में सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं

- 1 समाज कल्याण कार्यक्रमों को आवश्यकताओं पर आधारित तथा समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये।
- 2 जहाँ तक सम्भव हो सके कार्यक्रमों द्वारा प्रभावित होने वाले सभी समूह, इसके निर्धारण तथा निर्देशन में भाग लें।
- 3 ऐच्छिक सहयोग प्रभावपूर्ण सामुदायिक संगठन की कुजी है।
- 4 कल्याण कार्यक्रमों को निरोध पर बल देना चाहिए।

एम० जी० रास ने सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्त बताये हैं :

- 1 समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष संगठन के विकास के आरम्भ अथवा सुदृढीकरण का आधार होना चाहिये।
- 2 असंतोष केन्द्रीभूत तथा विशिष्ट से सम्बन्धित संगठन, नियोजन एवं क्रिया में प्रवाहित होना चाहिये।
- 3 सामुदायिक संगठन को जन्म देने अथवा बनाये रखने वाला असंतोष समुदाय में विस्तृत रूप से व्याप्त होना चाहिये।
- 4 संगठन के अन्तर्गत समुदाय के बड़े उप समूहों द्वारा स्वीकृत और उनके साथ तादात्म्य की स्थिति में पाये जाने वाले नेताओं (औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों) को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- 5 संगठन के लक्ष्य तथा कार्यशैतियों के ढंग स्वीकृति प्राप्त होने चाहिए।
- 6 संगठन के कार्यक्रमों में संवेगात्मक सन्दर्भ वाली कुछ क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।
- 7 संगठन को समुदाय में पायी जाने वाली प्रकट तथा गुप्त सद्भावना के उपयोग का प्रयास करना चाहिए।

- 8 संगठन के अन्दर तथा संगठन एवं समुदाय के मध्य संचार प्रक्रिया तथा प्रभावपूर्ण विदुओ का विकास किया जाना चाहिए।
- 9 संगठन को उन समूहों को सहायता प्रदान करने एवं शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें यह सहयोगात्मक कार्य प्रयोग में साथ लाता है।
- 10 संगठन की नियमित रूप से निर्णय लेने की दिनचर्या को विना विच्छिन्न किये इसकी संगठनात्मक कार्यशैतियों में लघीलापन होना चाहिए।
11. संगठन को अपनी कार्य की गति का निर्धारण समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों के सदर्थ में करना चाहिए।
- 12 संगठन को प्रभावपूर्ण नेतृत्व के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए।
13. संगठन को समुदाय के अन्तर्गत शक्ति, स्थिरता एवं सम्मान का विकास करना चाहिए।

IX सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका (Role of community organizer)

एम०जी० रॉस ने सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका चार प्रकार की बताया है :

1. पथ-प्रदर्शक के रूप में, 2. सहायक के रूप में, 3. विशेषज्ञ के रूप में, 4. एक उपचारकर्ता के रूप में।

1. पथ-प्रदर्शक के रूप में

कर्ता समुदाय को अपने उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के साधनों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है तथा समुदाय की बुद्धिमतापूर्ण ढंग से अपने कार्य की दिशा का चुनाव करने तथा चुनी गयी दिशा में चलते रहने में पथ-प्रदर्शन करता है।

- 1 आवश्यकता की चेतना जागृत करना
- 2 आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना
- 3 आवश्यकता की चेतना का प्रक्षेपण करना
- 4 आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने लिए सवेगों का उभारना
- 5 सुझावों का मागना
- 6 सुझावों में पाए जाने वाले संघर्ष को सुलझाना
- 7 अन्वेषण का कार्य करना
- 8 समस्या पर खुला विचार-विमर्श करना
- 9 सुझावों का एकीकरण करना
- 10 प्रयोगात्मक प्रगति के आधार पर सुलह करना

सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं

(1) समस्या की पहचान करना

- 1 समस्या की प्रकृति को जानना
- 2 समस्या की गहनता की खोज करना
- 3 समस्या के प्रभाव का पता लगाना
- 4 इस बात का पता लगाना कि समस्या कहाँ मूलरूप से विद्यमान है।
- 5 समस्या के कारणों को जानना
- 6 बदलाव लाने की इच्छा का पता लगाना
- 7 इस बात की जानकारी प्राप्त करना कि समस्या से कौन-कौन लोग प्रभावित हैं
- 8 समस्या समाधान करने के लिए किये गये प्रयत्नों की जानकारी करना
- 9 किये गये प्रयत्नों की प्रभावपूर्णता का पता लगाना
- 10 सफलता या असफलता के कारणों को जानना

(2) समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना(तथ्य तथा आँकड़े एकत्र करना)

- 1 समुदाय की मनोदशा को जानना
- 2 समस्या के प्रति समुदाय के रुख का पता लगाना
- 3 महत्वपूर्ण मनोवृत्तियों में अन्तरो का पता लगाना

(3) संरचनात्मक-कार्यात्मक विश्लेषण करना

- 1 इस बात का पता लगाना कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है।
- 2 समुदाय की उन संरचनात्मक विशेषताओं का पता लगाना जिसमें समस्या स्थित है।
- 3 अनुकूल तथा प्रतिकूल शक्तियों का पता लगाना
- 4 सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्वों को जानना

(4) लाभार्थी के विषय में सूचना एकत्रित करना

1. यह पता लगाना कि जनसंख्या के किन वर्गों को लाभ मिलने चाहिए
2. यह जानना कि समुदाय की भौतिक दशाये क्या हैं
- 3 व्यवहार निर्धारित करने वाले कारकों का पता लगाना
4. सामाजिक संरचना के इस भाग के सम्यन्धों को जानना
5. लाभार्थी द्वारा योजना स्वीकार करने करने का स्तर का पता लगाना
6. योजना स्वीकार किए जाने में बाधाओं का पता लगाना
7. बाधाओं की गंभीरता को जानना।

(5) कार्य योजना तैयार करना

1. अनेक कार्य योजनाओं पर विचार करना

- 2 लागत, प्रयास, परिणाम प्रभावपूणता स्वीकृति, आदि के सदर्थ में चलाए जाने वाले कार्यक्रम का विश्लेषण करना
- 3 सबसे उत्तम कार्यक्रम का चयन करना
- 4 समस्या समाधान की दृष्टि से सरवना तथा प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना।

(6) रणनीति निर्धारण करना

- 1 सफलता के लिए आवश्यक प्रयासों के स्तर का पता लगाना
- 2 आवश्यक क्रिया-कलापों की प्रकृति को जानना
- 3 कम से कम कार्य किये जाने की आवश्यकता का पता लगाना
- 4 कार्य व्यवस्था-वैयक्तिक घेतना, सामूहिक घेतना, नियोजन तथा संगठन, निपुणताओं का विकास, प्रशासनिक दक्षताओं में वृद्धि आदि, का निर्धारण करना।

(7) समुदाय को कार्यक्रम से जोड़ना

(अ) क्षेत्र

- 1 आवश्यकता विश्लेषण का स्तर ज्ञात करना
- 2 की जाने वाली क्रियाओं की प्रकृति को जानना
- 3 रणनीति का निर्धारण करना
- 4 योजनाएँ तैयार करना
- 5 कार्यक्रम का आयोजन तथा प्रबन्धन करना

(ब) उपागम

- 1 वैयक्तिक उपागम का उपयोग करना
- 2 व्यापक उपागम का उपयोग करना
- 3 सामुदायिक शिक्षा देना

- 4 आवश्यकता के आधार पर समुचित उपागम को अपनाना
- 5 सामाजिक क्रिया का आवश्यकतानुसार उपयोग करना।

(स) उठाय जाने वाले आवश्यक कदम

- 1 समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना
- 2 समस्या के विषय में प्रचार करना
- 3 समस्या समाधान के लिए सम्प्रेरणा विकसित करना
- 4 सुझाव आमंत्रित करना
- 5 सही ज्ञान प्रदान करना
- 6 ससाधनो का उपयोग करना
- 7 निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना
- 8 अनुवर्ती प्रयास (Follow up) करना।

(8) कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

- 1 प्रयासों की प्रभावपूर्णता को ज्ञात करना
- 2 समस्या समाधान की रणनीति की सफलता को मालूम करना
- 3 प्रयासों की कमियों का पता लगाना
4. नयी रणनीति तैयार करना।

XI सामुदायिक परिषद तथा सामुदायिक दानपेटी (Community council and community chest)

अमरीका के नगरो तथा महानगरो मे सामुदायिक परिषदे तथा सामुदायिक दानपेटिया सामुदायिक सगठन की प्राथमिक एवं प्रमुख इकाइयां मानी जाती है। सामुदायिक कल्याण परिषदे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ये तीन प्रकार की हैं 1. परम्परागत सामाजिक संस्थाओ की परिषदे, 2. सामुदायिक कल्याण परिषदे, तथा 3. विशेषीकृत परिषदे। पहली प्रकार की परिषदे समाज कल्याण विभाग

से सम्बन्धित हैं। सामुदायिक कल्याण परिषदे सामान्य तथा समाज कल्याण से सम्बन्धित हैं तथा ये प्राय सामाजिक क्रिया में लगी रहती है। ये सामाजिक सरथाओ को समन्वित भी करती है। साथ ही साथ ये परिषदे स्वास्थ्य परिषदे एवं कल्याण कार्यक्रमों में सुधार भी लाती है। विशेषीकृत कौन्सिले इन दोनों प्रकार की परिषदों के कार्यात्मक पहलू से सम्बन्धित हैं। ये प्राय परिवार एवं बाल कल्याण शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पुनर्वासन युवा सेवाओं जैसे सुधारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

परिषदे ऐच्छिक सरथाये होती हैं जिनका कार्य तथ्यों का पता लगाना, नियोजन करना वार्तालाप को प्रारम्भ करना तथा बढ़ाना टोली भाषना को प्रोत्साहन देना सरथाओं की कार्यात्मकता को बढ़ाना, जन सम्बन्धों को अधिक उपयोगी बनाना तथा सामाजिक क्रिया को प्रोत्साहन देना होता है। सामुदायिक दानपेटिया आज के वित्तीय सगठनों का प्रतिरूप है। इनका महत्वपूर्ण कार्य सरथाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए धनराशि एकत्रित करना है। इसके अतिरिक्त ये दानपेटिया जनता से सामाजिक कल्याण की सरथाओं को सहायता करने की अपील भी करती हैं।

XII सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक सगठन **(Community development and community organization)**

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य रूप से आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने का प्रयास किया जाता। समुदाय स्वयं इन उपायों को करता है ताकि इसकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। सामुदायिक विकास में मानव कल्याण के लिए दो प्रकार की शक्तियों का एकीकरण होना आवश्यक होता है। ये शक्तियाँ हैं (1) सहयोग आत्म सहायता आत्मसात करने की योग्यता, तथा शक्ति। (2) सामुदायिक तथा आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता।

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता के प्रयासों को शासकीय सत्ता के साथ एकीकृत कर समुदाय की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाया जाता है। सामुदायिक विकास के निम्न तत्त्व उल्लेखनीय हैं

- 1 कार्यकलाप समुदाय की मूल आवश्यकताओं से सम्बन्धित हो। कार्य का सीधा सम्बन्ध लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित हो।
- 2 बहुउद्देशीय कार्यक्रम अधिक प्रभावी होते हैं।
- 3 जनसमुदाय की मनोवृत्तियों में बदलाव लाना आवश्यक होता है।
- 4 स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- 5 महिलाओं तथा युवकों की कार्यक्रम में सहभागिता सफलता की ओर ले जाता है।
- 6 स्वैच्छिक संस्थाओं के स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन में अन्तर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए जनता के बीच चलाये जाते हैं। यहाँ पर लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने पर अधिक बल दिया जाता है।

इसके लिए सरकार द्वारा दक्ष सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सामुदायिक संगठन द्वारा समुदाय की अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं एवं सामुदायिक संसाधनों में समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक एकीकरण तथा परस्पर सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है। सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम सरकारी तथा स्वैच्छिक दोनों प्रकार के होते हैं जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शासकीय होते हैं। सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम जनसामान्य द्वारा सामुदायिक कार्यकर्ता की सहायता से चलाये जाते हैं। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम विकसित होने वाले

देशों में आर्थिक विकास के लिए चलाये जाते हैं। सामुदायिक संगठनों के कार्यक्रम सहयोग पूर्ण मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को विकसित करने एवं जीवन को सामाजिक रूप से सुखमय बनाने के लिए सभी देशों में चलाये जाते हैं।

संदर्भ

1. Stroup H.H. *Community Welfare Organization* Harper and Brothers New York 1952 P 42
2. Community organization is that phase of organization which constitutes a conscious effort on the part of a community to control its affairs democratically and to secure the highest services from its specialist organizations agencies and institutions by means of recognized inter relations
Lindeman, Edward C. *The Community* Association Press New York 1921 pp 139-173
3. The term community organization is best defined as assisting a group of people to recognize their common needs and helping them to meet these needs
Pett, Walter W. - quoted by Harper E.B. and Dunham A. (ed) *Community Organization in Action* Association Press New York, 1959 p 55
4. The aim of community organization is to develop relationship between groups and individuals that will enable them to act together in creating and maintaining facilities and agencies through which they may realize their highest values in the common welfare of all members of the Community
Sanderson D. and Polson R.A. *Rural Community Organization* John Wiley and Sons New York, 1950 p 74
5. Community organization in its generic sense is deliberately directed effort to assist groups in attaining unity of purpose and action. It is practised though often without recognition of its character, wherever the objective is to achieve or maintain a pooling of talents and resources of two or more groups on behalf of either general or specific objectives
McMan, Wayne. *Community Organisation in Social Work*, Social Work Year Book A.A.S.W. 1947 P 110
6. Community organization for social welfare means the process of bringing about and maintaining adjustment between social welfare resources in a geographical area or a functional field
Dunham A. op cit P 58

7 Community organization is a process by which a community identifies its needs or objectives, orders (or ranks) these needs or objectives develops the confidence and will to work at those needs and objectives finds the resources (internal and/or external) to deal with these needs or objectives, takes action in respect of them, and in so doing extends and develops cooperative and collaborative attitudes and practices in the community

Ross, M G , *Community Organization Theory and Principles*, Harper and Brothers, New York, 1955, P 39

8 Friedlander, W.A , *Introduction to Social Welfare*, Prentice Hall, New York, 1955, P 187

9 Qoted by Harper and Dunham, *op ct*, P 141

10 Lane, Robert P, *The field of Community Organization*, quoted in Harper and Dunham (ed) *op ct*, P 56

11 Sanderson, D and Palson, R A, *Rural Community Organization*, John Wiley and Sons, New York, 1947, P 22

12 Mc Milan, Wayne, *Proceodings fo National Conference of Community Organization*, Chicago, 1969

12 Jones, R and Demark, D F , *Community Organization and Agency Responsibility* Association Press, New York, 1951, p 150

समाज कल्याण प्रशासन (SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION)

समाज कार्य मुख्य रूप से सामाजिक सस्थाओ या विभागो या सम्बन्धित सगठनो जैसे चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय, सुधार करने एव दण्ड देने वाली सस्थाओ मे किया जाता है। अत कार्यकर्ता के लिए समाज कल्याण प्रशासन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। समाज कल्याण प्रशासन सरकारी सस्थाओ मे सामाजिक अधिनियमो को कार्यान्वित करता है। इसका तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज कल्याण क्षेत्र की सार्वजनिक तथा निजी सस्थाओ का सगठन एव प्रबन्धन किया जाता है। इसके अन्तर्गत वे सभी क्रियाये आती हैं जो किसी सस्था के कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने मे सहायता करती हैं। समाज कल्याण का व्यावहारिक रूप सामान्य प्रशासन के समान है। परन्तु इसमे मानव समस्याओ के समाधान तथा मानव आवश्यकताओ की सतुष्टि के लिए प्रयत्न किया जाता है। अत प्रशासक के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके लिये समाज कार्य प्रणालियो, सामाजिक निदान के ढंगो, समूह तथा व्यक्ति की आवश्यकताओ तथा उनके सस्था से सम्बन्धो, इत्यादि का ज्ञान आदश्यक होता है।

1 समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ (Meaning of social welfare administration)

'ऐडमिनिस्ट्रेशन' शब्द लैटिन भाषा के 'ऐडमिनिस्ट्रेट' (Administrate) से लिया गया है जो दो शब्दों से मिलकर बना है 'ऐड' (Ad) तथा

मिनिस्ट्रेट (Ministrate)। यदि दोनो शब्दो को गिलाकर अर्थ देखा जाये तो इसका अर्थ होता है लोगो द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्पादन की देखभाल करना। प्रशासन एक सगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यो एव उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निर्देश, समन्वय तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है। मायो के विचार से प्रशासन कार्यों को निश्चित करने तथा स्पष्ट करने, नीतियो तथा कार्य पद्धति को निर्धारित करने, शक्ति का प्रतिनिधित्व करने, चयन, निर्देशन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, सभी उपलब्ध ससाधनो को सगठित करने तथा उन्हें कार्य मे लगाने की एक प्रक्रिया है ताकि सगठन के लक्ष्यो को प्रभावपूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।'

II समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषा (Definition)

यहाँ पर हम कुछ प्रमुख परिभाषाओ का उल्लेख कर रहे हैं—

डनहम (1949)²

समाज कल्याण प्रशासन को उन क्रिया कलापो मे सहायता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने मे योगदान देने के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सामाजिक सरस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य हैं।

जॉन किडनाई (1957)³

समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को समाज सेवाओ मे बदलने की एक प्रक्रिया है।

राजाराम शास्त्री (1970)⁴

सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी कल्याण कार्यक्रमो से सम्बंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। यद्यपि इसकी विधियो, प्रविधियो, तौर-तरीके, इत्यादि भी लोक प्रशासन या व्यापार प्रशासन की ही भाँति होते हैं किन्तु इसमे एक बुनियादी भेद

यह होता है कि इसमें सभी स्तरों पर मान्यताओं और जनतंत्र का अधिक से अधिक ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों या वर्ग से सम्बन्धित प्रशासन किया जाता है जो बाधित होते हैं।

राज्य द्वारा नियंत्रित तथा संचालित सेवाओं के प्रशासन को जन प्रशासन (Public Administration) समझा जाता है। लेकिन समाज सेवाओं से सम्बन्धित प्रशासन को सामाजिक प्रशासन कहते हैं। ये समाज सेवाएँ सरकार द्वारा अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित की जा सकती हैं। समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक प्रशासन का अंग है। सामाजिक प्रशासन के अन्तर्गत सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, इत्यादि का संचालन और नियंत्रण आता है जो कोई भेदभाव किए बिना सामान्य जनता को प्रदान की जाती है। समाज कल्याण या जन कल्याण प्रशासन का अभिप्राय उन सेवाओं के नियंत्रण से है जो दुखियों, गरीबों, आश्रितों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, रोगियों, इत्यादि का प्रदान की जाती है।

III समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति तथा विशेषताएँ (Nature and characteristics of social welfare administration)

समाज कल्याण प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों हैं। एक विज्ञान के रूप में इसमें क्रमबद्ध ज्ञान (Systematic Knowledge) होता है जिसका उपयोग सेवाओं को अधिक प्रभावी बना देता है। विज्ञान के रूप में इसके निम्न तत्त्व प्रमुख हैं नियोजन, संगठन कार्मिकों की भर्ती निर्देशन समन्वय, प्रतिवेदन बजट तथा मूल्यांकन (POSDCORB)। कला के रूप में समाज कल्याण प्रशासन में अनेक निपुणताओं तथा प्रविधियों का उपयोग होता है जिसके परिणाम स्वरूप उपयुक्त सेवाओं को प्रदान करना सम्भव होता है।

समाज कल्याण प्रशासन की निम्न प्रमुख विशेषताएँ हैं

- 1 प्रशासन कार्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। समाज कल्याण प्रशासन में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, चिकित्सा, आदि सेवाओं को प्रभावकारी बनाया जाता है।
- 2 समाज कल्याण प्रशासन की संरचना में एक उच्च-निम्न की संस्तरणात्मक(Hierarchy) व्यवस्था होती है। कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार उनके कार्य तथा शक्तियाँ निर्धारित होती हैं।
- 3 नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति, संचार आदि प्रशासकीय प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं।

समाज कल्याण प्रशासन मूलरूप से निम्न क्रियाओं से सम्बन्धित है .

1. राज्य के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी नीति निर्धारित करना जिससे संगठन में कार्यरत जनशक्ति एकीकृत रूप से कार्य कर सके।
2. सेवाओं के प्रभावपूर्ण प्रावधान के लिए संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा तैयार करना।
3. संसाधनों, कर्मचारीगणों तथा आवश्यक प्रविधियों का प्रबन्ध करना।
4. आवश्यक ज्ञान एवं निपुणताओं से युक्त मानव संसाधन का प्रबन्ध करना।
5. उन क्रिया-कलापों को संपादित करवाना जिनसे अधिकतम संतोषजनक ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
6. ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ आपसी मेल-मिलाप तथा प्रगाढ़ता बढ़े एवं कर्मचारी कार्य करने की प्रक्रिया के दौरान में सुख अनुभव करें।
7. किये जाने वाले कार्यों का निरन्तर मूल्यांकन करना।

IV सामाजिक प्रशासन के उद्देश्य (Objectives)

सामाजिक प्रशासन के प्रमुख निम्न उद्देश्य हैं

1. राष्ट्र की सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था का संरक्षण

आपातकाल की स्थिति में समाज कल्याण प्रशासन नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था करने से सम्बद्ध लोगों की सहायता करता है तथा जनता का उत्साह बढ़ाता है जिससे चिन्ताजनक घटनाओं के घटित होने पर भी मानसिक सतुलन बना रहता है। समाज कल्याण प्रशासन शांति काल में एकता के लिए कार्य करता है जिससे सामाजिक वैमनस्य तथा सकीर्ण क्षेत्रीय भावना का ह्रास तथा एकता और समन्वय का अधिक से अधिक विकास हो सके। कानून और व्यवस्था की समस्या का दीर्घकालीन हल निकालने में भी समाज कल्याण प्रशासन संलग्न रहता है जिससे वयस्क, दुवा और बाल अपराधों में कमी होती है तथा इन अपराधियों के लिए मानवतापूर्ण व्यवस्था करते हुये इनका समाज में पुनर्वास करता है।

2. आर्थिक विकास

एक विकासशील देश में राज्य का प्रमुख कार्य आर्थिक विकास करना होता है। इससे राजकीय क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तथा निजी क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहती है तथा इसे उचित प्रोत्साहन एवं नियंत्रण मिलता है। आर्थिक विकास में समाज कल्याण प्रशासन का सहयोग आवश्यक है। विशेष रूप से समाज कल्याण प्रशासन आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूप से योगदान देता है

- 1 यह लोगों की आकांक्षा के स्तर के साथ उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है।
- 2 औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करता है। इसके लिए समाज कल्याण प्रशासन उद्योगपतियों और प्रबन्धकों तथा श्रमिकों को अच्छे पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करता

है, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण, आवास तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करता है।

3. समाज कल्याण प्रशासन आर्थिक विकास कार्यो को प्राप्ताहित करते हुये उनके रहन-सहन के स्तर मे उत्तरोत्तर वृद्धि को स्थायित्व प्रदान करता है, आय के अपव्यय को रोकता है और सबके पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सेवाओ, आदि की व्यवस्था करता है जिसके परिणामस्वरूप जन साधारण का वास्तविक कल्याण होता है।

3. सामाजिक विकास

समाज कल्याण प्रशासन जनशक्ति के अधिकतम विकास हेतु पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, इत्यादि की व्यवस्था करता है।

V समाज कल्याण प्रशासन के प्रमुख क्षेत्र

(Major fields of social welfare administration)

समाज कल्याण प्रशासन समाज के प्रत्येक समाज कल्याण अभिकरण के सुचारु रूप से कार्य करने से सम्बन्धित है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास के लिए लोकतांत्रिक नियोजन द्वारा कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। समाज कल्याण प्रशासन विकास नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है। इसके साथ ही अनेक प्रमुख समाज कल्याण सेवाओं को समन्वित ढंग से नियोजित, व्यवस्थित एवं कार्यान्वित करने में सहायता करता है। इन सेवाओं में राजकीय तथा स्वयंसेवी अभिकरणों का मिलकर कार्य करना भी शामिल है, यद्यपि विविध समाज कल्याण सेवाओं में इन दोनों का अनुपात भिन्न-भिन्न हो सकता है। इन सेवाओं को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है :

1. समाज सेवाये

किरी भी राष्ट्र में ये सेवाये समान रूप से सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

(क) शिक्षा

इसके अन्तर्गत प्राथमिक नाव्यमिक विश्वविद्यालय स्तरीय तकनीकी, व्यावसायिक श्रमिक तथा सामाजिक शिक्षा सम्मिलित हैं। शिक्षा का समन्वय जनशक्ति नियोजन द्वारा होना चाहिये। शिक्षा मानव ससाधन के विकास में निवेश मानी जाने लगी है। यह एक प्रशंसनीय प्रगति है, परन्तु शिक्षा में सामाजिक मूल्य तथा नैतिक विकास पर विशेष ध्यान देन की आवश्यकता है।

(ख) स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार नियोजन

स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकीय निरोधात्मक (Preventive) तथा स्वास्थ्यवर्धक सेवाएं आती हैं। जन्म दर में वृद्धि में विशेष कमी करने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग नितान्त आवश्यक है। कृत्रिम साधनों के प्रयोग के साथ साथ सयन तथा नैतिक जीवन पर भी ध्यान देना चाहिये ताकि यह प्रयास पाश्चात्य देशों का अनुकरण मात्र ही बनकर न रह जाये।

(ग) आवास

निम्न आय वाले वर्ग के लिए ऋणमुक्त अनुदान की व्यवस्था की जाती है क्योंकि साधनों के अभाव के कारण आवास स्थिति में विशेष सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। राज्य की ओर से भी कम मूल्य के आवास अधिक बड़ी संख्या में बनाये जा सकते हैं।

2. सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक बीमा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इन योजनाओं को एकीकृत करते हुये अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। इससे निम्न आय वर्ग से प्राप्त धनराशि से योजना के साधनों में वृद्धि की जा सकती है।

सामाजिक सहायता द्वारा वृद्धो अबलाओं आदि को राज्य की

ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। धन के अभाव के कारण इन सेवाओं को और अधिक व्यापक बनाने में अभी भी कठिनाई है। स्वयंसेवी सस्थाएँ इस ओर ध्यान दे तो अधिक साधन जुटाये जा सकते हैं।

3. सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास ग्रामीण तथा नगरीय दोनों स्तरों पर होता है। इन दोनों स्तरों को एकीकृत कर एक व्यापक सामुदायिक विकास योजना के चलाये जाने की आवश्यकता है जिससे सतुलित विकास सम्भव हो सके।

4. श्रम सम्बन्ध

श्रमिक सघों की नियोजन की प्रक्रिया में सहभागिता आवश्यक है। राजकीय तथा निजी क्षेत्रों में प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करते हुये उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

5. समाज कल्याण

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की कल्याण योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिये जिससे इस वर्ग में भी एकीकरण हो सके। शारीरिक रूप से बाधित जैसे अंधे, बधिर, अपाहिज, आदि के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होना चाहिये। समाज में इनके पुनर्स्थापन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। मानसिक रोगियों के लिए मानवतावादी समाज की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा एक राष्ट्रव्यापी मानव आरोग्य शास्त्र का विधिवत प्रचार किया जाना चाहिये। सामाजिक चेतना के रचनात्मक कार्यों से मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है।

6. सामाजिक रक्षा (Social defence)

बयस्क, युवा तथा बाल अपराधियों के लिए सुधार सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें बन्दीगृह, प्रोवेशन,

पुनर्वास आदि सेवाये आती हैं। अनैतिक व्यापार से पीड़ित लड़कियो तथा स्त्रियो के लिए नारी निकेतन तथा भिक्षुओ के लिए गृह स्थापित किए जाने चाहिये।

VI समाज कल्याण प्रशासक के कार्य

(Functions of social welfare administrator)

समाज कल्याण प्रशासक न केवल सरथा के कार्यों को सम्पादित करता है बल्कि वह सरथाओ को निरन्तर उन्नति की दिशा में बढ़ाने का प्रयास भी करता है। वारहम (Warham)⁵ के विचार से समाज कल्याण प्रशासक के निम्न कार्य हैं

1. सस्था के उद्देश्यों को पूरा करना

समाज कल्याण प्रशासक सस्था की नीतियो को कार्यान्वित करता है। नीतियो को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा ही कार्यरूप प्रदान किया जा सकता है। वह नीतियो के निर्धारण में भी भाग लेता है जिससे सस्था के उद्देश्यों तथा नीतियो में एकरूपता बनी रहे।

2. सस्था की औपचारिक सरचना का निर्माण करना

समाज कल्याण प्रशासक का दूसरा कार्य सम्प्रेषण व्यवस्था (Communication system) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए औपचारिक सरचना का निर्माण करना होता है, कर्मचारियो के लिए मानदंड निर्धारित करना होता है, तथा उन्ही के अनुसार कार्य सम्बन्ध विकसित करना होता है।

3. सहयोगात्मक प्रयत्नो को प्रोत्साहन प्रदान करना

प्रशासक का कार्य सस्था में ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिससे कर्मचारीगण पारस्परिक सहयोग से अपने उत्तरदायित्वो को पूरा कर सकें। यदि कहीं भी संघर्ष के बीज पनपने लगे, तो उनको तुरन्त नष्ट कर देना आवश्यक होता है। कर्मचारियो के मनोबल को ऊँचा बनाये रखने के हर सम्भव प्रयत्न किये जाने आवश्यक होते हैं।

4. संसाधनों की खोज तथा उपयोग करना

किसी भी संस्था के लिए अर्थ शक्ति तथा मानव शक्ति दोनों आवश्यक होती है। संस्था तभी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त धन हो तथा दक्ष कर्मचारी हो। आर्थिक स्रोतों का पता लगाकर उनके समुचित उपयोग करने की व्यवस्था का कार्य प्रशासक का होता है। वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी उसी का होता है। वह अपनी शक्तियों को हस्तांतरित भी करता है जिससे दूसरे अधिकारी इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

5. अधीक्षण तथा मूल्यांकन

प्रशासक संस्था के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अतः वह इसकी सभी गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। वह संस्था के कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार सहायता करता है तथा दिशा निर्देश देता है। वह सदैव कार्य प्रगति का लेखा-जोखा रखता है। वह कार्यों का मूल्यांकन भी निरन्तर करता रहता है।

लूथर गलिक ने समाज कल्याण प्रशासन के कार्यों का वर्णन करने के लिए एक जादुई सूत्र 'पोस्टकोर्ब' (POSDCORB) प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य है: नियोजन करना (Planning), संगठन करना (Organizing), कर्मचारी नियुक्ति (Staffing), निर्देशित करना (Directing), समन्वय करना (Coordinating), प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (Reporting), तथा बजट तैयार करना (Budgeting)।

(1) नियोजन (Planning) : नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित करने की रूपरेखा तैयार करना होता है। यह रूपरेखा पूर्व उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भविष्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बिना विस्तृत नियोजन के कार्यों को ठीक प्रकार पूरा करने में कठिनाई आती है। नियोजन का प्रमुख कार्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पारिभाषित करना होता है। इसके पश्चात् इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों

की प्राप्ति लिए नीति निर्धारित करनी होती है। तीसरा कदम इन तरीकों तथा साधनों की व्यवस्था करनी होती है। तदुपरान्त उन ढंगों तथा साधनों की व्यवस्था करनी होती है जिनके द्वारा नीतियों को कार्यान्वित कर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्य का निरन्तर मूल्यांकन भी करना होता है।

(2) संगठन (Organizing) : संगठन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सस्था के कार्यों का सम्पादन संगठन पर ही निर्भर होता है। भूमिकाओं तथा परिस्थितियों का निर्धारण किया जाता है। घटकों के बीच सम्बन्धों को परिभाषित किया जाता है तथा इसी के साथ उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट किया जाता है। सस्था के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संगठन की रूपरेखा तैयार की जाती है।

(3) कर्मचारियों का चयन (Staffing) : सस्था के कर्मचारियों का चयन प्रशासक का एक आवश्यक कार्य होता है क्योंकि इसी विशेषता पर सस्था के कार्यों का सम्पादन निर्भर होता है। जिस प्रकार के कर्मचारी होते हैं उसी के अनुसार सस्था सेवाये प्रदान करती है। इस कार्य में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण होते हैं

- 1 कर्मचारी चयन, पदोन्नति, आदि से सम्बन्धित नीति स्पष्ट होनी चाहिए।
- 2 कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा शीघ्र किया जाना चाहिए।
- 3 निर्णय पर बल दिया जाना चाहिए तथा दबाव के प्रभाव से उसे बदला नहीं जाना चाहिए।
- 4 सभी कर्मचारियों के स्पष्ट कार्य होने चाहिए तथा उनका उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए।
- 5 कर्मचारियों में सहयोग की भावना विकसित करने के निरन्तर प्रयत्न किये जाने चाहिए।
- 6 सम्प्रेषण द्विमुखी (bilateral) होना चाहिए अर्थात् प्रशासन तथा

कर्मचारियों दोनों की ओर से विचारों का परस्पर आदान-प्रदान होना चाहिए।

4. निर्देशन (Directing) : संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना आवश्यक होता है। निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं .

1. यह देखना कि कार्य नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप हो रहा है।
2. कर्मचारियों की कार्य सम्पादन में सहायता करना।
3. कर्मचारियों में टीम भावना एवं सहयोग की भावना बनाये रखना।
4. कार्य का स्तर बनाये रखना।
5. कार्यक्रम की कमियों से परिचित होना तथा उनको दूर करने का प्रयास करना।

5. समन्वय (Coordinating) समन्वय का तात्पर्य एक सामान्य क्रिया, आन्दोलन, या दशा को प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न अंगों में परस्पर समन्वय स्थापित करना होता है। संस्था में समन्वय के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं : उद्देश्यों तथा क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करना तथा किए जाने वाले कार्यों में एकता लाना। लेकिन यह तभी संभव है जब संस्था का प्रत्येक सदस्य समान दृष्टिकोण रखता हो।

6. प्रतिवेदन (Reporting) : प्रतिवेदन के माध्यम से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक निश्चित अवधि में किये गये कार्यों का सारांश लिखा जाता है। एक निश्चित अवधि के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। संस्था के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से प्रतिवेदन का विशेष महत्व है। संस्था में उपलब्ध आलेखों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

7. बजट (Budgeting) : प्रशासक का कार्य प्रतिवर्ष वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे अनुमोदित कराना होता है। संस्था के

लक्ष्यों के अनुरूप ही बजट तैयार किया जाता है। यह सरथा की आय तथा व्यय का कथन (statement) होता है।

VII समाज कल्याण प्रशासक के लिए मौलिक ज्ञान (Basic knowledge for social welfare administrator)

प्रशासक के लिए निम्न मौलिक ज्ञान आवश्यक है

- 1 वह सदैव जागरूक रहे कि वह एक प्रशासक है, कार्यपालक है, और उसके निश्चित उत्तरदायित्व तथा अधिकार हैं।
- 2 सरथा के समुदाय में स्थान तथा सरथा के लक्ष्यों को सदैव ध्यान में रखे।
- 3 सरथा के कर्मचारियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखे तथा उनकी समस्याओं के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहे।
- 4 यथासमय कर्मचारियों की प्रोन्नति करे।
- 5 सरथा से सम्बन्धित सभी समूहों के कार्यों, उत्तरदायित्वों, आदि का पूरा ज्ञान हो।
- 6 सरथा की कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का विधिवत ज्ञान हो।
- 7 सरथा को कब किन्तु प्रकार की आवश्यकता है सदैव ध्यान में रखे।
- 8 उसे कार्य को प्रगति के मूल्यांकन की कला आती हो।
- 9 उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सेवार्थी सरथा से किस प्रकार अधिकतम सतोष प्राप्त करते हैं।
- 10 उसे इस बात की जानकारी हो कि समुदाय की अन्य सरथाओं से किस प्रकार सहयोग प्राप्त करना संभव है।

VIII समाज कल्याण प्रशासन की निपुणताये

प्रशासक के लिए निम्न निपुणताये आवश्यक हैं

- 1 कर्मचारियों तथा नीति निर्धारकों से उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध बनाने तथा उन्हें स्थायी बनाए रखने की निपुणता

2. कर्मचारी चयन की निपुणता
3. संस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की परिभाषा करने तथा कर्मचारियों में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करने की निपुणता
4. आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को समझने तथा उनकी सहायता करने की निपुणता
5. कार्य योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने की निपुणता
6. कर्मचारियों की व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता को समझने तथा सहायता देने की निपुणता
7. कर्मचारियों के मन के अन्दर की 'समस्याओं' को समझने तथा उन्हें सुलझाने की निपुणता।

IX समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धान्त

(Principles of social welfare administration)

समाज कल्याण प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं।

(1) सेवारत होने का सिद्धान्त

सिद्धान्त रूप में सभी प्रकार के कार्य जनता के हित के लिए तथा जनता को सर्वोपरि मानकर किये जाते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप में इन सेवाओं की प्रकृति अत्यन्त जटिल है। आज प्रशासक चाहे जिस स्तर का हो वह अधिकारी बन गया है तथा जनता सेवक हो गयी है। इससे समाज कल्याण के मार्ग में अनेकानेक बाधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि सेवाओं का प्रशासन इस प्रकार से हो कि वे सीधे सेवार्थी को उपलब्ध हो सकें और विचोलियों की आवश्यकता न पड़े।

(2) समन्वय का सिद्धान्त

आज विशेषीकरण के कारण कल्याण के क्षेत्र की भिन्न-भिन्न

सेवाये भिन्न-भिन्न सरस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उनमें आपस में मेल न होने से पर्याप्त लाभ नहीं पहुँच पाता है। अतः यह आवश्यक समझा जाने लगा है कि यदि एक ही सरस्था के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाये उपलब्ध करायी जाये तो प्रशासन का कार्य अधिक प्रभावपूर्ण होगा।

(3) प्रगतिशील सामन्जस्य का सिद्धान्त

सेवाओं को सदैव सेवार्थी की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। प्रशासक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सेवाओं में निरन्तर नवीनता लाने का प्रयास करता रहे।

(4) सामाजिक नीति को व्यवहार में लाने का सिद्धान्त

नीति का निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। व्यवहार में यह देखा गया है कि सामाजिक नीति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते हैं। इससे वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। समाज कल्याण प्रशासक का कार्य है कि वह सामाजिक नीति को शत-प्रतिशत लागू करने का प्रयास करे।

(5) सामाजिक नीति को कल्याण नीति में परिवर्तित करने का सिद्धान्त

समाज कल्याण प्रशासक का उत्तरदायित्व होता है कि वह निर्बलो, अशक्तो, बच्चो, महिलाओ, पिछडे वर्गो आदि का हित सर्वोपरि समझे।

(6) स्थानीय समस्याओं से अनुकूलन का सिद्धान्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमो के स्थानीय आवश्यकताओ के अनुसार परिवर्तित करना आवश्यक होता है। प्रशासक पहले समुदाय की आवश्यकताओ एवं समस्याओ का अध्ययन करता है, उसके पश्चान कार्यक्रमो को कार्यान्वित करता है।

(7) परस्पर सुदृढ सम्बन्ध का सिद्धान्त

प्रशासन तथा जनता (सेवार्थी) में एक-दूसरे के प्रति विश्वास, सहयोग, मैत्रीभाव तथा सन्निकटता होना सफल कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है।

(8) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त

प्रशासक का विश्वास होता है कि जनता का कार्य जनता द्वारा ही होना चाहिए। अतः वह आवश्यकतानुसार अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है, समितियाँ बनाता है तथा पूरी भागीदारी प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(9) सम्प्रेषण का सिद्धान्त

प्रशासन अपने वार्तालाप में उस भाषा तथा शब्दों का प्रयोग करता है जो जनता द्वारा ग्राह्य होते हैं।

(10) संवेदनशीलता का सिद्धान्त

मानव एक संवेदनशील प्राणी है। वह दूसरों के सुख-दुःख में परस्पर भाग लेता है। प्रशासक को भी चाहिए कि यदि कोई घटक दुखी है तो उसके दुःख को बांटने का पूरा प्रयास करे तभी उसका पूरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

सन्दर्भ

1 Mayo, Leonard, *Administration of Social Agencies*, Social Work Year Book, Russell Sage Foundation, New York, 1945, p 15

2 Social welfare administration may be defined in the sense of supporting or facilitating activities which are necessary and incidental to the giving of direct services by a social agency

Dunham, A., *Administration of Social Agencies* Social Work Year Book, AASW, 1949, p 15

- 3 Social welfare administration is a process of transforming social policy into social services
Kidneigh John C , *Administration of Social Agencies Social Work Year Book AASW 1957*, p 75
- 4 Snastrri Raja Ram Saranaj Karya Hindi Sansthan U P 1970 p 140
- 5 Warham J *An Introduction to Administration for Social Workers* Routledge and Kegal Paul Ltd , New York, 1967 pp 85 92
- 6 Gulick Luther and Urwick, L (ed) *Papers on the Science of Administration* Institute of Public Administration New York 1937 p 13

समाज कार्य शोध (SOCIAL WORK RESEARCH)

समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति एव समाज की अधिक से अधिक सहायता तथा विकास एव उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है। समाज के अन्तर्गत बढ़ती हुई जटिलता, प्राथमिक सम्वन्धों का धीरे-धीरे द्वितीयक सम्वन्धों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना, पहले से पाई जाने वाली अनेक समस्याओं का अधिक विकराल रूप में उपस्थित होना तथा नयी समस्याओं की उत्पत्ति, समाज कार्य की अमरीकी पृष्ठभूमि तथा भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता, समाज कार्य की एक व्यवसाय के रूप में मान्यता की अल्पअवधि तथा इस रूप में मान्यता का अब भी अपूर्ण होना, समाज कार्य व्यवसाय के प्रामाणिक ज्ञान सम्वन्धी आधार का अपर्याप्त एवं निर्यल होना, इत्यादि अनेक ऐसे कारक हैं जो समाज कार्य व्यवसाय की प्रभावपूर्णता को सुदृढ बनाने के लिए अधिक से अधिक समाज कार्य शोध की आवश्यकता पर बल देते हैं।

I समाज कार्य शोध तथा सामाजिक शोध में अन्तर (Difference between social work research and social research)

समाज कार्य शोध के अर्थ को स्पष्ट करने से पूर्व सामाजिक शोध तथा समाज कार्य शोध में अन्तर स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। ईवान क्लेग¹ ने यह लिखा है कि समाज कार्य शोध तथा

सामाजिक शोध का प्रायः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग इतनी ढिलाई के साथ किया जाता है कि इनकी विषय वस्तु अनिश्चित है। फ्रैंन्ट के मत में समाज कार्य के अन्तर्गत शोध का एक उपयोगितावादी आधार होता है। इसका एक विशिष्ट लक्ष्य अभिमुखीकरण (Goal Orientation) होता है।

क्लीन² ने तीन आधारभूत मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए समाज कार्य शोध तथा समाज विज्ञानों के अन्तर्गत किये गये शोध में अन्तर स्पष्ट किया है।

1. समाज कार्य शोध अन्य क्रियाओं को सम्पादित करने के अतिरिक्त निरोधात्मक एवं सुधारात्मक कार्यों को करने के लिए स्थापित किए गये समूहों द्वारा अपनी क्रिया के दौरान आवश्यक सिद्धान्तों के अपनाये जाने से सम्बन्धित है।
2. सेवाओं को प्रदान करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने अथवा इन आवश्यकताओं एवं सेवाओं को जन्म देने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन करने की आवश्यकता का अनुभव होने पर समाज कार्य शोध एवं सामाजिक शोध दोनों की सामान्य अभिरुचि उत्पन्न होती है।
3. सामाजिक सेवाओं का प्रदान किया जाना उन प्रायोजक संस्थाओं (Sponsoring institutions) के मूल्यांकन पर आधारित निर्णयों पर निर्भर करता है जो इन सेवाओं को आयोजित करती हैं।

सन् 1947 में वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी अमरीका के स्कूल ऑफ साइन्सेज द्वारा आयोजित वर्कशॉप ऑन रिसर्च इन सोशल वर्क के प्रतिवेदन में समाज कार्य शोध एवं सामाजिक शोध में इस प्रकार भेद स्थापित किया गया है।

सामाजिक शोध मौलिक समाज विज्ञानों में से किसी की प्रगति की ओर निर्देशित होता है जबकि सामाजिक कार्य के अन्तर्गत

शोध व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं द्वारा समाज कार्य (Social Work Functions) कार्यों से समुदाय द्वारा अपने सम्बन्ध में अनुभव की गयी समस्याओं से सम्बन्धित है। समाज कार्य शोध के अन्तर्गत सदैव अन्वेषित की जाने वाली समस्या का समाज कार्य करने अथवा इसे करने की योजना बनाने के दौरान पता लगाया जाता है। समाज विज्ञान के ढंगों एवं सिद्धान्तों दोनों का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु वे समाज कार्यकर्ताओं को इसीलिए लाभकारी हैं क्योंकि वे समाज कार्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता पहुँचाते हैं।

इस प्रकार जबकि सामाजिक शोध अपने अभिगम में सामान्य है तथा प्रमुख रूप से मानव मात्र में अभिरुचि रखता है, समाजकार्य शोध अधिक समस्यान्मुख (Problem Oriented) एवं अपने अभिगम (Approach) में विशिष्ट (Specific) है तथा यह अपना ध्यान मनुष्य एवं उसकी समीपवर्ती समस्याओं पर केन्द्रित करता है। इसके अतिरिक्त, जबकि सामाजिक शोध के परिणाम सिद्धान्तों एवं नियमों के विकास की ओर योगदान देने की प्रवृत्ति रखते हैं, समाज कार्य शोध के परिणामों का उद्देश्य ऐसे सामान्यीकरणों (Generalisations) की स्थापना करना होता है जिनका उपयोग व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को समाज सेवा प्रदान करने में व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है।

II समाज कार्य शोध की परिभाषा

(Definition of social work research)

समाज कार्य शोध एक ऐसी खोज है जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए ऐसे उपायों की खोज की जाती है जिससे सेवार्थी व्यक्ति, समूह, तथा समुदाय को अधिक अच्छे ढंग से सेवाएं प्रदान की जा सकें तथा समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सके।

फ्रीडलैण्डर* (1957)

समाजकार्य शोध समाज कार्य ज्ञान नियुगता अद्यारणाओं एव सिद्धान्तों की जाँच, सामान्यीकरण एव विस्तार करने के लिए समाज कार्य संगठन, कार्य एव ढगो की प्रमाणिकता की आलोचनात्मक पूछताछ एव वैज्ञानिक परीक्षण है।

नेशनल असोशियेशन ऑफ सोशल वर्कर्स* (1957)

समाज कार्य शोध के अन्तर्गत वे प्रश्न सम्मिलित हों हैं जो समाज कार्य प्रयोग के दौरान अथवा प्रशासन के दौरान अथवा उन समाज कार्य सेवाओं के नियोजन अथवा प्रशासन के दौरान उठते हैं जो शोध के माध्यम से सुलझाई जाने योग्य होती हैं जो समाजकार्य तत्वाधानों (Auspices) के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए उपयुक्त होती हैं।

रिपल* (1980)

समाजकार्य शोध व्यावहारिक समस्याओं से प्रारम्भ होती है जिसका उद्देश्य उस ज्ञान का विकास करना है जिसे सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन तथा कार्यान्वयन में प्रयोग में लाया जा सके।

इन उपरिलिखित परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज कार्य शोध समाजकार्य व्यवसाय द्वारा अपनी क्रिया के दौरान अपनाये गये सहायक ढगो में से एक ऐसा ढग है जो अन्य सभी प्राथमिक एव सहायक ढगो की प्रभावपूर्णता को बढ़ाने के लिए मान्यताओं से सम्बन्धित ज्ञान (Assumptive Knowledge) को परिकल्पनात्मक (Hypothetical Knowledge) ज्ञान में और तत्पश्चात् इसे प्रमाणिक (Validated) ज्ञान के रूप में निरन्तर परिवर्तित करने का प्रयास करता है।

सारांश में, समाजकार्य शोध की निम्न विशेषताएँ हैं

1. समाज कार्य शोध के द्वारा सेवार्थी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है।

2 यह अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक ढंगों को उपयोग में लाता है।

इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं

(क) समस्या के क्षेत्र के विषय का चुनाव

(ख) समस्या का परिसीमन

(ग) उपलब्ध सामग्री का अध्ययन

(घ) उपकल्पना का निर्माण

(ङ) उपकरणों का निर्माण

(च) तथ्यों का सकलन

(छ) तथ्यों का संपादन

(ज) तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण

(झ) तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन

(ञ) प्रतिवेदन

3 सेवार्थी को अधिक वैज्ञानिक ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए नये ढंगों की खोज की जाती है।

4 समाज कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान, प्रविधि, निपुणता तथा कौशल प्राप्त होता है।

5 नये ज्ञान की खोज की जाती है तथा उपलब्ध ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है।

6. सामाजिक घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है।

7. सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपाय सुझाए जाते हैं।

III समाज कार्य शोध के प्रकार

(Types of social work research)

समाज कार्य शोधकर्ता का मुख्य कार्य विभिन्न सेवाओं की

आवश्यकता को निश्चित करना है। उसका कार्य वर्तमान सेवाओं की उपयुक्तता तथा उपयोगिता और उनके प्रभाव के मूल्यांकन से भी सम्बद्ध है। उसकी अभिरुचि केवल उन सेवाओं से प्राप्त परिणामों में नहीं होती है बल्कि सेवाएँ प्रदान करने के दौरान प्रयोग में लाए गए ढंगों एवं अपनानी गई प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करने में भी होती है। व्यावसायिक समाज कार्य की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए यह समाजकार्य के दर्शन एवं मूल्यों में रुचि रखता है। इन शोध आवश्यकताओं को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

1. अन्वेषणात्मक शोध (Exploratory research)

इसका उद्देश्य किसी ऐसे नये क्षेत्र में अन्वेषण करना होता है जिसके बारे में पहले से प्रमाणिक जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार का शोध सामाजिक वास्तविकता के नये क्षेत्रों पर प्रकाश डालना होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता शोध क्षेत्र से सम्बन्धित पूर्ण ज्ञान की अनुपस्थिति में अपनी निजी समझ सूझ-बूझ तथा अन्तर्दृष्टि के आधार पर अपना शोध करता है।

2. विवरणात्मक अथवा निदानात्मक शोध (Investigative or descriptive research)

इन अध्ययनों का उद्देश्य किसी प्रक्रिया का गत्यात्मक चित्रण करना अथवा अन्तर्क्रिया के प्रतिमानों अथवा किसी वृत्तांत का वस्तुगत अथवा सही विवरण प्रस्तुत करना है। इस प्रकार के शोध का महत्व नीति निर्धारण, नियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए होता है। इस प्रकार के अध्ययन के दौरान एकत्रित किए गए तथ्य अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा इनका विश्लेषण इस क्षेत्र में पायी जाने वाली प्रमुख समस्याओं के कारणों तथा इनके समाधान के लिए उपलब्ध ससाधनों की जानकारी कराता है। इस प्रकार के अध्ययन परिकल्पनाओं के चरणों के बीच सहसम्बन्धों की जाँच करने में भी सहायक होते हैं।

3. प्रयोगात्मक शोध (Experimental research)

इसका उपयोग कार्यकारी परिकल्पना, (Working Hypothesis) परीक्षण, मूलभूत सैद्धान्तिक ज्ञानवर्धन, किसी विशिष्ट पद्धति की प्रभावपूर्णता के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के चरों (Variables) स्वतंत्र (Independent), एव निर्भर (Dependent) के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग में सम्बन्धित तकनीक का वास्तविक (Real) अथवा साकेतिक (Notional) उपयोग किया जाता है। क्योंकि समाजकार्य शोधकर्ता अपने प्रयोगों को पूर्णरूपेण नियंत्रित परिस्थितियों में करने में असमर्थ होता है, अतः वह अपने प्रयोगों को करने के लिए या तो एक ही समूह में स्वतंत्र चर के घटित होने के पश्चात् आश्रित चर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है अथवा एक से अधिक समूह बनाकर उनकी कुछ विशिष्ट चरों के संदर्भ में मिलान करने के पश्चात् स्वतंत्र चर से प्रभावित करने के बाद इसके आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का परिमाणन किया जाता है।

4. क्रियात्मक शोध (Action research)

इस प्रकार के शोध में नियोजित रूप से कार्यक्रम चलाकर उसके समस्या विशेष के समाधान में प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से किसी अंगीकृत किये गये क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का समाधान करना अथवा किसी भी उपकल्पना का परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में किये गये प्रयोग द्वारा क्षेत्रीय परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर कार्य करने की रूपरेखा अपेक्षित संशोधन करने के लिए बनायी जाती है उसी प्रकार इन अध्ययनों से किसी समस्या के समाधान हेतु बनाये गये कार्यक्रमों की प्रभावपूर्णता की जाँच की जाती है। उदाहरणार्थ, समाज विज्ञान विद्यालय निर्मला निकेतन, बम्बई द्वारा अमरीका के स्वारथ्य, शिक्षा एव कल्याण विभाग के तत्वाधान में इस प्रकार का शोध कार्य भारतवर्ष में किया गया है। इसका उद्देश्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं

द्वारा किये गये कार्य के परिणामस्वरूप समुदाय में हानि वाला सामाजिक परिवर्तनों का न्यूनांकन करना था। साथ ही यह भी स्पष्ट करना था कि किस प्रकार के सामुदायिक कार्य एवं समुदाय विशेष में स्थानीय सेवाय विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

IV शोध के चरण (Steps in research)

सम्पूर्ण शोध के कार्यक्रम को 12 प्रमुख चरणों में बाँटा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, शोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया में क्षेत्र के चुनाव से लेकर अन्तिम प्रतिवेदन तैयार करने तक किसी भी शोधकर्ता को क्रमशः निम्न प्रमुख 12 चरणों से गुजरना पड़ता है

- 1 क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित समस्या/विषय का चुनाव
- 2 समस्या और क्षेत्र का परिचीनन
- 3 चयन किये गये विषय पर उपलब्ध सामग्री का प्रारम्भिक अध्ययन
- 4 उपकल्पना का निर्माण
- 5 अध्ययन की योजना का निर्माण
- 6 सूचना के स्रोतों का निर्धारण
- 7 उत्तरदाताओं का चयन
- 8 प्रामाणिक एवं प्रासंगिक शोध उपकरणों का निर्माण
- 9 तथ्यों/आकड़ों का संकलन
- 10 संग्रहित वर्गीकरण एवं सारिणीकरण
- 11 संकेतीकरण (Coding)
- 12 तथ्यों का विश्लेषण एवं उनका निर्वचन
- 13 प्रतिवेदन
- 14 भावी शोध हेतु समस्याओं एवं परिकल्पनाओं का सुझाव

1. समस्या/विषय का चयन (Selection of problem/subject)

शोधकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने शोध की समस्या का चयन करे। समाज कार्य के शोध की समस्या कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है जो व्यक्ति या समाज के मनो-सामाजिक संगठन से संबंधित हो। व्यक्ति और समाज के संगठन से संबंधित समस्या का क्षेत्र और स्वरूप बहुत विशाल हो सकता है। समाज का निर्माण करने वाली तथा उसकी संरचना पर प्रभाव डालने वाली कोई भी कारक अथवा शक्ति इसमें आ सकती है। वे अनेक परिस्थितियाँ भी समस्या के रूप में चयनित की जा सकती हैं जो व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालती हैं। समाज का निर्माण करने वाली या उसकी संरचना पर प्रभाव डालने वाली कोई भी शक्ति इसमें सम्मिलित की जा सकती है। वे परिस्थितियाँ भी इसका क्षेत्र हो सकती हैं जो व्यक्ति पर किन्हीं रूपों में प्रभाव डालती हैं। समाज कार्य के शोध की समस्या का क्षेत्र व्यक्तिगत के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इत्यादि पहलुओं से सम्बन्धित हो सकता है।

शोधकर्ता को शुरू में केवल यही नहीं तय करना पड़ता है कि जीवन के विविध पहलुओं में से किस पक्ष का अध्ययन करेगा। यदि शोध की समस्या सामाजिक समस्या है तो उसे प्रारम्भ से ही तय कर लेना होता है कि वह इसमें अस्पृश्यता, नशाबंदी, भ्रष्टाचार अथवा पारिवारिक विघटन की समस्याओं में से किस सामाजिक समस्या विशेष का अध्ययन करेगा। इसी प्रकार आर्थिक समस्याओं को निश्चित करने में उसे प्रारम्भ में ही माँग-पूर्ति की समस्या, महँगायी-भत्ते की समस्या, मजदूरी की समस्या, कार्य करने की दशाओं की समस्या, आदि में से किसी एक का चयन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययनों में शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह उनकी किसी एक विशेष समस्या का चयन कर ले। हर शोधकर्ता की रुचि अनुभव, शिक्षण,

प्रशिक्षण साधन आदि भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यहाँ शोधकर्ता का तात्पर्य किसी व्यक्ति मात्र से ही न होकर उन दोनों प्रकार के राजकीय और गैर-राजकीय संगठनों से है जो शोध करते या करवाते हैं। शोधकर्ता को अपनी रुचि के अनुसार शोध की समस्या का चयन और निर्धारण करना चाहिए। ऐसा करने से शोध के अच्छे परिणाम सामने आते हैं।

2. समस्या और क्षेत्र का परिसीमन

(Scope of problem and area)

शोध का दूसरा चरण चुनी गयी समस्या उसके विषय और क्षेत्र को परिसीमित करना होता है। व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पहलुओं से सम्बन्धित कोई समस्या हो प्रायः उस पर शोध की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है क्योंकि समस्या व्यापक होती है। यद्यपि व्यापकता रखने वाली समस्याओं का ही चयन करने पर शोध की उपादेयता भी व्यापक होती है फिर भी समस्या जितनी अधिक सुपरिभाषित (Well defined) तथा सीमित एवं विशिष्ट होती है, शोध के उतना ही प्रभावपूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। समाजकार्य के अध्ययन में क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि शोधकर्ता यह निश्चित करता है कि वह किस भौगोलिक दायरे में समस्या का अध्ययन करेगा। यद्यपि मानवीय समस्याओं की प्रकृति सार्वभौमिक हो सकती है परन्तु भौगोलिक भिन्नता से समस्याओं की प्रकृति का वाह्य स्वरूप बदल जाता है। इसलिए शोध को अधिक उपयोगी एवं सही बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र निश्चित कर लिया जाय। हर समाज की अपनी एक भौगोलिक विशेषता होती है और उसके आधार पर अनेक प्रकार की भिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। अतः शोधकर्ता को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समस्या के चुनाव के साथ साथ यह भी निश्चित कर लेना पड़ता है कि वह समस्या का किस क्षेत्र में अध्ययन करेगा। यदि विस्तृत क्षेत्र को शोध का क्षेत्र बनाकर शोध किया जाता है तो अधिक खर्च, मानव प्रयास तथा समय लगने की

सम्भावना होती है तथा साथ ही परिवर्तन की आवश्यकता को नियंत्रित और एकरूपता की दशा में बनाये रखना असंभव होता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के शोध के लिए या तो शोध को कई भागों में बाँटकर भिन्न भिन्न देशों में एक ही समय पर अथवा भिन्न भिन्न चरणों में अध्ययन किया जाता है या देश के कुछ भूखण्डों का चयन कर लिया जाता है जिसमें एक ही समय पर अथवा विभिन्न चरणों में शोधकार्य किया जाता है।

3. उपलब्ध सामग्री का प्रारम्भिक अध्ययन (Initial study of available material)

शोध के तीसरे चरण में शोधकर्ता को समस्या, विषय और क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी दर सामग्री का अध्ययन करना लाभकारी होता है जो उससे सम्बन्धित हो और जिसे सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। सामग्री के अध्ययन के बाद ही वह शोध की दिशा, साधनों आदि का ठीक ठीक निर्धारण कर सकता है। सामग्री के अध्ययन के आधार पर वह विषय और क्षेत्र की प्रकृति को ठीक से समझ पाता है और उसका एक उचित परिसीमन कर सकता है। अध्ययन के बाद ही वह शोध की रूपरेखा का निर्माण करता है और उसी के अनुसार सारे शोध की प्ररचना को तैयार करता है। बिना अध्ययन के उसे एक तो इन कार्यों को करने में बड़ी कठिनाई होती है, दूसरे वह अपने उद्देश्य एवं कर्तव्य से विमुख भी हो सकता है। फलस्वरूप वह इच्छित शोध नहीं कर पाता है। शोध के इस चरण में ऐसी प्रत्येक सामग्री का अध्ययन सम्मिलित होता है जो सरलतापूर्वक उपलब्ध हो अथवा कर्ता के द्वारा समझी जा सकती हो।

4. उपकल्पना का निर्माण (Formulation of hypothesis)

ये उपकल्पनाएं शोध के प्रारम्भ में की गयी ऐसी कल्पनाएँ हैं जो शोध के वा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती हैं। ये शोध के बाद स्वीकार, अस्वीकार किए जाने

वाले वे कथन हैं जिनकी कल्पना शोध के पूर्व ही कर ली जाती है। यह शोध समस्या का शोध के पहले का समाहित हल है। शोधकर्ता शोध करने के लिए कुछ ऐसी बातों का निश्चय कर लेता है जो शोध के बाद भली प्रकार स्पष्ट होती हैं। इस निश्चय से उसे अपने शोध की दिशा, उसकी प्ररचना, उसकी प्रविधि और अन्य सहायक बातों का अनुमान लगाने और निर्धारण करने में सुविधा होती है। उपकल्पना की शोध के दौरान जाँच की जाती है, फिर उसमें सुधार कर अन्तिम सत्य की स्थापना की जाती है। अन्वेषणात्मक (Exploratory Research) शोध में उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता, विवरणात्मक शोधों में उपकल्पनाएँ प्रायः बनायी जाती हैं। इन शोधों की उपकल्पनाएँ सत्य के काफी पास होती हैं। एक समस्या के कई पूर्व उत्तर होने से शोध की प्ररचना और प्रविधि के निर्माण में सुविधा होती है। परिकल्पना को बनाते समय इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वह स्पष्ट, सरल तथा सक्षिप्त हो तथा उसकी भाषा ऐसी न हो कि उसके कई अर्थ निकलते हों। जो भी बात कही जाये छोटे और सरल वाक्यों में होनी चाहिये।

5. अध्ययन की योजना का निर्माण (Planning of study)

अध्ययन की सम्पूर्ण योजना के निर्माण के दौरान प्रासंगिक पुस्तकों की सूची तैयार करके उसके विषय में निर्णय लेने, आवश्यक शोध उपकरण के बारे में निर्णय लेने, अध्ययन के आकड़ों के संग्रह की उपयुक्त विधि के विषय में निर्णय लेने, उपयुक्त मापकों के बारे में निर्णय लेने, इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

6. सूचना के स्रोतों का निर्धारण

(Determination of sources of information)

इस स्तर पर यह निर्णय लिया जाता है कि समग्र (Universe) क्या होगा अर्थात् एक समय विशेष पर (जब आकड़े एकत्रित किये जायेंगे) एक क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित किस श्रेणी के उत्तरदाताओं से

सूचना एकत्रित की जायेगी। तदुपरान्त यह निश्चित किया जाता है कि सम्पूर्ण समग्र से सूचना एकत्रित की जायेगी अथवा इसके एक अंश विशेष जिसे प्रतिदर्श (Sample) कहते हैं, से सूचना एकत्रित की जायेगी तथा प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार किया जायेगा।

8. प्रामाणिक एवं प्रासंगिक शोध उपकरणों का निर्माण (Construction of valid and appropriate tools)

इस स्तर पर चेकलिस्ट प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार निदर्शनी पर्यवेक्षण निदर्शनी, परीक्षण, प्रक्षेपण प्रविधि या (Projective Techniques) इत्यादि उपकरणों का अध्ययन की आवश्यकतानुसार विकास किया जाता है।

9. तथ्यो/आँकड़ो का सकलन (Collection of facts/data)

आवश्यक उपकरणों के निर्माण के पश्चात इनकी सहायता से शोध के विभिन्न स्रोतों—अभिलेखीय अथवा क्षेत्रीय से आवश्यक तथ्यो/आँकड़ो को एकत्रित किया जाता है। अध्ययन, एव अभिलेखन, पर्यवेक्षण, प्रश्नावली साक्षात्कार, इत्यादि विधियों का सहारा लेते हुए इच्छित सामग्री को सकलन किया जाता है।

10. संग्रहीत सामग्री का सम्पादन (Editing of collected material)

इस स्तर पर एकत्रित की गयी सूचना का सम्पादन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक सूचना वास्तव में एकत्रित कर ली गयी है। तथा एकत्रित की गयी निरर्थक सामग्री को निकाल दिया गया है।

11. वर्गीकरण, सकेतीकरण तथा सारिणीकरण (Classification, coding and tabulation)

एकत्रित की गयी सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात इसे

विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ये श्रेणियाँ एकत्रित की गई सम्पूर्ण सामग्री को अपने में समाहित करती हो, ये एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित किन्तु पृथक हो ताकि पुनरावृत्ति न हो सके। तदुपरान्त, आवश्यकतानुसार इन श्रेणियों को सकोत (Codes) भी निर्धारित किए जा सकते हैं ताकि सारिणीकरण के स्तर पर अनावश्यक श्रम तथा समय एवं धन के अपव्यय से बचा जा सके। इसके बाद सारिणियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके। सारिणियों का निर्माण करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिये कि सारिणियाँ अनावश्यक रूप से जटिल न हो, इनमें स्तम्भों (Columns) तथा पंक्तियों (Rows) को संख्या इतनी अधिक न हो कि प्रथम दृष्टया इनको देखकर समझ पाना कठिन हो जाए तथा इतनी कम भी न हो कि ऐसा लगे कि श्रेणियों का निर्माण करते हुए सारणी को केवल सारणी बनाने के लिए तैयार किया गया है। स्वतन्त्र चर को स्तम्भों तथा आश्रित चर को पंक्तियों में दिखाया जाना चाहिए।

12. तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वचन (Analysis and interpretation of facts)

सारणीबद्ध तथ्यों का तार्किक एवं सांख्यिकीय दोनों प्रकार के ढंगों का प्रयोग करते हुये विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को अन्य अध्ययन से प्राप्त परिणामों के परिधेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है और सापेक्ष गुणों एवं सीमाओं को उजागर करते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

13. प्रतिवेदन तैयार करना (Preparation of report)

उपरिलिखित सभी स्तरों पर किये गये कार्यों को शोध उपभोक्ताओं के समक्ष प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने हेतु उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

V समाज कार्य शोध के क्षेत्र (Areas of social work reasearch)

समाजकार्य शोध निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है

1. उन कारकों की खोज तथा परिमाणन जो सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं तथा सामाजिक सेवाओं की आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं।
2. दान देने वाली संस्थाओं के इतिहास, समाजकार्य कल्याण अधिनियमों, समाज कल्याण कार्यक्रमों तथा समाज की आवश्यकताओं का अध्ययन,
3. समाजकार्य कर्ताओं के भूमिका प्रत्यक्षीकरण की तथा उनकी स्थितियों के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन,
4. समाज कार्यकर्ताओं द्वारा लक्ष्यों के निर्धारण तथा उनकी अपनी छवि का अध्ययन,
5. समाज कार्यकर्ताओं की आशाओं, अभिलाषाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन,
6. समाज की विधिक प्रक्रियाओं का अध्ययन,
7. उपलब्ध समाज सेवाओं की वैयक्तिक, सामूहिक तथा सामुदायिक आवश्यकता के संदर्भ में उपयोगिता का अध्ययन,
8. समाज कार्य क्रिया के परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन तथा समाज कार्य अभ्यास के लिये वांछित योग्यताओं के निर्धारण का अध्ययन,
9. समाज कार्य सेवाओं, कार्यकर्ताओं एवं अभिकरणों के सम्बन्ध में सेवार्थी के व्यवहार की प्रतिक्रिया का अध्ययन,
10. सेवार्थी की आशाओं, अभिलाषाओं, अपेक्षाओं, उद्देश्यों, प्रत्यक्षीकरणों का मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन
11. सामाजिक संस्था के अन्तर्गत तथा इनके बाहर कार्यरत तथा व्यावसायिक समाज कार्य कर्ताओं की भूमिका की परिभाषा तथा उनके अन्तर्सम्बन्धों में सहयोग की स्थिति का अध्ययन,

- 12 समुदाय के सामाजिक समूहों के मूल्यों तथा उनकी वरीयताओं का अध्ययन,
- 13 सामाजिक संस्थाओं की विभिन्न इकाइयों में अन्तर्सम्बन्ध तथा उनके सेवार्थी तथा संस्था के कर्मचारियों पर प्रभाव का अध्ययन,
- 14 समाजकार्य शोध की पद्धतियों की प्रभावपूर्णता का अध्ययन।

सारांश में, यह कहा जा सकता है कि समाजकार्य शोध का उद्देश्य उस नवीन ज्ञान की खोज करना है जो समाज के लिए उपयोगी कार्यक्रमों को नियोजित करने तथा लागू करने में सहायक सिद्ध हो सके।

सन्दर्भ

- 1 Kleg Evan, *Research in Social Work*, Social Work Year Book, ASWA, 1935, p 421
- 2 French D David, *Measuring Results in Social Work*, Columbia University Press, New York, 1952, p 72
- 3 Klen Philip *Past and Future in Social Work Research*, Social Welfare Forum, National Conference of Social Work, 1951, p 133
- 4 *Report of the Workshop on Research in Social Work* Encyclopaedia of Social Sciences, Vol 13, p 330
- 5 Ramchandran, P. *Social Work Research and Statistics* A R Wadia (ed) *History and Philosophy of Social Work in India* Allied Publishers, Pvt. Ltd Bombay 1961, p 501-502
- 6 Social Work research is the systematic critical investigation of questions in the social welfare field with the purpose of yielding answers to problems of social work, and of extending and generalizing social work knowledge and concepts
Friedlander, W A., *op cit*, p 191
- 7 National Association of Social Workers, *Social Work Year Book*, 1957, p 489
- 8 Social work research begins with practical problems and its objective is to produce knowledge that can be put to use in planning or carrying on social work programmes
Ripple L, *Problems Identification and Formulation* in Polansky, Norman A. (ed) *Social Work Research*, University of Chicago Press, Chicago, 1960 p 24

सामाजिक क्रिया (SOCIAL ACTION)

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से समाज कार्य के वर्तमान वैज्ञानिक स्वरूप का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि 1922 में ही मेरी रिचमण्ड ने इसका उल्लेख समाज कार्य की चार प्रमुख प्रणालियों में से एक प्रणाली के रूप में किया था। 1940 में जॉन फिच ने एक कान्फ्रेंस में सामाजिक क्रिया की प्रकृति के ऊपर एक महत्वपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किया। एक वर्ष के बाद उन्होंने सोशल वर्क इयर बुक में सामाजिक आन्दोलन पर निबन्ध लिखा। उसके कुछ ही दिनों के बाद समाज कार्य के क्षेत्र में सामाजिक क्रिया की व्यापक चर्चा चल पड़ी। 1945 में केनिथ एलियम प्रे ने "सोशल वर्क ऐण्ड सोशल ऐक्शन" नामक एक लेख लिखा जिसके अनुसार यह माना जाने लगा कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का एक अंग नहीं है। यह समाज कार्य की एक अलग विधि है। बाद में चलकर यह बात और भी स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है किन्तु सामाजिक क्रिया में कार्य बड़े पैमाने पर होता है।

I सामाजिक क्रिया की परिभाषा (Definition of social action)

यहाँ पर प्रमुख समाज कार्यकर्ताओं द्वारा दी गयी परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है

रिचमण्ड¹ (1922)

प्रचार एव सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है।

क्वायल² (1937)

सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए किये गये प्रयत्नों को कहते हैं जिनसे जीवन अधिक सतोपप्रद हो सके। इसका उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित न करके सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं, तथा समुदायों को प्रभावित करना है।

सोलैण्डर³ एस (1957)

समाज कार्य के क्षेत्र में सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन, ज्ञान तथा निपुणताओं के सद्वर्धन में व्यक्ति, समूह या अन्तर्सामूहिक प्रयास की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नवीन प्रगति तथा सेवाओं की प्राप्ति हेतु कार्य करते हुये सामाजिक नीति एवं सामाजिक संरचना की क्रिया में संशोधन के माध्यम से समाज के कल्याण में वृद्धि करना है।

हिल⁴ (1951)

सामाजिक क्रिया का वर्णन वृद्धत् सामाजिक समस्याओं को हल करने अथवा आधारभूत सामाजिक और आर्थिक दशाओं तथा अभ्यासों को प्रभावित करते हुये सामाजिक दृष्टि से अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक संगठित सामूहिक प्रयास के रूप में किया जा सकता है।

फ्रीडलैण्डर⁵ (1963)

सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन तथा अभ्यास की संरचना के अंतर्गत एक वैयक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना तथा सामाजिक विधान, स्वरथ्य एवं कल्याण सेवाओं में सुधार लाना है।

सामाजिक क्रिया की अवधारणा में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं

- (1) सामाजिक क्रिया समाज कार्य का ही एक अंग है। इसमें भी समाज कार्य के सिद्धान्त, मान्यताओं तथा ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग समाज कार्यकर्ताओं के व्यवसायिक संघ द्वारा किया जाता है।
- (2) सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सही अर्थ में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति है। इसके द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण संभव होता है जिसमें व्यक्ति को अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके।
- (3) इस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों तथा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ अनावश्यक एवं अवांछनीय सामाजिक परिवर्तन को रोकने का भी प्रयास किया जाता है। इसका लक्ष्य यह होता है कि समाज के सदस्यों को इस योग्य बना दिया जाये कि वे आत्मानुशासित होकर अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही व्यवस्थित कर सकें।
- (4) सामाजिक क्रिया में यथा संभव अहिंसात्मक ढंग से कार्य किया जाता है।
- (5) सामाजिक क्रिया में किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य आरम्भ किया जा सकता है परन्तु बाद में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित होता है।
- (6) इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिये गये नागरिक अधिकारों पर आधारित आन्दोलन के रूप में होता है। आन्दोलन के आरम्भ से पूर्व पूरे जन समुदाय की सहमति अपेक्षित होती है और इस जन सहमति से ही आन्दोलन की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

II सामाजिक क्रिया के आधारभूत तत्व (Basic elements of social action)

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सामाजिक नीतियों तथा सामाजिक विधानों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करना है। इसमें निम्नलिखित तत्वों का समावेश होता है :

1. समूह अथवा समुदाय की सक्रियता

सामाजिक क्रिया तभी सफल हो सकती है जब समूह अथवा समुदाय सक्रिय हो। समुदाय की सक्रियता नियोजित एवं संगठित होनी चाहिए। इसके सदस्यों में प्रगति तथा परिवर्तन के लिए दृढ़ आकांक्षा होनी चाहिए।

2. लोकतांत्रिक नेतृत्व

सामाजिक क्रिया में नेतृत्व का विकास करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नेता का चयन समाज की सहमति से किया जाए।

3. जनतांत्रिक कार्य प्रणाली

जनतांत्रिक कार्य प्रणाली सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक है इसमें जो भी ढंग अपनाया जाये वह जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, वयोंकि समाज कार्य का दर्शन तथा व्यवहार जनतांत्रिक आदर्शों पर निर्भर है।

4. साधनों की व्यवस्था

सामाजिक क्रिया को आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित समूह अथवा समुदाय के सभी भौतिक तथा अभौतिक साधनों पर भली भाँति विचार किया जाये। साधनों का प्रयोग करते समय उनके प्रत्यक्ष एवं दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

5. साधनो और समस्याओ मे समन्वय

साधनो का सही अनुमान लगाने के बाद ही समस्या का चयन किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक क्रिया को आरम्भ करने से पूर्व समस्या से समन्वित साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए।

6. स्वस्थ जनमत

सामाजिक क्रिया के लिए स्वस्थ जनमत को भी आवश्यक माना गया है। स्वस्थ जनमत के विकास हेतु समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं, इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

6. समुदाय के सदस्यों का सहयोग

कोई भी सामाजिक क्रिया तभी सम्पन्न हो सकती है जब उससे समन्वित समुदाय के सदस्य समस्या के साथ अपना तादात्म्यीकरण (Identification) करे तथा कार्यक्रम के निर्माण में स्वयं भाग ले। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्रिया में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसे निर्देशन की सुविधा प्राप्त हो ताकि उन्हें समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

III सामाजिक क्रिया के उद्देश्य (Objectives of social action)

सामान्य रूप से सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं

1. स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले कार्यों को करना।
2. सामाजिक नीतियों के निर्माण की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना।
3. सामाजिक आँकड़ों को एकत्र करना तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना।
4. अविकसित समूहों के लिए उनके विकास के लिए आवश्यक सेवाओं की माँग करना।

2. वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान

समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के बावजूद समस्याओं का रूप अत्यधिक व्यापक है। साथ ही वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके समाधान हेतु चाहे कानून का सहारा ले, चाहे समूहों या समुदायों में चेतना जाग्रत करें, दोनों ही स्थितियों में सामाजिक क्रिया पद्धति अत्यन्त उपयोगी है। इन समस्याओं को जनतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल सामाजिक क्रिया की सहायता से हल किया जा सकता है।

3. लोकतांत्रिक मूल्य और जन-चेतना का प्रसार

समाज कार्य जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता जनतंत्र के मूलभूत आधार हैं। ये आदर्श सभी को व्यवहार में सुलभ हो इसलिए समाज के वर्तमान स्वरूप में काफी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। सामाजिक क्रिया को इसका आधार बनाया जा सकता है। सामाजिक क्रिया जन चेतना के जागरण के लिए अत्यधिक लाभप्रद है।

4. संगठनात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन

समाज में प्रायः विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रियाएँ संगठनकारी भी होती हैं और विघटनकारी भी। संगठनात्मक प्रक्रियाओं की सहायता लेकर सामाजिक क्रिया की गति को तीव्र किया जा सकता है साथ ही विघटनकारी प्रक्रियाओं से बचाव के उपाय भी खोजे जा सकते हैं।

इसके द्वारा सामाजिक विधानों में सुधार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक दशाओं से उत्पन्न

निर्धनता तथा व्याधियो जैसी अनेक समस्याओ को जिन्ह सामाजिक एजेन्सिया हल नहीं कर पाती, सामाजिक क्रिया द्वारा हल किया जा सकता है।

V सामाजिक क्रिया के स्वरूप (Forms of social action)

ट्रिटो⁶ ने सामाजिक क्रियाओ के दो स्वरूपो का उल्लेख किया है .

- 1 जन समुदाय के लाभ के लिए उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्तियो द्वारा प्रारम्भ किये गये तथा चलाये गये कार्य।
2. लोकप्रिय सामाजिक क्रिया

ट्रिटो ने दोनो प्रकार की सामाजिक क्रिया के तीन-तीन उप-प्रारूप (sub-models) बताये हैं

प्रथम उप-प्रारूप के अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार आते हैं

1. विधानात्मक क्रिया प्रारूप (Legislative action model)

इस प्रारूप मे कुछ विशिष्ट व्यक्ति समस्या के प्रति जनचेतना उत्पन्न करके सामाजिक नीति मे परिवर्तन लाते हैं।

2. स्वीकृत प्रारूप (Sanction model)

विशिष्ट व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक अथवा धार्मिक कारको पर नियन्त्रण करके समाज से लाभ प्राप्त करते हैं।

3. प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप (Direct physical model)

विशिष्ट व्यक्ति अन्याय करने वालो के प्रति कार्यवाही करते हैं तथा दड देते हैं।

दूसरे उप-प्रारूप के निम्न तीन प्रकार हैं

1. चेतना जागरण प्रारूप (Conscientization model)

यह प्रारूप पालो फ्रायरे (Paulo Freire) के विचारों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत शिक्षा के द्वारा जन सामान्य में चेतना जाग्रत की जाती है।

2. द्वन्द्वात्मक प्रारूप (Dialectical model)

इस प्रारूप में यह विश्वास दिलाकर सधर्प उत्पन्न किया जाता है कि वाद में इससे अच्छी व्यवस्था लागू होगी।

इस प्रारूप में किसी विशेष कारण को लेकर जनसामान्य को हड़ताल के लिए उत्साहित किया जाता है।

VI सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त (Principles of social action)

सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित सिद्धान्त प्रमुख हैं :

1. विश्वसनीयता का सिद्धान्त (Principle of credibility)

नेतृत्व के प्रति जनमानस में विश्वास उत्पन्न करना अति आवश्यक होता है। जनता यह विश्वास करे कि जो आन्दोलन चलाया जा रहा है वह उनके हित में है तथा जो इसकी अगवाई कर रहे हैं वे सच्चरित्र, ईमानदार तथा नेक हृदय हैं तथा जनकल्याण की भावना रखते हैं।

2. वैधता का सिद्धान्त (Principle of legitimization)

संदर्भित जनता जिसके लिए आन्दोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तथा जनसामान्य को विश्वास हो कि आन्दोलन नैतिक तथा सामाजिक रूप से उचित है। इस मान्यता के आधार पर ही सहयोग प्राप्त होता है। सामाजिक वैधता स्थापित करने के लिए आन्दोलनकारी, दार्शनिक, नैतिक, वैधानिक, प्राविधिक आदि मार्गों का चयन किया जाता है। इससे सभी प्रकार का ज्ञान जनसामान्य को हो जाता है।

3. नाटकीकरण का सिद्धान्त (Principle of dramatisation)

नेता का कार्य कार्यक्रम को इस प्रकार से जनता के समक्ष प्रस्तुत करना होता है ताकि जनता स्वयं सावैगिक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ जाये तथा अति आवश्यक मान कर उसके साथ अनवरत एव सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो जाये।

4 बहु आयामी रणनीति का सिद्धान्त (Principle of multiple strategies)

चार प्रकार की रणनीतियां को सामाजिक क्रिया के उपयोग में लाना हितकर होता है

1 शिक्षा सम्बन्धी रणनीति (Educational)
(क) प्रौढ शिक्षा द्वारा, (ख) प्रदर्शन द्वारा

2 समझाने (Persuasion) की रणनीति

3 सुगमता (Facilitation) की रणनीति

4 शक्ति (Power) की रणनीति

5. बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धान्त (Principle of manifold programmes)

कार्यक्रम तीन प्रकार के होने चाहिये—

1 सामाजिक कार्यक्रम

2 आर्थिक कार्यक्रम

3 राजनीतिक कार्यक्रम

VII सामाजिक परिवर्तन की रणनीतियां (Strategies)

लीस' (Lees) ने तीन प्रकार की रणनीतियों का उल्लेख किया है

1. सहभागिता की रणनीति

इस रणनीति के अन्तर्गत कार्यकर्ता वर्तमान सामाजिक नीति को

प्रभावकारी बनाने के लिये स्थानीय तथा अन्य अधिकारियों एवं सरथाओं के साथ सहभागी बनता है। इस रणनीति के अनुसार इस प्रक्रिया से लोगों के मूल्यों तथा रुचियों में परिवर्तन होता है, किसी की शक्ति का हास नहीं होता है तथा आपसी टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है।

2. प्रतिस्पर्धा की रणनीति

परिवर्तन लाने के लिए इस रणनीति को प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास करता है। वह इस प्रकार से प्रचार करता है कि समुदाय के सदस्य उस कार्यक्रम की ओर उन्मुख होने लगते हैं।

3. व्यवधानात्मक रणनीति

इस रणनीति के अन्तर्गत हड़ताल, बहिष्कार, भूख हड़ताल, कर अदायगी न करने, इत्यादि का सहारा लिया जाता है।

VIII सामाजिक क्रिया के प्रारूप (Models of social action)

सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित प्रारूप हैं

1. संस्थागत प्रारूप

सामान्य रूप से राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन सहभागिता के साथ अथवा जन सहभागिता के बिना जन कल्याण हेतु कदम उठाता है। इस प्रारूप के अधीन ससद अथवा विधानमंडल कोई कानून बनाता है और उसी के अनुरूप कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अवैध वस्तियों को कानून बनाते हुए मान्यता प्रदान करना।

2. संस्थागत सामाजिक प्रारूप

जब गैर सरकारी सरथाएँ अनुदान प्राप्त करते हुए या अनुदान के बिना जनहित में कार्यक्रम आयोजित करती हैं तो उसे संस्थागत

सामाजिक प्रारूप कहते हैं। जन समर्थन धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। प्रारम्भ में सस्था लोगो के हित के लिए कदम उठाती है लेकिन कालान्तर में जनसमुदाय स्वयं उसे अपना लेता है।

3 सामाजिक सस्थागत प्रारूप

इस प्रारूप के अर्न्तगत नागरिक स्वयं सहायता समूह, तथा विशिष्ट जन अपने कल्याण के लिए सामाजिक क्रिया करते हैं। धीरे-धीरे वे औपचारिक समूहों तथा सस्थाओं का सहयोग प्राप्त करते हैं।

4. सर्वमान्य/आन्दोलनात्मक प्रारूप

अधिकांश व्यक्ति परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं विघ्न पैदा करने वाली सभी शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं तथा आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं। इसमें व्यापक सहभागिता होती है और इसीलिए यह आदर्श प्रारूप माना जाता है।

5. गांधीवादी प्रारूप

यह प्रारूप आध्यात्मिकता, उद्देश्यो तथा साधनों दोनों की शुद्धता, अहिंसा तथा नैतिकता पर बल देता है और इन्हीं साधनों के माध्यम से परिवर्तन का उद्देश्य पूरा करने पर बल देता है।

सन्दर्भ

- 1 Social action is mass betterment through propoganda and social legislation
Richmond Marry E, *What is Social Casework?* Russell Sage Founda-
tion, New York, 1922, P 23
- 2 Social action is the attempt to change the social environment in ways
which will make life more satisfactory. It aims to affect not individuals
but social institutions laws, customs communities
Coyle, Grace L, *op cit*, P 270
- 3 Social action in the field of social work is a process of individual group
or inter-group endeavour within the context of social work philosophy

knowledge and skills. Its objective is to enhance the welfare of society through modifying social policy and the functioning of social structure working to obtain new progress and services.

Solender, S., 'Social Action in Social Work Year Book, AASW 1957 pp 517-18

- 4 Social action may be described as an organized group effort to solve mass social problems or to further socially desirable objectives by attempting to influence basic social and economic conditions or practice.

Hill, John L. Social Action Proceedings of the National Conference of Social Work, AASW 1951 P 415

- 5 Social action is an individual, group or community effort within the framework of social work philosophy and practices that aims to achieve social progress, to modify social policies and to improve social legislation and health and welfare services.

Friedlander, W.A., *op cit.*, p 219

- 6 Britto, G.A.A., *Social Action and Social Work Education in the Eighties* in Siddiqui, H.Y. (Ed.) *Social Work and Social Action*, Harnam Publications, Delhi, 1984, P 50

- 7 Lees, R.S. *Politics and Social Work* Routledge and Kegan Paul Ltd., London 1972 quoted by Siddiqui H.Y., *op cit.*, p 19

सामाजिक व्यवस्था (SOCIAL SYSTEM)

मानव जीवन के क्रम तथा निरन्तरता को बनाये रखने में समाज का अनुपम योगदान है। यह मानव जीवन का एक आवश्यक आधार है क्योंकि जीवन में कोई स्तर कभी नहीं आयेगा जबकि समाज का साथ उससे छूट जाय। समाज के अभाव में मानवीय जीवन का अस्तित्व असम्भव है। वस्तुतः मानव जीवन के अस्तित्व तथा प्रगति का रहस्य सामाजिक व्यवस्था में निहित है।

1. **व्यवस्था का अर्थ (System):** व्यवस्था का तात्पर्य उस क्रमबद्धता से है जो किसी सरचना के विभिन्न कारकों के बीच एक निश्चित प्रकार्यात्मक आधार पर पायी जाती है।

व्यवस्था की विशेषताये : व्यवस्था की निम्न विशेषताये प्रमुख हैं।

- 1 व्यवस्था गतिशील अथवा परिवर्तनशील धारणा है।
- 2 क्योंकि बिना गतिशीलता के क्रियाशीलता सम्भव नहीं है।
- 3 विभिन्न इकाइयों में प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होते हैं।
- 4 घटकों में निश्चित प्रतिमान (Pattern) होता है। जिससे वे कार्यात्मक बनते हैं।

2. **व्यवस्था का वर्गीकरण (Classification):** सामान्यतः व्यवस्था तीन प्रकार की होती है।

- (i) **यांत्रिक व्यवस्था (Mechanical):** इस व्यवस्था में जीवन का अभाव होता है। यह कृत्रिम होती है। इस व्यवस्था में कुछ

निर्जीव तत्वों पर इकाईयो का इस प्रकार प्रकार्यात्मक संयोग होता है कि वे क्रियाशील रहते हैं। जैसे मशीन, पखे, रेडियो आदि।

- (ii) प्राकृतिक व्यवस्था (Natural) : यह वह व्यवस्था है जो कि प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित होती है। यह व्यवस्था मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है। यह स्वतः क्रियाशील रहती है तथा परिवर्तित होती है। यह दो प्रकार की होती है।

अजीवन (Inorganic) गैस सौर व्यवस्था (Social System)

जीवन (Biological/Organic) जैसे शरीर व्यवस्था

- (iii) मानव निर्मित व्यवस्था (Man made System) : इस व्यवस्था के अन्तर्गत तीन उप-व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है।

(a) व्यक्तित्व व्यवस्था (Personality System)

(b) सांस्कृतिक व्यवस्था (Cultural System)

(c) सामाजिक व्यवस्था (Social System)

3. सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा (Definition)

मैकाइवर तथा पेज के अनुसार : समाज स्वयं एक व्यवस्था है। यह प्रचलनो, कार्यविधियो, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग तथा विभिन्न समूहो और श्रेणियो व मानव व्यवहार के नियत्रणो एव स्वतंत्रताओ की एक व्यवस्था है।'

पारसन्स के अनुसार : सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति है, जिसका कि कम से कम यह भौतिक या पर्यावरण सम्बन्धी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओ की आदर्शपूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिक वैयक्तिक कर्ताओ की एक दूसरे के साथ अन्तः क्रियाओ के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और इन अन्तः क्रियाओं में लगे हुये व्यक्तियो की पारस्परिक सम्बन्ध उनकी परिस्थितियो के साथ सांस्कृतिक रूप में संरक्षित तथा

स्वीकृत प्रतीको की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित और मध्य स्थित होता है।

गार्शल ई जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिससे कि समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाईयाँ आपस में तथा समग्र समाज के साथ सम्बन्धित होती है।¹

4. सामाजिक व्यवस्था की विशेषताये (Characteristics of Social System)

- 1 सामाजिक व्यवस्था आपस में अन्त क्रिया करने वाले एकाधिक वैयक्तिक कर्ताओं से सम्बन्धित है।
- 2 अनेक व्यक्ति जब परस्पर अन्त क्रिया करते हैं तो उनकी व अन्त क्रियाएँ जिस व्यवस्था को उत्पन्न करती है। उसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।
- 3 अन्त क्रियाओं के फलस्वरूप निश्चित सामाजिक सम्बन्धों का होना सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य है।
- 4 सामाजिक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जब विभिन्न समाज के निर्माणात्मक तत्वों में परस्पर एक अपूर्व क्रमबद्धता तथा अन्त सम्बन्ध स्पष्टतः विद्यमान हैं।
- 5 सामाजिक व्यवस्था का एक भौतिक या पर्यावरण सम्बन्धी पहलू होता है?
- 6 सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से भी सम्बन्धित होती है।
- 7 सामाजिक व्यवस्था में समाज के सदस्यों के स्वीकृत अथवा अर्न्तनिहित उद्देश्य भी होते हैं।
- 8 सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन का गुण होता है।
- 9 मानवीय आवश्यकताओं तथा पर्यावरण सम्बन्धी परिणामों के कारण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है।

10 सामाजिक व्यवस्था में सन्तुलन तथा क्रय बद्धता होती है।

5. सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व (Elements) : लूमिस (Charles P. Loomis) के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निम्नलिखित नौ तत्व होते हैं।

1. विश्वास और ज्ञान (Faith and Knowledge)
2. भावनायें (Sentiments)
3. आवश्यकतायें, लक्ष्य तथा उद्देश्य (Needs, Goals and Objectives)
4. आदर्श (Ideals)
5. पद (Status)
6. कार्य (Role)
7. शक्ति (Power)
8. मान्यता (Sanction)
9. सुविधा (Facility)

1. विश्वास एवं ज्ञान : विश्वास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं :

- (i) यह विश्वास कि समाज द्वारा स्वीकृत कर्तव्यों का पालन करना उचित है, उनकी अवहेलना करना नहीं।
- (ii) यह विश्वास कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना या न पाना अपने कार्य पर निर्भर करता है।
- (iii) यह विश्वास कि बुरे काम की परिमाणा सदैव ही बुरा होता है और उसका प्रतिफल व्यक्ति को अवश्य मिलता है।
- (iv) स्वर्ग तथा नर्क में विश्वास
- (v) यह विश्वास कि पूर्वजों की आत्मा अमर है और वे हम लोगों के समस्त कार्यों को देखते रहते हैं।

सामाजिक व्यवस्था के लिए उपरोक्त विश्वास आवश्यक है। इसी प्रकार ज्ञान अनुभवों से सम्यन्धित होने के कारण सामाजिक व्यवस्था का एक सामाजिक तत्व बन जाता है।

2. भावनाएँ . सवेग जय और भी अधिक विषम एवं जटिल मानसिक क्रियाओं के रूप में सगठित होने लगते हैं। तभी उन्हें भावनाएँ कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था सम्यन्धी भक्ति और लगन की भावनाओं का यदि विकास न हो तो समाज द्वारा नियोजित क्रियाओं का पालन ही नहीं हो सकता। वस्तुतः ये भावनाएँ ही सगठन व व्यवस्था की प्रेरक आत्मा हैं।
3. आवश्यकताएँ, लक्ष्य एवं उद्देश्य : आवश्यकताएँ ही मानव को एक दूसरे के निकट लाने का सूत्र होती हैं। सामाजिक सम्यन्ध का एक लक्ष्य व उद्देश्य होता है।
4. आदर्श : किसी समाज के आदर्श सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं और इस कारण सामूहिक मूल्य, आदर्श तथा भावनाओं द्वारा इन आदर्श नियमों को निरन्तर बल प्राप्त होता रहता है।
5. पद : समाज के सदस्यों का कुछ निश्चित पद तथा कार्य होता है। व्यक्ति के पद से तात्पर्य उस स्थिति से है जो वह अपने जन्म के बाद प्राप्त करता है। पद के अनुसार उसकी भूमिका होती है। पद दो प्रकार के होते हैं प्रदत्त तथा अर्जित। प्रदत्त जन्म से प्राप्त होते हैं लेकिन अर्जित पद उसे अपने ज्ञान, प्रयत्न, तथा प्रयास से प्राप्त करने होते हैं।
6. कार्य : पद के अनुसार ही व्यक्ति के कार्य होते हैं। इसी आधार पर व्यवस्था बनी रहती है।
7. शक्ति या सत्ता : समाज व्यवस्था के स्थायित्व के लिये शक्ति का होना आवश्यक है। इसी से अनुशासन सम्भव होता है।
8. मान्यताएँ : सामाजिक व्यवस्था का एक तत्व मान्यताएँ हैं। ये मान्यताएँ सामाजिक मूल्य और आदर्शों के अनुसार निर्धारित होती हैं।
9. सुविधा : सामाजिक व्यवस्था केवल नियंत्रण से ही स्थिर नहीं रहती है बल्कि इसके साथ ही साथ आवश्यक सुविधाओं का होना भी आवश्यक होता है।

6. सामाजिक व्यवस्था के सिद्धान्त

काम्ट का सिद्धान्त (Comte): काम्ट के अनुसार सामाजिक व्यवस्था एक सामाजिक सावयव (Social Organism) है। वैयक्तिक सावयव तथा सामाजिक सावयव में काफी समानता है। जब समाज के विभिन्न सदस्यों का बौद्धिक स्तर समान नहीं होता है तो बौद्धिक अराजकता उत्पन्न हो जाती है। इससे सामाजिक व्यवस्था का सतुलन बिगड़ जाता है। श्री काम्ट के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की पूर्णतया और स्थायित्व समाज की भौतिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा नैतिक शक्ति के उचित सामन्जरस्य पर ही निर्भर है। भौतिक शक्ति क्रिया और कार्य पर आधारित होती है। जबकि बौद्धिक शक्ति चिन्तन पर तथा नैतिक शक्ति स्नेह और सेवा पर आधारित होती है। आधुनिक समाज व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या इनका उचित अनुपात में मिलाना और उनमें सामन्जरस्य की रिथिति की बनाये रखना है।

दुर्खीम का सिद्धान्त (Durkheim): दुर्खीम का कथन है कि सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था से क्रमशः सावयवी सामाजिक व्यवस्था की ओर होता है। दुर्खीम का कहना है कि आदि कालीन व समाज व्यवस्था यांत्रिक की परन्तु धीरे-धीरे परिस्थिति के बदलने के साथ इस यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का रूप बदलकर आधुनिक समाज में सावयवी व्यवस्था के रूप में स्पष्ट हो गया है।

परेटो का सिद्धान्त (Pareto): परेटो के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का आधार वास्तव में सामाजिक संतुलन है। सामाजिक संतुलन वह अवस्था है जिसमें समाज को निर्धारित करने वाली तथा समाज को संगठित करने वाली शक्तियाँ परस्पर एक सतुलित स्तर पर रहती हैं। समाज में दोनों शक्तियाँ सदैव विद्यमान रहती हैं तथा क्रियाशील रहती हैं। दोनों व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं। परन्तु सामाजिक व्यवस्था तभी बन सकती है स्थिर रह सकती है और कार्य कर सकती है जब समाज को संगठित करने वाली और निर्धारित करने वाली दोनों विरोधी शक्तियों का प्रभाव इतना अधिक न हो कि दूसरी शक्ति पूर्णतया दब जाये। परेटो के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसी प्रकार उत्पन्न सामाजिक संतुलन की ही अव्यवस्था है।

सन्दर्भ

- 1 *Society in a system of usages and proceduros of authority and mutual aid of many groupings and divisions of human behaviour and liberties*
Maciver R N and Page C H Society MacMilan & Co Ltd London 1953
p 5
- 2 *Social system is a stato in which different functional unit of society with in themselves and with the total society and related*

विषयसूची

अविवेक दान	70	जन शशारान	238
अनुरूचित कल्याण	30	धियासाफिकल सांसाइटी	95
अनुरूचित जाति कल्याण	32	दुर्ग	103
अर्थशास्त्र	56	द्वैत	1
अपग व्यक्ति कानून	78	निर्धन	70,71
अह	107,162	निर्धन कानून	73
अनुकूलन	108,160	निपुणता	125,190
अन्तर्दृष्टि	184	निदानात्मक शोध	258
अन्वेषणात्मक शोध	258	निदानात्मक सम्प्रदाय	148
आर्थिक विकास	240	निदान	167
आचार सहिता	127	नियोजन	245
आर्य समाज	94	निर्देशन	247
आश्रित बच्चे	76	पर्यावरण	41
उपकल्पना	263	परिवर्तन	179
उद्देश्य	7,8	पुनर्गिष्ठा	186
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम	78	पुनराश्वासन	185
कार्य	11 12	पैरिस	70
कार्यकर्ता	10	पोरुडकार्य	238
कार्यगृह कानून	74	प्रणाली	190
कारनेजी रिपोर्ट	80	प्रशासन	236
कानूनी सहायता	40	प्रतिवेदन	247
क्रियात्मक शोध	259	प्रयोगात्मक शोध	
चयन	246	प्रक्रिया	142
चार्टर ऐक्ट	92	प्रविधि	125
चिकित्सकीय समाज कार्य	33	प्रार्थना सभा	95
चिकित्सकीय साक्षात्कार	181	प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय	152

प्रत्यक्ष उपचार	181	याधित कल्याण	28
बजट	247	विधि	62
बेवरिज रिपोर्ट	77	विधवा विवाह सभिति	94
बेकारी अधिनियम	78	विवाह अधिनियम	94
ब्रह्म समाज	93	वैज्ञानिक ज्ञान	130
वृद्धावरथा कानून	76	वैयक्तिक समाज कार्य	137
व्यक्ति	140	वैयक्तिक अध्ययन	165
व्यवहार	15	सती प्रथा	93
व्यवसाय	121	सर्वेण्टऑफ इंडिया सोसायटी	96
व्यावसायिक संगठन	126	सर्वोदय	97
व्यावसायिक शिक्षा	130	संभस्या	105,141
भूमिका	107,158	समाज कार्य शोध	254
महिला कल्याण	22	सम्बन्ध	106
मनोविज्ञान	51	सम्प्रदाय	148
मनो-सामाजिक अध्ययन	163	समुदाय	215
मनोवैज्ञानिक आलम्बन	183	समन्वय	247
मन चिकित्सकीय समाज कार्य	34	सामूहिक चिकित्सा	186
मान्यताय	9 10	सामूहिक समाज कार्य	190
माडल	13 14	सामुदायिक विकास	232
मानवाधिकार	41	सामुदायिक परिषद	231
मानवशास्त्र	55	सामुदायिक दानपेटी	231
मन्त्रणा	181	सामाजिक सेवाय	241
मूल्यांकन	172	सामाजिक शोध	254
मौलिक मूल्य	109	सामाजिक क्रिया	269
यत्र	125	सुझाव	185
युवा कल्याण	21	संगठन	215 246
राजनीति शास्त्र	60	सकल्प शक्ति	152
राष्ट्रीय बीमा कानून	78	स्पष्टीकरण	183
रामकृष्ण मिशन	95	श्रम दान	2
बाल कल्याण	21	श्रम कल्याण	27
बाल नीति		श्रम कल्याण अधिनियम	27,28
			36 37

लेखक संकेत सूची

आलपोर्ट	54	मिर्जा रफीउद्दीन	5
एस्टीन	16	मिलर्सन	122
एण्डरसन	8	मुफर्जी	110
कॉस	110	मेहता	89
किम्याल यग	54	मेरी रिचमण्ड	138
कोनाप्का	5,111,191	मैकमिलन	213
खेर, दी जी	8	यगडाल	8
गाधी	117	रास	214
गिलिन एण्ड गिलिन	47	राबिन्सन	14
गेटिल	60	राजाराम शास्त्री	89
गोरे	89	राबर्ट पी लेन	219
जान्स्न	110	रीड	16
टैपट	14	रैफोपोर्ट	16
ट्रेकर	191	लियोनार्ड	103
डोलाईर्ड	15	लिण्डमैन	213
डन्हम	214	वित्सन	191
देसाई	139	विटमर	7
पल्टमैन	13,139	सुशील चन्द्र	4
पेटिट	213	सोरोफिन	47
फिक	4	स्ट्रूप	5
फ्रीडलैण्डर	4,7,122,214	स्मैली	14
मन	51	रवीथन दावर्स	138
मजूमदार	89	हैमिल्टन	7
माउरर	15	हॉलिस	14
मार्शल	57	होरिंग	51